मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2015 सत्र

बुधवार, दिनाँक 11 मार्च 2015

स्थायी आदेश 13-क के अनुसरण में अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

<u>स्वीकृत आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की अपूर्णता</u>

1. (क्र. 117) श्री मोती कश्यप : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012 से 2014 की अवधि में बी.आर.जी.एफ. योजना के अंतर्गत कटनी के बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में किन ग्रामों में कितनी लागत के आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत किये गये है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के निर्माण हेतु कब कोई राशि किन्हीं एजेंसी को आबंटित की गयी है? (ग) प्रश्नांश (क) में से कौन से भवन पूर्ण कर लिये जाना दर्शित किया गया है और किनके निर्माण की भौतिक स्थिति क्या है? (घ) क्या प्रश्नांश (क) से (ग) के किन्हीं निर्माणों में निर्माण एजेन्सियों एवं उपयंत्रियों की किन्हीं प्रकार की कोई अनियमिततायें पायी गई हैं? (ड.) क्या प्रश्नांश (घ) के किन्हीं एजेंसियों व उपयंत्रियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। (ख) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम 4, 5 एवं 6 अनुसार**। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम 7 अनुसार**। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम 8 अनुसार**। (घ) आंगनबाड़ी भवन निर्माण में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। (ड.) उत्तरांश 'घ' अनुसार आंगनबाड़ी भवन निर्माण में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>कृषि उपज मंडी कटनी में दाल व राइस मिलों से वसूली</u>

2. (क्र. 118) श्री मोती कश्यप : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में कोई राइस एवं दाल मिलें हैं और उनमें से कितने कितने वर्गफुट भूमि में किस स्वरूप में होना दर्शित की हैं (ख) क्या प्रश्नांश (क) मिलों व प्रतिष्ठानों की कुल भूमि में स्वयं व किराये की भूमि कितनी होना दर्शित की है और किनके द्वारा अभ्यावेदन सहित भूमि संबंधी रजिस्ट्री, नामांतरण आदेश, खसरा आदि आवश्यक

दस्तावेज कब कृषि उपजमण्डी में जमा किये हैं? दस्तावेजों सहित विवरण देवें? (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) की किन्हीं दाल व राइस मिलों तथा प्रतिष्ठानों द्वारा कृषि उपज मण्डी के विभिन्न शुल्कों के अपवंचन की वर्ष 2012 से 2014 में हुई शिकायतों पर कब किनसे जांच करायी गई है और किसी दोषी के विरूद्ध कोई कार्यवाहियां की गई हैं? (घ) क्या किन्हीं, दाल, राइस मिलों व ट्रेडरों के द्वारा विगत 02 वर्षों में राज्य एवं राज्य के बाहर से कब, कितना और किस खाद्यान्न का क्रय कर प्रसंस्करण एवं विक्रय किया गया है और किन पर कितना शुल्क देय होने पर किसके द्वारा कितनी राशि कब जमा करायी गयी है? (ड.) क्या प्रश्नांश (घ) के किन्हीं के द्वारा शुल्क जमा नहीं किये जाने पर कब किसके द्वारा जांच और कार्यवाही की गई हैं?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ए.पी.एल. कार्डधारियों की संख्या

3. (क्र. 218) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ए.पी.एल. कार्डधारी जिन्हें उचित मूल्य की दुकान द्वारा शासन की योजनानुसार गेहूँ, चावल, केरोसिन आदि सामग्री का वितरण होना था उन कार्डधारियों की संख्या कितनी है? (ख) उज्जैन जिले में ए.पी.एल. को केरोसिन उचित मूल्य की दुकान से वितरण कब प्रारंभ हो जावेगा?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन पश्चात् दिनाँक 01 मार्च, 2014 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत एपीएल परिवार की कोई श्रेणी नहीं रह गई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। भारत सरकार द्वारा दिनाँक 19.01.2015 से गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केरोसीन का व्यापार नियंत्रण मुक्त किया गया है जिससे कोई भी व्यक्ति जनता की आवश्यकतानुसार गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का केरोसीन का व्यापार कर केरोसीन उपलब्ध करा सकता है।

अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही

4. (क्र. 260) श्री मधु भगत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मजगांव, वि.ख.परसवाडा, ग्रा.पं. हर्राभाट के खिलाफ अनियमितता किये जाने संबंधी नागरिकों द्वारा कब-कब एवं कितनी शिकायत की गई 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च, 2014 तक दिनाँकवार विवरण देवें? (ख) क्या उक्त ग्राम

पंचायतों के सरपंचों द्वारा की गई अनियमितता के सबंधों में शिकायतों पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि की गई तो क्या कार्यावाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों नहीं की गई और कब तक की जावेगी? (ग) क्या विकासखंड परसवाड़ा के तत्कालीन सीए्इओ के खिलाफ अनियमितता के आरोप संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई थी? उक्त सीईओ पर क्या कार्यवाही की गई, तथा भ्रष्टाचार के आरोप संबंधी कितनी राशि वसूली गई? वर्तमान में तत्कालीन सीईओ रूपलाल सैयाम पर क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण ब्यौरा देवें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सहकारी दुकानों को खाद्यान्न समय पर प्राप्त नहीं होना

5. (क्र. 354) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वनोपज समिति के द्वारा जतारा विकासखण्ड के तहत मोहनगढ़ क्षेत्र के ग्रामों, जैसे- बरेली, वनगांय, नंदनवारा, बंधा, मोहनगढ़, अर्चरा, बृखभानपुरा, कुंवरपुरा गोर, मौगेना लखैपुर, ढाना, खाकरौन आदि ग्रामों का खाद्यान्न किस समिति के द्वारा उठाया जाता है? इन ग्रामों में तीन माह से खाद्यान्न समिति प्रबंधकों द्वारा बांटा नहीं जा रहा है, इसका कारण स्पष्ट करें एवं इसकी जांच कितने समय में करा ली जावेगी, समयावधि बतायें? (ख) अनियमितता करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही जिले के कौन से अधिकारी कर रहे हैं, उनका पदनाम सहित एवं दिनाँक सहित जानकारी दी जावे कि किस अधिकारी द्वारा कब-कब, किसके विरूद्ध कार्यवाही की गई?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) खाद्यान्न का उठाव कर वितरण करने वाली संस्थाओं एवं उचित मूल्य की दुकानों की **सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। उचित मूल्य दुकानों से सामग्री का वितरण नियमित रूप से उपभोक्ताओं को कराया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित ग्रामों की उचित मूल्य दुकानों से उपभोक्ताओं को नियमित खाद्यान्न वितरण कराने के कारण किसी भी अधिकारी के विरूद्ध र्कायवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – ''एक''

संचालित पेट्रोल पम्पों की शिकायत

6. (क्र. 359) डॉ. मोहन यादव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले के विभिन्न स्थानों पर किस-किस कंपनी के कितने पेट्रोल पंप संचालित है? संदर्भित पेट्रोल पंपों की वित्तीय वर्ष 2012 से किस-किस सक्षम अधिकारी ने कब-कब जांच कर क्या-क्या कमियाँ पाई? (ख) क्या उज्जैन जिले के ज्यादातर पेट्रोल पंपों में मीटर में

हेरफेर कर ग्राहको को कम पेट्रोल डीजल दिया जा रहा हैं एवं इस संबंध में किस-किस व्यक्तियों ने किस-किस पेट्रोल पंप की शिकायत प्रश्नांश (क) अवधि में की उक्त शिकायत पर किस सक्षम अधिकारी ने क्या-क्या कार्यवाही की? (ग) क्या पेट्रोल पंप मापदण्ड के अनुसार पेट्रोल पंपों पर शेड निर्माण, आईल चेंज मशीन, एयर चैकिंग मशीन, शौचालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जिले के सभी पेट्रोल पंपों कर मौजूद है? यदि नहीं तो किन पेट्रोल पंपों पर उक्त सुविधाए नहीं है सूची प्रस्तुत करें?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) उज्जैन जिले में इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के 52, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के 34, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के 31 एवं एस्सार कंपनी के 05 कुल 122 पेट्रोल पंप संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2012 से जनवरी, 2015 तक निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा की गई जांच का दिनाँक एवं जांच में पाई गई कमियों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट- 'अ' अनुसार** है। (ख) जी नहीं। जिले में संचालित पेट्रोल पंपों के मीटर में हेरफेर, कम पेट्रोल-डीजल प्रदाय करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण जानकारी निरंक है। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट- 'ब' अनुसार** है।

परिशिष्ट – "दो"

आर्थिक अनियमितताओं के प्रकरणों में कार्यवाही

7. (क्र. 363) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत उज्जैन, जिला उज्जैन में वर्ष 10-11 से प्रश्न दिनाँक तक हुई आर्थिक अनियमितताओं के कारण कितने प्रकरण मध्यप्रदेश राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो में पंजीबद्ध होकर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं? (ख) क्या आर्थिक अनियमितताओं के उक्त प्रकरणों में आर्थिक अपराध के लिये दोषी पाये गये तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उज्जैन के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर प्रचलित हैं, किन्तु ऐसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध निलम्बन की कार्यवाही नहीं की गई कारण स्पष्ट करते हुये जानकारी देवें? (ग) क्या तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उज्जैन श्रीमती सबीना नेमामा जिन्होंने इस प्रकरण से बचने के लिये अपना नाम परिवर्तित कर श्रीमती शिवानी वर्मा रखा गया है एवं उन्हें नियम विरूद्ध पदोन्नति भी विभाग द्वारा दी गई है? (घ) नियम विरूद्ध दी गई पदोन्नति नाम परिवर्तन एवं अपराधिक प्रकरण में चालान प्रस्तुति के बाद भी विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है एवं कब तक कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनाँक तक हुई आर्थिक अनियमितता के कारण म.प्र.राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो में कोई प्रकरण पंजीबद्ध

न होने से न्यायालय में विचाराधीन होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तर ''क'' अनुसार प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। नियमानुसार नाम परिवर्तन किया गया। अत:नियम विरूद्ध पदोन्नति का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) नियमानुसार कार्यवाही होने से जिम्मेदारी का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

रोजगार सहायकों की नियुक्ति

8. (क्र. 364) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या होशंगाबाद जिले की जनपद पंचायत बनखेड़ी की ग्राम पंचायत बनखेड़ी, ग्रा.प.कलकुही, ग्राम पंचायत दहलवाड़ा कला एवं ग्रा.पं. रहटवाड़ा की सीमा को मिलाकर नगर पंचायत वर्ष 2014-15 में अधिसूचित की गई? (ख) क्या नगर पंचायत बनखेड़ी अधिसूचित होने के बाद नगर पंचायत में समाहित पंचायतों में रोजगार सहायकों की नियुक्ति की गई, तथा कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा ज.पं. बनखेड़ी के आदेश क्रमांक 2408/मनेरगा/स्पा/जनपद 2014 दिनाँक 13.10.14 द्वारा पंचायतों को इन रोजगार सहायकों की सेवाये समाप्त करने के आदेश दिये गये? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) का उत्तर हाँ में है, तो इन पंचायतों में रोजगार सहायकों की नियुक्ति क्यों की गई? क्या इन चयनित रोजगार सहायकों को अन्य ग्रा.पं. में रिक्त पद पर पदस्थ किया जावेगा अथवा नगर पंचायत बनखेड़ी में समकक्ष पद पर किया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 272 भोपाल, शनिवार दिनाँक 05 जुलाई 2014 की अधिसूचना क्रमांक 15-एफ-1-24-2013 दिनाँक 05 जुलाई 2014 द्वारा नगर परिषद अधिसूचित की गई है। (ख) नगर परिषद में सम्मिलित ग्राम पंचायतें दहलवाड़ाकला, रहटवाड़ा एवं कलकुही में ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति वर्ष 2012 में की गई थी। ग्राम पंचायत वनखेडी में ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया नगर परिषद वनखेड़ी की अधिसूचना जारी होने से पूर्व ही प्रक्रियाधीन थी। हाँ यह सत्य है कि ग्राम पंचायत वनखेड़ी में रोजगार सहायक का नियुक्ति आदेश अधिसूचना जारी होने के बाद हुआ है। पत्र क्रमांक 2408 दिनाँक 13.10.2014 द्वारा इन चारों ग्राम पंचायतों के ग्राम रोजगार सहायकों की सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही हेतु निर्देश कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा जनपद पंचायत वनखेड़ी द्वारा दिये गये है। (ग) ग्राम पंचायत वनखेड़ी में ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की कार्यवाही नगर परिषद वनखेड़ी की अधिसूचना जारी होने से पूर्व ही प्रक्रियाधीन होने के कारण नियुक्ति की गई थी। ऐसे ग्राम रोजगार सहायकों को अन्यत्र पदस्थ किये जाने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

मनरेगा अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान

9. (क्र. 418) श्री कुंवर सौरभ सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा अन्तर्गत कटनी जिले में मजदूरों एवं इस योजना में कार्य कर रहे कर्मचारियों का भुगतान कब से लंबित है और क्यों? क्या वेतन भुगतान में अति विलंब हो रहा है? क्या मजदूरों को मजदूरी से पहले ही सामग्री के देयकों का भुगतान किया गया है? (ख) क्या मजदूरों को मजदूरी का भुगतान समय पर न होने के कारण कटनी जिले के मजदूरों के द्वारा काम की मांग की जा रही है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यदि मांग की गई है तो काम न मिलने के कारण मजदूरों को कितनी राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रदान की गई है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मनरेगा अंतर्गत आवंटन के आभाव मे कटनी जिले में मजदूरों का भुगतान लगभग दो माह से लंबित है परिषद स्तर से उपयंत्रियो एवं ग्राम रोजगार सहायकों को माह नवम्बर तक का भुगतान किया गया है। शेष कर्मचारियों का जिला स्तर पर भुगतान माह जनवरी-2015 तक का हो चुका है। जी नहीं (ख) जी नहीं। मनरेगा मांग आधारित योजना है जिसके तहत कार्य की मांग करने वाले मजदूरो को कार्य उपलब्ध कराया जा रहा है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बार्डर पर निजी कंपनियों के कार्य करने से आय में कमी

10. (क्र. 589) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में बार्डर स्थित 24 एकीकृत जांच चौकियों का कार्य परिवहन विभाग से हटा कर निजी कंपनियों को किस दिनाँक को दिया गया है? (ख) क्या वित्तीय वर्ष 2009 से उस दिनाँक तक जब प्रदेश के बार्डर पर स्थित एकीकृत जांच चौकियों को मेसर्स एम.पी. बार्डर चेक पोस्ट डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड को हस्तान्तरित किया गया, परिवहन विभाग को प्रतिवर्ष ज्यादा राजस्व राशि प्राप्त होती थी? अगर हाँ तो प्रश्नतिथि तक कितने प्रतिशत कम हुई? वित्तीय वर्षवार दें? (ग) परिवहन विभाग का अमला जो अन्तर्राज्जीय बार्डर चेक पोस्ट पर तैनात रहता था? उसका कार्य प्रश्नतिथि तक क्या-क्या हो गया है? प्रश्नतिथि तक अन्तर्राज्जीय बार्डर चेक पोस्टों पर परिवहन विभाग का किस नाम/पदनाम का अमला पदस्थ है? चेक पोस्टवार दें? (घ) क्या 24 एकीकृत जांच चौकी जो बार्डर पर स्थित है वे निजी कंपनियों के द्वारा नियंत्रित की जा रही है? अगर हाँ, तो किस-किस जांच चौकी को किस नाम की कंपनी के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) शासन के आदेश क्र. एफ 22-60/2008/आठ दिनाँक 9.03.10 से प्रदेश के 24 चैकपोस्टों के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण हेतु एमपीआरडीसी को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया था। एमपीआरडीसी द्वारा बीसीडीसीएल कंपनी के साथ

अनुबंध कर पीपीपी आधार पर चैकपोस्टों का निर्माण कराया जा रहा है। इन 24 जांच चौकियों में से 10 कम्प्यूटराइज्ड एकीकृत जांच चौकियां मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा निर्मित की जाकर परिवहन विभाग को सौंपी गयी हैं। एकीकृत जाँच चौकियों के आरंभ होने की तिथियाँ **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ' अ' अनुसार** हैं। किसी भी जाँच चौकी से परिवहन विभाग के कर्मचारियों को नहीं हटाया गया है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) इंटीग्रेटेड चेकपोस्टों पर पदस्थ परिवहन विभाग के अमले को एकीकृत जांच चौकी की विण्डो पर उपस्थित रहने, वाहनों का क्लियरेंस करने तथा कोई भी कमी पाई जाने पर वाहनों पर चालानी कार्यवाही एवं समझौता शुल्क वसूल करने की कार्यवाही का कार्य दिया गया था। प्रश्न तिथि तक सभी अंतर्राज्यीय बार्डर चैकपोस्ट/सीमा जांच चौकियों पर परिवहन विभाग के पदस्थ अमले की चैकपोस्टवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। (घ) सभी 24 जाँच चौकियों को इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के रुप में निर्मित करने का कार्य बी.एल.डी.सी.एल कंपनी को सौंपा गया है। यही कम्पनी चैकपोस्ट के संधारण का कार्य करती है। इस पर प्रशासनिक नियंत्रण एम.पी.आर.डी.सी का है।

कौशल उन्नयन कार्य की जानकारी

11. (क्र. 597) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वरोजगार मूलक प्रशिक्षण योजनान्तर्गत ग्वालियर संभाग में 01 अप्रैल 2012 से प्रश्न तिथि तक किन-किन एन.जी.ओ./संस्थाओं को कितने व्यक्तियों के कौशल उन्नयन का कार्य किस दर पर कितनी राशि का दिया गया? वर्षवार/संस्थावार/दर वार/कुल राशिवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित एन.जी.ओ./संस्थाओं ने प्रश्नांश (क) में वर्णित समय में कितने-कितने हितग्राहियों को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण किस-किस फेकल्टी में दिया गया? संस्थावार/ हितग्राहियों की संख्या बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) के तहत वर्णित संस्थाओं/एन.जी.ओ. को प्रश्नांश (ख) के तहत किये गये भुगतान की नियम/शर्ते क्या थी? क्या नियमों/शर्तों के अनुसार भुगतान किया गया है? नियमों के पालन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किस प्रकार से किस पदनाम/नाम के अधिकारी द्वारा किया गया?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ग) प्रश्नांश (क) के तहत वर्णित संस्थाओं एन.जी.ओ को प्रश्नांश (ख) के तहत किये गये भुगतान की नियम शर्ते **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है। जी हाँ। नियमो के पालन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकनकर्ता अधिकारियों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार** है।

राज्य निराश्रित निधि की राशि का व्यय

12. (क्र. 732) श्री रामनिवास रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. निराश्रित निधि अधिनियम के अन्तर्गत जिला श्योपुर में कृषि उपज मंडियों से प्राप्त होने वाली राशि जिला निराश्रित निधि एवं राज्य निराश्रित निधि वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 31.12.14 तक कुल कितनी राशि जिला निराश्रित निधि एवं राज्य निराश्रित निधि में जमा की गई है? (ख) म.प्र. शासन एवं आयुक्त सामाजिक न्याय विभाग द्वारा वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 31.12.2014 तक राज्य निराश्रित निधि की कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु व्यय की गई? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के सन्दर्भ में उल्लेखित अवधि में शासन एवं आयुक्त सामाजिक न्याय द्वारा जिला निराश्रित निधि की कितनी-कितनी राशि का व्यय करने एवं भुगतान करने की स्वीकृत प्रदान की गई एवं उक्त भुगतान की स्वीकृति से किन-किन फर्मों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस-किस कार्य हेतु कर दिया गया है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) श्योपुर जिले हेतु राज्य निराश्रित निधि से कोई राशि व्यय नहीं की गई है। (ग) श्योपुर जिले हेतु राज्य निराश्रित निधि से कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

परिशिष्ट – "तीन"

भू-अधिकार पत्रों (पट्टों) का सर्च

13. (क्र. 796) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजपुर जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अंतर्गत वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में कितने भवन गरीबों के बनकर तैयार हो गये है? भू- अधिकार पत्र (पट्टो) जो कि तत्काल हितग्राहियों को दिये जाते है, बैंक द्वारा उनका सर्च उप पंजीयक के यहाँ कराने का औचित्य क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना में सर्च हेतु उप पंजीयक कार्यालय का शुल्क एवं अभिभाषक की फीस क्या हितग्राहियों से ली जाती है? क्या बैंक और शासन के बीच ऐसा अनुबंध पारित हुआ है कि भू-अधिकार पत्रो (पट्टों) में उल्लेखित भू-खण्ड की सर्च कराई जाय? (ग) क्या पट्टों का सर्च शुल्क एवं अभिभाषक की फीस हितग्राहियों से लेने से गरीबों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा? क्या गरीबों को सस्ते मकान का लक्ष्य इस अनावश्यक आर्थिक बोझ से पूरा होगा? (घ) क्या शासन पट्टों के सर्च बैंक द्वारा कराई जाने वाली व्यवस्था को समाप्त करेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में शाजापुर जिले में वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में क्रमशः 2315एवं 2770 आवास बनकर तैयार हो गये हैं। इस

मिशन में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं मध्यांचल ग्रामीण बैंक द्वारा, भू-खण्डधारक के प्रमाण पत्रों की सर्च, बैंक के स्वंय के व्यय पर, कराये जाने सम्बन्धी निर्देश इन बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं को दिये गये हैं। अतःइन निर्देशों का औचित्य बताया जाना सम्भव नहीं है। (ख) जी नहीं। इस मिशन में बैंकों से निष्पादित एम.ओ.यू. में, (भूमि स्वामी हक की कृषि भूमि पर बनाये जा रहे आवासों को छोड़कर) सर्च कराने का प्रावधान नहीं है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जी नहीं। (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश (क) के सम्बन्ध में अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ग्राम पंचायत करेला के निर्माण कार्यों की शिकायत पर कार्यवाही

14. (क्र. 880) श्रीमती ममता मीना : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा ब्लॉक राघौगढ़ की ग्राम पंचायत करेला के निर्माण कार्यों के गलत मूल्यांकन करके सरपंच उपयंत्री द्वारा भ्रष्टाचार करने की शिकायत श्रीमान् मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना को दिनाँक 22.08.2014 को की गई? यदि हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही हुई विवरण दें? (ख) प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गुना द्वारा पत्र क्र./विधा./शिकायत/2014/8996 गुना दिनाँक 11.09.2014 को पत्र श्री नायडू कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा गुना को जिला स्तरीय टीम गठित करने के पारित आदेश पर क्या कार्यवाही हुई? (ग) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गुना के आदेश पर कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा गुना द्वारा ग्राम पंचायत मनरेगा के मूल्यांकन की जिला स्तरीय जांच प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में मांगने पर प्रस्तुत क्यों नहीं किया? क्या श्री नायडू द्वारा भ्रष्टाचार को दबाने हेतु सी.ई.ओ. जिला पंचायत गुना की अवहेलना की गई है? (घ) ग्राम पंचायत करेला, जनपद राघौगढ़ में निर्माण कार्यों में कथित भ्रष्टाचार की जांच में लापरवाही करने वाले श्री नायडू, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी, गुना पर कोई कार्यवाही की जावेगी? क्या मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच ना करने के दोष में नायडू को विभाग की सेवा में रखा जाना उचित है? यदि नहीं तो कब तक कार्यवाही होगी विवरण दें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) एवं (ख) जी हाँ। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा गुना को जिला पंचायत गुना के पत्र क्र. 8956 दिनाँक 11.09.2014 से जाँच हेतु लेख किया गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) एवं (घ) श्री नायडू कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रकरण की जाँच कार्यवाही प्रचलन में है, अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मुख्यमंत्री सड़क योजना में स्वीकृत कार्य

15. (क्र. 884) श्रीमती ममता मीना : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में वर्ष 2012-13, 2013-14 में वि.सभा क्षेत्र चांचौड़ा में मुख्यमंत्री सड़क योजना

में कितने कार्य स्वीकृत हुए थे उनके नाम, दूरी एवं ग्राम नाम सहित विवरण दें? (ख) गुना जिले की चांचौड़ा वि.सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत व्यय की गई धनराशि एवं कितने निर्माण कार्य पूर्ण हुए है कितने अपूर्ण है? (ग) चांचौड़ा वि.सभा में वर्ष 2014-15 में शेष गांवों को मुख्यमंत्री सड़क योजना में जोड़ने हेतु क्या प्रस्तावित है? यदि नहीं तो कब तक शेष ग्रामों को जोड़ा जावेगा? (घ) चांचौड़ा वि.सभा में मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत जो मार्ग अपूर्ण है या उन्हें शामिल नहीं किया तो क्यों नहीं किया? कब तब उन्हें पूर्ण कराया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) गुना जिले की चांचौड़ा वि.सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत प्रारंभ से वर्तमान तक रू.2788.63 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है। स्वीकृत 64 सड़कों में से 63 सड़कों के कार्य पूर्ण एवं 01 सड़क प्रगतिरत है। (ग) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिये तैयार किये गये कोर नेटवर्क में सामान्य क्षेत्र में 500 कम आबादी के ग्राम एवं आदिवासी विकाखण्ड में 250 से कम आबादी के ग्रामों को शामिल किया गया था। कोर नेटवर्क से छूटे हुये ग्रामों को योजनांतर्गत जोड़े जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। कार्यो की स्वीकृति आवंटन की उपलब्धता पर आधारित होने से निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) चांचौडा विधानसभा क्षेत्र के अपूर्ण कार्य को मार्च 2015 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। इस विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डोंनुसार शामिल नहीं किये गये एवं उन्हें पूर्ण करने की योजना उत्तरांश (ग) अनुसार हैं।

<u>परिशिष्ट – ''चार''</u>

<u>प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से मार्गों का निर्माण</u>

16. (क्र. 932) श्री नीलेश अवस्थी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 5 वर्षों में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत कौन-कौन सी सड़कों के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये? स्वीकृति का वर्ष, सड़क निर्माण की लागत निर्माण एजेंसी के नाम सहित संपूर्ण विवरण देवें एवं अनुबंध की शर्तों के अनुसार इनका निर्माण कब तक पूर्ण होना था? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सड़कों में से कौन-कौन सी कितनी लागत की सड़कों का निर्माण किस दिनाँक को पूर्ण हो चुका है? कितनी निर्माणाधीन है एवं कौन कौन सी प्रस्तावित है? सूची देवें? (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर में वर्णित मार्गों के निर्माण हेतु निर्माण सामग्री उत्खनन की अनुमति किन-किन स्थलों से किन शर्तों के अधीन प्रदान की गई? मार्ग निर्माण की अपूर्णता एवं हो रहे विलंब हेतु निर्माण एजेंसियों पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री सड़क को पांच वर्ष बाद पुन: निर्माण डामरीकृत किया जाता है? यदि हाँ, तो पाटन विधानसभा अंतर्गत किन-किन

मार्गों का पांच वर्ष पश्चात कब पुन: निर्माण कराया गया, लागत सहित सूची देवें? जो सड़के शेष एवं क्षतिग्रस्त हैं? उनका पुन: निर्माण कब तक कराया जावेगा? बतलावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है।** प्रस्तावित मार्गों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।** (ग) उत्तरांश (क) में वर्णित मार्गो में निर्माण हेतु निर्माण सामग्री मुरम, बोल्डर आदि के उत्खनन हेतु कुमगंवा, भिड़की एवं सहसन खदान स्वीकृत की गई है। स्वीकृति की शर्तों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है।** मार्ग निर्माण की अपूर्णता एवं हो रहे विलम्ब हेतु उत्तरदायी निर्माण एजेंसियों पर अनुबंध अनुसार अर्थदण्ड हेतु कार्यवाही की जा रही हैं। (घ) जी हाँ। पॉच वर्ष की गांरटी अवधि पश्चात आगामी पॉच वर्षो हेतु कराये जा रहे संधारण कार्यो की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है।** मार्ग की स्थिति एवं आवश्यकता अनुसार नवीनीकरण कार्य कराया जाता है। शेष एवं क्षतिग्रस्त मार्गो की पॉच वर्ष की संधारण की गारंटी अवधि पूर्ण होने अथवा उन्नयन कार्य हेतु स्वीकृति होने पर पुनः निर्माण/संधारण कार्य कराया जा सकेगा। निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है।

<u>राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतन</u>

17. (क्र. 933) श्री नीलेश अवस्थी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 11-17/2014/निगम/चार-भोपाल दिनाँक 30 सितम्बर 2014 द्वारा समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतन मान लागू करने के आदेश प्रसारित किये गये है? (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में यदि हाँ, तो क्या उक्त आदेश के तहत राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के अधिकारियों/ कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतन मान योजना का लाभ 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्राप्त होगा? (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर में यदि हाँ, तो तृतीय समयमान वेतन मान योजना का लाभ कब तक प्राप्त होगा? क्या म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा इस संबंध में आंचलिक कार्यालय मण्डी बोर्ड एवं मण्डियों को कोई आदेश जारी किये गये है? यदि हाँ, तो उक्त आदेश की छाया प्रति देवें? यदि नहीं तो कब तक उक्त आदेश दिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क**)** जी हाँ। **(**ख**)** जी हाँ। **(**ग**)** तृतीय समय मान वेतनमान योजना का लाभ पात्र कर्मियों को देना एक निरंतर प्रक्रिया है। इसलिये समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भेापाल द्वारा प्रश्नाधीन निर्देश की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट - ''पांच''</u>

कृषि उपज मंडियों की स्थापना

18. (क्र. 962) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2011 से दिसम्बर 2014 तक कहाँ-कहाँ कृषि उपज मंडी स्थापना की स्वीकृतियां सरकार ने दी? (ख) कितने ओर कौन-कौन से स्थानों पर उक्त नई कृषि उपज मंडी प्रारंभ हो गई? (ग) प्रदेश में कितनी कृषि उपज मंडी स्थापना की स्वीकृतियां शासन के पास लंबित है कौन-कौन सी एवं कितने समय से व किस कारण लंबित है?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) प्रदेश में वर्ष 2011 से दिसम्बर 2014 तक विभाग द्वारा 11 कृषि उपज मंडी समितियों की स्थापना संबंधी अधिसूचना जारी की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) प्रदेश में पृथ्वीपुर में कृषि उपज मंडी की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

रतलाम जिले में समग्र स्वच्छता अभियान

19. (क्र. 964) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में समग्र स्वच्छता अभियान के योजना प्रारंभ दिनाँक से प्रश्न दिनाँक तक पंचायतवार व्यय का विवरण क्या है? उपरोक्तानुसार किस-किस कार्य हेतु किस-किस ऐजेंसी का चयन किस-किस प्रक्रिया के तहत किया गया एवं उक्त ऐजेंसियों को कितना-कितना भुगतान किया गया? (ख) जिले में कितने परिवार अब भी शौचालय विहीन है? पंचायतवार ब्यौरा क्या है? (ग) उक्त शौचालयों के निर्माण हेतु शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड क्या है? क्या इनका पालन उपरोक्त अभियान में किया जा रहा है? (घ) संपूर्ण रतलाम जिले में सभी परिवारों को स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय युक्त करने के लक्ष्य की अवधि क्या है? इसके विरूद्ध वर्तमान लक्ष्य प्राप्ति क्या है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) पंचायतवार व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है। (ख) जिले में बेसलाईन सर्वे 2011-12 के अनुसार शौचालय विहिन कुल परिवार 147307 है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र स अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र द अनुसार** है। जी हाँ, इनका पालन अभियान में किया जा रहा है। (घ) संपूर्ण शौचालय विहिन परिवारों को शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2019 तक स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय युक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके विरूद्ध जिले का भौतिक लक्ष्य प्राप्ति 36000 है।

कृषि रथ संचालन हेतु आवंटित राशि

20. (क्र. 1004) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिला में कृषि रथ संचालन विकासखंड वार किया गया था? यदि हाँ, तो कब से कब तक विकासखंडवार जानकारी देवें? (ख) विभाग द्वारा कृषि रथ संचालन हेतु जिले को कितनी राशि आवंटित की गई थी? उक्त राशि का उपयोग किस-किस आयोजन एवं प्रायोजन हेतु व्यय किया गया विकासखंडवार जानकारी देवें? (ग) कृषि रथ संचालन में व्यय की गई राशि के उपयोग में शासन के दिशा निर्देशों एवं नियमों का पालन किया गया है? (घ) कृषि रथ संचालन में क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था एवं किन-किन कार्यक्रमों में जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ, दिनाँक 25 सितम्बर 2014 से 20 अक्टूबर 2014 तक सागर जिले के समस्त विकासखंडों में रथ संचालन किया गया तथा प्रत्येक दिन प्रत्येक विकासखंड में 3 ग्रामों का भ्रमण किया गया। (ख) विभाग द्वारा कृषि रथ संचालन हेतु जिले को कुल रू. 16.50 लाख आवंटित किये गए थे, जिनका उपयोग प्रत्येक विकासखंड के कृषि रथ संचालन में ही किया गया, विकासखंडवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जी हाँ। (घ) जी हाँ, कृषि रथ संचालन के उदघाटन, जिले के विकासखंडों में आयोजित संगोष्ठियों में तथा ग्राम स्तरीय कार्यक्रमों में जन प्रतिनिधि उपस्थिति रहे हैं।

परिशिष्ट - "छ:"

इंदिरा आवास एवं मुख्यमंत्री आवास की स्वीकृति

21. (क्र. 1005) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिला में चालू वित्तीय वर्ष में कितने इंदिरा आवास एवं मुख्यमंत्री आवास कुटीर स्वीकृत की गई है? (ख) नरयावली विधानसभा क्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष में कितनी इंदिरा आवासीय कुटीर एवं मुख्यमंत्री आवास कुटीर स्वीकृत की गई है? (ग) नरयावली विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत कुटीरों में कितनी कुटीरों का निर्माण कार्य पूर्ण / प्रगति पर है, तथा कितनी कुटीरों का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है? (घ) स्वीकृत कुटीरों का निर्माण कार्य यदि प्रारंभ नहीं हुआ है, तो विभाग द्वारा जिम्मेदार शासकीय सेवकों पर क्या कार्यवाही की गई है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) सागर जिले में चालू वित्तीय वर्ष में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत 2176 एवं मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजनान्तर्गत 204 कुटीर स्वीकृत की गई। (ख) नरयावली विधान सभा क्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत जनपद पंचायत सागर एवं राहतगढ़ में क्रमश: 236 एवं 92 कुल 328 कुटीर तथा मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजनान्तर्गत क्रमश: 23 एवं 06 कुल 29 कुटीर स्वीकृत की गई। (ग)

नरयावली विधानासभा क्षेत्र में स्वीकृत कुटीर में से इंदिरा आवास योजनान्तर्गत सागर जनपद पंचायत की 57 कुटीरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा शेष 271 एवं मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजनान्तर्गत 29 कुटीरों का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। (घ) स्वीकृत कुटीरों का निर्माण स्वयं हितग्राही द्वारा किया जाता है तथा शासकीय सेवकों पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

भूतेडा जावरा स्थित मंडी बोड की लेबोरेट्री के बारे में

22. (क्र. 1139) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कपास प्रौधोगिकी मिशन एमएम-11 योजना अन्तर्गत बायोएजेन्ट प्रयोगशाला स्थापना हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई थी एवं उस पर कितना व्यय हुआ है? (ख) वर्तमान में उक्त योजना अन्तर्गत बायोएजेन्ट प्रयोगशाला भूतेडा जावरा विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी राशि का भवन किस वर्ष बनकर पूर्ण हुआ व उसके रखरखाव एवं संचालन हेतु शासन की क्या नीति है बायोएजेन्ट प्रयोगशाला भूतेडा का संचालन कब तक प्रारंभ होगा? (ग) उक्त बायोएजेंट प्रयोगशाला की वर्तमान स्थिति क्या है? उक्त प्रयोगशाला अपना कार्य कब तक प्रारंभ करेगी? (घ) उक्त प्रयोगशाला प्रारंभ करने हेतु कौन-कौन से कितने पद स्वीकृत है एंव उन पदों को कब तक भर लिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (**क**) कपास प्रौद्योगिकी मिशन एम.एम.-॥ योजना अंतर्गत बायोएजेन्ट प्रयोगशाला स्थापना हेतु राशि रूपये 100.00 लाख स्वीकृत हुई थी एवं उस पर राशि रूपये 85.00 लाख व्यय हुआ है। (ख) बायोएजेन्ट प्रयोगशाला भूतेडा का भवन कुल राशि रूपये 85.00 लाख से वर्ष 2003 में बनकर पूर्ण हुआ व उसके रखरखाव एवं संचालन पी.पी.पी. मोड पर किये जाने का निर्णय हुआ है। बायोएजेन्ट प्रयोगशाला संचालन के संबंध में समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश ख अनुसार है। (घ) उक्त प्रयोगशाला प्रारंभ करने हेतु पद स्वीकृत नहीं है अत: पद भरने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि कल्याण कोष की जानकारी

23. (क्र. 1140) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संधारित कृषि कल्याण कोष का गठन कब हुआ, तथा उस के बाद उसमें कितना-कितना कोष किस वर्ष रहा, तथा प्रति वर्ष उस कोष में से कितनी-कितनी धनराशि किस-किस वर्ष किस कार्य के लिए खर्च की?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा

संधारित होने वाले कृषि कल्याण कोष का गठन नहीं हुआ है। अत: शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

रोजगार गारंटी के कार्यों के संबंध में

24. (क्र. 1194) श्री दुर्गालाल विजय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 से वर्तमान तक की अवधि में वर्ष/ग्राम पंचायतवार कितने-कितने कार्य कितनी राशि के स्वीकृत किये गये इन कार्यों को पूर्ण करने की अवधि व कार्य ऐजेन्सी कौन हैं? (ख) उक्त में से वर्तमान में किस-किस पंचायत में कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं कितने कार्य अपूर्ण/अप्रारंभ हैं इसके क्या कारण हैं इन्हें पूर्ण/प्रारंभ कराने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? इस हेतु संबंधित ऐजेन्सियों को पत्र लिखे गये हो तो उनकी प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या संबंधित विभागीय अमले की उदासीनता के कारण जिले में वर्तमान में भी सैकड़ों कार्य अपूर्ण/अप्रारंभ पड़े हैं इस कारण न तो मजदूरों को रोजगार मिल पा रहा हैं और ना ही शासकीय राशि का सही उपयोग हो पा रहा हैं? (घ) यदि हाँ तो क्या शासन उक्त सभी अपूर्ण/अप्रारंभ कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण न कराने के लिये उत्तरदायियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए सभी कार्यों को अब एक निश्चित समय-सीमा में पूर्ण कराने हेतु प्रभावी कदम उठायेगा यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) श्योपुर जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वर्ष 2011-12 से वर्तमान तक की अवधि में पंचायतवार 9844 कार्य स्वीकृत किए गए। प्रश्नांश की शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ख) कार्य की वर्तमान स्थिति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। जनपद पंचायत द्वारा साप्ताहिक एवं जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों में समय-समय पर कार्य पूर्ण कराने हेतु कार्य एजेंसियों को निर्देशित किया गया। कार्यपूर्णता हेतु संबंधित एजेंसियों को जारी किये पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (ग) जी नहीं। योजना मांग आधारित है, जॉबकार्डधारी श्रमिको को उनकी मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है एवं के नियमानुसार शासकीय राशि का उपयोग किया जा रहा है। (घ) जी नहीं, अपूर्ण प्रारंभ कार्यो का पूर्ण होना जॉबकार्डधारी श्रमिको द्वारा रोजगार की मांग एवं केन्द्र सरकार से समुचित राशि की उपलब्ध पर निर्भर होने से निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है।

ई-कक्षों की स्थापना

25. (क्र. 1197) श्री दुर्गालाल विजय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले की किन-किन ग्राम पंचायतों में वर्तमान तक ई-कक्ष की स्थापना की गई?

इनका उद्देश्य व इस संबंध में शासन के क्या निर्देश हैं? निर्देशानुसार समस्त ई-कक्ष वर्तमान में पूर्ण रूप से व्यवस्थित व ठीक प्रकार से संचालित हो रहे हैं? (ख) उक्त समस्त ई-कक्षों के निर्माण, कम्प्यूटर व सभी उपकरणों पर वर्तमान तक कुल कितनी राशि व्यय की गई, ई-कक्षवार बतावें? उक्त सभी सामग्री को किस एजेंसी के जरिऐ किस फर्म से किस-किस कम्पनी का कब-कब क्रय किया गया? (ग) क्या यह सच है कि समस्त ई-कक्षों में कम्प्यूटर कर्मचारी की नियुक्ति न करने, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई नियमित न रहने व अन्य सुविधाओं के अभाव में ये बन्द पड़े रहते हैं? (घ) यदि नहीं, तो क्या शासन जिले के सभी ई-कक्ष की निर्माण सामग्री, कम्प्यूटर व सभी उपकरणों का भौतिक सत्यापन करवाएगा, तथा इस हेतु उत्तरदायियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जिले की समस्त 225 ग्राम पंचायतों में ई-कक्ष की स्थापना की गई है। इनका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ व अन्य सेवायें उपलब्ध कराना है। शासन निर्देश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ'** पर है। जी हाँ, स्थानीय व्यवस्था अनुसार ठीक प्रकार से संचालित हो रहे हैं। (ख) समस्त ई-कक्षों में निर्माण, कम्प्यूटर व सभी उपकरणों में वर्तमान तक जिले द्वारा कुल राशि रू. 3, 45, 77, 725/- व्यय की गई है। ई-कक्षवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' पर** है। कम्प्यूटर व अन्य सामग्री का क्रय तथा ई-कक्षों का निर्माण, म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से जिलो द्वारा दिये गये क्रयादेशों के आधार पर हुआ है। शेष प्रश्न की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'स' के अनुसार** है। (ग) जी नहीं। जिले अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक/सचिव नियुक्त है। शासन के निर्धारित समय अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में विद्युत सप्लाई की जा रही है। बिजली नियमित न रहने की स्थिति में कम्प्यूटर के साथ 1 केवी यूपीएस 2 बैटरी सहित उपलब्ध किये गये है, जिसका बैकअप 2 से 4 घंटे का है। (घ) जी हाँ। समस्त जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा समस्त कम्प्यूटर एवं अन्य सामग्री का इन्स्टॉलेशन रिपोर्ट से भौतिक सत्यापन की पुष्टि की गई है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

पंच-परमेश्वर योजना के कार्य

26. (क्र. 1338) डॉ. कैलाश जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्त वर्ष 2012 से 2014 तक पंच-परमेश्वर योजना से पंचायतों द्वारा कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं? (ख) क्या इस कार्य में गुणवत्ता हेतु शासन द्वारा मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं? यदि हाँ, तो एक प्रति उपलब्ध करायें? (ग) क्या इस योजना के अधिकतर कार्य अधूरे एवं गुणवत्ताविहीन है एवं इनकी अनेक शिकायतें हैं? यदि हाँ, तो इन पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी प्रदान करें? (घ) प्रश्नांश (क) के लंबित कार्यों की स्थिति बतायें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार।** (ग) जी नहीं। योजनांतर्गत 151 कार्य अधुरे/प्रगतिरत है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' कॉलम नंबर 7 के अनुसार।**

समग्र स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालय निर्माण

27. (क्र. 1339) डॉ. कैलाश जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोटेगॉव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत समग्र स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालय निर्माण की योजना से बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. के कितने हितग्राहियों को इसका लाभ मिला है? सूची देवें? (ख) इस योजना अंतर्गत वर्तमान में कितने कार्य अपूर्ण हैं जिनका पंचायतों द्वारा राशि का आहरण किया जा चुका है? सूची प्रदान करें? (ग) इन कार्यों की कितनी शिकायतें विभाग में लंबित है एवं इन पर की गई कार्यवाही की सूची प्रदान करें? (घ) प्रश्नांश (क) के अनुसार समयावधि में कार्य न होने की दशा में किन-किन निर्माण ऐजेन्सी से कितनी-कितनी राशि कब-कब वसूल की गई? सूची प्रदान करें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) गोटेगाँव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत समग्र स्वच्छता कार्यक्रम अंतर्गत शौचालय निर्माण की योजना से 8919 बीपीएल एवं 855 एपीएल हितग्राहियों को लाभ मिला है। सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है। (ग) विभाग में उक्त कार्यो की किसी भी प्रकार की शिकायत लंबित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत द्वारा समयावधि में कार्य न किये जाने के कारण अनुपयोगी पड़ी राशि जिले के योजना के बैंक खाते में वापस प्राप्त की गई। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र स अनुसार** है।

प्रगति गृह निर्माण सह-संस्था द्वारा विकसित आशीष नगर की अनियमितता

28. (क्र. 1357) श्री राजेश सोनकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि. अता. प्रश्न क्र. 1780, दि. 20.7.12 और अता. प्रश्न 197, दि. 2.12.11 के उत्तरों में बताया कि प्रगति नगर गृह निर्माण संस्था के संचालक मण्डल ने 150/- प्रति वर्गफुट पुन: विकास शुल्क लिया जाना तय किया? यह भी बताया कि 1.4.2007 को साधारण सभा की बैठक 14.8.2008 को भी हुयी? (ख) अगर हाँ, तो उन बैठकों हेतु सदस्यों को दी गई सूचना की पोस्टल कॉपी की प्रति देवें? प्रश्नों के उत्तर के साथ (1780, दि. 20.7.12) प्रस्तुत सूची की

छायाप्रति में क्र 19, 24, 26 व अन्य कभी बैठक में उपस्थित ही नहीं हुऐ? 27.1.2008 की बैठक में फिर भी उनके असत्य हस्ताक्षर कर लिये गये? यह साफ-साफ घोखाधड़ी है? इस हेतु क्या विभाग जांच कर कार्यवाही करावेगा? (ग) दि. 1.4.2007 के संचालक निर्वाचन में शासकीय अधिकारी कौन उपस्थित रहा? निर्वाचितों को कितने-कितने वोट मिले और उन सभी का सदस्यता दिनाँक बतावें? 31.1.15 को संचालक मण्डल में कौन-कौन हैं, उनका निर्वाचन दिनाँक बतावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ. दिनाँक 01.04.2007 को संस्था की कार्यकारणी के निर्वाचन हेतु विशेष आमसभा एवं दिनाँक14.08.2008 को कार्यकारणी कमेटी की बैठक आयोजित की गई. (ख) दिनाँक 01.04.2007 को आयोजित विशेष आमसभा की यूपीसी द्वारा दी गई सूचना की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है.** शेष प्रश्नांश की जांच कराई जा रही है, जांच निष्कर्षाधीन. (ग) श्री एच.एल. मंसौरे, उप अंकेक्षक एवं निर्वाचन अधिकारी उपस्थित रहे. निर्विरोध निर्वाचन होने से मतदान नहीं हुआ, सदस्यता दिनाँक संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है. **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है.

विधान सभा क्षेत्र रैगांव के वंचित ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ने बाबत्

29. (क्र. 1370) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सतना जिले के विधान सभा क्षेत्र रैगॉव अंतर्गत आने वाले कौन-कौन से पात्र ग्राम मुख्य मार्गों से अभी तक नहीं जोड़े गये हैं उन ग्रामों की सूची बतायें? (ख) यदि प्रश्नांश (क) अनुसार सूची में सम्मिलित ग्रामों को अभी तक मुख्य मार्गों से नहीं जोड़ा गया, तो इन ग्रामों की सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल कराकर कब तक कार्य पूर्ण करा दिये जायेंगे? (ग) क्या सिंहपुर-सुंदरा मार्ग से आदिवासी बस्ती रोड़ नर्सरी तक एक किलोमीटर एवं सिमरिया मार्ग प्रधानमंत्री रोड से लोधी टोला एक कि.मी. तथा सुंदरा रोड से द्वारीकलां से शिवराजपुर मार्ग एवं अन्य कई ग्रामों में रोड नहीं होने से ग्रामीणों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है? (घ) यदि हाँ तो उक्त ग्रामों के अलावा अन्य ग्रामों का सर्वे कराकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल कराकर कब तक कार्य पूर्ण करा दिये जायेंगे? समय सीमा बतायें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (**ख) उक्त ग्रामों को जोड़े जाने हेतु की जा रही कार्यवाही की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। कार्य पूर्ण कराने की निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ, सिंहपुर-सुदंरा मार्ग से शिवराजपुर मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत किया जाकर संधारण किया जा रहा है। (घ) जी नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत योजना के दिशा

निर्देशो के अनुरूप पात्र पाए जाने वाले ग्रामों को ही जोड़ने की कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट – "सात"</u>

<u>कृषि महाविद्यालय का भवन निर्माण</u>

30. (क्र. 1442) श्री निशंक कुमार जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के गंजबासौदा में कृषि महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु कितनी राशि प्रश्नांकित तिथि तक व्यय की जा चुकी है, भवन का निर्माण कार्य आदेश के अनुसार किस दिनाँक तक पूरा किया जाना था, कार्य आदेश के अनुसार निर्धारित तिथि तक कार्य पूरा न हो पाने का क्या कारण रहा? (ख) वर्तमान में कृषि महाविद्यालय किस स्थान पर संचालित किया जा रहा है उस स्थान के किराये के रूप में गत एक वर्ष में कितनी राशि प्रतिमाह भुगतान कर दिया है, कितनी राशि का भुगतान बकाया है? (ग) कृषि महाविद्यालय में कार्यरत किस श्रेणी के कितने स्टाफ के लोग वर्तमान में गंजबासौदा में स्थाई रूप से रह रहे हैं कितने अन्यत्र स्थानों से रोजाना अपडाउन कर रहे है इसमें से किसे कितना भत्ता शासन प्रदान कर रहा है? (घ) कृषि महाविद्यालय का भवन एवं उससे संलग्न भवन कब तक महाविद्यालय प्रबन्धन को सौंप दिए जावेगें समय सीमा सहित बतावें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) वर्तमान में कृषि महाविद्यालय, गजंबासौदा शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय की पीछे मेला ग्राउंड स्थित महावीर धर्मशाला में संचालित हो रहा है। महाविद्यालय के किराये के रूप में वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुबंधानुसार रूपये 27,940/- मासिक दर से कुल रूपये 3,35,280/- का भुगतान किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2014 तक (कुल 07 माह) अनुबंधानुसार रूपये 27,940/- प्रतिमाह की दर से कुल रूपये 1,95,580/- का भुगतान किया जा चुका है। माह नवम्बर 2014 से नवीन अनुबंधानुसार रूपये 30,734/- की मासिक दर से फरवरी 2015 तक (कुल 4 माह) का भुगतान रूपये 1,22,936/- बकाया है, जो शीघ्र ही भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। (ग) कृषि महाविद्यालय गंजबासोदा में कार्यरत सभी श्रेणी के स्टाफ की कुल संख्या 46 है, जिनमें से 02 सह प्राध्यापक एवं 06 सहायक प्राध्यापक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अन्य केन्द्रो में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा संलग्नीक़त किए गये है। शेष पदस्थ सभी 38 स्टाफ स्थायी रूप से मुख्यालय में ही निवास कर रहें हैं। अन्यत्र स्थानों से रोजाना कोई भी स्टॉफ अप-डाउन नहीं करता हैं। समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को शासन द्वारा समय समय पर देय भत्ता उनके पदानुसार ही प्राप्त होता है। (घ) कृषि महाविद्यालय से संलग्न भवन को पूर्ण करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2011-12 के पश्चात से

आवंटन प्रदान नहीं किया गया हैं। अत: महाविद्‌यालय प्रबंधन को भवन सौंपें जाने की समय सीमा आवंटन प्राप्त होने के पश्चात ही निर्धारित किया जाना संभव होगा।

प्रधानमंत्री सड़क एवं मुख्यमंत्री सड़क योजनांतर्गत सड़कों को जोड़ा जाना

31. (क्र. 1443) श्री निशंक कुमार जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा एवं बैतूल जिले में वर्तमान में प्रधानमंत्री सड़क एवं मुख्यमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत किस किस ग्राम को जोड़े जाने का कार्य चल रहा है किस ग्राम को जोड़े जाने की योजना प्रस्तावित है? मार्ग की लागत एवं लम्बाई सहित बतावें। (ख) उक्त निर्माणाधीन सड़क निर्माण में लगने वाले किस गौण खनिज के लिए शासन द्‌वारा वर्ष 2006 में जारी आदेश अनुसार किस गौण खनिज की किस ग्राम में खदान का आरक्षण किया गया? किस मार्ग निर्माण में लगने वाले गौण खनिज के लिए खदान का प्रश्नांकित तिथि तक भी आरक्षण नहीं किया जा सका है? (ग) वर्तमान में निर्माणाधीन किस मार्ग के लिए प्रश्नांकित दिनाँक तक किस ठेकेदार को कितनी राशि का भुगतान कर दिया गया है? उस ठेकेदार से गौण खनिज की रायल्टी के बदले कितनी राशि काटी जाकर किस दिनाँक को खनिज विभाग में जमा करवाई गई? (घ) निर्माणाधीन मार्ग का निर्माण कब तक पूरा हो जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार** है। (ख) एवं (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। (घ) निर्माणाधीन मार्गों की पूर्णता की निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है।

किसानों के कल्याण के लिए संचालित योजनाएं

32. (क्र. 1504) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्‌वारा किसानों तथा हम्माल, तुलावटी के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, तथा उसमें पात्रता की क्या-क्या शर्तें/मापदण्ड हैं, पूर्ण विवरण दें? (ख) वर्ष, 2013-14, तथा 2014-15 में किस-किस योजना में कितने हितग्राही को लाभांवित किया गया संख्या बतावें? (ग) उज्जैन संभाग में अनुदान/सहायता राशि का भुगतान नहीं हुआ, तथा क्यों, कारण बतावें, तथा कब तक राशि का भुगतान होगा, निश्चित समयावधि बतावें? (घ) वर्ष, 2014-15 में उज्जैन संभाग में प्राप्त

कितनी राशि का उपयोग जनवरी, 2015 तक नहीं हुआ, तथा क्यों, कारण बतावें, तथा कब तक उक्त राशि का उपयोग होगा?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसानों तथा हम्मालों, तुलावटी के लिये मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008, मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना, कृषि विपणन पुरस्कार योजना एवं मण्डी प्रागंण में कृषकों को रूपये 05/- थाली भोजन उपलब्ध कराने संबंधी योजना संचालित की जा रही है। जिनके विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे अनुसार** है। **(ख)** वर्ष 2013-14 में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 में 397 हितग्राही, मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना में 6857 हितग्राही, कृषि विपणन पुरूस्कार योजना में 545 हितग्राही एवं मण्डी प्रागंण में कृषकों को रूपये 05/-थाली भोजन उपलब्ध कराने संबंधी योजना में 3548470 हितग्राहियों लाभान्वित किया गया। वर्ष 2014-2015 में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 में 336 हितग्राही, मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना में 4685 हितग्राही, कृषि विपणन पुरूस्कार योजना में 370 हितग्राही एवं मण्डी प्रागंण में कृषकों को रूपये 05/- थाली भोजन उपलब्ध कराने संबंधी योजना में 2448810 हितग्राहयों लाभांवित किया गया। **(ग)** उज्जैन संभाग अंतर्गत कृषि उपज मण्डी समितियों में अनुदान/सहायता राशि के भुगतान संबंधी प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है। **(घ)** योजना हेतु संभागों को एकजाई राशि आवंटन नहीं की जाती है। प्राप्त प्रकरणों के आधार पर संबंधितों को सहायता राशि का भुगतान संबंधित योजना के मद से किया जाता है।

मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी/सामग्री की राशि का भुगतान

33. (क्र. 1505) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बागरी विधानसभा अंतर्गत मनरेगा के अंतर्गत विगत तीन वर्ष में कपिलधारा कूप निर्माण, भूमि शिल्प मेड़ बंधान कार्य, शांति धाम निर्माण कार्य, कैटल शेड, सार्वजनिक कूप कहाँ-कहाँ उक्त कार्य करवाये गये? स्वीकृत राशि सहित सूची दें? (ख) कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो गये, तथा कौन-कौन से कार्य अपूर्ण है तथा क्यों? कारण बतायें? कपिल धारा योजना में सिंचाई हेतु क्या प्रावधान है? (ग) जनवरी 2015 की स्थिति में किन-किन कार्यों में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान तथा दुकानदार को सामग्री की राशि का भुगतान नहीं हुआ तथा क्यों? कारण बतायें? (घ) मजदूरी तथा सामग्री की राशि का भुगतान कब तक होगा समयावधि बतायें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) देवास जिले की बागली विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा अंतर्गत विगत 3 वर्षो में कपिलधारा कूप निर्माण (1507) भूमि शिल्प मेड़ बंधान कार्य (841) शांतिधाम निर्माण कार्य (66) केटलशेड (0) सार्वजनिक कूप के (126) कार्य

कराये गये। प्रश्नांश की शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। (ख) प्रश्नांश (क) के पूर्ण व अपूर्ण कार्यो की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। कार्यो के अपूर्ण होने का प्रमुख कारण जॉबकार्डधारी श्रमिकों द्वारा रोजगार की मांग व केन्द्र सरकार से समुचित राशि की उपलब्धता नहीं होना है। मनरेगा की कपिलधारा उपयोजना में सिंचाई हेतु लक्षित वर्ग के न्यूनतम एक एकड़ भूमि धारक पात्र हितग्राहियों की असिंचित भूमि पर कूप निर्माण पुनर्भरण संरचना सहित या खेत तालाब या लघु तालाब या स्टापडेम निर्मित कराये जाने का प्रावधान है। (ग) जनवरी 2015 की स्थिति में मजदूरों को राशि रू. 649817 की मजदूरी एवं सामग्री मद की राशि रू. 148144 का भुगतान होना लंबित है। कार्यवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है। भुगतान लंबित होने का प्रमुख कारण भारत सरकार से समुचित राशि प्राप्त नहीं होना है। (घ) भारत सरकार से योजनांतर्गत राशि प्राप्त होने पर शेष भुगतान कराया जाना संभव हो सकेगा। निश्चित समयावधि बतलाया जाना संभव नहीं है।

प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सड़क योजना में अमानक सड़कों का निर्माण

34. (क्र. 1611) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिला अंतर्गत प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सड़कें वर्ष, 2010 से 2014 तक कितनी-कितनी राशि से स्वीकृति हुई है, स्थलवार, राशिवार व कार्य एजेंसी के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) मुख्यमंत्री सड़क योजना में जो सड़कें गुणवत्ताहीन बनी हैं, उनकी एस.ई. द्वारा जांच दल बनाकर जांच कराई गई थी? यदि हाँ, तो कब व जांच दल में कौन-कौन अधिकारी थे? दल द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को क्या रिपोर्ट सौंपी गई? (ग) क्या मुख्यमंत्री सड़क निर्माण में गुणवत्ताहीन कार्य करने वाली कार्य एजेंसी व संबंधित दोषी अधिकारियों/कमर्चारियों पर कार्यवाही होगी? यदि हाँ, तो कब तक नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) जी हाँ। आयुक्त, सागर संभाग सागर द्वारा दिनाँक 03.06.2014 को जांच दल बनाया जाकर, जांच करायी गई थी। जांच दल में शामिल अधिकारियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। जांच रिपोर्ट पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के **प्रपत्र-स** अनुसार है। (ग) जी हाँ। आयुक्त, सागर संभाग सागर द्वारा दिनाँक 28.06.2014 को दोषी कर्मचारियों को आरोप पत्र भेजे गये है। जांच की कार्यवाही ०२ माह में पूर्ण की जावेगी।

ग्राम गिगलाखेड़ी-देवन खेड़ी एवं ग्राम पगरावदी को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाना

35. (क्र. 1685) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत शाजापुर जिले के ग्राम गिगलाखेड़ी-

देवनखेड़ी एवं ग्राम पगरावदी को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु सड़क निर्माण किया जा रहा है? यदि हाँ तो गिगलाखेड़ी-देवनखेड़ी को किस मुख्य मार्ग से जोड़ा जा रहा है, तथा ग्राम पगरावदी को किस मुख्य मार्ग से जोड़ा जावेगा? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित गांवों को जोड़ने वाली निर्माणाधीन सड़क मुख्य मार्ग तक क्यों नहीं बनाई गई? क्या सर्वे नहीं किया गया था अथवा अन्य कारण था? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित गांवों को मुख्य मार्ग से कैसे जोड़ा जावेगा? एवं कहाँ से जोड़ा जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। गिगलाखेड़ी-देवनखेड़ी मार्ग के लक्ष्य ग्राम देवनखेड़ी को गिगलाखेड़ी से बड़ौदिया मार्ग से मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत जोड़ा जा रहा है। ग्राम पगरावद को पगरावदी कला से जोड़ा गया है। (ख) मुख्यमंत्री सड़क योजना के मापदण्डों के अनुसार सड़कों का निर्माण ग्राम तक किया जाकर कनेक्टीविटी प्रदान की गई है। गिगलाखेड़ी से बड़ोदिया मार्ग में नेवज नदी पर एक बड़े पुल का निर्माण आवश्यक है, जिसके लिए सर्वेक्षण आदि किया जाकर आगे की कार्यवाही की जावेगी। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत कृषकों को अनुदान

36. (क्र. 1692) श्री सचिन यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत खरगोन जिले को वर्ष 2012 से चालू वित्तीय वर्ष में प्रोजेक्टवार प्रश्न दिनाँक तक कितना बजट एवं लक्ष्य प्राप्त हुआ? (ख) उक्त योजनान्तर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु कितने कृषकों के आवेदन प्राप्त हुए? परीक्षण उपरांत कितने कृषकों के आवेदन सही पाये गये? पंजीकृत कृषकों की सूची भी उपलब्ध करावें? (ग) उक्त पंजीकृत कृषकों में से कितने कृषकों को अनुदान का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? इसमें विलंब के क्या कारण है? इसके लिए कौन उत्तरदायी है? (घ) विगत व वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष तक विभाग के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा एक भी पंजीकृत कृषक को अनुदान का भुगतान नहीं किया गया है? यदि किया गया है, तो अभिलेखीय प्रमाण उपलब्ध करावें? (ड.) यदि नहीं तो अनुदान का भुगतान करने में विलंब के कारणों की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए शीघ्र पंजीकृत कृषकों को अनुदान का भुगतान करने के निर्देश क्या शासन विभाग को जारी करेगा? यदि नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) प्राप्त बजट एवं लक्ष्य की वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। (ख) उक्त योजनान्तर्गत कुल 13771 कृषकों के आवेदन प्राप्त हुये। परीक्षण उपरान्त 13771 प्रकरण सही पाये जाने से कुल 6938 कृषकों के प्रकरणों को पंजीकृत किया गया। पंजीकृत कृषकों की सूची की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 के कालम-6 अनुसा**र है। (ग) उक्त पंजीकृत कृषकों की अनुदान राशि का भुगतान कृषकों /संस्थाओं को कर दिया गया है। वर्ष 2014-15 में शेष 6833 कृषकों के प्रकरण पंजीयन उपरांत स्वीकृत किये जाकर अनुदान का

भुगतान कर दिया जायेगा। इसलिये विलंब/उत्तदायी होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। विगत व वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष में पंजीकृत 6938 कृषको को अनुदान का भुगतान किया गया है। अभिलेखीय प्रमाण के रूप में अनुदान भुगतान की तिथि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। (ड.) कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता क्योंकि कृषकों को विगत वर्षो एवं चालू वर्ष में अनुदान का भुगतान किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में पंजीकृत कृषकों को अनुदान का भुगतान उनकी पात्रता के आधार पर नियमानुसार किया जावेगा।

कपिलधारा योजनान्तर्गत लाभांवित हितग्राही

37. (क्र. 1693) श्री सचिन यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला खरगोन, विधानसभा कसरावद क्षेत्र में मनरेगा की उपयोजना कपिल धारा योजनांतर्गत विगत 03 वर्षो में कितने - कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है? उनके नाम, पता सहित जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित योजनान्तर्गत कितने कूपों की स्वीकृति दी गई और कितने कूप पूर्ण कर लिए गए हैं और कितने प्रश्न दिनाँक तक अपूर्ण हैं, के कारणों का उल्लेख करें और कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे? (ग) उक्त योजनान्तर्गत सभी ग्राम पंचायतवार लाभान्वित हितग्राहियों के नाम एवं स्वीकृत की गई राशि सहित जानकारी दें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जिला खरगोन की विधानासभा क्षेत्र कसरावद में मनरेगा की किपलधारा उपयोजना अंतर्गत विगत ०३ वर्षो में ७५१ हितग्राहियों को उनकी निजी भूमि पर सिंचाई हेतु कूप स्वीकृत कर लाभांवित किया गया है। प्रश्नांश की वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार स्वीकृत कूपों में से ४१२ कूप पूर्ण कर लिये गए हैं ३३९ कूप प्रगतिरत/अपूर्ण हैं। मनरेगा के अंतर्गत कार्यों का पूर्ण होना जॉबकार्डधारी श्रमिकों द्वारा रोजगार की मांग व केन्द्र सरकार से समुचित राशि की उपलब्धता पर निर्भर होने से कार्यो के पूर्ण होने की निश्चित समय सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है। (ग) वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

सी.एम. हेल्पलाईन की लंबित शिकायतों का निराकरण

38. (क्र. 1727) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जन समस्याओं एवं जन शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु सी.एम. हेल्पलाईन (181) प्रारंभ करायी है? जिसके क्रियान्वयन से एक ओर जहाँ लंबित प्रकरणों का निराकरण हुआ है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक कसावट भी आयी है? (ख) यदि हाँ, तो सागर जिले के अंतर्गत किस-किस कार्यालय में सी.एम. हेल्पलाईन के अंतर्गत हेल्पलाईन प्रारंभ दिनाँक से 31 जनवरी 2015 तक कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं?

कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया और कितनी शिकायतें किस-किस स्तर पर लंबित हैं? लंबित शिकायतों का निराकरण कब तक कराया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त शिकायतों के निराकरण में क्या किसी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की गयी है? यदि हाँ, तो किसके विरूद्ध और क्या कार्यवाही की गयी है?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) जी, हाँ। (ख) हेल्पलाईन प्रारंभ दिनाँक से 31 जनवरी 2015 तक कुल 25804 शिकायतें प्राप्त हुई। 22073 शिकायतों का निराकरण किया गया। कुल 3632 शिकायतों लंबित थी जिनमें लेवल-1 पर 2285, लेवल-2 पर 599, लेवल-3 पर 259, लेवल-4 पर 489 शिकायतें लंबित थी। शिकायतों का निराकरण सभी स्तरों पर निर्धारित समयावधि में किए जाने का प्रावधान है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) निरंक।

परिशिष्ट – "आठ"

रोजगार गारंटी में अनियमितताएं एवं सोशल ऑडिट

39. (क्र. 1769) कुँवर विक्रम सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में रोजगार गारंटी योजना जिला छतरपुर में व्यापक अनियमितताओं के कुल कितने प्रकरण प्रश्न दिनाँक तक प्रकाश में आये? प्रथम दृष्टया अनियमितताओं में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये? (ख) रोजगार गारंटी परिषद भोपाल द्वारा किन-किन अवधियों में सोशल आडिट की गई? ऑडिट आक्षेपों में क्या परिणाम प्राप्त हुए?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) कुल 108 प्रकरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। इनमें से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद 01, उपयंत्री 05, सहायक लेखाधिकारी 01, पंचायत समन्वयक 02, सचिव 51, सरपंच 35, रोजगार सहायक 12 एवं 01 मेट दोषी पाये गये। (ख) वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक प्रति 06 माह में (जनवरी एवं जुलाई में) सोशल ऑडिट किया गया है। जनवरी 2013 से नियमानुसार 04 ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायत स्तर पर सोशल ऑडिट किया जाता है। ऑडिट आक्षेप निरंक है।

न्यूट्री सीरियल, योजना अन्तर्गत राशि का आवंटन

40. (क्र. 1770) कुँवर विक्रम सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) न्यूट्रीसीरियल योजना के तहत छतरपुर जिले में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक कुल कितनी राशि का आवंटन दिया गया तथा कुल कितना व्यय प्रश्न दिनाँक तक हुआ? (ख) विकासखण्डवार यह बतावें कि योजना में कितनी राशि व्यय की गई उसकी जानकारी बतावें, तथा शासन की गाईड लाईन दें? (ग) नदीघाटी/बाढ उन्मुख नदी योजना (मेक्रो

मेनेजमेंट) के तहत छतरपुर जिले में कितनी धनराशि व्यय की गई? (घ) जिले के किन विकासखण्डों के हल्का नंबर के मौजा में कितने हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) छतरपुर जिले में न्यूट्रीसीरियल योजना वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक संचालित रही। वर्षवार प्राप्त आवंटन-व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र क अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ख अनुसार** है। शासन की गाइडलाइन **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ग अनुसार** है। (ग) छतरपुर जिले में नदी घाटी/बाढ उन्मुख नदी योजना (मेक्रोमैनेजमेट) संचालित नहीं है। अत: इस योजना अन्तर्गत कोई राशि व्यय नहीं की गई। (घ) प्रश्नांश ग के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>सामान्य सभा से अनुमोदन के बिना निर्माण कार्यों की स्वीकृति</u>

41. (क्र. 1827) श्रीमती रेखा यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला पंचायत छतरपुर के द्वारा गत 03 वर्षो में सामान्य सभा से अनुमोदन के पूर्व ही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्यो की स्वीकृति प्रदान की जिसकी सामान्य सभा से पृष्टि भी नहीं करवाई गई? (ख) सामान्य सभा के अनुमोदन के बिना ही किस-किस योजना के अन्तर्गत कितनी लागत के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को किस पत्र, परिपत्र के तहत प्रदान किए गए हैं? (ग) गत तीन वर्षों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सामान्य सभा के अनुमोदन के बिना किस योजना से कितनी लागत के कितने कार्य स्वीकृत किए इनमें से कितने कार्यों की पुष्टि सामान्य सभा से किस दिनाँक को प्राप्त की गई? (घ) सामान्य सभा के अनुमोदन के बिना कार्यों को स्वीकृत किए जाने एवं स्वीकृति उपरांत कार्यों की स्वीकृति की पुष्टि सामान्य सभा से न करवाए जाने का मुख्य कारण क्या रहा है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जिला पंचायत छतरपुर अंतर्गत जिन निर्माण कार्यो में सामान्य सभा के अनुमोदन की आवश्यकता है, उसके अतिरिक्त किसी भी निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। (ख) उतरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) उतरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) उतरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>संविदाकर्मियों की सेवावृद्धि का आदेश</u>

42. (क्र. 1828) श्रीमती रेखा यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत छतरपुर एवं जिला पंचायत बैतूल के अंतर्गत मार्च, 2014 की स्थिति में कितने संविदाकर्मी कार्यरत थे पदवार एवं योजनावार बताएं। इनमें से कितने संविदाकर्मियों की सेवा अवधि 31 मार्च 2014 में समाप्त हुई थी? (ख) जिन संविदाकर्मियों की सेवा अवधि 31 मार्च 2014 को समाप्त हो गई उनमें से कितने संविदाकर्मियों को माह अप्रैल 2014 से दिसम्बर 2014 तक किस-किस माह में कितने मानदेय का भुगतान किया गया इन संविदाकर्मियों की सेवावृद्धि का आदेश किस दिनाँक को जारी किया? (ग) अप्रैल 2014 से दिसम्बर 2014 तक संविदाकार्मियों की सेवावृद्धि का आदेश जारी किए बिना किस नियम के तहत किसकी अनुमति एवं किसके आदेश से मानदेय का भुगतान किया गया? (घ) बिना संविदा सेवा अवधि में वृद्धि के मानदेय का भुगतान किए जाने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है पद व नाम सहित बतावें कि उसके विरूद्ध प्रश्नांकित तिथि तक भी कार्यवाही न किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) संविदाकर्मियों की सेवावृद्धि की प्रक्रिया प्रचलन में होने के कारण संबंधित कर्मचारियों को मानेदय का भुगतान किया गया है। (घ) संविदा वृद्धि की प्रक्रिया प्रचलन में होने के कारण मानदेय का भुगतान किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सागर जिले में मनरेगा मजदूरी एवं मुआवजा भुगतान

43. (क्र. 1855) श्री हर्ष यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मनरेगा में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान 15 दिवस में करने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो कितने दिन में भुगतान करने का प्रावधान है? (ख) जिले में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दिसंबर 2014 तक कितनी राशि की कितने मजदूरों की बकाया है, विकासखण्डवार बतायें? (ग) देवरी विधानसभा क्षेत्र के मजदूरों की मजदूरी कब तक भुगतान की जावेगी? (घ) क्या 15 दिवस के बाद मजदूरी भुगतान नहीं होने पर मजदूरों को मुआवजा का भी प्रावधान है? यदि हाँ, तो देवरी विधानसभा क्षेत्र के मजदूरों को कितनी राशि वर्ष 2014-15 में दिसंबर 2014 तक मुआवजा की दी गई है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। मनरेगा के अन्तर्गत मस्टर रोल समाप्ति के 15 दिवस में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करने का प्रावधान है। (ख) जिले में मनरेगा के अंतर्गत दिसम्बर 2014 तक किसी भी जनपद पंचायत में मजदूरी भुगतान की राशि बकाया नहीं है। (ग) देवरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा भुगतान हेतु प्रविष्ट की गई मजदूरी भुगतान की कोई भी राशि दिसम्बर 2014 की स्थ्िाति में लबिंत नहीं है। (घ) जी हाँ। प्रश्नांश ''ग'' के संदर्भ में शेष प्रश्न उपिस्थत नहीं होता।

कृषि उपज मंडियों में फर्जी अनुज्ञा पत्रों की जांच

44. (क्र. 1857) श्री हर्ष यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कई मंडियों द्वारा फर्जी अनुज्ञा पत्र जारी करने की जांच रिपोर्ट शासन को वर्ष 2014 में प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो कितनी मंडियों द्वारा फर्जी अनुज्ञा पत्र जारी किये गये है? मंडी का नाम, जिला सहित बतायें? (ख) फर्जी अनुज्ञा पत्र जारी करने से शासन/मंडी बोर्ड को कितने करोड़ रूपयों की आर्थिक हानि हुई है? इसमें कौन-कौन दोषी पाये गये है? नाम, पद वर्तमान पदस्थापना सहित बतायें? (ग) क्या शासन स्वयं पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायेगा या मामला आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को कब तक सौपेगा? (घ) दोषी अधिकारी/शासकीय सेवकों को क्या फील्ड से/आहरण संवितरण अधिकारों से पृथक किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ। कृषि उपज मंडी समिति भाण्डेर (जिला दतिया) कृषि उपज मंडी समिति भिण्ड (जिला भिण्ड) कृषि उपज मंडी समिति रन्नोद (जिला शिवपुरी) के नाम से फर्जी अनुज्ञा पत्र जारी हुये है। (ख) कृषि उपज मंडी समिति भाण्डेर, भिण्ड, रन्नोद के नाम से अधिसूचित कृषि उपज के जारी अनुज्ञा पत्रों का प्रकरण विस्तृत जाँच हेतु राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरों भोपाल को सौंपा गया, जिसकी जाँच पूर्ण होने पर आर्थिक हानि एवं इसमें संलिप्त दोषी व्यक्तियों की वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सकेगी। तदापि म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के स्तर पर हुई प्रांरभिक जाँच में प्रथम दृष्टया: दोषी पाये अधिकारी/कर्मचारियो की वांछित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जिन कृषि उपज मंडी समितियों में फर्जी अनुज्ञापत्र पाये गये है उनके सचिवों को प्रकरण में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ ही म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये है। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 31 दिनाँक 05.01.2015 से महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल को प्रश्नाधीन प्रकरण जाँच हेतु सौंपा जा चुका है। (घ) वर्तमान में प्रश्नाधीन मामला विवेचनाधीन है। इसकी जाँच पूर्ण होने पर प्रकरणवार गुण-दोष के आधार पर नियम अंतर्गत निर्णय लिया जावेगा, जिसके लिये समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट – "नौ"

बी.आर.जी.एफ. योजना से संबंधित

45. (क्र. 1882) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 8 दिसम्बर 2014 को बी.आर. जी.एफ. योजना के संबंध में अता. प्रश्न

क्रमांक-847 के प्रश्नांश (ख) का उत्तर जी हाँ में दिया गया है? (ख) इस योजना में कितनी राशि का गबन प्रकाश में आया, तथा दोषियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ, वस्तुस्थिति यह है कि अतारांकित प्रश्न क्रमांक 857 के भाग "ख" में उत्तर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 847 विभाग से संबंधित नहीं है। (ख) बीआरजीएफ योजना में निर्माण एजेंसियों द्वारा रू. 261.167 लाख का मूल्यांकन से अधिक राशि का आहरण/गबन किया गया है। दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**।

<u>खाद् एवं बीज की उपलब्धता</u>

46. (क्र. 1924) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रबी 2014-15 में सीधी एवं सिंगरौली जिलों में किसानों के लिये यूरिया उर्वरक एवं बीज कितनी मात्रा में उपलब्ध करायी गयी है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में किसानों को यूरिया, उर्वरक एवं बीज किस दर पर उपलब्ध कराया गया है? जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में रबी 2013 से 2015 में किसानों को कौन से उर्वरक एवं बीज की कितनी मात्रा प्रदर्शन हेतु नि:शुल्क उपलब्ध कराई गई है? जानकारी देवें? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में कितने किसानों को प्रदर्शन हेतु उर्वरक एवं बीज नि:शुल्क उपलब्ध कराया गया है? विकासखण्डवार कृषकों की संख्या बतावें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) रबी 2014-15 में सीधी जिले में 3429 मेटि्रक टन यूरिया एवं 9762 क्विंटल बीज तथा सिंगरौली जिलें 5577 मेट्रिक टंन यूरिया एवं 6706.30 क्विंटल बीज किसानों को उपलब्ध कराया गया। (ख) किसानों को नीम कोटेड यूरिया 301.35 रूपये एवं साधारण यूरिया 287 रूपये प्रति 50 किलों की थैली की दर से उपलब्ध कराया गया। इसी प्रकार बीज चना 4600 रूपये, गेहूँ (बोनीकिस्म) 3150 रूपये, गेहूँ (अद्र्धसिंचित) 3760 रूपये सरसों 5000 रूपये, मसूर 6200 रूपये, मटर 4000 रूपये, अलसी 5500 रूपये, एवं जौ 2700 रूपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को उपलब्ध कराया गया। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट - ''दस''</u>

<u>किसानों को फसल बीमा क्षतिपूर्ति का लाभ</u>

47. (क्र. 1934) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले के किसानों का किन-किन बीमा कंपनियों द्वारा फसल

बीमा किया गया, कंपनी का नाम और किस प्रकार की फसल क्षति पर कंपनियों द्वारा क्षतिपूर्ति राशि भुगतान किया जायेगा? क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिये किसानों को क्या कार्यवाही करनी पड़ेगी या कंपनी स्वयं किसानों को सूचना देकर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करेगी? (ख) अनूपपुर की तहसील पुष्पराजगढ़, जैतहरी, कोतमा में पिछले 2 वर्षों से प्रश्न दिनाँक तक कितने किसानों को फसल बीमा क्षतिपूर्ति राशि का लाभ दिया गया, पटवारी हलकावार कितनी राशि भुगतान की गई? (ग) बीमा कंपनी कौन-कौन सी फसल का बीमा करती है? क्या मौसम आधारित आंकड़ों के आधार पर सत्यापित कर निर्धारित मौसम संकेतक से कम या अधिक का अध्ययन कर दोनों का आंकलन किया जाता है?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अनूपपुर जिले में एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा खरीफ 2014 एवं रबी 2014-15 में क्रियान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत क्षतिपूर्ति स्वचलित प्रक्रिया है, कृषकों को कोई भी औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्राकृतिक आपदाओं से अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल के लिये उपज में कमी पाई जाती है तो क्षतिपूर्ति देय होती है। एग्रीकल्चर इन्श्योरेस कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि का भुबतान नोडल बैंको को किया जाता है एवं बैंक क्षतिपूर्ति देय राशि कृषकों के खातों में समायोजित करती है। खरीफ 2014 एवं रबी 2014-15 का बीमांकन का कार्य प्रक्रियाधीन है। (ख) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत पुष्पराजगढ जैतहरी व कोतमा के खरीफ 2012 रबी 2012-13, खरीफ 2013, रबी 2013-14 की बीमा आवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार** है। (ग) अनूपपुर जिले में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वर्ष 2014-15 में एग्रीकल्चर इन्श्योरेस कम्पनी द्वारा क्रियान्वित की जा रही है खरीफ एवं रबी फसलों की बीमा **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार** है। योजना में मौसम आधारित संकेतक का उपयोग नहीं किया जाता है, तथा अधिसूचित फसल हेतु उपज में कमी पाई जाती है तो क्षतिपूर्ति का आंकलन कर दावा राशि देय होती है।

<u>ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों की जांच</u>

48. (क्र. 1958) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत शाहपुर में कितनी पंचायत है? (ख) ग्राम पंचायत झापड़ी में कितने कार्य अधूरे है? (1) क्या राशि आहरित की गई है? (2) यदि हाँ, तो कितने चेक पंचो के नाम से काटे है? क्या जांच प्रस्तावित है यदि हाँ तो कौन दोषी है? (ग) ग्राम पंचायत कांटावाड़ी के सरपंच/सचिव ने घटिया कार्य किये है एवं चेक से पंचायत की राशि आहरण की है? (घ) जनपद पंचायत शाहपुर में कितने पंचायतों की जांच लंबित है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जनपद पंचायत शाहपुर क्षेत्रान्तर्गत कुल 40 ग्राम पंचायतें है। (ख) ग्राम पंचायत झापडी के अन्तर्गत 37 कार्य प्रगतिरत है, ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यो की राशि चेक के माध्यम से पूर्व में जारी की गई है, जिसके लिये प्रारंभिक जांच में सरपंच/सचिव को दोषी पाये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर के न्यायालय में मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40, 92 के तहत प्रकरण प्रेषित किया गया है एवं सचिव को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच प्रचलित है। जांच पश्चात दोषियों के विरूद्ध गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) ग्राम पंचायत काटावाडी के सरपंच/सचिव द्वारा ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य किये गये है, जिनकी गुणवत्ता ठीक है। सचिव द्वारा पत्नी के नाम से कार्य के चेक काटे गये हैं प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर में धारा 92 के तहत वसूली की कार्यवाही प्रचलित है। (घ) जनपद पंचायत शाहपुर के अन्तर्गत कोई जांच लंबित नहीं है।

बीना में हाट बाजार स्वीकृत एवं निर्माण की स्थिति

49. (क्र. 2006) श्री महेश राय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बीना अन्तर्गत कितने हाट बाजार कितनी-कितनी लागत के एवं किन-किन ग्रामों में स्वीकृत किये गये हैं, कार्य की स्थति से अवगत करावें? (ख) यदि स्वीकृत हुये हैं, तो निर्माण कार्य प्रश्न दिनाँक तक प्रारंभ क्यों नहीं हुये? (ग) यदि निर्माण कार्य में विलंब हो रहा है, तो इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी पर क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी? (घ) विधान सभा क्षेत्र बीना में हाट बाजार का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ होगा एवं निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि से अवगत करावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कालम 07 अनुसार**। (ग) समस्त निर्माण कार्य निविदा पद्वति से सम्पन्न कराये जा रहे है, विलंब हेतु ठेकेदारों को समय-समय पर अनुबंध की धाराओं के तहत नोटिस जारी किये गये हैं। ठेकेदारो को कार्य पूर्ण कराने हेतु अनुबंधानुसार दिया गया समय शेष है। शेष प्रश्न नहीं उपस्थित होता। (घ) ठेकेदारों से किये गये अनुबंधानुसार निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराये जाने का प्रयास है।

जवाहरलाल नेहरू वि.वि. जबलपुर अंतर्गत पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी

50. (क्र. 2013) श्री अशोक रोहाणी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत ऐसे कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पुन: संविदा नियुक्ति पर रखा गया है, उनकी संख्या कुल कितनी है? (ख) कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में ऐसे कितने सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी हैं, जो 65

वर्ष की आयु के बाद भी कार्यरत हैं, उनकी संख्या कितनी है? क्या इस हेतु शासन से अनुमति प्राप्त की गई अथवा नहीं, स्पष्ट करें? (ग) क्या अधिवार्षिकी आयु के बाद शासन की सेवा में संविदा नियुक्ति के नियमों का पालन कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा किया जा रहा है, अथवा नहीं? (घ) कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने पद स्वीकृत हैं व भरे पद की संख्या कितनी है तथा कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत है? कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में वर्ष 2005-06 में अभी तक कुल कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया गया है? (ड.) कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर का कुल कितना वार्षिक आय/व्यय है? राज्य शासन द्वारा भेजी जा रही ग्राँट (राशि) का उपयोग विश्वविद्यालय किस-किस मद में कर रहा है?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को पुन: संविदा नियुक्ति पर नहीं रखा गया। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में अनुमति लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। (ग) उत्तरांश 'क' एवं 'ख' के संदर्भ में नियमों के पालन का प्रश्न नहीं है। (घ) विश्वविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी के कुल स्वीकृत पद 332 है। भरे पदों की संख्या 126 है। स्वीकृत पद के विरूद्ध एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत है। कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में वर्ष 2005-06 से अभी तक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया है। (ड) अंकेक्षित वार्षिक लेखा वर्ष 2012-13 के अनुसार समस्त स्त्रोतों से विश्वविद्यालय की कुल आय राशि रू. 10683.36 लाख तथा कुल व्यय राशि रू. 12397.92लाख है। आय/व्यय की संपूर्ण **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र अ एवं ब अनुसार** है। वित्तीय वर्ष 2013-14 का आय/व्यय का संकलन कार्य जारी है। शासन से प्राप्त ग्रॉट (राशि) का उपयोग वैज्ञानिकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन-भत्तों, अन्य नैमित्तिक व्यय एवं धारा 55 (2) पैंशन का भुगतान किया जा रहा है।

परिशिष्ट - ''ग्यारह''

सहायक कुल सचिव द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

51. (क्र. 2014) श्री अशोक रोहाणी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में पदस्थ सहायक कुल सचिव के विरूद्ध गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया था, तथा निलंबित करने व जाँच करने का निर्णय लिया गया था? उक्त निर्णय पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ख) शीघ्रलेखक ग्रेड - 1 के पद से सहायक कुल सचिव के पद हेतु क्या प्रक्रिया है? सहायक कुलसचिव के पद हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित है? शीघ्रलेखक ग्रेड-1 से सहायक कुलसचिव के पद पर वर्ष 2014-15 तक कितने लोगो को पदोन्नत किया गया है?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में पदस्थ सहायक कुलसचिव को किसी भी प्रकार की गंभीर वित्तीय अनियमितता में प्रथम दृष्टया दोषी नहीं पाया गया है। परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा गठित जांच समिति द्वारा जांच प्रक्रियाधीन है। (ख) वि.वि. में सहायक कुलसचिव के कुल स्वीकृत पद-06 का 80% अर्थात 5 पद अनुभाग अधिकारी से तथा 20% अर्थात 1 पद शीघ्रलेखक ग्रेड-1 से पदोन्नत कर भरने का प्रावधान है। इस हेतु शीघ्रलेखक ग्रेड-1 के पद पर 05 वर्षों की सेवा पूर्ण की हो तथा 05 वषों की गोपनीय चरित्रावली के आधार पर पदोन्नति की जाती है। शीघ्रलेखक ग्रेड-1 से सहायक कुलसचिव के पद पर 06 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है।

मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं के लिए व्यवस्था

52. (क्र. 2018) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा शहरों/ग्रामों/बस स्टेण्ड/रेल्वे स्टेशन पर बेध्यानी से घूमती हुई विक्षिप्त एवं मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं के लिए किसी प्रकार की कोई योजना अथवा प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो विक्षिप्त एवं मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं के लिए क्या प्रावधान अथवा सुविधाएॅ है और यदि नहीं तो विभाग द्वारा इस विषय पर कोई योजना क्यों नहीं तैयार की गई? (ग) क्या संभाग या जिला स्तर पर इनके रहने, खाने, ओढने, पहनने एवं उपचार की कोई सुविधा रखी गई है? (घ) यदि ऐसी सुविधाएॅ है, तो प्रदेश में कहाँ-कहाँ किन स्थानों पर है, एवं उसमें इनको रखने की क्या प्रक्रिया हैं?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मानसिक रुप से अविकसित एवं बहुविकलांग व्यक्तियों को 500/- प्रतिमाह आर्थिक सहायता की योजना है। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार (ग) जी नहीं (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला सह.बैंक गुना अंतर्गत समिति का स्वतंत्र प्रभार

53. (क्र. 2026) श्री पन्नालाल शाक्य : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सह. बैंक गुना अंतर्गत गत पांच वर्षों एवं आज दिनाँक तक की समयावधि में गुना व अशोकनगर दोनों जिलों में कौन-कौन सी कृषि साख सेवा समितियों में किन-किन को समिति का स्वतंत्र प्रभार देने के आदेश दिये गये? स्वतंत्र प्रभार प्राप्त करने वाले इन समिति सहायक प्रबंधकों की शैक्षणिक योग्यता क्या-क्या है? (ख) क्या उपरोक्त स्वतंत्र प्रभार के आदेश सहकारिता विभाग के कर्मचारियों की भर्ती एवं सेटअप संबंधी सेवा नियम 2010 एवं वर्ष 2013 में विहित प्रावधान व प्रक्रिया के तहत जारी किये गये है? यदि नहीं तो इस प्रकार के दोषपूर्ण व विधि विरूद्ध तरीके से जारी आदेशों को शासन कब तक निरस्त कर रहा है? भारी मात्रा में आर्थिक हित साधकर दोषपूर्ण आदेश जारी करने वाले दोषी अधिकारी

कौन-कौन है? (ग) कर्मचारी सेवा नियमों के विपरीत जाकर अयोग्य एवं अपात्र व्यक्तियों को समिति में सहायक प्रबंधक रखकर स्वतंत्र प्रभार देने संबंधी निर्णय लेने वाली समिति के विरूद्ध एवं दोषपूर्ण कार्यवाही को अमलीजामा पहनाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध शासन क्या कोई कार्यवाही करेगा? जिन-जिन को स्वतंत्र प्रभार सौपा है उस समय इन कर्मचारियों पर एवं संस्था पर बैंक की कितनी लेनदारी बकाया थी? उस समय कैडर समिति प्रबंधक कौन पदस्थ था?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र –1 अनुसार** है. (ख) जांच के आदेश दिये गये हैं. जांच निष्कर्षाधीन. जांच निष्कर्षाधीन. (ग) जांच निष्कर्षाधीन. **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र –2 अनुसार** है.

परिशिष्ट - ''बारह''

बैंक कर्मचारी/अधिकारी के निलंबन एवं बहाली

54. (क्र. 2027) श्री पन्नालाल शाक्य : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गत पांच वर्ष एवं आज दिनाँक की समयावधि में जिला सह.के.बैंक अशोक नगर / गुना व संबद्ध फैक्स अंतर्गत किस-किस कर्मचारी/ अधिकारी को बैंक प्रशासन ने निलंबित किया? किस कारण से किया? कब-कब निलंबित किया, नाम, पदवार जानकारी देवें? इन निलंबित कर्मचारियों को पुन: किस कारण से कब-कब बहाल कर दिया गया, नामवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) बैंक के निर्वाचित संचालक मण्डल भंग पश्चात् वर्ष, 2013 से लेकर आज दिनाँक तक प्रभारी अधिकारी की अध्यक्षता में आहुत बोर्ड बैठक की कार्यवाही एवं बैंक द्वारा जारी विभिन्न आदेशों की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें? वर्ष, 2013-14 से आज दिनाँक तक नाबार्ड भोपाल ने अप्रसन्नता जाहिर कर कुछ कार्यवाही करने का पत्र जारी किया गया, उसकी प्रति भी उपलब्ध करावें? (ग) प्रदेश की विपणन संस्थाओं को सुदृढ़ करने का म.प्र. शासन द्वारा 2010 क्र. 23 संकल्प लिया था, इस संकल्प के बिन्दुओं की जानकारी उपलब्ध करावे? शासन की मंशा के विपरीत जाकर बैंक प्रशासन द्वारा विप.सह.संस्था मर्या., तहसील ईसागढ़ को बैंक की सदस्यता नहीं दिये जाने के पीछे क्या कारण है, बतावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

प्रधानमंत्री सड़कों की जानकारी

55. (क्र. 2073) श्री संजय शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजनांतर्गत 5 वर्षों पूर्व कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण हुआ है? (ख) कौन-कौन सी सड़के जर्जर हो चुकी हैं? (ग) क्या इन सड़कों के टेंडर (निविदा) लगाये गये हैं? (घ) यदि नहीं, तो कब तक लगाये जावेंगे?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) तेन्दुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पांच वर्ष पूर्व 17 सड़कों का निर्माण किया गया था। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (**ख) एक मात्र सड़क एन.एच. 26 (लिंगा) से इमझिरी वर्तमान में क्षतिग्रस्त है। (ग) जी नहीं। (घ) उक्त मार्ग क्रस्ट उन्नयन के अंतर्गत प्रस्तावित है। स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। स्वीकृति पश्चात निविदा आमंत्रित की जाती है।

परिशिष्ट - "तेरह"

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की खराब स्थिति के संबंध में

56. (क्र. 2092) श्री रामप्यारे कुलस्ते : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले की विकासखण्ड नारायण गंज अन्तर्गत चिमका टोला पड़रीतलाई पहुंच मार्ग की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृति कब दी गई थी इसकी लंबाई प्राक्कलन अनुसार सड़क की लंबाई, चौड़ाई एवं पुल-पुलियों सहित कितनी राशि दी गई थी? (ख) क्या सड़क निर्माण कार्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नियमों के नियमों के अनुसार ही सड़क निर्माण कार्य किया गया है? प्रधानमंत्री सड़क निर्माण के मुख्य नार्म्स की जानकारी देवें? (ग) क्या सड़क निर्माण कार्य के बाद पहली बारिश में ही सड़क खराब हो गयी है? क्या कार्यवाही करेंगे?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मण्डला जिले के विकासखण्ड नारायण गंज अंतर्गत चिमका टोला पडरीतलाई पहुँच मार्ग की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत दिनाँक 21.10.2011 को दी गई थी, जिसमें उक्त मार्ग की लंबाई 2.425 कि.मी., चौड़ाई 6.00 मी. तथा 2 पुल/पुलियों सहित रू. 72.23 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। (ख) जी हाँ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु आई.आर.सी. के द्वारा जारी स्पेशिफिकेशन फार रूरल रोड्स (एम.ओ.आर.डी.) के अनुसार उक्त मार्ग में मिट्टी कार्य के उपरांत 150 एम.एम. मोटाई में जी.एस.बी. कार्य, 75 एम.एम. मोटाई में डब्ल्यू.बी.एम जी-3, कार्य एवं 20 एम.एम. मोटाई में ओ.जी.पी.सी. तथा सील कोट का कार्य किया गया है। (ग) जी नहीं, उक्त मार्ग सघन वन क्षेत्र में होने से आर.डी. 1200 से2150 मी. तक घाट क्षेत्र से गुजरता है, जहाँ उपलब्ध मार्ग की चौड़ाई कम है एवं फारेस्ट एरिया होने से घाट कटिंग का कार्य किया जाना संभव नहीं है। वर्षा काल में पहाड़ों से पत्थर गिरने एवं पानी का बहाव तेज होने से आर.डी. 1200 से 1240 मी. के बीच कटाव हुआ था जिसे तत्कालीक रूप से मिट्टी भर कर आवागमन हेतु चालू कर दिया गया था। चूंकि मार्ग पांच वर्ष की गारंटी अवधि में है अतः ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय पर वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त भागों में सुधार कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बी.आर.जी.एफ. योजना के तहत स्वीकृत कार्य

57. (क्र. 2095) श्रीमती प्रमिला सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शहडोल में बी.आर.जी.एफ. योजना से वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 तक कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं? (ख) स्वीकृत कार्यों में से कितने निर्माण कार्य अपूर्ण हैं तथा अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं? वर्षवार सूची दें? (ग) बी.आर.जी.एफ. योजना के तहत जिला योजना समिति द्वारा स्वीकृत क्या ऐसे कार्य भी हैं जिनकी स्वीकृति उपरान्त राशि उपलब्ध हो जाने के बावजूद भी आज दिनाँक तक प्रारम्भ नहीं हुए हैं? (घ) यदि हाँ तो कार्य प्रारम्भ न करने के कारण सम्बंधित एजेंसी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) शहडोल जिले में बीआरजीएफ योजनांतर्गत वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक कुल 1589 कार्य स्वीकृत किए गए है। (ख) स्वीकृत कार्यो में से 203 कार्य अपूर्ण है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार**। (ग) जी हाँ। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' के कॉलम 10 अनुसार**।

<u>पुल निर्माण के संबंध में</u>

58. (क्र. 2113) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जिला रीवा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पैकेज क्र.3285 अन्तर्गत परसिया से महुली मार्ग में सुकाढ़ नदी में बनायी गयी पुलिया के ढह जाने से आवागमन बंद है? (ख) क्या मार्च 2012 में उक्त परिप्रेक्ष्य में ध्यानाकर्षण के जवाब में सदन को नया पुल बनाये जाने का आश्वासन दिया गया था? (ग) यदि प्रश्नांश (क) एवं (ख) का जवाब हाँ में है, तो उपरोक्त पुल निर्माण की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? कृत कार्यवाही से अवगत करायें? (घ) यदि कार्यवाही नहीं की गयी तो क्यों? उपरोक्त पुल निर्माण में दोषी निर्माण एजेन्सी अथवा अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? नहीं की गई तो क्यों? कब तक की जायेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं, जिला रीवा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पैकेज क्रमांक 3285 अन्तर्गत परसिया से महुली मार्ग में सुकाढ़ नदी में बनाई गयी पुलिया के महुली तरफ के एप्रोच कट जाने से क्षतिग्रस्त है, वर्तमान में पुलिया के ऊपर से आवागमन जारी है। (ख) जी हाँ, (ग) नवीन पुल बनाने का डी.पी.आर. तैयार करा कर स्वीकृत हेतु प्रस्ताव भारत शासन को भेजा गया है, स्वीकृति अपेक्षित है। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। उक्त पुल निर्माण हेतु दोषी ठेकेदार से पुल निर्माण में हुये भुगतान की राशि 67.46 लाख एवं माप पुस्तिका में दर्ज राशि रूपये 11.33 लाख को अंतिम बिल में शून्य किया गया है। डी.पी.आर. तैयार करने वाली कन्सलटेन्ट को डीपीआर तैयार करने हेतु भुगतान की गई राशि रू.16017.00 की शास्ति अधिरोपित की गई है। कार्य का सुपरविजन करने वाले कन्सलटेन्ट को भुगतान की गई राशि रू. 40175.00 की राशि की

शास्ति अधिरोपित की गई है। उक्त कार्य हेतु उत्तरदायी 2 महाप्रबंधको की क्रमशः दो एवं एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने, सहायक प्रबंधक की दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने, एवं उपयंत्री को भविष्य के लिये सचेत रहने हेतु आदेशित किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मतदाता सूचियों में अवैधानिक रूप से नाम जोड़ने एवं विलोपित करने की जांच

59. (क्र. 2160) श्री रामसिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विकास खण्ड बदरवास के अंतर्गत पंचायत चुनाव 2014-15 में पंचायतों का आरक्षण होने के उपरांत तहसीलदार बदरवास द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की नवीन आरक्षित पंचायतों में उक्त वर्गों के मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं और हटाए गए हैं? (ख) यदि हाँ, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित किन-किन पंचायतों में इन वर्गों के मतदाताओं के नाम किसकी अनुशंसा के आधार पर जोड़े गए हैं और हटाए गए हैं? नाम जोड़ने एवं नाम हटाने/विलोपित करने की अनुशंसा एवं आदेश की कार्यवाही का विवरण देवें? (ग) क्या यह सही है कि बदरवास जनपद पंचायत के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित ग्राम पंचायत मुढ़ेरी के ग्राम नैनागिर के मतदाता गृह क्रमांक 202 श्री मोकम पुत्र कोमल मतदाता पहचान पत्र क्रामंक FTW1724012 एवं श्रीमती ममता पत्नी श्री मोकम गृह क्रमांक 202 मतदाता पहचान पत्र क्रमांक FTW1724020 के नाम विलोपित किए गए हैं? यदि हाँ, तो क्या अनु. जाति की एक मात्र दंपत्ति के नाम किसी नए जोड़े जाने वाले मतदाता को लाभ पहुंचाने के लिए नाम विलोपित किए गए? (घ) क्या ग्राम पंचायत मुढ़ेरी में बदरवास नगर की मतदाता एवं नगर पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी की दो पुत्रियों के नाम ग्राम पंचायत मुढ़ेरी की मतदाता सूची में पंचायत आरक्षण उपरांत जोड़े गए हैं? यदि हाँ, तो उक्त दोनों नाम किस आधार पर जोड़े गए? नाम जोड़ने हेतु प्रस्तुत आवेदन, सहपत्र एवं आदेश का विवरण देवें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं, पंचायत आरक्षण होने के बाद पंचायत सूची में कोई भी नवीन नाम कार्यालय तहसीलदार बदरवास द्वारा नहीं जोड़ा गया और न ही विलोपित किया गया है। (ख) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) बदरवास जनपद पंचायत के अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित ग्राम पंचायत मुढेरी के ग्राम नैनागिर के मतदाता गृह क्रमांक 202 श्री मोकमल पुत्र कोमल मतदाता पहचान पत्र क्रमांक/एफटीडब्ल्यू 1724012 एवं श्रीमती ममता पत्नी श्री मोकम गृह क्रमांक 202 मतदाता पहचान पत्र क्रमांक एफटीडब्ल्यू/1724020 के नाम हटाये गये है। उक्त मतदाताओं के गुना जिले की सनवाड़ा पंचायत की मतदाता सूची में सम्मिलित होने पर एवं बीएलओ एवं पीसीओ की अनुशंसा के आधार पर विलोपित किये गये कि उक्त मतदाता वर्तमान में ग्राम

पंचायत मुढेरी में निवास नहीं कर रहे है तथा नये नाम जोड़ा जाना भी बीएलओ एवं पीसीओ की अनुशंसा पर किया गया है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खाद्यान वितरण में अनियमितता

60. (क्र. 2166) श्री रामपाल सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आदिम जाति सेवा सहकारी समिति भन्नी तहसील ब्यौहरी जिला शहडोल म.प्र. के विक्रता द्वारा एक ही व्यक्ति के नाम कई बार दर्शाकर खाद्यान के खयानत की शिकायत ग्राम पंचायत के उप सरपंच के द्वारा वर्ष 2014 में कलेक्टर शहडोल व कमिश्नर शहडोल को एवं उपभोक्ता द्वारा की गयी थी? (ख) क्या यह सही है कि जांच पर प्रथम दृष्टया 600 किग्रा. से अधिक की खयानत प्रतिमाह तथा 900 लीटर मिट्टी तेल (कैरोसिन) के प्रतिमाह खयानत का प्रकरण शिकायत के अनुसार पाये जाने पर कलेक्टर शहडोल ने विक्रेता के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया था? (ग) यदि हाँ, तो क्या अपराधी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है तथा विवेचना प्रारंभ की गयी है?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) श्री विरंजन साकेत निवासी ग्राम पंचायत भन्नी तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल द्वारा कलेक्टर एवं कमिश्नर में जनसुनवाई में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, भन्नी तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल की उचित मूल्य दुकान पर पात्रता सूची में एक व्यक्ति का नाम एक से अधिक बार होने की शिकायत की गई थी। (ख) उचित मूल्य दुकान, भन्नी की जांच में 64.65 क्विंटल खाद्यान्न, 1425 लीटर केरोसीन, 2.89 क्विंटल शक्कर एवं 2.89 क्विंटल नमक की कालाबाजारी करने के कारण संस्था के प्रबंधक एवं विक्रेता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने हेतु आदेश दिया गया। (ग) जी नहीं। दिनाँक 14.01.2015 को थाना प्रभारी, ब्यौहारी में एफआईआर दर्ज कराने हेतु सहायक आपूर्ति अधिकारी को आदेशित किया गया। थाना प्रभारी, ब्यौहारी द्वारा उचित मूल्य दुकान से सामग्री वितरण संबंधी दस्तावेज चाहे गए हैं। दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने के उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकेगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण

61. (क्र. 2168) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले के ब्यौहारी जनपद पंचायत अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत माह जुलाई 2014 से अब तक हितग्राहियों को पेंशन राशि नहीं दी गई है? (ख) क्या शासन को जानकारी है कि वृद्धापेंशन प्राप्त हितग्राहियों में से कितने हितग्राहियों की मृत्यु जुलाई 2014 से अब तक हो चुकी है? (ग) क्या त्रिवेणी पिता डी.वी. राम ब्राहमण जो 100 प्रतिशत विकलांग थे और लक्ष्मी पति जमुना कोल दोनों ग्राम साखी जनपद पंचायत ब्यौहारी जिला शहडोल के निवासी है जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन

प्रदान किया जाता था, त्रिवेणी कों पेंशन के अभाव में गंभीर समस्या उत्पन्न है वही लक्ष्मी की मृत्यु पेंशन के अभाव में माह दिसम्बर में हो गयी है? उक्त संबंध में संबंधियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं। माह जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 तक की पेंशन का भुगतान हितग्राहियों के बचत खातों के माध्यम से किया जा चुका है। (ख) 20 हितग्राहियों की। (ग) त्रिवेणी पिता डी.वी. राम ब्राहमण को माह दिसम्बर 2014 तक पेंशन राशि का भुगतान किया गया है एवं लक्ष्मी पति जमुना कोल को माह नवम्बर 2014 तक पेंशन राशि का भुगतान उनके खाते के माध्यम से किया गया है। उनकी मृत्यु लंबी बीमारी के कारण दिनाँक 14.12.2014 को हुई है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

निर्मल भारत अभियान में व्यय राशि

62. (क्र. 2211) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामग्री स्वच्छता/निर्मल भारत/स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत बालाघाट जिले में वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनाँक तक जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों द्वारा प्रकाशित व्यय एवं सूचना शिक्षा संचार मद में किस-किस कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? (ख) क्या सूचना शिक्षा संचार/वाहनों पर व्यय के लिए नियमानुसार निविदायें बुलाई गई हैं? हाँ अथवा नहीं? (ग) यदि हाँ तो कब-कब निविदायें बुलाई गई, सफल निविदाकार का नाम एवं स्वीकृत दर की जानकारी उपलब्ध करावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

निर्माण कार्यो को पूर्ण किये जाने की नियत समय सीमा

63. (क्र. 2243) श्री विष्णु खत्री : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैरसिया विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत दिनाँक 01.01.2012 से दिनाँक 28.02.2015 तक कितने निर्माण कार्य महाप्रबन्धक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना भोपाल ने विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत निर्माण कार्य आरम्भ किये है प्राक्कलन अनुसार निर्माण कार्यवार उनकी क्या लागत तय है एवं उनके पूर्ण होने की अवधि क्या है कार्यवार नाम सहित स्पष्ट बताये तथा 28/02/2015 तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है एवं कितनी व्यय की जाना शेष है कार्यवार बताये? (ख) अपूर्ण कार्यो को पूर्ण कराने हेतु विभाग की क्या रणनीति एवं नई समय सीमा क्या तय है निर्माण कार्यवार एवं संबंधित प्रभारी अधिकारियों के नाम सहित स्पष्ट करें? (ग) बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में वित्त वर्ष 2015-16 के लिये विभाग ने कौन-कौन सी नई सड़को का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत

प्रस्तावित किया है उनकी लम्बाई एवं क्या लागत आंकी गई है? उनके नाम सहित पूर्णता बतायें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) बैरसिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दिनाँक 01.01.2012 से 28.02.2015 तक 32 सड़कों के निर्माण एवं 1 पुल के निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत आरंभ किया गया है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है।

अनु.जाति एवं अनु.ज.जा. के कृषकों को अनुदान पर धान का बीज विक्रय

64. (क्र. 2256) श्रीमती इमरती देवी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 में ग्वालियर जिला अंतर्गत विकासखण्ड, भितरवार एवं डबरा में धान किस्म डब्ल्यू.जी.एल. 32100 का बीज अनु.जाति एवं अनु.ज.ज. के कृषकों को वितरण हेतु कहाँ से किस दिनाँक को कितनी मात्रा में प्राप्त हुई? इस धान का वितरण किस ग्रा.कृ.वि.अधिकारी के द्वारा किस ग्राम के कितने कृषकों को नगद दिया गया तथा कितने कृषकों को कितनी राशि अनुदान पर दिया गया? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त प्राप्त धान बीज डब्लू जी.एज. 32100 के बीज को अनु.जाति एवं अनु.ज.जा के कृषकों को नगद एवं अनुदान, दोनों प्रकार से वितरण किया जा सकता है यदि हाँ तो आदेश/ नियम कि प्रति उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार विकास खण्ड डबरा भितरवार, में डब्लू जी.एल. 32100 धान बीज का वितरण ग्रामीण कृषि वि.अधिकारी द्वारा किये जाने के बाद किस दिनाँक को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं अनुविभागीय कृषि अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया, ग्रामवार बतावें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) प्रश्नांकित अवधि में शासकीय कृषि प्रक्षेत्र महुआखेडा जिला ग्वालियर से विकासखण्ड भितरवार के लिये दिनाँक 26.06.2014 को 20.10 क्विंटल, विकासखण्ड डबरा के लिये दिनाँक 27.06.2014 को 40.20 क्विंटल धान बीज अनु.जाति एवं अ.ज.जा. के कृषकों को वितरण हेतु प्राप्त हुआ। वितरण की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** प्राप्त धान बीज जी.डब्ल्यू.एल. 32100 का नगद राशि पर वितरण न करते हुये अनुदान पर ही वितरण किया गया। **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट - ''चौदह''

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना के प्रथम चरण के पहुँच मार्गों के संबंध में

65. (क्र. 2257) श्रीमती इमरती देवी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर अंतर्गत वि.स. क्षेत्र क्रं.19 डबरा में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत प्रथम चरण के, कहाँ से कहाँ तक, कितनी-कितनी राशि की सड़के स्वीकृत है, जिन्हें पूर्ण करने कि अवधि कब तक है? प्रत्येक सड़क पर प्रश्न दिनाँक तक कितनी राशि व्यय की गई तथा किस उपयंत्री कि देख-रेख में कार्य कराया गया, कार्य पूर्ण- अपूर्ण सहित विस्तृत जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार समयावधि में किस स्थान कि सड़क का निर्माण कार्य किस कारण पूर्ण नहीं हो सका, कार्य में लापरवाही के लिये कौन अधिकारी दोषी है, उसके विरूद्ध कब क्या कार्यवाही की गई, नहीं तो क्यों नहीं तथा अपूर्ण कार्य कब-तक पूर्ण किये जावेगें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) विधानसभा क्षेत्र डबरा में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत प्रथम चरण में स्वीकृत डबरा भितरवार रोड से चिटोली सड़क का कार्य अपूर्ण है जिसे मार्च, 2015 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। प्रथम चरण में मिट्टी का कार्य मनरेगा मद से स्वीकृत किया गया था। मनरेगा के जॉबकार्डधारी श्रमिकों की समय पर श्रम मांग न आने से कार्य पूर्ण करने में विलंब हुआ इसके लिए कोई दोषी न होने से किसी अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

परिशिष्ट - ''पंद्रह''

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत मार्ग का निर्माण

66. (क्र. 2270) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बडवाहा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सताजना से टोकलाय मार्ग की स्वीकृति प्रदान की गई है यदि हाँ, तो उक्त मार्ग के कि.मी. एवं लागत बताने के साथ ही निर्मित वर्ष बताया जावें? (ख) क्या सताजना से टोकलाय मार्ग के निर्माण में बीच के ग्राम रायझर के जुडे ग्रामों की सूची में शामिल किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त ग्राम को कहाँ से जोडा है, मार्ग की लम्बाई क्या है? क्या ग्राम रायझर के लोगों को इसका वास्तविक लाभ मिल रहा है? (ग) यदि नहीं तो ग्राम रायझर को न जोडने़ का क्या कारण रहा है इस लापरवाही के लिये अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी कब तक की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। बडवाहा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सताजना से टोकलाय मार्ग लम्बाई 4.20 कि.मी. लागत रू.161.49 की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत प्रदान की गई है वर्तमान में कार्य अपूर्ण है। (ख) जी हाँ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार पक्के मार्गों से 500 मीटर की दूरी तक स्थित सामान्य विकास खण्ड़ों के 500 तथा आदिवासी विकास खण्ड़ों के 250 तक की जनसंखया (वर्ष 2001 की जनगणनानुसार) की बसाहटों को जुड़ी हुये बसाहटों की श्रेणी में रखा गया है चूँकि ग्राम रायझर, सताजना से टोकलाय मार्ग से 500 मीटर की दूरी के अंतर्गत स्थित है अतः उक्त ग्राम

को पक्के मार्ग से जुडा हुआ मानकर पृथक से नहीं जोडा गया है। जी हाँ, ग्राम रायझर के लोग आवागमन हेतु सताजना से टोकलाय मार्ग का उपयोग कर लाभ ले रहे है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार, अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत मार्गो की प्रगति

67. (क्र. 2271) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन तथा पूर्व से निर्मित मार्गो पर बाहरमासी नदियों पर पुल बनाने की योजना है? यदि हाँ, तो नियम की प्रति दी जावे? बड़वाहा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन व पूर्व से निर्मित मार्ग है जिसमें बीच में बाहरमासी नदियॉ है, उसकी सूची दी जावे? (ख) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन एवं निर्मित मार्ग पर बारहमासी नदियों पर पुलिया निर्माण की स्वीकृति दी गई है? यदि हाँ, तो खण्डवा/बड़वानी जिलें में ऐसे कितनी बारहमासी नदियों पर पुलिया निर्माण कार्य स्वीकृत हुये है उसकी सूची दी जावे? (ग) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणधीन/निर्मित मार्ग पर बारहमासी नदियों पर बडवाहा विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत पुल का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। नियम की प्रति/**जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। बडवाह विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ऐसे कोई मार्ग नहीं है, जिनके बीच में बारहमासी नदियां है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अपात्र संचालकों एवं प्रतिनिधियों को अयोग्य किया जाना

68. (क्र. 2284) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन की नवीन मार्गदर्शिका व सहकारी नियमों में किसी संस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों के निर्वाचन संचालक मण्डल के सदस्यों के बीच में से किया जाना प्रावधावित है? हाँ या नहीं बताये? (ख) क्या श्रीमती मनोरमा सिंघल वर्ष 2013 को हुये विपणन सह.संस्था मर्या. गुना के निर्वाचित संचालक मण्डल में संचालक है या नहीं यदि नहीं तो क्या मनोरमा सिंघल को विपणन सहकारी संस्था गुना की ओर से जिला सह.बैंक मर्या. गुना में प्रतिनिध निर्वाचित किया है यदि हाँ, तो किस नियम से बताये अन्यथा हटाये? (ग) क्या श्रीमती मनोरमा सिंघल का नाम जिला सहकारी मर्यादित बैंक गुना के निर्वाचन सूची में विपणन सहकारी संस्था मर्यादित गुना प्रतिनिध के

रूप में उल्लेखित है यदि हाँ, तो किसी संस्था में निर्वाचित संचालक नहीं होने से अपात्र होने के कारण कब कैसे हटायेंगे? (घ) जिला सहकारी बैंक मर्यादित गुना के निर्वाचन नहीं हुये केवल प्रथम सूची का प्रकाशन हुआ था? जिसमें अपात्र नियम विरूद्ध निर्वाचित होकर श्रीमती मनोरमा सिंघल का नाम है संचालक विपणन सहकारी संस्था गुना में नहीं होने के कारण प्रतिनिधि पद से कब कैसे हटायेंगे विवरण दें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 48 (5) के अनुसार अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को संचालक मंडल का सदस्य होना आवश्यक है किन्तु सहकारी अधिनियम एवं उसके अधीन बने नियमों में प्रतिनिधि के निर्वाचन हेतु संचालक मंडल का सदस्य होने की अनिवार्यता प्रावधानित नहीं है. (ख) जी नहीं, जी हाँ, श्रीमती मनोरमा सिंघल को जिला सहकारी बैंक मर्यादित, गुना के प्रतिनिधि के लिए निर्वाचित किया गया है, क्योंकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी नियम 1962 के नियम क्रमांक- 45 में प्रतिनिधि के लिए उल्लेखित अयोग्यता धारित नहीं करती हैं. (ग) जी हाँ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी नियम1962 के नियम क्रमांक- 45 में प्रतिनिधि के लिए उल्लेखित अयोग्यता धारित नहीं करने से अपात्र नहीं है. (घ) जी हाँ, श्रीमती मनोरमा सिंघल मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी नियम 1962 के नियम क्रमांक- 45 में प्रतिनिधि के लिए उल्लेखित अयोग्यता धारित नहीं करती हैं. अतः उन्हें प्रतिनिधि पद से हटाने की आवश्यकता नहीं है.

गुना विपणन सहकारी संस्था मर्यादित गुना के निर्वाचित संचालक को पद मुक्त किया जाना

69. (क्र. 2285) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 19 (सी/ग) के अन्तर्गत समान व्यवसाय करने वाली संस्थाओं एक समान व्यवसाय करने वाले संस्था के सदस्य संचालक निर्धारित होने के अपात्र हो जाते है यदि हाँ तो बताये? (ख) क्या गुना जिले की विपणन सहकारी संस्था मर्यादित गुना एवं सार्वजनिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार गुना के बायलॉज (उपनियम) में समान व्यवसाय करती है यदि हाँ, तो क्या उक्त भण्डार, विपणन संस्था गुना की सदस्यता ग्रहण कर सकता है यदि नहीं तो कब तक हटायेगे? (ग) क्या विपणन सहकारी संस्था मर्यादित गुना के संचालक मण्डल में श्री अनिल शर्मा निर्वाचित संचालक है सर्वजनिक सहमति उपभोक्ता भण्डार गुना से प्रतिनिधि है जब दोनो संस्थाऐं समान व्यवसाय करती है तो क्या श्री अनिल शर्मा अयोग्य हो गये है यदि हाँ, तो कब तक पद से पृथक होगे कारण सहित विवरण दें? (घ) विपणन सहकारी संस्था मर्यादित गुना के वर्ष 2013 में निर्वाचित ऐसे कितने संचालक है जो प्रश्न दिनाँक तक वह या उनके प्रतिनिधित्व वाली संस्थाऐं किसी भी रूप में कालातीत हो गयी है या अपात्र हो गई हो या समान व्यवसाय करती हो वह संचालक कब और किस रीति से हटेंगे कारण सहित विवरण दें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 19 (सी/ग) व्यक्तिगत सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित है. शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) जी नहीं. उपभोक्ता भण्डार द्वारा विपणन सहकारी संस्था की सदस्यता ग्रहण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) जी हाँ. जी हाँ, जी नहीं दो संस्थाओं के समान व्यवसाय करने पर प्रतिनिधि अपात्र नहीं होता. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (घ) 02, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 48-कक एवं 50-क में वर्णित रीति से, समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

सिवनी जिले में मध्यान्ह भोजन में अनियमितता

70. (क्र. 2305) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में मध्यान्ह भोजन रोज व लम्बे समय तक नहीं बांटने की कितनी शिकायतें पिछले एक वर्ष में शासन को मिली व उस पर क्या कार्यवाही हुई है? (ख) केवलारी विधान सभा क्षेत्र एवं सिवनी जिले में पिछले 3 वर्ष में किस-किस स्व. सहायता समूह को मध्यान्ह भोजन की जिम्मेदारी दी गई है प्रत्येक को दिये गये स्कूलों की संख्या, नाम व चलाने वालो के नाम बतावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) सिवनी जिले में मध्यान्ह भोजन रोज व लम्बे समय तक नहीं बांटने की पिछले एक वर्ष में शासन को 5 शिकायतें प्राप्त हुई है। जिसमें संबंधित शाला के प्रधान पाठक, जनशिक्षक व स्व सहायता समूह को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया व इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करने के संबंध में हिदायत दी गई। दो स्व सहायता समूह को हटाकर मध्यान्ह भोजन का संचालन अन्य समूह को सौंपा गया, साथ ही एक स्व सहायता समूह का अनुबंध समाप्त किए जाने की कार्यवाही की गई। जिसकी विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार** है। (ख) केवलारी विधानसभा क्षेत्र एवं सिवनी जिले में पिछले 3 वर्ष में मध्यान्ह भोजन का संचालन कर रहे स्व सहायता समूह की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' एवं प्रपत्र-''स'' अनुसार** है।

ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं मरम्मती करण

71. (क्र. 2321) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण यांत्रिकी विभाग दतिया द्वारा वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 में कौन-कौन सी मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़कों का निर्माण या मरम्मतीकरण कराया गया है?

विकासखण्डवार/सड़कवार जानकारी उपलब्ध कराई जावें? (ख) उक्त सड़कों के निर्माण बावत् शासन द्वारा क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये सड़कों का निर्माण निर्धारित मापदण्डों के आधार पर हुआ कि नहीं, यदि हाँ, तो उन सड़कों की लैब टेस्टिंग कराई गई है अथवा नहीं, यदि हाँ, तो सैम्पल सुरक्षित रखे गये है कि नहीं, यदि हाँ, तो कहाँ रखे गये है? (ग) उक्त सड़के निर्माण की एजेंसियां कौन रही उनके नाम/तथा समय-समय पर जांचकर्ता अधिकारियों के नाम एवं उनके पद तथा उनके क्या जांच प्रतिवेदन रहे विवरण उपलब्ध कराये जावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्मित की जा रही सड़कों में भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के मापदण्ड लागू हैं। योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किए जा रहे हैं। जी हाँ, सामग्री का परीक्षण विभिन्न प्रयोगशालाओं में किया गया है। परीक्षण की गई सामग्री के सैम्पल सुरक्षित रखने का प्रावधान नहीं होने से उन्हें सुरक्षित नहीं रखा गया है। (ग) निर्माण एजेंसी की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। जांचकर्ता अधिकारियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसा**र है।

प्राप्त आवंटन से कार्यों के भौतिक सत्यापन

72. (क्र. 2322) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में वाटर शेड योजना अंतर्गत प्राप्त आवंटन से कार्यों के भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता निरीक्षण जिला/संभागीय/राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप जनहित में किये गये कार्यों का जनता को प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल पा रहा है? (ख) ता. प्रश्न क्र. 8 दि. 8-12-14 में जिन जिला/संभाग/राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था उनके निरीक्षण प्रतिवेदन कार्या.पत्र क्र. 169 दि. 15-1-15 द्वारा जिला पंचायत दतिया से चाहे गये थे जो कि आज दिनाँक तक अप्राप्त है? (ग) शासन द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश प्रसारित किये गये है कि माननीय विधायक द्वारा जनहित में जो जानकारी चाही जाती है उसे प्राथमिकता के क्रम में प्रदाय की जाने इसके पश्चात भी कंडिका (ख) में उल्लेख अनुसार दो वार स्मरण पत्र भेजने के बाद भी जिला स्तर पर उपलब्ध जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे शासन द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? (घ) वाटर शेड योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 तक जो कार्य कराये गये है उनकी गुणवत्ता उचित प्रतीत नहीं होती है? भ्रमण के दौरान ग्राम वासियों द्वारा बताया गया/ उपरोक्त अवधि में कराये गये कार्यों का मूल्यांकन, सत्यापन, भौतिक सत्यापन स्वतंत्र एजेंसी से कराकर अवगत कराया जावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नाधीन जानकारी विधानसभा से संबंधित थी, अतः कार्यालय जिला पंचायत दतिया के पत्र क्रमांक 4972 दिनाँक 23.01.2015 से माननीय विधायक जी को अवगत कराया गया कि अपेक्षित जानकारी विधानसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। (ग) प्रश्नांश के ख के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। कार्यों की गुणवत्ता उचित पाई गई है। कार्यों के मूल्यांकन का प्रावधान पूर्व से विद्यमान है, अतः पृथक से कराये जाने का औचित्य नहीं है।

कृषि उपज मंडी में ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों को भुगतान

73. (क्र. 2367) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि विभाग में एन.जी.ओ. या ठेका पद्धति के माध्यम से सुरक्षाकर्मी रखे जाते हैं, नाम बतावें? (ख) शासन द्वारा एक सुरक्षाकर्मी नियुक्त करने के लिए कुल कितनी राशि तय की गई है, अधिकतम तथा न्यूनतम राशि की जानकारी दें? (ग) सीतामऊ कृषि उपज मण्डी में नियुक्त सुरक्षाकर्मी को एन.जी.ओ. या ठेकेदार द्वारा कितने रूपये दिऐ जाते हैं, तथा कृषि उपज मण्डी द्वारा ठेकेदार को कितने रूपये भुगतान किया जाता है, वस्तुस्थिति से अवगत करावें? (घ) यदि ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को कम भुगतान किया जाता है, तो इसका कारण स्पष्ट करें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के भवन एवं प्रागंण/परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर खुली निविदा आमंत्रित कर सुरक्षाकर्मी रखे जाते है। वर्तमान में प्रदेश के 07 संभागो में कार्यरत सुरक्षा एजेन्सियों के नाम एवं पते की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -अ अनुसार** है। (ख) सुरक्षा एजेन्सी के द्वारा तैनात गनमैन एवं सुरक्षाकर्मी को श्रमायुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित कुशल एवं अर्द्धकुशल पारिश्रमिक दरों के अनुसार भुगतान किया जाता है। **(ग)** कृषि उपज मंडी समिति सीतामउ में नियुक्त सुरक्षाकर्मियों को ठेकेदार द्वारा भुगतान की गई राशि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** तथा मण्डी समिति सीतामउ द्वारा ठेकेदार को भुगतान की गई राशि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -स अनुसार** है। (घ) प्रश्नांश "ग" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कम भुगतान होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट – ''सोलह''

मुख्यमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्माण कार्य, अनियमितता की जांच

74. (क्र. 2443) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर, अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क

योजनान्तर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण के कार्य प्रगतिरत हैं? उक्त कार्यों के कार्यादेश किस-किस दिनाँक को प्रदाय किये गये थे एवं उनको पूर्ण करने की निर्धारित कार्य अवधि क्या थी? चरणवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न करने के कारण विभागीय अधिकारी एवं ठेकेदार के स्तर पर हुये विलम्ब हेतु उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता अत्यन्त घटिया है, जिसके कारण थोड़ी सी भी वर्षा होने के कारण अधिकतर मार्गों में कीचड़ (दलदल) हो जाता है? उक्त कार्यों का निरीक्षण करवाकर निम्नतर गुणवत्ता का कार्य स्वीकार करने वाले कर्मचारी एवं भुगतान करने वाले दोषी अधिकारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही से अवगत करावें? (घ) क्या पूर्ण किये गये कार्यों की मरम्मत करने का उत्तरदायित्व भी निर्माण एजेन्सी का है? यदि हाँ, तो निर्माण एजेन्सी द्वारा कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कितने वर्षों तक मरम्मत (maintenance) कार्य किया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार कार्यो को निर्धारित अवधि में पूर्ण न करने के लिए ठेकेदारों का दायित्व निर्धारण, कार्य पूर्ण होने के उपरांत किया जाकर, अर्थदण्ड आरोपित कर अंतिम भुगतान किया जावेगा। (ग) उत्तरांश (क) किये जा रहे कार्यो की घटिया निर्माण के संबंध में ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है जिसमें वर्षा के कारण कीचड़/दलदल हो जाता है। राज्य स्तरीय स्वतंत्र गुणवत्ता मानिटर्स द्वारा निरीक्षण की गई सड़को में से सभी सड़कों की गुणवत्ता संतोषप्रद प्रतिवेदित की गई है, अतः किसी भी कर्मचारी/अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नही होता। (घ) जी हाँ। निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य पूर्ण होने से 02 वर्ष तक संधारण कार्य किया जावेगा।

परिशिष्ट – "सत्रह"

गेहूँ उपार्जन केन्द्र खोले जाना

75. (क्र. 2466) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा गेहूँ उपार्जन केन्द्र सन 2014 में खोले गए थे उनमें कितना गेहूँ क्रय किया गया वजन व राशि का भुगतान किया गया? सूची उपलब्ध करावें? (ख) संस्था द्वारा इलेक्ट्रानिक तोल कांटे से माल तोल कर दिया गया उसके बाद भी आपूर्ति निगम द्वारा जो परिवहन किया गया उसमें गेहूँ की मात्रा कम बताकर हजारों क्विंटल गेहूँ कम तोला गया और संस्थाओं को मिलने वाले कमीशन से राशि काट ली गई? ऐसा क्यों? (ग) निगम एवं संस्था द्वारा जो अनुबंध किया गया था उसमें स्पष्ट है कि निगम द्वारा जो परिवहन किया गया उसमे गेहूँ की मात्रा कम बताई गई

है उसकी जवाबदारी आपूर्ति निगम की है? इस हेरफेर का जिम्मेदार कौन अधिकारी/कर्मचारी है? शासन इन जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्यवाही करेगा?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) बड़नगर तहसील में वर्ष 2014 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन हेतु 16 उपार्जन केन्द्र खोले गये थे। उपार्जन संस्थाओं द्वारा 87, 286.241 मे.टन गेहूँ क्रय किया गया तथा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन को 86, 979.433 मे.टन गेहूँ जमा कराया गया। उपार्जन करने वाली संस्थाओं को राशि रू. 138.04 करोड़ भुगतान का किया गया। उपार्जित क्रय मात्रा, जमा मात्रा एवं भुगतान की गई राशि संस्थावार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित** है। (ख) बड़नगर तहसील में उपार्जन करने वाली 16 संस्थाओं में से 15 संस्थाओं द्वारा परिवहनकर्ता को स्कंध तौलकर नहीं दिये जाने के कारण गोदाम में जमा मात्रा को ही प्रेषित मात्रा मानकर समितियों को भुगतान किया गया है। संस्थाओं द्वारा अंतिम मिलान के समय लिखकर दिया गया है कि उक्त स्थिति में गोदाम में जमा मात्रा को ही प्रेषित मात्रा मानी जाए। मार्केटिंग सोसायटी, बड़नगर द्वारा गेहूँ तौलकर दिये जाने बावत् लिखित में नहीं दिया गया है और न ही गेहूँ के कम जमा होने संबंधी कोई क्लेम प्रस्तुत किये। संस्थाओं को जमा मात्राओं के आधार पर खाद्यान्न का मूल्य कमीशन एवं प्रासंगिक व्यय आदि का भुगतान किया गया है। (ग) अनुबंध में इस प्रकार का प्रावधान नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "अठारह"

नकली खाद-बीज की शिकायतों पर कार्यवाही

76. (क्र. 2488) श्री सतीश मालवीय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2014 से 30 जनवरी, 2015 तक नकली उर्वरक एवं बीज बेचने वालों की कितनी शिकायतें उज्जैन जिले में प्राप्त हुई? नाम एवं फर्म सहित जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत् प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई? कितने लायसेंस निरस्त किये गये एवं निरस्ती के बाद संयुक्त संचालक द्वारा बहाल किये गये? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के तहत् क्या नकली बीज एवं उर्वरक बेचने वालों के खिलाफ पुलिस प्रकरण भी दर्ज कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) उज्जैन जिले में नकली उर्वरक एवं बीज बेचने संबंधी एक शिकायत निम्नलिखित फर्मों की प्राप्त हुई है। (1) हंसमुखलाल हेमंतकुमार एण्ड बदर्स, नारायणा रोड महिदपुर। (2) नवलखा कृषि सेवा केन्द्र राजेन्द्र मार्ग महिदपुर। (3) वीरेन्द्र कृषि सेवा केन्द्र दुकान नं0 1 भीमाखेडा महिदपुर। (4) दिलीप ट्रेडिंग कम्पनी, उज्जैन रोड गर्वमेन्ट हास्पिटल महिदपुर। (5) वीरेन्द्र कृषि सेवा केन्द्र मण्डी कमेटी उज्जैन रोड महिदपुर। (6) गौरव ट्रेडर्स नारायणा रोड महिदपुर। (ख) नकली उर्वरक एवं बीज विक्रय की प्राप्त

शिकायत की जाँच कलेक्टर के निर्देशानुसार कमेटी बनाकर कराई गई थी। जाँच में नकली उर्वरक एवं बीज बेचा जाना नहीं पाया गया। अत: लायसेंस निरस्त करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

एम.पी. ऑनलाईन के संबंध में

77. (क्र. 2489) श्री सतीश मालवीय : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एम.पी. ऑनलाईन की स्थापना किस उद्‌देश्य से एवं कब की गई थी? इस प्रक्रम में किस-किस का यथा कियोस्क, शासन एवं अन्य का क्या शेयर है? स्थापना के उपरांत से अब तक वर्षवार शासन को एवं अशासकीय संस्थान को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई, वर्षवार जानकारी उपलबध करावें? किन वर्षों में शासन को राजस्व प्राप्त नहीं हुआ एवं क्यों? (ख) क्या एक वर्ष में अशासकीय संस्थान को प्राप्त शेयर की राशि में से सभी विभागों का कम्प्यूटरीकरण किया जाकर आमजन को भारी भरकम शुल्क से निजात दिलाई जा सकती है? (ग) एम.पी. ऑनलाईन द्‌वारा लिये जाने वाले 40 रूपये शुल्क में से कियोस्क संचालक, जो कि पूरा सेटअप तैयार करता है, स्थापना व्यय करता है एवं पूरी डाटा इन्ट्री करता है, उसे सिर्फ 14 रूपये एवं एम.पी. ऑनलाईन, जो एक बार साफ्टवेयर बना कर/सेटअप तैयार कर 26 रूपये प्रति आवेदन प्राप्त करता है? क्या यह न्याय संगत है? इस 26 रूपये में से शासन एवं अशासकीय संगठन का शेयर कितना है एवं किस बात का है?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) राज्य शासन द्‌वारा प्रदेश के सुदूर क्षेत्र में नागरिकों को शासकीय सेवा प्रदान करने के लिए कार्यालयों में उपस्थित होने की अनिवार्यता को समाप्त करने हेतु एमपीऑनलाइन पोर्टल की स्थापना मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्‌योगिकी विभाग के आदेश क्रमांक एफ 5-2/2005/56 भोपाल, दिनाँक 7 नवंबर, 2005 के अनुसार की गई है। एमपीऑनलाइन मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम एवं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। इसमें राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम का 11 प्रतिशत शेयर तथा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का 89 प्रतिशत शेयर है। इसमें कियोस्क का कोई शेयर नहीं है। कियोस्क एमपी ऑनलाइन का अधिकृत नागरिक सुविधा केंद्र हैं, जिसके माध्यम से नागरिकों को विभिन्न विभागीय सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जाती हैं। एमपी ऑनलाइन लिमिटेड द्‌वारा ऑनलाइन सेवाएं 1 अप्रैल, 2007 से पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई हैं। एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जिन शासकीय विभागों/ संस्थाओं की सेवाएं नागरिकों को ऑनलाइन प्रदान की जाती है, उन विभागों के लिये एमपी ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त शुल्क की समस्त राशि संबंधित शासकीय विभागों को प्रदान कर दी जाती है एवं पोर्टल शुल्क के रूप में प्राप्त राशि में से निर्धारित राशि कियोस्क/सीएससी को प्रदान कर दी जाती है तथा शेष राशि एमपी ऑनलाइन को प्राप्त होती है। वर्ष 2007-08 से वर्ष 2013-14 तक की अवधि में प्राप्त राजस्व की राशि का वर्षवार विवरण **संलग्न परिशिष्ट**

अनुसार है। (ख) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ग) एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जिन विभागों/ संस्थाओं की सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जाती है, उनके पोर्टल शुल्क का निर्धारण सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मप्र शासन की अध्यक्षता में गठित सेवा शुल्क समिति द्वारा किया जाता है। समिति में वित्त विभाग, संबंधित विभाग के अधिकारी एवं एमपी ऑनलाइन के अधिकारी भी शामिल रहते हैं। साथ ही समिति द्वारा उपरोक्त पोर्टल शुल्क में से कियोस्क को प्रदान किये जाने वाले शुल्क और एमपी ऑनलाइन को प्राप्त होने वाले शुल्क का निर्धारण भी किया जाता है। पृथक-पृथक सेवाओं के लिए आवश्यक संसाधन, मानव दिवस की उपयोगिता एवं जटिलता के आधार पर शुल्क का निर्धारण किया जाता है, जिसमें से उक्त तथ्यों के आधार पर कियोस्क संचालक एवं एम.पी.ऑनलाईन का हिस्सा तय होता है। सभी सेवाओं के लिए 40 रूपये शुल्क नहीं लिया जाता है, अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

नवीन या सहायक लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना

78. (क्र. 2505) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्षेत्रांतर्गत लोक सेवाओं को प्रदाय हेतु कितने लोक सेवा केन्द्र वर्तमान में संचालित हैं? संचालित लोक सेवा केन्द्रों द्वारा कितनी सेवाओं के आवेदन लिए जा रहे हैं? (ख) लोक सेवा गांरटी अधिनियम अंतर्गत वर्तमान में लोक सेवा केन्द्रों द्वारा प्रदाय सेवाओं हेतु निर्धारित शुल्क व आवश्यक दस्तावेज की सेवावार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) क्या वर्तमान में प्रदेश में संचालित लोक सेवा केन्द्र, लोक सेवाओं के व्यापीकरण की दृष्टि से पर्याप्त हैं? यदि नहीं, तो क्या शासन द्वारा नवीन या सहायक लोक सेवा कैंन्द्र खोले जावेंगे? (घ) क्षेत्रांतर्गत नगरीय क्षेत्र सोयतकलां में नवीन या सहायक लोक सेवा केन्द्र प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव शासन स्तर पर प्रचलित हैं? यदि हाँ, तो कार्यवाही किस स्तर पर है एवं कब तक लोक सेवा केन्द्र प्रारंभ होगा?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) क्षेत्रांतर्गत तहसील आगर के विकासखण्ड सुसनेर में लोक सेवा केन्द्र संचालित है तथा संचालित लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से वर्तमान में 16 विभागों की 68 सेवाओं को ऑनलाईन प्रदाय किया जा रहा है जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत वर्तमान में लोक सेवा केन्द्रों पर निर्धारित आवेदन शुल्क 30/- रूपये प्रति आवेदन के लिये जाते है तथा राजस्व विभाग की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 256 के नियम 56 (क) के अंतर्गत रूपये 10/- की दर से न्यायालय फीस लेवल के रूप में तहसील से चिपकाई जाती है जो खसरा पर रूपये 10/- तथा खतौनी के लिए रूपये 10/- एवं नक्शे के लिए रूपये

15/- निर्धारित है। प्रत्येक सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेज निर्धारित है। (ग) जी, हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ, शासन स्तर पर नीतिगत निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट - "**बीस**"</u>

<u>क्षेत्रांतर्गत नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना</u>

79. (क्र. 2506) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने कृषि महाविद्यालय वर्तमान में संचालित हैं? इनमें से कितने शासकीय एवं कितने अशासकीय हैं? (ख) नवीन कृषि महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने हेतु शासन के मापदण्ड क्या है? शासकीय एवं निजी कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु तय मापदण्डों का कृपया पृथक-पृथक विवरण देवें? (ग) मालवा क्षेत्र में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु शासन ने क्या-क्या कार्य किए हैं? क्या क्षेत्रांतर्गत कृषि विषय के अध्ययन को बढ़ावा देने हेतु कोई पहल की जावेगी? (घ) क्या क्षेत्रांतर्गत नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना संबंधी कोई मांग या प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो इस ओर क्या कार्यवाही की जा रही है एवं की गई है?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत 5 कृषि महाविद्यालय क्रमश: जबलपुर, रीवा, टीकमगढ, गंजबासौदा (विदिशा) एवं वारासिवनी (बालाघाट) में संचालित हैं तथा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 4 कृषि महाविद्यालय क्रमश: ग्वालियर, इन्दौर, सीहोर एवं खण्डवा तथा एक उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में संचालित है। ये सभी महाविद्यालय शासकीय श्रेणी में आते हैं। अशासकीय महाविद्यालय दोनों विश्वविद्यालय के अधीन संचालित नहीं है। (ख) नवीन कृषि महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की चतुर्थ डीन्स कमेटी की सिफारिशों के तहत मापदण्ड निर्धारित है। वर्तमान में नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु अनुमानित राशि रूपये 100-120 करोड एवं 50 हेक्टयर भूमि की आवश्यकता होगी। निजी कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु दोनों विश्वविद्यालय के अधिनियम में संशोधन कर अधिसूचना प्रकाशित की जा चुकी है एवं मापदण्ड/दिशानिर्देश तैयार करने संबंधी कार्यवाही की जा रही है। (ग) मालवा क्षेत्र में कृषि शिक्षा को बढावा देने हेतु इन्दौर में कृषि महाविद्यालय तथा मंदसौर में उद्यानिकी महाविद्यालय संचालित है जिनके अन्तर्गत निम्न पाठयक्रम पढाये जाते है. (1) कृषि महाविद्यालय, इन्दौर में बी.एस.सी. कृषि चार वर्षीय पाठ्यक्रम, एम.एस.सी. कृषि द्विवर्षीय पाठ्यक्रम (आठ विषयों में)। (2) उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में बी.एस.सी. उद्यानिकी चार वर्षीय पाठयक्रम, एम.एस.सी. उद्यानिकी द्विवर्षीय

पाठ्यक्रम (चार विषयों में)। इसके अतिरिक्त मालवा क्षेत्रान्तर्गत छात्रों को ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव पाठ्यक्रम हेतु मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास एवं राजगढ में संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। (घ) जी हाँ। राज्य बजट से आवंटन उपलब्ध होने पर नवीन कृषि महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जायेगा।

प्रोजेक्ट आत्मा के प्रशिक्षण से किसानों को लाभ

80. (क्र. 2539) कुमारी निर्मला भूरिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में प्रोजेक्ट आत्मा कब से संचालित की जा रही है? इसमें राज्य शासन को केन्द्र द्वारा कब-कब, कितनी-कितनी राशि दी गई, वर्षवार जानकारी प्रस्तुत करें? (ख) उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में कितने किसानों को प्रशिक्षण दिया गया तथा प्रशिक्षण पर हुए व्यय की जानकारी प्रस्तुत करें? (ग) उक्त योजना मद में वर्ष 2014-15 में जिलों को कितनी राशि आवंटित की गई? एवं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से कितने किसानों को किस तरह का लाभ हुआ है?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) प्रदेश में प्रोजेक्ट आत्मा वर्ष 2005-06 से संचालित है। वर्षवार प्राप्त राशि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में 29538 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया तथा प्रशिक्षण पर कुल व्यय राशि रूपये 162.676 लाख किया गया। (ग) योजनान्तर्गत जिलों को वर्ष 2014-15 में राशि रूपये 4532.53 लाख आवंटित की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम से 29538 किसान लाभान्वित हुए हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से कृषकों को नवीन एवं उन्नत तकनीकों की जानकारी प्रदाय की गई।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

बीज पर अनुदान

81. (क्र. 2540) कुमारी निर्मला भूरिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गत तीन वर्षों में झाबुआ जिले में किस जीन्स के कितने क्विंटल ब्रीडर बीज पर कितना अनुदान किसे दिया? किस जीन्स के कितने क्विंटल फाउण्डर बीज पर कितना अनुदान किसे दिया? अनुदान की प्रति क्विंटल दर सहित बतावें? (ख) ब्रिडर बीज, फाउण्डर बीज, सर्टिफाईड बीज क्रय करने वाले का प्रति क्विंटल कितना अनुदान दिया जाता है? बीज का उत्पादन करने वाले को प्रति क्विंटल कितना अनुदान दिया जाता है? अनुदान की राशि का वितरण किस-किस के माध्यम से किया जाता है? (ग) नगद फाउण्डर बीज एवं सर्टिफाईड बीज क्रय करने वालों को अनुदान दिये जाने हेतु क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है?

गत तीन वर्षों में पेटलावाद वि.स.क्षेत्र मे कितने किसानों ने कितना बीज क्रय, किया? उन्हें कितना अनुदान वितरित किया गया?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक, दो अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र तीन अनुसार** है। (ग) अनुदान प्रकिया की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र तीन अनुसार** है। प्रश्नांकित अवधि में पेटलावाद विधानसभा क्षेत्र में 536 किसानों ने 522 क्विंटल प्रमाणित बीज क्रय किया गया व रूपये 228010 अनुदान वितरण किया गया।

जबलपुर जिले के अमानक बीज, खाद विक्रेताओं के विरूद्ध दर्ज प्रकरण

82. (क्र. 2601) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर जिले में वर्ष, 2013-14 में बीज एवं उर्वरक के 30-30 नमूने परीक्षण में अमानक पाये गये थे? (ख) क्या अमानक पाये गये बीज एवं उर्वरक विक्रेताओं (डीलर्स) के विरूद्ध प्रकरण दर्ज हुए या नहीं? (ग) यदि प्रकरण दर्ज नहीं हुये तो क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ। (ख) अमानक पाये गये बीज विक्रेताओं के विरूद्ध बीज अधिनियम 1966 एवं अमानक उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के अंतर्गत कार्यवाही की गई। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

मण्डी निधि से सड़कों का निर्माण

83. (क्र. 2604) श्री लखन पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में विकासखण्ड पथरिया एवं दमोह व बटियागढ़ में वर्ष, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 में मण्डी निधि से कितनी व कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत की गई हैं? (ख) पृथक-पृथक सड़कों की लागत व दूरी कितनी-कितनी है? (ग) कितनी सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, कितनी सड़कें निर्माणाधीन हैं? (घ) किन-किन सड़कों के अभी तक टेंडर नहीं लगे हैं?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) दमोह जिले के अंतर्गत विकासखंड, पथरिया, दमोह एवं बटियागढ़ में विघमान कृषि उपज मंडी समिति पथरिया तथा दमोह की मंडी निधि से प्रश्नांकित वर्षो में कोई भी सड़के स्वीकृत नहीं की गई है, अपितु उल्लेखित विकास-खंडो में वर्ष 2011-12, 2012-13, एवं 2013-14 में म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के

तहत बोर्ड निधि से स्वीकृत 28 सड़कों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार** है तथा किसान सड़क निधि से स्वीकृत 13 सड़कों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार** है। परिशिष्ट "एक" में बोर्ड निधि से स्वीकृत सड़को में से 10 सड़कों की स्वीकृति मंडी बोर्ड संचालक मण्डल की बैठक क्रमांक 123 दिनाँक 30.09.14 के प्रस्ताव क्रमांक 28 के निर्णय अनुसार निरस्त किया गया है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र तीन अनुसार** है। (ख) स्वीकृत सड़कों की पृथक-पृथक लागत व दूरी की निधिवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र चार, पांच अनुसार** है। (ग) उत्तरांश "क" में संलग्न परिशिष्ट "तीन" में निरस्त बोर्ड निधि की 10 सड़कों के अतिरिक्त बोर्ड निधि तथा किसान सड़क निधि से स्वीकृत शेष 31 सड़कों में से 13 पूर्ण सड़कों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र छ: अनुसार** है तथा 18 निर्माणाधीन सड़को की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र सात अनुसार** है। (घ) वर्तमान में दमोह जिले के अंतर्गत विकास-खंड पथरिया, दमोह एवं बटियागढ़ में मंडी बोर्ड के अंतर्गत आने वाली किसी भी निधि के तहत सड़क के टेण्डर आदि लगना शेष नहीं है।

बीज मिनी किट वितरण का लक्ष्य

84. (क्र. 2605) श्री लखन पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में विकासखण्ड दमोह, पथरिया एवं बटियागढ़ विकासखण्ड के अंतर्गत वर्ष, 2014-15 में कितने ग्रामों के कितने किसानों को नींदानाशक दवा के लिये अनुदान दिया गया? (ख) उपरोक्त विकासखण्डों में समूह कृषक प्रशिक्षण (दो दिवसीय) दिया गया है? कहाँ से दिया गया है? कुल कितनी राशि इस हेतु वर्ष, 2014-15 में व्यय की गई है? (ग) बीज मिनी किट कितने ग्रामों के कितने किसानों को 100 प्रतिशत अनुदान पर वितरण किया गया है? (घ) बीज मिनी किट वितरण का कितना लक्ष्य तय किया गया था?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) वर्ष 2014-15 में विकासखण्ड दमोह, पथरिया एवं बटियागढ में क्रमश: 19 ग्राम 300 कृषक, 13 ग्राम 300 कृषक एवं 64 ग्राम 300 कृषकों को नींदानाशक दवा के लिए अनुदान दिया गया। (ख) दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित नहीं किये गये। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्ष 2014-15 में विकासखण्ड दमोह, पथरिया एवं बटियागढ में क्रमश: 30 ग्राम 200 कृषक, 51 ग्राम 200 कृषक एवं 24 ग्राम 100 कृषकों को सोयाबीन बीज मिनी किट 10 प्रतिशत अनुदान पर वितरण किया गया। (घ) दमोह जिले में 1000 बीज मिनी किट वितरण का लक्ष्य तय किया गया था।

जिला/जनपद कर्मचारियों की पेंशन संबंधी

85. (क्र. 2625) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला/जनपद पंचायत के मूल अधिकारी/ कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू करने की प्रक्रिया अंतर्गत पंचायत राज्य संचालनालय, म.प्र. द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं? (ख) जिला/जनपद पंचायत के मूल अधिकारी/कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू करने की प्रक्रिया अंतर्गत डी.टी.ओ. एवं डी.डी.ओ. के पंजीयन हेतु नोडल अधिकारी एवं नोडल संस्था नियुक्त की गई है? यदि हाँ, तो किन-किन जिलों में पंजीयन की कार्यवाही की जा चुकी है? किन-किन जिला/जनपद पंचायत के मूल अधिकारी/कर्मचारियों को PRAN (स्थाई सेवानिवृत्ति खाता संख्या) जारी किया जा चुका है? (ग) क्या जिला/जनपद पंचायत के मूल अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन से अंशदायी पेंशन हेतु कटौत्रा किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या कटौत्रा की राशि नोडल अधिकारी को जमा कराई जा रही है? यदि नहीं, तो कब तक कराई जा सकेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। अंशदायी पेंशन योजना लागू करने की प्रकिया अंतर्गत डी.टी.ओ.एवं डी.डी.ओ. के क्रियान्वयन एजेंसी एन.एस.डी.एल. से पंजीयन के लिये जिला पंचायत तथा उनके अधिनस्थ जनपद पंचायत के कर्मचारियों हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। किंतु पंचायतराज संचालनालय तथा जिला/जनपद पंचायतों के पंजीयन क्रमांक क्रियान्वयन एजेंसी एन.एस.डी.एल. द्वारा आवंटित नहीं करने के कारण जिला/जनपद पंचायतों के कर्मचारियों के प्रान नंबर आवंटित नहीं हुये है। संचालनालय स्तर से पंजीयन हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी एन.एस.डी.एल. को प्रस्तुत की जा चुकी है। पंजीयन क्रमांक आवंटित होने पर जिला/जनपद पंचायत के मूल अधिकारी/कर्मचारी को PRAN (स्थाई सेवानिवृत्ति खाता संख्या) जारी करने की कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) जी हाँ। जी नहीं, संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा पंचायत राज संचालनालय एवं जिला/जनपद पंचायतों के पंजीयन क्रमांक आवंटित नहीं करने के कारण प्रान नंबर आवंटित नहीं हुये है। पंजीयन क्रमांक आवंटित होने पर प्रान नंबर आवंटन की प्रकिया प्रारंभ हो जावेगी तथा संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को राशि अंतरण की कार्यवाही की जावेगी।

कृषि महोत्सव, 2014 पर हुए व्यय का भुगतान

86. (क्र. 2653) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि महोत्सव, 2014 में जिला खरगौन द्वारा कितने कार्य निविदा आधार पर दिए गऐ, सूची देवें, निविदा की शर्तें भी बतावें? (ख) कृषि महोत्सव, 2014 के दौरान निविदाकर्ता के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त हुई थी? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? (ग) कृषि महोत्सव में लाभांवित कुल कृषकों की संख्या पंचायतवार बतावें? (घ) महोत्सव के खर्चों

के कितने बिलों का भुगतान किया गया, तथा कितने बिलों का भुगतान लंबित है, कारण सहित बतावें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) कृषि महोत्सव, 2014 अन्तर्गत खरगौन जिलें में निविदा के आधार पर टेन्ट व्यवस्था, भोजन एवं नास्ता व्यवस्था, कृषि क्रान्ति वाहन व्यवस्था, दीवाल लेखन फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, साहित्य छपाई फ्लेक्स बेनर के कार्य कराये गयें। निविदा की शर्तो की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। (ख) जी नहीं। (ग) कृषि महोत्सव में 145610 किसान लाभांवित हुए है। पंचायतवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। (घ) समस्त 1400 बिलों का भुगतान किया गया। शेष कोई भी बिल भुगतान हेतु लंबित नहीं है।

उत्साह प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन

87. (क्र. 2668) श्री दिव्यराज सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिरमौर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत- जवा विकास खण्ड अंतर्गत सभी ग्रामों में सिंचाई सुविधा के अभाव में क्या खरीफ एवं रवी की फसल उत्पादन प्रभावित हुई है? यदि हाँ, तो क्या कृषकों के लिये उत्साह प्रोत्साहन हेतु योजना बनाई जा रही है? (ख) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में- युक्त विकासखण्ड के सभी ग्रामों के कृषकों को सूखाग्रस्त स्थित में रबी की फसलों में (चना, मसूर) पाला का प्रभाव दिख रहा है? क्या कृषकों को फसल नुकसानी सर्वे कार्य कराया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) रीवा जिले की सिरमौर विधानसभा अंतर्गत जवा विकासखण्ड में सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण खरीफ एवं रबी का फसल उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है। (ख) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में उक्त विकासखण्ड अन्तर्गत किसी भी ग्राम में रबी की फसलों में (चना, मसूर) पाला का कोई प्रभाव नहीं है। फसलों में पाला प्रभाव न होने के कारण फसल नुकसानी सर्वे कार्य कराने का कोई औचित्य नहीं है।

उपार्जन केन्द्रों में धान खरीद एवं भंडारण

88. (क्र. 2687) श्री नीलेश अवस्थी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले की पाटन विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वित्त वर्ष, 2014-15 में किन-किन उपार्जन केन्द्रों में कितनी-कितनी धान कितने कृषकों से खरीदी गई? (ख) प्रश्नांश (क) में उपार्जित धान का कितना-कितना भुगतान कृषकों को किस माध्यम से किया गया? एवं कितनी खरीद का भुगतान किन कारणों से शेष है? (ग) प्रदेश में उपार्जित अनाज के भण्डारन हेतु शासन के क्या नियम एवं मापदण्ड हैं? किस मापदण्ड के अनुसार वित्त वर्ष, 2014-15 में उपार्जित धान का संग्रहण/भण्डारन प्राईवेट वेयर हाऊसों में किया गया? (घ) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित

वर्ष में उपार्जित धान का जबलपुर जिले में भंडारन हेतु पहली प्राथमिकता, निकट के वेयरहाऊस में भण्डारन न कर दूर के वेयर हाऊस में किया गया? यहाँ तक की ओपन कैंप हाऊस भरे गये? इस संबंध में जबलपुर जिले के कुछ वेयर हाऊस संचालकों ने प्रशासन का ध्यान उत्कृष्ट कराया था? उत्तर में यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? धान के भण्डारन में शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले कर्मचारियों/ अधिकारियों पर शासन कब तक, क्या कार्यवाही करेगा?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) जबलपुर जिले की पाटन विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वित्त वर्ष 2014-15 में कुल 23 केन्द्रों में 6, 742 कृषकों से कुल 5, 96, 496 क्विंटल धान का उपार्जन किया गया। केन्द्रवार उपार्जन की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) विपणन वर्ष 2014-15 में पाटन विधानसभा क्षेत्रांतर्गत उपार्जित धान का भुगतान किसानों को करने हेतु विपणन संघ द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, जबलपुर को राशि रू. 211.76 करोड़ एवं 4 विपणन समितियों को राशि रू. 15.10 करोड़ कुल राशि रू. 226.86 करोड़ का भुगतान किया गया है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, जबलपुर द्वारा सेवा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से तथा विपणन समितियों द्वारा सीधे कृषकों को डीडी/एनईएफटी एवं बैंक खातों में उपार्जित मात्रा का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। खरीदी के विरूद्ध कृषकों का भुगतान शेष नहीं है। (ग) जी हाँ। उपार्जित खाद्यान्न के भंडारण हेतु मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन मुख्यालय, भोपाल द्वारा नियम एवं मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 2014-15 में प्रायवेट वेयरहाउसों में धान भंडारण के संबंध में निर्धारित मापदण्ड की प्रति **संलग्न परिशिष्ट-ब अनुसार** हैं। (घ) जबलपुर जिले में वर्ष 2014-15 में उपार्जित धान का भंडारण मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन मुख्यालय, भोपाल द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार किया गया है। जिले में ओपन केप में धान का भंडारण नहीं किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "बाईस"

अनुचित वसूली की कार्यवाही किये जाने के संबंध में

89. (क्र. 2742) श्री संजय पाठक : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ क्षेत्र की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में प्रचलित राशन कार्डों से अधिक वितरण के कारण अप्रैल 2007 से मार्च 2009 की अवधि का 19497773/- विक्रेताओं एवं समिति प्रबंधकों से वसूली निकाली गई है? (ख) क्या कि खाद्य नियंत्रक जबलपुर के जाँच प्रतिवेदन दिनाँक 30.11.2014 में कटनी जिले में जनवरी 07 से दिसम्बर 2013 के बीच कहीं भी राशन कार्ड से अधिक आवंटन नहीं पाया गया है? इस कारण प्रश्नांश (क) की जाँच एवं वसूली निराधार है? यदि हाँ तो जाँच प्रतिवेदन की प्रति दें? (ग) क्या अप्रैल 2007 से मार्च 2009 के बीच भी खाद्यान विभाग के अधिकारियों एवं द्वारा वितरण की लगातार जांच एवं निगरानी की गई है? (घ) क्या प्रश्नांश (ख) के तहत शिकायत

निराधार होने के बावजूद वसूली किया जाना गलत है? (ङ.) यदि हाँ, तो क्या शासन बिना कार्ड के वितरण को मान्य करते हुये प्रकरण समाप्त करेगा? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (ङ.) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>मनरेगा योजना के कार्यो में अनियमितता</u>

90. (क्र. 2768) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितनी राशि के कितने कार्य कितनी ग्राम पंचायतों में स्वीकृत किये गये? जनपदवार बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या पूर्ण कार्यो का मूल्यांकन कर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये हैं? यदि हाँ तो किन-किन अधिकारियों द्वारा कार्यो का स्थल निरीक्षण कर कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया, तथा क्या उपरोक्त सभी कार्य प्राक्कलन अनुसार पूर्ण व गुणवत्तायुक्त पाये गये? उक्त कार्यो का अंतिम भुगतान कितनी राशि का किया गया? (ग) क्या त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 की आचार संहिता प्रभावशील होने से मनरेगा के नवीन कार्यों एवं भुगतान पर शासन द्वारा रोक लगाई गई थी, लेकिन ब्यावरा विकासखण्ड में निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने के साथ ही लगभग शत प्रतिशत सरपंचों का परिवर्तन हो गया है जिससे पूर्व सरपंच, सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं मनरेगा के तकनीकी अधिकारियों से सांठगांठ कर मस्टर जारी करवाकर पूर्ण, अपूर्ण व गुणवत्ताहीन कार्यों का भारी कमीशन प्राप्त कर फर्जी मूल्यांकन कर लाखों रूपये की राशि की सामग्री के जाली बिल लगाकर पंचायतों को भुगतान किया जा रहा है? क्या शासन उक्त कार्यों के भुगतान पर रोक लगाते हुय उच्च स्तरीय जांच करवाऐगा? यदि हाँ तो कब तक?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जिला राजगढ़ में विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत राशि रू. 977.80 लाख के 4748 कार्य 132 ग्राम पंचायतों में स्वीकृत किये गये है। जनपदवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के अनुसार** है। (ख) प्रश्नांश (क) के कार्यो में से 123 कार्यो के अंतिम मूल्यांकन उपरांत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कराये गये। शेष 4625 कार्यो को पूर्ण होने पर मूल्यांकन उपरांत राशि भुगतान पश्चात पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होना है। संबंधित उपयंत्री सहायक यंत्री एवं एसडीओ आरईएस द्वारा समय-समय पर समस्त कार्यो के स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन किया गया। संलग्न **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम 6 एवं 7 अनुसार** है। (ग) त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 की आचार संहिता प्रभावशील होने से पूर्व ही अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता

से पूरा करने के लिये मनरेगा के नवीन कार्यों पर शासन के पत्र क्र. 6830 दिनाँक 24.09.2014 द्वारा रोक लगाई गई थी। किंतु भुगतान पर कोई रोक नहीं है। ग्राम पंचायत से मस्टर की डिमांड प्राप्त होने पर नियमानुसार मस्टर जारी किये गये है। उपयंत्रियों के मूल्यांकन को ए.ई. मनरेगा व एसडीओ आरईएस द्वारा सत्यापन किया। अतः फर्जी मूल्यांकन नहीं हुआ है। शासन से प्राप्त निर्देशानुसार मजदूरी/सामग्री का भुगतान किया जाता है एवं सामग्री के देयको का उपयंत्री के सत्यापन पश्चात भुगतान वेन्डरों के खाते में एफटीओ के माध्यम से किया जाता है न कि ग्राम पंचायतों को भुगतान किया गया है। फर्जी मूल्यांकन एवं जाली बिल लगाकर भुगतान किए जाने का प्रकरण संज्ञान में नहीं होने से जांच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>ब्यावरा शहर में अतिरिक्त गैस एजेंसी स्वीकृति हेतु कार्यवाही</u>

91. (क्र. 2769) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ के नगर ब्यावरा की वर्तमान जनसंख्या जनगणना वर्ष 2011 के मान से 50 हजार दर्ज है, जो प्रश्न दिनाँक तक बढ़कर 65 हजार से अधिक हो चुकी है? (ख) यदि हाँ तो क्या ब्यावरा नगर में एक मात्र एच.पी. गैस एजेंसी कार्यरत है? क्या शासन द्वारा समस्या के समाधान हेतु शीघ्र अतिरिक्त गैस एजेंसी की स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो क्या और कब तक?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) राजगढ जिले के ब्यावरा नगर की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 59, 689 है। इसके पश्चात् अधिकृत रूप से जनगणना नहीं होने के कारण वर्तमान में ब्यावरा नगर की जनसंख्या बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ, नवीन गैस एजेंसी स्वीकृति पेट्रोलियम कंपनियों का निर्णय होता है और राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की कार्यवाही नहीं की जाती है।

<u>विधान सभा क्षेत्र अमरवाड़ा में सड़क निर्माण</u>

92. (क्र. 2795) श्री कमलेश शाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र अमरवाड़ा में निम्न लिंक रोड की स्वीकृति कब तक प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत दी जावेगी? (1) भट्टी से चंदेली (2) मेन रोड से इंद्रा कालोनी से धनोदा (3) सुदली से सिद्धबाबा (4) मंत्रीठाणा से कोटवर्श रातामाटी (5) मेन रोड से तुईयापानी (6) गोदपानी से गोरखपुर, आदेगांव (7) मेन रोड से बाठांबोह, राजठाणा (8) सुरखापाला से बंधानी (9) सिंगौड़ी से मंदौरी (10) मेनरोड से राहीवाली बस्ती (11) घाघरा से कोतिहया (12) नंदौरी से घवईठामी? (ख) इन्हें कब तक स्वीकृत किया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप है। अतः योजनान्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्तावित नहीं

किया जा सकता। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य मे प्रश्न उपस्थित नहीं होता। छिन्दवाड़ा जिले के स्वीकृत कोरनेटवर्क में नहीं है।

नगर पालिका परिषद पथरिया में राशन वितरण

93. (क्र. 2828) श्री लखन पटेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में नगर पालिका परिषद पथरिया के अंतर्गत राशन (गेहूँ/चावल) वितरण हेतु पर्चियां वितरण का कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ? (ख) पथरिया में वर्ष 2013-14 में प्रत्येक माह में कितना-कितना आवंटन वितरण हेतु प्राप्त हुआ? (ग) प्रत्येक माह में वितरण (गेहूँ/चावल) हेतु कितनी-कितनी उपभोक्ताओं को पर्चियां बांटी गई? (घ) यदि आवंटन से अधिक या कम मात्रा में पर्चियां वितरण की गई तो दोषी कौन हैं?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) दमोह जिले की पथरिया नगर पालिका परिषद् में पात्र परिवारों को 02 मार्च, 2014 से पात्रता पर्ची वितरण प्रारम्भ किया गया है। (ख) पथरिया नगर परिषद् के पात्र परिवारों हेतु वर्ष 2013-14 में आवंटित खाद्यान्न की माहवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) माह फरवरी, 2014 तक उपभोक्ताओं को राशनकार्ड के आधार पर सामग्री का वितरण किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के क्रियान्वयन के फलस्वरूप माह मार्च, 2014 में नगर परिषद्, पथरिया में 4, 642 पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची का वितरण किया गया है। (घ) आवंटन पात्रता पर्ची की संख्या के आधार पर ही जारी होता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट -''तेईस''

नियम विरूद्ध दैनिक वेतन पर नियुक्ति

94. (क्र. 2829) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्या. भिण्ड के अन्तर्गत शाखा मिहोना, रौन एवं दबोह के अंतर्गत वर्ष 2007 से प्रश्न दिनाँक तक किन-किन सेवा सहकारी संस्थाओं में सहायक समिति प्रबंधक/प्रबंधक/सेल्समेन/चौकीदार के पद पर किन-किन व्यक्तियों को कितने-कितने वेतन पर कब-कब से नियुक्त किया गया अथवा दैनिक वेतन पर रखा गया? (ख) क्या उक्त नियुक्तियां सेवा भर्ती नियमों के तहत की गई है? यदि नहीं तो नियम विरूद्ध नियुक्तियां करने वाले संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही कर की गई भुगतान की राशि वसूल की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या प्राथमिक सेवा सहकारी संस्था जैतपुरागुढ़ा के समिति प्रबंधक ने नियम विरूद्ध मनमाने तरीके से अपने चाचा को अवैधानिक तरीके से संस्था का अध्यक्ष एवं तीनों पुत्रों को संस्था में सेल्समेन तथा चौकीदार के पदों पर नियुक्तियां की गई

है? (घ) यदि हाँ तो समिति प्रबंधक के विरूद्ध उक्त अवैधानिक कृत्य के विरूद्ध किन-किन व्यक्तियों द्वारा कब-कब शाखा प्रबंधक मिहोना, महाप्रबंधक केन्द्रीय सहकारी बैंक भिण्ड, उप आयुक्त सहकारिता, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लहार को शिकायतें की गई है? उन शिकायतों की जांच किस-किस स्तर के अधिकारियों से कब-कब कराई गई? (ङ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में समिति प्रबंधक जैतपुरा गुढ़ा के विरूद्ध अभी तक कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही कर अवैधानिक तरीके से नियुक्त संस्था अध्यक्ष, सैल्समेन चौकीदार को कब तक हटाकर राशि की वसूली एवं अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा? यदि हाँ तो कब तक?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.** (ख) जांच के आदेश दिये गये हैं, समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है. जांच निष्कर्षाधीन. (ग) जांच के आदेश दिये गये हैं, समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (घ) सहायक समिति प्रबंधक एवं संस्था प्रबंधन के विरूद्ध दिनाँक 27.10.2010, दिनाँक 06.01.2011 एवं दिनाँक02.01.2012 को श्री संतोष सिंह रजावत के नाम से तीन शिकायतें कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला भिंड को प्राप्त हुई थी. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लहार, शाखा प्रबंधक, मिहोना एवं महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, भिंड को शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं. शिकायत की जांच कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला भिंड द्वारा दिनाँक 01.02.2011 को नियुक्त कमेटी से कराई गई. (ङ) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, जैतपुरा गुढ़ा के आदेश दिनाँक 23.02.2015 से श्री कैलाश नारायण पाठक, सहायक समिति प्रबंधक, श्री प्रवीण पाठक, चौकीदार, श्री सुनील पाठक, विक्रेता, श्री संजीव पाठक, सहायक समिति प्रबंधक को सेवा पृथक कर दिया गया है. शेष कार्यवाही जांच निष्कर्षाधीन. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

परिशिष्ट –''चौबीस''

लहचुरा सोसायटी भिण्ड में ऋण माफी/राहत योजना में अनियमितता

95. (क्र. 2830) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लहचुरा सोसायटी भिण्ड मे ऋण माफी/ऋण राहत योजना में आर्थिक अनियमित्ताओं की जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये हैं और उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या उक्त प्रकरण में अपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने हेतु महानिरीक्षक पुलिस चंबल रेंज एवं कलेक्टर भिण्ड को दिनाँक 16.7.2012 को पत्र लिखा गया था? (ग) यदि हाँ, तो किन-किन के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये? यदि नहीं तो क्यों? जबकि इसी प्रकृति के प्रकरण में होशंगाबाद, हरदा जिले में अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है? (घ) उक्त प्रकरण के किन-किन आरोपी/दोषी को पुन: भिण्ड में किन-किन कारणों से पदस्थ किया गया है और उन्हें कब तक हटाया जायेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.** (ख) जी हाँ. (ग) श्री रामसिया चौरसिया, समिति प्रबंधक एवं श्री कृष्णस्वरूप श्रीवास्तव, पर्यवेक्षक के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है. शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है. (घ) श्री बल्देव सिंह यादव, उप यंत्री एवं तत्कालीन प्रभारी शाखा प्रबंधक को एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया है. श्री बल्देव सिंह यादव का मूल पद उप यंत्री बैंक मुख्यालय में ही होने से, इन्हें बैंक मुख्यालय भिंड में पदस्थ किया गया है, शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है.

<u>**परिशिष्ट –"पच्चीस"**</u>

प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण

96. (क्र. 2871) श्री नथनशाह कवरेती : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विगत पॉच वर्षो में कितनी सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है? किस-किस ठेकेदार द्वारा कौन-कौन सी सड़कों को बनाने के लिए टेंडर दिए गए थे, नाम सहित बतायें? (ख) यदि मापदण्डों का ठेकेदार द्वारा पालन नहीं किया गया है और समय सीमा में कार्य नहीं कराया गया है, तो इसके लिए कौन-कौन ठेकेदार जिम्मेवार है? इसकी जांच कराई जायेगी और गुणवत्ता पूर्ण तथा समय सीमा में कार्य नहीं करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो समय सीमा बतायें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) छिन्दवाडा जिले के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विगत पॉच वर्षो में 304 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। **(**ख) प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत निर्धारित मापदण्डानुसार गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण कराया गया है। समय-सीमा में कार्य नहीं करने वाले ठेकेदारों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत जिला स्तर पर कन्सलटेन्ट एवं विभागीय अधिकारी/कर्मचारी, राज्य स्तर पर स्टेट क्वॉलिटी मॉनीटर एवं वरिष्ठ अधिकारी एवं राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल क्वॉलिटी मॉनीटर द्वारा निर्माण कार्यो का सतत् निरीक्षण कर गुणवत्ता की जाँच की जा रही है। समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने हेतु उत्तरदायी ठेकेदारों के विरूद्ध अनुबंधानुसार अर्थदण्ड हेतु कार्यवाही की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

धान उत्पादन योजना में अनुदान वितरण

97. (क्र. 2884) श्री महेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में किसानों के हित में कौन-कौन सी योजनाऐं संचालित है?

हितग्राहियों को अनुदान की क्या पात्रता है? धान उत्पादन योजनान्तर्गत कृषकों को अनुदान की क्या पात्रता है? खरीफ 2014 में विकासखंडवार लाभांवित हितग्राहियों की संख्या बताये? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित धान उत्पादन योजना में अनुदान देने में क्या बड़े पैमाने पर अनियमितता की गई? यदि हाँ तो क्या? (ग) वर्ष 2014-15 में किसानों को धान का बीज देने हेतु विभाग द्वारा क्रय किया गया एवं जिले के कितने किसानो को बीज अनुदान पर दिया गया किसानों को बीज देने का प्रावधान क्या है? (घ) जो बीज हितग्राहियों को दिया गया है क्या उसके खराब होने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि खराब बीज दिया गया है उस पर क्या कार्यवाही की गई? बीज क्रय में की गई अनियमितताओं की जांच कराकर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) पन्ना जिले में किसानों के हित में संचालित योजनाओं एवं हितग्राहियों को अनुदान की पात्रता की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार** है, पृथक धान उत्पादन योजना जिले में लागू नहीं है धान से संबंधित जिन योजनाओं जैसे (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन धान, अन्नपूर्णा, बीज ग्राम) में लाभान्वित किये गये हितग्राहियों की विकास खंडवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार** है। (ख) जिले में धान उत्पादन योजना लागू नहीं है। धान से संबंधित योजनाओं जैसे (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, अन्नपूर्णा, बीज ग्राम) में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई। (ग) वर्ष 2014-15 में किसानों को धान का बीज देने हेतु शासन द्वारा निर्धारित संस्थाओं से 1135.10 क्विंटल बीज जिले के 5420 किसानों को बीज उत्पादन पर प्रदाय कराया गया। कृषकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन धान अंतर्गत 50 प्रतिशत अनुदान पर अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत 75 प्रतिशत अनुदान पर तथा बीज ग्राम योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत अनुदान पर बीज देने का प्रावधान है। (घ) जो बीज हितग्राहियों को दिया गया है उसके खराब होने की शिकायत कृषकों से प्राप्त नहीं हुई है, और न ही बीज प्रदाय में किसी भी प्रकार की अनिमियतता परिलक्षित हुई है। अत: जाँच का प्रश्न ही नहीं है।

<u>मुख्यमंत्री सड़क योजना में स्वीकृत सड़कों की जांच</u>

98. (क्र. 2892) श्री महेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुनौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री सड़क योजना से कौन-कौन सी रोडे स्वीकृत की गई, प्रारंभ से अब तक की जानकारी बतावें? (ख) स्वीकृत रोडों में से पूर्व में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है और कब-कब निर्मित कराई गई है विगत पांच वर्षों की जानकारी बतावें? मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत जो कार्य वर्तमान में किये जा रहे हैं में कितनी राशि स्वीकृत है, तथा कितना खर्च किया गया है, रोडवार जानकारी बतावें? (ग) उक्त योजना से रोड, टेंडर के माध्यम से अथवा विभागीय कार्य कराये जा रहे हैं रोड व ग्रामवार बतावें? उपयोग की

गई सामग्री मुरम, बालू व पत्थर की स्वीकृति ली गई यदि हाँ तो स्वीकृत स्थानवार बतावें? क्या यह सही नहीं है कि जो रोडें मुख्यमंत्री सड़क योजना में चयन की गई है उनमें से पूर्व में विभाग द्वारा कार्य कराकर मूल्यांकन राशि आहरित की जा चुकी है? (घ) उसी रोड को मुख्यमंत्री सड़क योजना द्वारा निर्माण न कराकर पुन: उसी का मूल्यांकन कराकर राशि हड़प ली गई है ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध जांच मौके पर संयुक्त दल से निरीक्षण कराकर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) विगत 05 वर्षो में इन सड़कों पर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अतिरिक्त कोई राशि व्यय नहीं की गई। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। मुरूम, बालू, पत्थर आदि निर्माण सामग्री स्थानीय स्तर से एकत्रित कर निर्माण में उपयोग की गई। सामग्री किस स्थान से ठेकेदार द्वारा ली गई है, इसका अभिलेख संधारित नही है। ठेकेदारों के देयकों से रायल्टी की राशि नियमानुसार काटी गई। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत कार्य प्रारंभ होने के पूर्व जिन सड़कों पर पंचायतों/अन्य एजेंसी द्वारा कार्य कराया गया है, प्रारंभिक लेविल लेकर उस कार्य की मात्रा को घटाया जाकर ही स्वीकृति जारी की गई है एवं भुगतान किया गया है। (घ) जी नहीं, उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "छब्बीस"

ओलावृष्टि से गेंहूँ एवं चने की फसल को नुकसान

99. (क्र. 2911) श्रीमती नीना वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गतवर्ष रबी की फसल के दौरान औलावृष्टि से धार तहसील में गेंहूँ एवं चने की फसल को नुकसान हुआ था तथा फसल नष्ट हो गई थी? (ख) क्या उक्त फसलों का सहकारी समितियां तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बीमा राशि किसानों से काटी गई थी? (ग) यदि हाँ तो क्या उपरोक्त बैंकों तथा सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा बीमा कम्पनियों से किसानों को बीमा राशि का भुगतान करवाया गया या नहीं? यदि करवाया गया तो कुल कितनी-कितनी राशि बैंकवार एवं पटवारी हल्कावार दी गई?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी 2013-14 मौसम के लिये क्षतिपूर्ति दावा गणना का कार्य प्रक्रियाधीन है। (ख) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत धार जिले की बैंकवार, पटवारी हल्कावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के अनुसार** है। (ग) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वर्ष 2013-14 मौसम रबी क्षतिपूर्ति का कार्य प्रक्रियाधीन है।

परफारमेंस ग्रांट फंड की राशि का उपयोग

100. (क्र. 2916) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परफारमेंस ग्रांट में कोई भी कार्य करवाये जा सकते हैं? (ख) यदि नहीं तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार द्वारा ग्राम पंचायतों को किन नियमों व प्रावधान के तहत टेंकर प्रदाय किये गये हैं? (ग) क्या एम.पी.एग्रो धार टेंकर प्रदाय करने हेतु एजेंसी नियत की गई थी? यदि हाँ तो क्या एम.पी.एग्रो धार टेंकर उत्पादन करता है? नहीं तो इस अनियमितता के लिए कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी उत्तरदायी है, तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। पंचायत की आवश्यकता एवं परफॉरमेंस ग्रांट से स्वीकृत किये जाने वाले कार्यो की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार**। (ख) जी हाँ। 13वें वित्त आयोग की कार्य योजना वर्ष 2010-2015 के बिन्दु क्र. 4.3.3 जल परिवहन का कार्य अंतर्गत ग्राम पंचायत में जल परिवहन कर उपलब्ध कराने की व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है। म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. एफ 2-4/2012/22/पं.-1/दि0 18.01.2013 में दिए गए निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन समिति बैठक दिनाँक 06.01.2014 में किए गए अनुमोदन अनुसार 13वें वित्त आयोग की कार्ययोजना में दिए गए प्रावधान अनुसार एम.पी.एग्रो के माध्यम से भण्डार क्रय नियमानुसार ग्राम पंचायतों को टेंकर प्रदाय किये गये। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार**। (ग) जी हाँ। जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति बैठक दिनाँक 06.01.2014 में अनुमोदन अनुसार एम.पी.एग्रो धार को टेंकर प्रदाय करने हेतु एजेंसी नियुक्त की गयी थी। एम.पी.एग्रो धार टेंकर का उत्पादन नहीं करता, अपितु आपूर्ति कराता है। म.प्र. भंडार क्रय नियमों में स्थानीय शासन विभाग के आदेश क्र. 459/1190/स./18/2/31 दिनाँक 03.02.1982 अनुसार स्थानीय निकायों द्वारा वस्तुओं, मशीनरी इत्यादि की सहकारी खरीदने बाबत नियम अंतर्गत स्थानीय निकायों के उपयोग में आने वाली विभिन्न वस्तुओं का क्रय सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डारों/विपणन सहकारी संस्थाओं, लघु उद्योग निगम, म.प्र.एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन के माध्यम से खरीदने के निर्देश दिए गए है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार**। नियमानुसार क्रय प्रक्रिया की जाने से कोई भी अनियमितता नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>पंचायत भवन/कक्ष का निमार्ण</u>

101. (क्र. 2917) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ई पंचायत फेब्रीकेट्स भवन/कक्ष धार जिले में बनाये गये हैं? (ख) यदि हाँ तो कितने भवन/कक्ष किस कंपनी द्वारा तैयार किये गये है? क्या कंपनी को तैयार भवन/कक्ष की राशि का भुगतान कर दिया गया है? (ग) यदि हाँ तो क्या उनका मूल्यांकन करवाया गया है? क्या पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये गये हैं? क्या फिटनेस प्रमाण-पत्र कंपनी से प्राप्त किए गए

हैं? (घ) यदि नहीं तो किस आधार पर राशि जारी की गई है, तथा इस प्रकार की अनियमितता के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है, तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। (ख) मेसर्स सटेक इन्वायर, इंजीनियर इंडिया प्रा. लि. मुम्बई द्वारा धार जिले में 47 स्थानों पर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं एवं 2 स्थानों पर कार्य पूर्ण किये गये हैं। पूर्ण किये गये भवनों का भुगतान नियमानुसार कंपनी को किया गया है। (ग) हाँ भवन का मूल्यांकन किया गया है। भवन के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र हस्तांतरण एवं फिटनेस प्रपत्र प्राप्त किये गये हैं। (घ) किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हुई है तथा भुगतान शासन के नियमानुसार किया गया है। ''निरंक''

जबलपुर जिले में धान का उपार्जन

102. (क्र. 2943) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष, 2014-15 में जबलपुर जिले में क्रय केन्द्रवार कितनी धान का उपार्जन/ क्रय किया गया? धान क्रय में अनियमितताओं, बारदाना न मिलने एवं समय पर उठाव नहीं होने से वर्षा से कितनी धान क्षतिग्रस्त हुयी? केन्द्रवार विवरण दें? क्रय की गयी धान का किसानों का कितना भुगतान कर दिया गया? कितना भुगतान शेष है? किसानों का शेष भुगतान कब तक किया जावेगा? वर्षा से क्षतिग्रस्त धान के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है? (ख) उपरोक्त अवधि में जिले में क्रय की गयी धान में से कितनी धान भण्डार गृहों तक पहुंची है? क्रय की गयी धान की मात्रा एवं भण्डार गृहों में पहुंची धान की मात्रा में कितना अंतर है, शेष धान कहाँ है?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

किसानों को खाद (उर्वरक) का प्रदाय

103. (क्र. 2944) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में 01 अप्रैल 2014 से अभी तक रबी और खरीफ की फसलों हेतु सरकारी समितियों में उर्वरक की कितनी-कितनी मात्रा में मांग थी? उर्वरकवार जानकारी देवें? (ख) उक्त अवधि में सहकारी समितियों मे कितनी-कितनी मात्रा में खाद उर्वरक उपलब्ध कराया गया, खरीफ एवं रबी की जानकारी पृथक-पृथक देवें? (ग) बरगी विधानसभा क्षेत्र के खाद विक्रय केन्द्रों की जानकारी दें? समय पर किसानों तक खाद नहीं पहुंचने के लिए जिले के कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जबलपुर जिले में सहकारी समितियों में खरीफ 2014 में 28640 एवं रबी 2014-15 में 47491 मेट्रिक टन उर्वरक वितरण के लक्ष्य है। उर्वरकवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र - एक अनुसार** है। **(ख)** सहकारी समितियों

में खरीफ 2014 में 15926 मेट्रिक टन एवं रबी 2014-15 में 26615 मेट्रिक टन उर्वरक का भंडारण कराया गया। उर्वरकवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र - दो अनुसार** है। **(ग)** बरगी विधान सभा क्षेत्र के उर्वरक विक्रय केन्द्रों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र - तीन अनुसार** हैं। उर्वरक की उपलब्धता अनुसार किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "सत्ताईस"

फर्जी अनुज्ञा पत्रों की जांच

104. (क्र. 3021) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014 में 11 मंडियों में फर्जी अनुज्ञा पत्र मामले की विशेष आडिट टीम द्वारा जो जांच कराई गई थी? इसकी जांच E.O.W से कब तक कराकर संबंधित फर्मो/व्यक्तियों तथा इनका साथ देने वाले संबंधित मंडी कर्मचारियों/अधिकारियों पर कार्यवाही कर टैक्स चोरी की राशि वसूल की जावेगी? समय सीमा बतावें? इन मंडी कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित बतावें? (ख) पूजा सोया इंडस्ट्रीज रतलाम एवं धनलक्ष्मी सालवेक्स प्रा.लि. देवास, शाजापुर, करेली, हरदा द्वारा 01.01.2011 से 30.06.2014 तक फर्जी अनुज्ञा पत्रों से टैक्स चोरी की जांच कब तक कराई जाएगी? (ग) (ख) अनुसार फर्जी अनुज्ञा पत्रों के कार्य में लिप्त संबंधित मंडी कर्मचारियों/अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ। इस प्रकरण में म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड स्तर पर प्रारंभिक जाँच के उपरांत म.प्र. शासन समान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 31 दिनाँक 05.01.2015 से यह मामला महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल को विस्तृत जाँच हेतु सौंपा जा चुका है, जिसकी जाँच पूर्ण होने पर आर्थिक हानि एवं इसमें संलिप्त दोषी व्यक्तियों की वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सकेंगी, तदोपरांत बकाया मंडी फीस आदि के वसूली की कार्यवाही हो सकेगी जिसके लिये समय-सीमा बताया जाना संभव नही है। तदापि म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के स्तर पर हुई प्रारंभिक जाँच में प्रथमदृष्टया: दोषी पाये अधिकारी कर्मचारियों की वांछित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** पूजा सोया इंडस्ट्रीज रतलाम एवं धनलक्ष्मी सालवेक्स प्रा.लि. देवास, शाजापुर में दिनाँक 01.01.2011 से दिनाँक 30.06.2014 तक छूट हेतु प्रस्तुत अनुज्ञा पत्रों की जांच प्रचलन में है। फर्म पूजा सोया इण्डस्ट्रीज रतलाम द्वारा कृषि उपज मंडी समिति करेली एवं हरदा से अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं की गई है और न ही इनके फर्जी अनुज्ञा पत्र पाये गये है। फर्म धनलक्ष्मी सालवेक्स प्रा.लि. द्वारा कृषि उपज मंडी समिति करेली में दिनाँक 10.10.2007 एवं कृषि उपज मंडी समिति हरदा में दिनाँक 07.11.2009 से अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई है उक्त फर्म के फर्जी अनुज्ञा पत्र जारी होना एवं जमा होना नही पाया गया है। (ग) उत्तरांश "ख" अनुसार वर्तमान

में प्रश्नाधीन मामला को जांच प्रक्रियाधीन है जिसके जांच निष्कर्ष के आधार पर नियम अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी, अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नही है।

परिशिष्ट – "अट्ठाईस"

रायसेन जिले में सामुदायिक भवन की स्वीकृति

105. (क्र. 3025) श्री रामकिशन पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में 1 जनवरी, 2013 से प्रश्न दिनाँक तक कितने सामुदायिक भवन स्वीकृत हैं? विधानसभावार/जनपद पंचायतवार जानकारी दें? उक्त कार्य की स्वीकृति हेतु शासन द्वारा क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं? क्या निर्धारित मापदण्डों के आधार पर ही स्वीकृति प्रदान की गई है? स्वीकृति आदेश की प्रतियां देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कार्य की स्वीकृति दिनाँक व राशि, कार्य प्रारंभ व पूर्ण होने कि निर्धारित समयावधि एवं दिनाँक, वर्तमान में कार्य की स्थिति क्या है? यदि अपूर्ण है तो क्या कारण है? कार्य समय-सीमा में पूर्ण न होने पर विभाग द्वारा कि गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) रायसेन जिले में 1 जनवरी, 2013 से वर्तमान तक 29 सामुदायिक भवन स्वीकृत है। विधानसभा वार/जनपद पंचायतवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार**। उपरोक्त सामुदायिक भवन शासन मापदण्ड अनुसार ही स्वीकृत किये गये है। स्वीकृत आदेश की छाया प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में** रखे **परिशिष्ट-'अ' के कॉलम 06, 07, 08 एवं 10 अनुसार**। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' के कॉलम 11 अनुसार**। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' के कॉलम 12 अनुसार**।

कपिलधारा कूप निर्माण में अनियमितता

106. (क्र. 3074) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी विभाग खरगोन में कृषि विस्तार अधिकारी के नवीन सेटअप अनुसार कितने पद स्वीकृत हैं? (वर्ष 2008 से 2013-14 तक केन्द्रवार पदस्थ सर्वेयर एवं कृषि विकास अधिकारी के नाम सहित जानकारी देवें)? (ख) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किन-किन कृषि विकास अधिकारी केन्द्रों एवं विकासखंडों में कपिलधारा कूपों का निर्माण कार्य करवाया गया है? कृपया निर्माणकता कर्मचारी/अधिकारी के नाम सहित कार्यवार सूची दी जावें? (ग) क्या यह सही है कि कपिलधारा कूपों में सर्वेयरों (तकनीकी अधिकारी) के माध्यम से कार्य न कराते हुए गैर तकनीकी अधिकारी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के माध्यम से कूप निर्माण कार्य कराया जाकर व्हाउचर्स तथा माप पुस्तिका में हस्ताक्षर करवाये गये? क्या यह नियमानुसार कार्य हैं नहीं तो दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही हो सकती है? (घ) क्या इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो जांच में क्या पाया गया?

क्या अपूर्ण कूप निर्माण तथा गुणवत्ताविहीन कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के विरूद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही की गई?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी विभाग खरगोन में नवीन सेटअप अनुसार कृषि विकास अधिकारी के 4 पद स्वीकृत है। वर्ष 2008 से 2013-14 तक केंद्रवार पदस्थ कृषि विकास अधिकारी एवं सर्वेयर के नाम सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब, स अनुसार** है। (ग) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र भीकनगांव के अंतर्गत विकासखंड भीकनगांव में कपिलधारा कूपों का निर्माण कार्य वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (प्रशिक्षित भूमि संरक्षण) के द्वारा संपादित कराया गया है, केवल मस्टर पर संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा मजदूरों की उपस्थिति को सत्यापित करने के हस्ताक्षर किये गये है। व्हाउचर्स तथा माप पुस्तिका पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये है। कार्य का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन तकनीकी एवं प्रशिक्षित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं कृषि विकास अधिकारी द्वारा किया जाकर माप पुस्तिका में इन्द्राज किया गया है, जो कि नियमानुसार है। अत: दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता। (घ) इस संबंध में विभाग में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं है एवं कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराये गये है।

<u>प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्माण</u>

107. (क्र. 3083) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत दतिया- मौ रोड से अजनार, मड़ोरी तक एवं दतिया-मौ रोड से गुमानपुरा एवं भीकमपुरा तक कोई सड़क का निर्माण किया गया है? यदि हाँ, तो कब, किस दिनाँक को विज्ञप्ति निकाली गई? कब निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, निर्माण एजेंसी कौन रही? कार्य कब पूर्ण हुआ, कार्य पूर्ण होने के दिनाँक से कितने वर्षों की गांरटी ठेकेदार द्वारा दी गई जानकारी उपलब्ध कराई जावें? (ख) कंडिका (क) में वर्णित तीनों मार्ग क्या वर्तमान में चलने योग्य हैं? यदि हाँ, तो राज्य से एक उच्च स्तरीय टीम भेजकर मार्गो की जांच कराई जावे? यदि नहीं तो क्या कारण रहा कि कार्यपूर्ण होने के कुछ समय बाद ही उक्त तीनों सड़कें पूर्ण रूप से उखड गई? उनके लिये कौन-कैन जिम्मेदार है? वरि. अधिकारियों द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया? दोषियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई जानकारी उपलब्ध कराई जावें? (ग) क्या यह सत्य है कि रेत के अवैध उत्खनन एवं ओवर लोडिंग के कारण उक्त तीनों सड़ाकें बनने के एक वर्ष के अन्दर ही नष्ट हो गई हैं? यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा सड़क निर्माण में खर्च करोड़ों रूपये के नुकसान की भरपाई खनिज निगम या उन दोषी अधिकारियों से की जायेगी इस ओवर लोडिंग के कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त हैं? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित तीनों मार्गों में गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है? मार्ग में घटिया किस्म का निर्माण किया गया फलस्वरूप मार्ग ध्वस्त हो गया?

क्या इसकी जांच कराई जावेंगी? जांच में दोषी पाये जाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी या नहीं? अवगत कराया जावें।

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नही। दतिया-मौ रोड से अजनार, मड़ोरी तक में अजनार से मड़ोरी अंश भाग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से कराया गया है। रोड का शेष भाग दतिया-मौ रोड से मड़ोरी तक का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से नही कराया गया। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है।** (ख) जी हाँ। विभागीय अधिकारी/कर्मचारी एवं स्टेट क्वालिटी मॉनीटर द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है अतः पृथक से जांच की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नांश की सड़क दतिया-मौ रोड से भीकमपुर रेत परिवहन के भारी वाहनों से अंश भाग में क्षतिग्रस्त हुयी है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (**ग) प्रश्नांश (क) की रोड दतिया-मौ रोड से भीकमपुरा रेत परिवहन की ओवर लोडिंग से आंशिक भाग में क्षतिग्रस्त हुयी है। इसकी मरम्मत की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "उनतीस"

ग्राम पंचायतों द्वारा वित्तीय अनियमितता के तहत कार्यवाही

108. (क्र. 3109) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों द्वारा वित्तीय अनियमितता किये जाने पर म.प्र. शासन पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 एवं धारा 92 के तहत कार्यवाही की जाती है? (ख) क्या यह भी सही है कि धारा 40 एवं धारा 92 के प्रकरणों में 90 दिन और अधिकतम 120 दिन में प्रकरण निर्णित किये जाने का प्रावधान है? (ग) यदि प्रश्नांश (क) व (ख) सही है, तो जिला सतना के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के न्यायालयों में म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 एवं 92 के तहत कितने प्रकरण 120 दिन से अधिक समय से लंबित है? जिले का पूर्ण विवरण उपलब्ध करावें? (घ) प्रकरण दायर होने के 120 दिन से अधिक समय से चल रहे प्रकरण मामले में शासन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पर क्या कार्यवाही करेगा या फिर औचित्य न होने पर पंचायतराज अधिनियम की धारा 40 एवं 92 को समाप्त किया जावेगा? समय सीमा दें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 में 120 दिन तथा धारा 92 में छः माह की अवधि में प्रकरण का निराकरण किये जाने का प्रावधान है। (ग) उत्तर

प्रश्नांश 'ख' अनुसार तथा **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' एवं परिशिष्ट 'ब' अनुसार**। (घ) प्रकरण का गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जा रही है तथा अनुविभागीय अधिकारी के विरुद्ध आयुक्त रीवा को अवगत कराया गया है।

कृषि विकास के कार्य एवं क्रियान्वयन एजेन्सियां

109. (क्र. 3119) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा कृषि को उन्नत करने एवं किसानों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं बनाई जाकर उन पर कार्य किये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो रतलाम जिला अन्तर्गत वर्तमान में किन-किन योजनाओं/परियोजनाओं का क्रियान्वयन शासन/विभाग एन.जी.ओ. एवं अन्य विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है? (ग) उपरोक्त योजनाओं हेतु वर्तमान में बजट स्वीकृत होकर क्या कार्य कराये गये? कितना आंवटन प्राप्त हुआ? तथा कितने कार्य अपूर्ण रहें? (घ) उपरोक्त माध्यमों से क्रियान्वित योजनाओं, में आवंटन व्यय वर्ष 2010-11 से लेकर प्रश्न दिनाँक तक की स्थिति से अवगत करावें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ। (ख) रतलाम जिले में संचालित विभागीय योजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार** है एवं आत्मा योजनान्तगर्त एन.जी.ओ. एवं अन्य एजेन्सियों के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है उसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार** है। (ग) वर्ष 2014-15 में रतलाम जिले में उपरोक्त सभी प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत अब तक प्राप्त बजट 787.48 लाख रूपये प्राप्त हुआ जिसमें 472.00 लाख रूपये व्यय हुआ। वर्ष 2014-15 में किये गये कार्यो की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र तीन अनुसार** है।। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र चार अनुसार** है।

ग्रामीण क्षेत्रों में किये जाने वाले कार्य

110. (क्र. 3120) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा ग्रामीण विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनेक कार्य जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, प्रधानमंत्री सड़क विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग इत्यादि के माध्यम से क्रियान्वयन हो रहा है? (ख) यदि हाँ, तो जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013 से लेकर प्रश्न दिनाँक तक उपरोक्त माध्यमों से किये गये कार्यों की स्वीकृति दिनाँक, व्यय का विवरण दें? (ग) उपरोक्त वर्षों में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की पूर्णता एवं कार्यों की अपूर्णता की स्थिति को स्पष्ट करते हुए प्राप्त शिकायतों की स्थिति स्पष्ट करें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। (ख) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013 से लेकर प्रश्न दिनाँक तक उपरोक्त माध्यमों से किये गये कार्यों की स्वीकृति दिनाँक

व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** हैं। (ग) उपरोक्त वर्षों में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की पूर्णता एवं कार्यों की अपूर्णता की स्थिति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** हैं एवं शिकायतों की स्थिति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** हैं।

बी.पी.एल. कार्ड का अनुचित लाभ लेने पर कार्यवाही

111. (क्र. 3145) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि. अता. प्रश्न संख्या-29 (क्रमांक 316) दिनाँक 08.12.2014 के अनुसार बी.पी.एल कार्ड का अनुचित लाभ लेने के संबंध में दिनाँक 12.06.2014 को एफ.आई.आर. दर्ज होने के पश्चात भी आज दिनाँक तक चालान पेश न होने के क्या कारण है? अनुसंधान कब तक चलेगा? क्या-क्या साक्ष्य पाये गये एवं कौन-कौन दोषी हैं? (ख) वसूली की राशि कुल कितनी थी अभी कितनी शेष है, एवं बची हुई राशि कब तक वसूली की जाकर जमा करायी जावेगी? समय-सीमा भी बताएं एवं दोषी आरोपी पर क्या दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी? आरोपी को अभी तक गिरफ्तार न किये जाने का क्या कारण है? (ग) क्या यह सही है कि एस.डी.एम. पाली, जिला-उमरिया द्वारा उक्त प्रकरण पर कार्यवाही न किये जाने का दबाव पुलिस अधिकारियों पर बनाया जा रहा है? (घ) उक्त प्रश्न (क) एवं प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) बीपीएल कार्ड पर अनुचित लाभ लेने के संबंध में प्रकरण कायम किया जाकर मामला अनुसंधान में है। आरोपी के विरूद्ध विधिवत साक्ष्य एकत्रित किए जाकर माननीय न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा। साक्ष्य एकत्रित करने में अभी समय लग रहा है। अनुसंधान पूरा होने पर कौन दोषी है इसका खुलासा हो सकेगा। (ख) आरोपी से राशि रू. 8, 570 वसूल की जानी थी। सम्पूर्ण राशि वसूली की जा चुकी है। आरोपी के विरूद्ध साक्ष्य एकत्रित होने के बाद गिरफ्तारी की जाएगी। (ग) जी नहीं। (घ) प्रश्न (क) एवं (ख) के संदर्भ में प्रकरण के अनुसंधान में समय की आवश्यकता है, विवेचना की कार्यवाही पूर्ण होने पर कार्यवाही की जाएगी।

चुरहट अमिलिया मुख्य मार्ग का निर्माण

112. (क्र. 3155) श्री अजय सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र चुरहट के अंतर्गत चुरहट-अमिलिया मुख्य मार्ग का निर्माण कब स्वीकृत किया गया था? आदेश दिनाँक एवं निर्माण एजेंसी का नाम बताएं? (ख) क्या उक्त कार्यादेश निरस्त कर पुन: नवीन रूप से निविदा आमंत्रित की गई थी? यदि हाँ, तो कार्यादेश निरस्त करने का क्या कारण था? (ग) क्या वित्तीय वर्ष 2012 में चुरहट-अमिलिया मार्ग के निर्माण के लिए पुन: कार्यादेश जारी किया गया था? यदि हाँ, तो निर्माण एजेंसी का नाम एवं कार्य

पूर्ण न होने का कारण बतायें? (घ) चुरहट अमिलिया मुख्य मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) विधानसभा क्षेत्र चुरहट के अंतर्गत चुरहट-अमिलिया मार्ग का निर्माण वर्ष 2008-2009 में स्वीकृत किया गया था। उक्त कार्य का प्रथम कार्यादेश दिनाँक 05/02/2009 को मे.स्ट्रांग कन्सट्रक्शन इलाहाबाद (उ.प्र.) को जारी किया गया था। (ख) जी हाँ। ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय सीमा में तथा अतिरिक्त समयवृद्धि प्रदान कराने पर भी कार्य पूर्ण नही करने के कारण अनुबंध/कार्यादेश निरस्त किया गया था। (ग) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) चुरहट अमिलिया मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट – "तीस"

विधानसभा क्षेत्र चुरहट में खैरा से चंदरेह पहुंच मार्ग का निर्माण

113. (क्र. 3156) श्री अजय सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र चुरहट में म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा खैरा से चंदरेह पहुंच मार्ग कब स्वीकृत किया गया था? (ख) उक्त मार्ग की लागत कितनी थी तथा कब पूर्ण किया गया था? (ग) क्या यह सही है कि म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई 3, खैरा से चंदरेह पहुंच मार्ग पूरी तरह उखड़ गया है? (घ) यदि हाँ तो इस मार्ग का पुन: निर्माण कराया जायेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) विधानसभा क्षेत्र चुरहट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत खैरा से चंदरेह मार्ग की प्रशासकीय स्वीकृति दिनाँक 02.07.2008 को जारी की गयी थी। (ख) उक्त मार्ग लागत रू. 431.15 लाख एवं इसे दिनाँक 31.01.2011 को पूर्ण किया गया था। (ग) जी नही, मार्ग पूरी तरह नहीं उखड़ा है वर्तमान में मार्ग का संधारण नहीं होने से मार्ग असंधारित है। मार्ग के ठेकेदार द्वारा 5 वर्ष की गारंटी अवधि में संधारण नहीं करने से ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही कर दिनाँक 02.01.2014 को ठेका निरस्त कर दिया गया है। (घ) उक्त मार्ग की 5 वर्ष की गारंटी अवधि के अंतर्गत शेष बचे समय में संधारण किये जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। स्वीकृति जारी करने के पश्चात मार्ग संधारण हेतु कार्यवाही की जावेगी।

खाद्यान्न आवंटन में अनियमितता

114. (क्र. 3181) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले की सेवा सहकारी संस्था टिकरौली गुर्जर को ग्राम-अटा, शहदपुर, जरैना, पहावली, निटेहरा, टिकरौली गांवों में वर्ष 2010 से 2013 तक खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था दी गई थी? उक्त गांवों में एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय के अधिकृत राशन कार्डों की संख्या कितनी थी पूर्ण जानकारी दी जावें? (ख) उक्त अविध में संस्था द्वारा अधिकृत संख्या से अधिक मात्रा के खाद्यान्न का आवंटन कूटरचित राशन कार्डों की अधिक संख्या के जरिये खाद्यान्न प्राप्त किया था यदि हाँ तो कितनी मात्रा में अधिक खाद्यान्न प्राप्त किया? ग्राम-वार जानकारी दी जावें? (ग) क्या शासन अधिक खाद्यान्न के आवंटन देने वाले अधिकारियों, संस्था के लिप्त कर्मचारियों के खिलाफ अपराधिक कार्यवाही कर अधिक मात्रा में प्राप्त की गई खाद्यान्न सामग्री की राशि वसूल करेगा? यदि हाँ तो कब तक?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>जौरा विकास खण्ड में गरीबी रेखा के राशन कार्ड बनाये जाना</u>

115. (क्र. 3183) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुमावली विधानसभा (मुरैना) की जौर विकास खण्ड की विभिन्न पंचायतों में वर्ष 2012, 2013, 2014 में कितने सामान्य, गरीबी रेखा, परिवारों के नाम राशन कार्ड बनाये गये हैं? पंचायतवार, सामान्य, गरीबी कार्डों की संख्या सहित जानकारी दी जावे? (ख) उपरोक्त पंचायतों में वर्जित समय से पूर्व सामान्य, गरीबी रेखा के राशन कार्डों की संख्या क्या थी? श्रेणीवार संख्या सहित जानकारी दी जावे? (ग) गरीबी रेखा के राशन कार्डों की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना हाल ही के वर्जित वर्षों में हुई भारी संख्या वृद्धि के क्या कारण हैं? पूर्ण जानकारी दी जावे?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) सुमावली विधान सभा क्षेत्र मुरैना की जौरा विकासखण्ड की विभिन्न पंचायतों में वर्ष 2012 में बीपीएल- 543, एएवाय- 21, वर्ष 2013 में एपीएल-349, बीपीएल-550 एवं वर्ष 2014 में बीपीएल-3, 782 नवीन राशनकार्ड बनाए गए हैं। पंचायतवार, श्रेणीवार बनाए गए राशनकार्डो की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित** है। (ख) सुमावली विधानसभा मुरैना की जौरा विकासखण्ड की विभिन्न पंचायतों में माह दिसम्बर, 2011 की स्थिति में एपीएल-19, 672, बीपीएल-11, 053 एवं एएवाय-1, 454 कुल 32, 179 राशनकार्ड थे। (ग) बीपीएल सूची में नाम जोड़ना एवं विलोपित करना एक सतत् प्रक्रिया होने के कारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बीपीएल सूची में नवीन हितग्राहियों के नाम जोड़े जाने के कारण गरीबी रेखा के राशनकार्ड जारी किए गए हैं। पंचायतवार बनाए गए राशनकार्ड की संख्या अत्तरांश (क) के **संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित** है।

<u>परिशिष्ट - ''इकतीस''</u>

हरदा जिला सहकारी बैंक में हुये घोटाले की जांच

116. (क्र. 3196) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या हरदा जिला सहकारी बैंक मुख्यालय पर बैंक में जमा राशि (नगदी) में गड़बड़ी (गबन) हुआ है? यदि हाँ, तो कितनी राशि का गबन हुआ है? उसमें कितने बैंक कर्मचारी लिप्त पाए गए हैं व दोषियों पर किन-किन धाराओं के तहत् क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या जांच प्रचलन में है? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही से अवगत करावें? (ख) विगत वर्षों में फसल ऋण माफी योजना में आर्थिक अनियमितता पाई गई? यदि हाँ, तो दोषी कौन-कौन थे, उन पर क्या कार्यवाही की गई, जिला मुख्यालय पर नगद राशि गबन मामले, ऋण माफी के आरोपी भी संलिप्त है यदि हाँ, तो उसकी जानकारी एवं कार्यवाही से अवगत करावें? (ग) सहकारी बैंक का ऑडिट किस संस्था या एजेंसी से कराया जाता है? क्या बैंक का ऑडिट महालेखाकार ग्वालियर से कराये जाने का प्रावधान है, तो विगत 10 वर्षों में क्या-क्या ऑडिट आपत्तियां की गई? क्या उनका निराकरण किया गया? (घ) हरदा जिले में सहकारी बैंक की राशि गबन के मामले को देखते हुये अन्य जिलों में सहकारी बैंक, शाखा में भी जांच कराई जा रही है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ. रूपये 2, 77, 00, 650.00 का. पुलिस अधीक्षक, जिला हरदा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रकरण में श्री सुदर्शन जोशी, शाखा प्रबंधक, श्रीमती भावना काले, कैशियर, श्री हेमंत व्यास, सहायक लेखापाल, श्री रविन्द्र कुमार दुबे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्री मनोज कुमार अहलाद, नोडल अधिकारी, की प्रकरण में संलिप्तता पाये जाने से इन सभी के विरूद्ध धारा 406, 408, 409, 420, 421, 120बी, 489- (ख), (ग),119 भा.द.वि. के तहत कार्यवाही की गई है. जी हाँ. श्री सुदर्शन जोशी के कब्जे से रूपये 2, 76, 74, 500.00 जप्त किये गये हैं. श्री सुदर्शन जोशी, श्री हेमंत व्यास, श्री रविन्द्र कुमार दुबे, श्री मनोज कुमाह अहलाद को गिरफ्तार किया गया है. प्रकरण में श्रीमती भावना काले की गिरफ्तारी होना शेष है, जिसके विरूद्ध धारा 82, 83 जाफौ के तहत कार्यवाही प्रचलित है (ख) जी हाँ. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, होशंगाबाद एवं उससे संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कर्मचारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है** एवं म.प्र. राज्य सहकारी बैंक के संवर्ग अधिकारी श्री डी.आर. सरोठिया की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दंड दिया गया है, श्री आर.के. दुबे को ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना में अनियमितताओं तथा अन्य आरोपों के आधार पर सेवा से पृथक का दंड दिया गया है. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, होशंगाबाद की हरदा शाखा के गबन में संलिप्तता के आरोपी श्री सुदर्शन जोशी, श्री हेमंत व्यास, श्री रविन्द्र कुमार दुबे, ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना में अनियमितताओं के लिये दोषी पाये गये थे. इनके विरूद्ध कार्यवाही की जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार है. (ग) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, होशंगाबाद का साविधिक अंकेक्षण आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें, म.प्र. द्वारा अनुमोदित

पैनल में से चयनित सनदी लेखापाल से कराया जाता है. जी नहीं. शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है. (घ) म.प्र. राज्य सहकारी बैंक के पत्र दिनाँक 23.01.2015 से प्रदेश की सभी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की शाखाओं की नगद सिलक का भौतिक सत्यापन प्रत्येक माह कराने एवं आकस्मिक जांच भी अलग से कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं.

नि:शक्तजनों को शासकीय सेवा में आरक्षण

117. (क्र. 3246) श्री जयभान सिंह पवैया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में नि:शक्तजनों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिये आरक्षण की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो विगत पांच वर्षो में सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन विभाग द्वारा कितने नि:शक्तजनों को रोजगार दिया गया है? (ख) मध्यप्रदेश में नि:शक्तजनों को रोजगार के लिये शासकीय ऋण देने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कौन सी योजनायें है, तथा गत सत्र में प्रदेश में जिलावार हितग्राहियों का ब्यौरा क्या है? (ग) मध्यप्रदेश में नि:शक्तजनों को कृत्रिम अंग व अन्य उपकरण देने की कोई योजना संचालित है? यदि हाँ, तो प्रदेश में ऐसे कितने विकलांग पुनर्वास या कल्याण केन्द्र संचालित है और ग्वालियर जिले में सत्र 2013-14 में लाभान्वित हितग्राहियों का ब्यौरा क्या है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। 18 निःशक्तों को रोजगार दिया गया। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। प्रदेश में 49 जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र स्वीकृत है ग्वालियर जिले की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट - "बत्तीस"

परिवहन विभाग में कर्मचारियों की भर्ती

118. (क्र. 3247) श्री जयभान सिंह पवैया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में परिवहन विभाग में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों सहित अन्य कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं, तथा इनकी पूर्ति हेतु भर्ती की समय सीमा व प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है? (ख) परिवहन विभाग में अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर कितने अधिकारी व कर्मचारी पदस्थ हैं? क्या अन्य विभागों के कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया विचाराधीन है?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) मध्यप्रदेश परिवहन विभाग में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों सहित अन्य कर्मचारियों के कुल 433 पद रिक्त है, इनका ब्यौरा **पुस्तकालय मे रखें परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार** है। इनकी पूर्ति हेतु प्रक्रिया म.प्र. परिवहन विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2011, म.प्र. परिवहन विभाग तृतीय श्रेणी

(लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 2011 एवं म.प्र. परिवहन विभाग अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम 2011 की अनुसूची 'दो' 'तीन' एवं 'चार' में वर्णित है, जिसकी प्रतिलिपि **पुस्कालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। उक्त पदों की भर्ती एवं पूर्ति की कार्यवाही समय-समय पर की जाती है। (ख) परिवहन विभाग में अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर 11 अधिकारी व कर्मचारी पदस्थ है। इन पदों की पूर्ति विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार तथा रिक्तता के आधार पर प्रतिनियुक्ति से की जाती है। अतः इन कर्मचारियों को हटाने की कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है।

शिव शक्ति वेयर हॉउस की जांच

119. (क्र. 3254) श्री विष्णु खत्री : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खाद्य विभाग में शिव शक्ति वेयर हाँउस बैरसिया में रखे गेंहूँ के संबंध में दिसम्बर 2014 में गेंहूँ में पानी मिलाकर/वजन बढ़ाकर गेंहूँ प्रदाय का प्रकरण की जॉच की गई है? यदि हाँ तो इस प्रकरण की जॉचकर्ता अधिकारी/कर्मचारियों के पदनाम सहित बताये? (ख) जांच के पश्चात विभाग ने इस कृत्य के लिये किसे दोषी माना है एवं संबंधित त्रुटि कर्ताओं के विरूद्ध विभाग ने क्या विधि सम्मत कार्यवाही की है स्पष्ट करें? यदि नहीं तो कारण बताये?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) जी हाँ। प्रकरण की जांच श्री संजीव तोमर, क्षेत्रीय प्रबंधक, श्री व्ही.के. अग्रवाल, शाखा प्रबंधक एवं श्री सखाराम निमोदा, शाखा प्रबंधक, मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन द्वारा की गई। (ख) शिव शक्ति वेयरहाँउस, बैरसिया में रखे गेहूँ में पानी मिलाकर/वजन बढ़ाकर प्रदाय करना जांच में नहीं पाया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बदरवास तहसील के अंतर्गत बी.पी.एल. राशन कार्ड बनाने की जांच

120. (क्र. 3255) श्री रामसिंह यादव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परिवर्तित तारांकित प्रश्न क्रमांक 67 दिनाँक 08.12.2014 के उत्तर (क) में जानकारी दी है कि 1820 आवेदकों के आवेदन पात्र पाए जाने से उनके बी.पी.एल. राशन कार्ड बनाए गए हैं, तथा क्या उक्त प्रश्न के उत्तर (ख) में जानकारी दी है कि बदरवास तहसील में प्रश्नांकित अवधि में बी.पी.एल. राशन कार्ड अपात्र/गलत होने की 37 शिकायतें प्राप्त हुई थी? जिसमें से सभी 37 शिकायतों की जांच उपरांत उक्त राशनकार्डधरी अपात्र होने से उनके राशन कार्ड निरस्त किए गए है? यदि हाँ तो उक्त 37 शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी दें? (ख) क्या तहसीलदार, तहसील बदरवास को वर्ष 2014 में बी.पी.एल. राशनकार्ड फर्जी/अपात्र होने की शिकायतें प्राप्त हुई थी? यदि हाँ तो संलग्न शिकायतों की प्रति संलग्न कर जानकारी दें कि इन शिकायतों पर कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही की प्रति संलग्न कर जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित ऐसे कौन-कौन से आवेदन पत्र

है जिनके उपर तहसीलदार बदरवास द्‌वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई? तथा वर्ष 2014 में प्राप्त आवेदनों के जांच प्रतिवेदनों में बी.पी.एल. की पात्रता अथवा अपात्रता का निर्धारण नहीं किया गया और अपना अभिमत नहीं दिया?

खाद्‌य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) जी हाँ। जी हाँ। शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -अ अनुसार** है। (ख) जी हाँ। तहसीलदार, बदरवास को वर्ष 2014 में फर्जी/अपात्र बीपीएल राशनकार्ड होने की 4 शिकायतें प्राप्त हुई थी। शिकायतों की प्रति एवं उन पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -ब अनुसार** है। (ग) तहसीलदार, बदरवास को प्राप्त सभी शिकायतों पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

जनपद पंचायत बदरवास द्‌वारा जारी किए गए बी.पी.एल. राशन कार्ड

121. (क्र. 3256) श्री रामसिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत बदरवास को 01 जनवरी 2012 से 15 सितम्बर 2014 तक तहसीलदार बदरवास से नवीन बी.पी.एल. राशन कार्ड जारी करने हेतु नाम प्राप्त हुए थे? यदि हाँ तो किन-किन व्यक्तियों के नाम प्राप्त हुए थे? (ख) उक्त सूची के अनुसार कहाँ-कहाँ के किन-किन व्यक्तियों के बी.पी.एल. राशन कार्ड जारी किए गए? (ग) जनपद पंचायत बदरवास में प्रश्नांकित अवधि में किन-किन के बी.पी.एल. राशन कार्ड क्यों निरस्त किए गए? प्राप्त शिकायतों एवं कार्यवाही की जानकारी दें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। तहसीलदार बदरवास, जिला शिवपुरी के द्‌वारा जनवरी 2012 से 15 सितम्बर 2014 तक कुल 597 नवीन बी.पी.एल. परिवारों के नामों की सूची राशनकार्ड जारी करने हेतु प्राप्त हुये हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। (ख) बी.पी.एल. परिवारों को जारी किए गए राशन कार्ड की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -अ के कॉलम नम्बर 3 में दर्शाई गई** है। (ग) जनपद पंचायत बदरवास में प्रश्नांकित अवधि में तहसीलदार बदरवास, जिला शिवपुरी के द्‌वारा चार राशनकार्ड निरस्त किये गये हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़क निर्माण

122. (क्र. 3297) श्री रणजीतसिंह गुणवान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आष्टा विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सड़क योजना अन्तर्गत जो सड़के बनाई गई है वह घटिया निर्माण के कारण खराब हो गई है? (ख) यदि हाँ तो इसके लिये कौन सी एजेन्सी जिम्मेदार है? (ग) क्या शासन अपने स्तर से इन सड़कों की जांच करवायेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्व. सहायता समूहों द्वारा लाभांश का वितरण

123. (क्र. 3298) श्री रणजीतसिंह गुणवान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आष्ट विधान सभा क्षेत्र में संचालित स्व. सहायता समूहों द्वारा अपने सदस्यों को लाभांश का वितरण नहीं किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्यों? अभी तक कितने समूहों द्वारा मध्यान्ह भोजन एवं अन्य सामग्री का प्रदाय शासन की योजनाओं में किया गया है तथा विगत 5 वर्षों में समूहों को कितना लाभ हुआ? (ग) यदि लाभांश का वितरण किया है, तो कब-कब तथा कितनी-कितनी राशि सदस्यों के बैंक खातों में डाली गई?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) लाभांश वितरण संबंधित जानकारी समूहों का आंतरिक मामला है, तथा इसकी जानकारी स्व सहायता समूहों के द्वारा जिला अथवा जनपद पंचायत को नहीं दी जाती है। (ख) आष्टा विधानसभा क्षेत्र में 504 स्व सहायता समूहों के द्वारा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालित किया गया है। स्व सहायता समूहों से लाभ प्राप्ति की जानकारी लिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार।

फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जांच

124. (क्र. 3324) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परिवहन विभाग के नरसिंहपुर एवं जबलपुर के कतिपय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने के प्रकरण/शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ तो इनके नाम, पद, शिकायतकर्ताओं के नाम आदि की जानकारी दें? (ख) क्या प्रश्नांकित प्रकरण/शिकायतों पर विभाग ने कोई जांच/कार्यवाही की है? यदि हाँ तो अभी तक की गई कार्यवाही से अवगत करावें? (ग) क्या संबंधित प्रकरण में पुलिस थाना ओमती, जबलपुर में संबंधितों के विरूद्ध दिनाँक 6.1.2014 को फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने, अपने पुत्र-पुत्रियों के फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने व अन्य व्यक्तियों के फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के रैकेट से संलग्न होने संबंधी कई गंभीर आरोप लगे थे, एफ.आई.आर. पंजीबद्ध है? (घ) यदि हाँ तो विभाग ने संबंधित शिकायतों के विरूद्ध व एफ.आरइ.आर. होने पर विभाग से 25 दिन बिना सूचना दिये फरार होने पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की है, बिन्दुवार पूर्ण ब्यौरा दें?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) जी हाँ, परिवहन विभाग के नरसिंहपुर के परिवहन अधिकारी श्री संतोष पॉल एवं जबलपुर में सहायक वर्ग 2 के पद पर कार्यरत उनकी पत्नी रेखा पॉल के विरूद्ध फर्जी गौंड जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी करने की शिकायत श्री हीरा सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह पता वार्ड न. 14 सेबढ़ा जिला दतिया द्वारा की गई

है। दिनाँक 05.06.2013 को प्राप्त शिकायत की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) प्रश्नांकित शिकायत पर विभाग द्वारा कलेक्टर जबलपुर को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 6360/स्था/टीसी/13 दिनाँक 02.07.2013 द्वारा जाति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर जांच कर सत्यापन रिर्पोट भेजने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जानकारी अपेक्षित है, किन्तु न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग राझी जबलपुर द्वारा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जबलपुर को प्रेषित पत्र में श्री संतोष पॉल पिता स्व. श्री मरियम पॉल, मालेगांव राझी एवं श्रीमती रेखा पॉल राशनील पिता अरूण दास निवासी दीवान बाजा रांझी जबलपुर को जारी गौंड़ अनूसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किये जाने की पुष्टि की गई है पत्र **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ग) पुलिस थाना ओमती जबलपुर में प्रश्नांश-क में उल्लेखित संबंधितों के विरूद्ध एफआईआर क्रमांक 15/2014 दर्ज की गई थी। (घ) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 547/2014 में पारित निर्णय दिनाँक 23.01.2014 अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश से पुलिस थाना ओमती जबलपुर में दर्ज एफआईआर क्रमांक 15/2014 को निरस्त कर दिया गया है।। जिला परिवहन अधिकारी नरंसिंहपुर श्री संतोष पॉल उक्त अवधि में बिना सूचना अनुपस्थित नहीं रहे है। इस कार्यालय में भी माह दिसम्बर 13 से जनवरी 14 की अवधि का श्री संतोष पॉल का कोई अवकाश का आवेदन लंबित नहीं है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जबलपुर में कार्यरत श्रीमती रेखा पॉल दिनाँक 08.01.14 से 25.01.14 तक नियमानुसार अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश पर रही है।

प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सड़कें

125. (क्र. 3327) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गाडरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कितनी निर्माण की गई सड़के जीर्ण-शीर्ण हो गई है? (ख) जीर्ण-शीर्ण सड़कों को ठीक कराने हेतु विभाग द्वारा कोई योजना बनाई गई? यदि हाँ, तो कब तक इसका कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा? (ग) जीर्ण-शीर्ण सड़कों में साईखेड़ा से धनोरा-ठुर्रसरा तथा सालीचौका से अर्जुन गांव की उक्त सड़के पूर्णत क्षतिग्रस्त हो गई? इन सड़कों को कब तक ठीक कराया जायेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) गाडरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्माण की गई सड़कों में से तीन सड़कें भारी वाहनों के आवागमन से क्षतिग्रस्त हुई है। (ख) उक्त क्षतिग्रस्त सड़को का विभाग द्वारा क्रस्ट उन्नयन के अन्तर्गत कार्य कराया जा रहा है। कार्य पूर्ण कराने की निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं, सांईखेड़ा से धनौरा ढिगसरा तथा सालीचौका से अर्जुन गांव सड़कें वर्तमान में क्षतिग्रस्त नहीं है। उक्त दोनों ही मार्ग क्रमशः पाँच वर्ष की गारंटी अवधि तथा पाँच वर्ष उपरांत आगामी पाँच वर्षों के अन्तर्गत संधारण अवधि में है। जिसका ठेकेदार द्वारा

संधारण कार्य कराया जा रहा है। संधारण एक सतत प्रक्रिया है। अनुबंधानुसार निर्धारित दिनाँक तक संधारण कराया जाना है।

प्रधान मंत्री सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत सड़कें

126. (क्र. 3328) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गाडरवाड़ा विधान सभा के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विगत पांच वर्षो में कितनी सड़कें स्वीकृत हुई हैं एवं कितनी सड़कों की टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है? (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़ने हेतु ऐसे कितने पात्र ग्राम हैं, जो पहुँच विहिन हैं, उन्हें मुख्य सड़कों से जोड़ना है? (ग) क्या उक्त सड़क विहिन ग्रामों को सड़कों से जोड़ने के लिए कोई योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो इनका कार्य कब तक प्रारंभ किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत विगत पांच वर्षों में 25 सडकें स्वीकृत हुई है एवं 24 सड़कों की टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 4 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में 21 पात्र ग्राम पहुंच विहीन है उन्हें मुख्य सड़कों से जोड़ना शेष है। (ग) जी हाँ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पात्र ग्रामों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में, क्रम आने पर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर जोड़ने की कार्यवाही की जाती है।

सहकारी बैंकों द्वारा कृषि ऋण वितरण

127. (क्र. 3332) श्री मुकेश नायक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंकों द्वारा वित्त वर्ष, 2012-13 और 2013-14 में कृषि क्षेत्र के लिए कुल कितनी धन राशि कर्ज पर दी गई और कितनी धन राशि वसूल की गई? (ख) उपरोक्त अवधि में कृषि कार्य के लिए सहकारी बैंकों के ऋण पर ब्याज दर क्या थी और कर्ज वसूली की दर क्या थी? (ग) क्या यह सही है, के राज्य के ज्यादातर सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये कर्ज की पर्याप्त वसूली न होने के कारण बैंकों का जमा-ऋण अनुपात बिगड़ गया है और इस कारण बैंकों की वित्तीय स्थिति कमजोर होने से उनके बंद होने का खतरा पैदा हो गया है? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें, तथा बैंकों की स्थिति को सुधारने के लिऐ क्या प्रयास किये जा रहे हैं, इसकी जानकारी दीजिए? (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2012-13 और 2013-14 में राज्य के कितने जिला सहकारी बैंकों को परिचालन की अनुमति नहीं दी गई थी? उनके नाम और उनमें जमा ऋण अनुपात का विवरण दीजिए?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा जिला सहकारी

केन्द्रीय बैंकों को अल्पावधि फसल ऋण हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में राशि रूपये 5607.05 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में राशि रूपये 7577.91करोड़ कर्ज के रूप में दी गई, जिसमें से वर्ष 2012-13 में पूर्ण राशि रूपये 5607.05 करोड़ वसूल की गई तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में राशि रूपये 7374.13 करोड़ वसूल की गई. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में रूपये 10343.08 करोड़ एवं वर्ष 2013-14 में राशि रूपये 12686.22 करोड़ अल्पावधि फसल ऋण हेतु कर्ज पर दी गई. उक्त वर्षों में रूपये 10385.43 करोड़ एवं रूपये 12865.63 करोड़ वसूल की गई. (ख) उपरोक्त अवधि में अल्पावधि फसल ऋण पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से प्रभारित ब्याज दर एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा किसानों से प्रभारित ब्याज दर की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र –1 एवं प्रपत्र -2 अनुसार है.** (ग) जी नहीं. शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है. (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2012-13 और 2013-14 में किसी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को परिचालन से नहीं रोका गया है. शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है.

परिशिष्ट – "तैंतीस"

फोर्स लिफ्ट पंप पर खर्च

128. (क्र. 3333) श्री मुकेश नायक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाहनगर जनपद क्षेत्र में विभिन्न पंचायतों द्वारा विगत तीन वित्त वर्षों में कितने फार्स लिफ्ट पंप लगाये गये और उन पर कुल कितना धन खर्च हुआ? (ख) पंचायतों में फोर्स लिफ्ट पंप लगाने की क्या प्रक्रिया है और इसके लिये किस मद से कौन अधिकारी भुगतान करने के लिये प्राधिकृत होता है? (ग) क्या यह सही है कि शाहनगर जनपद क्षेत्र में पंचायतों में नियम विरूद्ध फोर्स लिफ्ट पंप लगाये गये हैं और इनमें गड़बड़ी होने के कारण कई पंप काम नहीं कर रहे है, यदि हाँ, तो इस बारे में शासन ने क्या कार्यवाही किन अधिकारियों के विरूद्ध की?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) शाहनगर जनपद क्षेत्र में विगत तीन वर्षो में कुल 42 फोर्स लिफ्ट पंप लगवाये गये। जिस पर राशि रूपये 3.36 लाख व्यय की गई। विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। (ख) पंचायतों में फोर्स लिफ्ट पंप लगाये जाने की प्रक्रिया एवं भुगतान संबंधी जानकारी म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 2251 दिनाँक 17.02.2011 में दिये गये निर्देशानुसार एवं जिला पंचायत पन्ना के पत्र क्रमांक 1261 दिनाँक 7.03.2011 एवं पत्र क्रमांक 8387 दिनाँक 14.12.2011 के निर्देशानुसार है। उक्त पत्रों की छाया प्रतियाँ **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जनपद पंचायत द्वारा स्थापित समस्त फोर्स लिफ्ट पंप का सत्यापन कराया गया। जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है।

टोंकखुर्द व पीपलरावा उपमण्डी का निर्माण

129. (क्र. 3365) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में मान. मुख्यमंत्री जी की टोंकखुर्द व पीपलरावा में उपमण्डी शुरू कराने की घोषणा थी? क्या उक्त दोनों मण्डी आज दिनाँक तक चालू हो गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? क्या कार्यवाही प्रचलित है? (ख) सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र की मण्डी में शासन द्वारा विगत तीन वर्षों में राशि कितनी दी गई है, तथा उसका कहाँ-कहाँ उपयोग किया गया है, तथा मण्डी के पास अब कितनी राशि शेष है? (ग) क्या टोंकखुर्द व पीपलरावा के कृषकों को भविष्य में उपमण्डी प्राप्त हो सकेगी? नहीं, तो क्यों नहीं?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा टोकखुर्द में मंडी शुरू करने की घोषणा नहीं की गई है, अपितु पीपलरावा में उपमंडी स्थापित करने की घोषणा की गई। विभाग द्वारा टोंकखुर्द उपमंडी की अधिसूचना दिनाँक 21.05.1956 एवं पीपलरांवा में उपमंडी की अधिसूचना दिनाँक 04.05.2012 से जारी की गयी। टोंकखुर्द उपमंडी प्रागंण चालू है, एवं उपमंडी पीपलरांवा के प्रागंण में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) उपमंडी पीपलरावा के प्रागंण हेतु भूमि क्रय करने के लिये वर्ष 2011 में म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राशि रूपये 40.00 लाख का ऋण दिया गया था, राशि रूपयें 18.00 लाख से भूमि क्रय कर शेष राशि रूपये 22.00 लाख मंडी बोर्ड को वापिस कर दी गई है। **(ग)** जी हाँ। टोंकखुर्द में उपमंडी स्थापित है एवं पीपलरावा उपमंडी प्रागंण में मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बलराम तालाबों की स्वीकृति

130. (क्र. 3366) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में कितने बलराम तालाबों की स्वीकृति हुई? कितनी राशि जारी की गई? कितने बलराम तालाब बन चुके हैं? विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) क्या यह सही है कि बलराम तालाबों के निर्माण किये बिना ही राशि निकाल ली गई, तथा बलराम तालाब आज दिनाँक तक नहीं बन पाया? यदि सही है, तो कितने बलराम तालाब हैं, जो आज दिनाँक तक नहीं बन पाए? हितग्राही के नाम व पंचायत के नाम सहित जानकारी देवें? (ग) क्या बलराम तालाबों में हुए फर्जीवाड़ों के दोषियों के ऊपर कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है। **(ख)** जी हाँ। कुल 20 बलराम तालाबों पर राशि व्यय की गई है, जिनमें से एक बलराम तालाब पर मनरेगा योजनांतर्गत तथा शेष पर बलराम ताल योजनांतर्गत राशि व्यय की गई है। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार** है। **(ग)** दोषी अधिकारियों पर

निलंबन की कार्यवाही की जा चुकी है। शिकायत समाधान ऑनलाईन में होने से कृषि उत्पादन आयुक्त मध्यप्रदेश शासन के पत्र दिनाँक 13.01.2015 के परिपालन में भौतिक सत्यापन का कार्य कराया जा रहा है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट – "चौंतीस"

पंचायत सचिवों के मानदेय/वेतन के नियम

131. (क्र. 3375) डॉ. मोहन यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों एवं तहसीलों में कार्यरत पंचायत सचिवों के मानदेय/वेतन के संबंध में शासन के क्या नियम हैं इस संबंध में वर्ष जनवरी-2010 के पश्चात कौन-कौन से संशोधन, पत्र, परिपत्र एवं आदेश जारी हुए, दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराते हुए जानकारी प्रस्तुत करें? (ख) क्या यह सही हैं कि पंचायत सचिवों का अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग वेतन हैं? यदि हाँ, तो क्यों कारण बताएं?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्ते नियम, 2011) के नियम 4 अनुसार। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'अ' अनुसार**। ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन के संबंध में जनवरी, 2010 के पश्चात जारी आदेश तथा अनुपूरक निर्देश पत्र आदि की प्रतियां **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'ब' अनुसार**। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण के कार्यकलाप

132. (क्र. 3378) डॉ. मोहन यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति/ मनोनयन के क्या मापदण्ड एवं प्रक्रिया है, वर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्यों की सूची उपलब्ध कराते हुए अधिकरण द्वारा क्या-क्या कार्य किये जाते हैं? (ख) जनवरी, 2010 के पश्चात अधिकरण को कितने प्रकरण प्राप्त हुए उनमें से कितने प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया एवं वर्तमान में कितने प्रकरण लंबित हैं? लंबित प्रकरणों की सूची उपलबध करावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है.** वर्तमान में अधिकरण में अध्यक्ष तथा 01 अशासकीय सदस्य के पद रिक्त है एवं श्री गिरीश ताम्हणे, संयुक्त आयुक्त सहकारिता विभाग, अधिकरण में विभागीय सदस्य के रूप में पदस्थ हैं. अधिकरण द्वारा न्यायालय के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 77 (14) के अंतर्गत रिविजन, धारा 78 (1) तथा 78 (2) के अंतर्गत अपील एवं धारा 77 (ए) में पुनर्विलोकन प्रकरणों में सुनवाई की जाती है. (ख) 4065 प्रकरण, इनमें

से 2342 प्रकरण निराकृत एवं 1723 प्रकरण लंबित है. लंबित प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है.**

कृषि उपज मण्डी, सबलगढ़ में सी.सी. कार्य

133. (क्र. 3447) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सबलगढ़ कृषि उपज मण्डी समिति प्रांगण में जो सी.सी. कार्य कराया जा रहा है, वह किस दिनाँक से प्रारंभ किया गया है? उक्त कार्य की स्वीकृत राशि कितनी है एवं कार्य पूर्ण होने की समयावधि बतावें? (ख) क्या उक्त सी.सी. कार्य में सिंध नदी की रेत का प्रयोग किया जाना है, परंतु ठेकेदार द्वारा चम्बल नदी की घटिया रेत का प्रयोग किया जा रहा है? क्या इसका भौतिक सत्यापन कराया जाएगा, समयावधि बतावें? (ग) उक्त सी.सी. कार्य घटिया एवं गुणवत्ताविहीन कराया जा रहा है? उक्त ठेकेदार के खिलाफ कब तक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) सबलगढ़ कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में सी.सी. निर्माण कार्य दिनाँक 03.01.2015 से प्रारंभ किया गया है। सी.सी. कार्य हेतु राशि रू. 92.00 लाख किसान सड़क निधि से स्वीकृत की गई है। उक्त कार्य पूर्ण होने की समयावधि 06 माह वर्षाकाल सहित निर्धारित है। (ख) उक्त सी.सी. कार्य में मानक स्तर के रेत का प्रयोग प्रावधानित है। वर्तमान में डब्ल्यु.बी.एम. का कार्य प्रगतिरत है। अत: शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी नही। ठेकेदार के द्वारा वर्तमान में किया जा रहा डब्ल्यु.बी.एम. का निर्माण कार्य मानक स्तर का है। अत: शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

वर्ष 2013 में छतरपुर में जारी किये गये परमिट

134. (क्र. 3472) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले के परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 में विभाग के R.T.O एवं कुछ कर्मचारियों द्वारा दलालों से मिलकर ट्रकों के लिये नेशनल परमिट फर्जी तरीके से बनाये गये? यदि हाँ, तो किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बनाये गये नाम सहित सूची बतावें? (ख) वर्ष 2013 में फर्जी तरीके से ऑन लाईन टेक्स की रसीद जारी करने वाले दुकानदार व विभागीय तत्कालीन आर.टी.ओ तथा शामिल कर्मचारी द्वारा मिलीभगत कर म.प्र. शासन के प्रोसेसिंग शुल्क की कितनी हानि/क्षति पहुंचाई गई? (ग) क्या ऐसे फर्जी रसीद जारी कर कितने परमिट वर्ष 13-14 में जारी किये गये तथा बाद में कितने विभाग द्वारा सुधार/संशोधित कर जारी किये गये सूचीवार उपलब्ध करावें? (घ) उक्त समय में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी जो कि उक्त अपराध में शामिल थे? क्या कार्यवाही की गयी? विवरण अनुसार सम्पूर्ण सूची उपलब्ध करावें?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) छतरपुर जिले के परिवहन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2013-14 में ट्रकों के नेशनल परमिट फर्जी तरीके से नहीं बनाये गये। छतरपुर परिवहन कार्यालय में उक्त अवधि में मालयानों के नेशनल परमिट के अंतर्गत जारी होने वाले 158 प्राधिकार पत्रों की कर की राशि एनआईसी की बेव साइड पर सत्यापित किये बिना जारी किये गये थे यह तथ्य प्रकाश में आने पर वाहन स्वामियों से नियमानुसार देय कर की राशि कार्यालय में जमा करवाई गई थी। तत्समय श्री अजय कुमार गुप्ता अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी छतरपुर के रूप में एवं शाखा प्रभारी के रूप में श्री भागीरथ धूवकरिया पदस्थ थे। (ख) प्रश्नांकित अवधि में 158 प्राधिकार पत्र ऐसे पाये गये है जिनमें वाहन स्वामी द्वारा ऑन लाईन के माध्यम से जमा कर प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक प्राधिकार पत्र की कर राशि रूपये 16, 500/- की रसीदों का (एनआईसी) में ट्रांजेक्शन होना नहीं बताया गया था, प्राधिकार पत्र से संबंधित वाहन स्वामियों को एनआईसी की बेवसाईड से राशि सत्यापित ना होना अवगत कराया गया। वाहन स्वामियों द्वारा करों की उपरोक्त राशि रूपये 16, 500/-प्रति प्राधिकार पत्र ऑन लाईन नियमानुसार कार्यालय में जमा करा दी गई थी। म.प्र. शासन के प्रोसेसिंग शुल्क की किसी भी राशि की कोई क्षति/हानि नहीं हुई है। समस्त कर ऑन लाईन के माध्यम से जमा हो चुका है। (ग) उपरोक्तानुसार 158 प्राधिकार पत्रों से जमा कर की रसीदों का ट्रांजेक्शन एनआईसी बेव साइड में होना नहीं बताया गया था, उन वाहन स्वामियों से शीघ्र ऑन लाईन के माध्यम से कर की उक्त देय राशि कार्यालय में जमा करा दी गई थी। (घ) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी छतरपुर के प्रतिवेदन के आधार पर नेशनल परमिट शाखा प्रभारी को रसीदों का एनआईसी में ट्रांजेक्शन होकर कर जमा ना होने पर उनके द्वारा एनआईसी बेवसाईट पर जमा कर का सत्यापन न करने की रिपोर्ट मुख्यालय अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने पर प्रथम दृष्टया कार्य के प्रति लापरवाही के कारण परिवहन आयुक्त म.प्र. द्वारा संबंधित लिपिक श्री भागीरथ धूपकरिया के निलंबन की कार्यवाही की गई थी, तथा विभागीय जांच संस्थित की गई। उक्त जारी 158 प्राधिकार पत्रों का कर कार्यालय में ऑन लाईन जमा हो चुका है। शासकीय करो की राशि वसूलने में किसी प्रकार की क्षति परिलक्षित नहीं हुई है। शाखा प्रभारी को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही के कारण निलंबित किया गया है। अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख श्री अजय कुमार गुप्ता भी छतरपुर से अन्यंत्र स्थानातंरित हो चुके है।

<u>जिला सहकारी समितियों द्वारा कृषि ऋण का वितरण</u>

135. (क्र. 3473) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छतरपुर से संबंद्ध सेवा सहकारी समितियों/वृहत्ताकर सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 में कृषकों को कृषि ऋण वितरित किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 में समितियों द्वारा खरीफ एवं रबी सीजन में वितरित किए गए कृषि ऋण का विवरण निम्न प्रारूप में

देवें – क्रमांक, संस्था का नाम, वर्ष 2002-03 में वितरित कर्ज राशि का विवरण, वर्ष 2003-04 में वितरित कर्ज राशि का विवरण, खरीफ सीजन की राशि, रबी सीजन की राशि (ग) प्रश्नांश (ख) में समितिवार एवं वर्षवार वितरित बताये गए कृषि ऋण में से वर्षवार एवं समितिवार वितरित बताये गए खरीफ व रबी कर्ज में से निर्बल वर्ग तथा सबल वर्ग के किसानों को कितना-कितना कर्ज वितरित किया गया है? विवरण समितिवार राशि सहित दिया जावें? (घ) प्रश्नांश (ख) में चाही गई जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर ही उपलब्ध कराई जावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ. (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है. (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है. (घ) उत्तरांश (ख) एवं (ग) अनुसार है.

खाद (उर्वरक) की कालाबाजारी

136. (क्र. 3497) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में वर्ष 2013 - 2014 एवं 2014-15 में कितना उर्वरक विपणन संघ को उपलब्ध कराया गया? विपणन संघ ने किस-किस संस्था को वितरण हेतु कितना प्रदाय किया गया? विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) भिण्ड जिले में वर्ष 2011 -12 में भी क्या उर्वरक का अत्यधिक संकट था? यदि हाँ तो वर्ष 2014-15 में उससे अत्यधिक उर्वरक प्राप्त हुआ? यदि हाँ तो जिला विपणन अधिकारी भिण्ड के अनियंत्रण के कारण यूरिया की विकराल समस्या उत्पन्न हुई? (ग) भिण्ड जिले में गेहूँ का रकबा कम होने एवं अत्यधिक यूरिया आने के बाद भी यूरिया की पूर्ति नहीं हो पायी ऐसा क्यों? वर्ष 2014-15 में जिला विपणन अधिकारी द्वारा कितना यूरिया विकास खण्डों को प्रदाय किया विकास खण्डवार जानकारी देवें? (घ) जिला सहकारी बैंक भिण्ड में उर्वरक आपूर्ति कितना बकाया है एवं कितने किसान डिफाल्टर हैं? जिले में उर्वरक की समस्या होने के क्या कारण है एवं इसके लिये कौन दोषी है? दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) भिण्ड जिले में विपणन संघ को वर्ष 2013-14 में 46931 मेट्रिक टन एवं 2014-15 में दिनाँक 31/01/15 तक 39618 मेट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध कराया गया। संस्थावार विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं, वर्ष 2011-12 में 38860 मेट्रिकटन एवं 2014-15 में 39618 रासायनिक उर्वरक की उपलब्धता रही है। **(ग)** वर्ष 2014-15 में रबी मौसम में सरसों बोनी की अवधि में तापमान अनुकूल न होने के कारण सरसों के स्थान पर किसानों द्वारा गेंहूँ की बोनी की गई, जिले में गेंहूँ फसल क्षेत्राच्छादन में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिससे जिले में यूरिया की माँग बढ गई। विपणन संघ द्वारा विकासखण्डवार प्रदाय यूरिया की मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार** है। **(घ)** जिला सहकारी बैंक भिण्ड द्वारा जारी रिलीज आर्डर एवं डी.डी. पर उर्वरक की

आपूर्ति निरंतर की गई है, कोई आपूर्ति शेष नहीं है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के 35176 कृषक डिफाल्टर है। जिले में गेंहूँ का रकबा बढने से उर्वरक की माँग बढ़ी है। अत: शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद/उर्वरक की कालाबाजारी

137. (क्र. 3498) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में 1 अप्रैल 14 से 31 जनवरी 15 तक कितनी मात्रा में कहाँ-कहाँ से उर्वरक/खाद प्राप्त हुई? भुगतान किस बैंक द्वारा कब किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्त खाद/उर्वरक किस-किस संस्था को कितनी मात्रा में दी गई? किस विकासखण्ड को कितनी खाद दी गई? खाद/उर्वरक की कमी के क्या कारण थे? (ग) प्रश्नांश (क) में विगत पांच वर्षों की अपेक्षा इस बार उर्वरक/खाद ज्यादा आई? यदि हाँ, तो समस्या क्यों उत्पन्न हुई? क्या सक्षम अधिकारी द्वारा नियंत्रण नहीं रखा गया? यदि हाँ, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) की अवधि में समस्या निदान के लिए क्या विशेष प्रयास किए गए क्या विगत पांच वर्षों में समस्या रही किंतु कोई निदान क्यों नहीं हुआ? क्या खाद/उर्वरक की कालाबाजारी होती है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही होगी? यदि हाँ, तो कब तक, जानकारी दें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) भिण्ड जिले में 1 अप्रैल 14 से 31 जनवरी 15 तक रैक पॅाइन्ट मुरैना, ग्वालियर, दतिया से कुल 51282 मेट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुआ। जिला सहकारी बैंक भिण्ड द्वारा 1 अप्रैल 14 से 31 जनवरी 15 के मध्य में राशि 3330.39 लाख रूपये का भुगतान करने के पश्चात राशि 1011.45 लाख रूपये भुगतान हेतु शेष है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार** है। रबी 2014-15 में गेंहूँ के रकबे में वृद्धि होने से उर्वरक की कमी उत्पन्न हुई। (ग) रबी 2014-15 में सरसों बोनी के समय तापमान अनुकूल नहीं होने से सरसों की बोनी प्रभावित हुई। जिससे गेंहूँ फसल क्षेत्राच्छादन में लगभग 40% वृद्धि हुई है, जिस कारण उर्वरक की समस्या उत्पन्न हुई। (घ) जिले में कलेक्टर द्वारा उर्वरक का वितरण सुचारू रूप से कराने के लिए जांच दल का गठन किया गया। जिसमें कृषि राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को शामिल किया जाकर सघन जांच अभियान चलाकर उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 19 उर्वरक नमूने लिये गये। उर्वरक के अवैध भंडार किये जाने के कारण एक उर्वरक विक्रेता के विरूद्ध थाना असवार में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता।

कृषि भूमि का रकबा

138. (क्र. 3528) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में खेतों का क्षेत्रफल बढ़ा है? यदि हाँ तो वर्ष 2004 में कृषि का रकवा कितना था? और वर्तमान से 2014 तक कितना है? (ख) कृषि रकवे में कितनी वृद्धि हुई कारण सहित बताएं ? क्या यह सही है कि प्रदेश में किसानों की संख्या में बढ़ौतरी हुई है? यदि हाँ तो 2004 में कितने किसान थे और 2014 में कितनें हैं?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ। आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोवस्त से प्राप्त **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

संविदा अधिकारी/कर्मचारियों के ई.पी.एफ. की कटौती

139. (क्र. 3529) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा प्रदेश में संविदा पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के ई.पी.एफ. की कटौती संविदा पर नियुक्ति दिनाँक से काटे जाने हेतु कठोर निर्देश जारी किये गये थे? क्या प्रावधानों का पालन न होने पर नियोक्ता के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के भी निर्देश थे? (ख) यदि हाँ तो क्या प्रदेश के सीधी जिला पंचायत में संविदा पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों का ई.पी.एफ. कटौती, नियुक्ति दिनाँक से किया जा रहा है? (ग) यदि हाँ तो जिला पंचायत सीधी में संविदा पर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का भविष्य निधि कार्यालय जबलपुर में संधारित एकाउंट नम्बर व राशि कब से कटौती कर जमा की गई चालान की रसीद सहित बताएं? (घ) यदि नहीं तो नियोक्ता के विरूद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही हुई? यदि कार्यवाही नहीं हुई तो कब तक की जायेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ, विकास आयुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 16547/22/वि-2/स्था./08 भोपाल दिनाँक 05.12.08 के द्वारा संविदा पर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के ई.पी.एफ. कटौती किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे, **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। (ख) जी हाँ, शासन द्वारा जारी निर्देश दिनाँक 05.12.08 के अनुसार अगस्त 2008 से जिला पंचायत में संविदा पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों का ई.पी.एफ. कटौती की जा रही है। (ग) जिला पंचायत में मनरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का ई.पी.एफ. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय जबलपुर नियमित रूप से जमा किया गया है। मनरेगा संविदा अधिकारी/कर्मचारियों की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है एवं अंतिम चालान की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है। जिला पंचायत में संविदा पर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय जबलपुर को आवंटित कोड

क्रमांक 22090 का पद नाम संशोधित कराने हेतु लेख किये जाने के बावजूद अभी तक संशोधन न हो पाने से अधिकारी/कर्मचारियों की ई.पी.एफ. कटौती की राशि जमा नहीं की जा सकी है। पत्र की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार** है। (घ) उत्तरांश ख तथा ग के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कपिल धारा कूपों का खनन

140. (क्र. 3534) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले के जनपद पंचायत कुसमी, मझौली एवं देवसर के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायतों में कपिलधारा कूप खनन एवं इन्द्रा आवास के आवंटन वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में कितनी संख्या में की गई थी? पंचायतवार, वर्षवार संख्या बतायें? (ख) प्रश्नांक (क) के संदर्भ में कितने कपिलधारा कूपों को खनन एवं इन्द्रा आवास भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है? यदि पूर्ण कर लिया गया है तो वर्षवार, पंचायतवार जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांक (ग) के संदर्भ में अपूर्ण कपिलधारा कूपों का खनन कार्य एवं इन्द्रा आवास भवनों का निर्माण कार्य अपूर्ण है? पंचायतवार, वर्षवार जानकारी देवें? (घ) प्रश्नांक (ग) के संदर्भ में अपूर्ण कपिलधारा कूपों का खनन कार्य एवं इन्द्रा आवास भवनों का निर्माण कार्य अपूर्ण है तो कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले में जनपद पंचायत कुसमी, मझौली एवं देवसर के अंतर्गत पंचायतों में कपिलाधारा कूप खनन एवं इंदिरा आवास आवंटन की वर्ष 2010-11 से 2014-2015 तक जनपद पंचायतवार, वर्षवार संख्या **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ एवं ब अनुसार** है। (ख) पूर्ण कार्यो की संख्या उत्तरांश क के **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ एवं ब अनुसार** है। (ग) अपूर्ण कार्यो की संख्या उत्तरांश क की जानकारी में सम्मिलित है। (घ) मनरेगा अंतर्गत अपूर्ण कपिलधारा कूपों को पूर्ण कराया जाना जॉबकार्डधारी श्रमिकों द्वारा रोजगार की मांग व केन्द्र सरकार से समुचित राशि की उपलब्धता पर निर्भर होने से निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। इंदिरा आवास पूर्ण करने की कार्यवाही प्रचलित है निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है

प्रदेश के मण्डी सचिवों की वेतन वृद्धि रोकी जाना

141. (क्र. 3551) श्री तरूण भनोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनाँक 30.09.2014 को अध्यक्ष मण्डी बोर्ड (माननीय किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री म.प्र.) भोपाल द्वारा मंत्रालय भोपाल में प्रदेश के मण्डी सचिवों को वेतन वृद्धि प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड भोपाल द्वारा रोके जाने के विरूद्ध अपील प्रकरण पर

सुनवाई की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि अपील प्रकरण में सुनवाई की गई है तो क्या उस संबंध में निर्णय पारित कर प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड भोपाल को क्रियान्वयन हेतु भेजा गया है? यदि हाँ तो प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड भोपाल द्वारा निर्णय से संबंधित मण्डी सचिवों को अवगत कराया गया है अथवा नहीं? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या अध्यक्ष मण्डी बोर्ड के निर्णय को रोकने का अधिकार प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड भोपाल को अधिनियम/बोर्ड विनियमन में प्राप्त है? नहीं तो निर्णय क्यों रोका गया है? अपील प्रकरण के निर्णय की प्रति संबंधित मण्डी सचिवों को कब तक प्रदाय की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। संबंधितों को अवगत कराया गया। (ग) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

<u>अमानक बेन्टोनाईट पर कार्यवाही</u>

142. (क्र. 3554) श्री प्रहलाद भारती : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वर्ष 2013-14 में शिवपुरी जिले के विकासखण्ड पोहरी से बेन्टोनाईट सल्फर 90 प्रतिशत का नमूना लिया गया था जिसका कोड नम्बर एस.आर. 20 था उक्त नमूने का पुन: विश्लेषण उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला वाराणसी उत्तरप्रदेश से कराया गया जिसमें बेन्टोनाईट सल्फर 90 प्रतिशत के स्थान पर शून्य प्रतिशत तत्व पाये गये थे? (ख) क्या यह भी सही है कि उक्त नमूने के संबंध में विक्रेता/प्रदायक एवं निर्माता कंपनी के विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज कराने के निर्देश उपसंचालक कृषि शिवपुरी द्वारा उर्वरक निरीक्षण एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड पोहरी को दिये गये थे? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि हाँ, तो क्या उर्वरक निरीक्षक द्वारा प्रकरण में एफ.आई.आर दर्ज कराई गयी यदि नहीं तो क्यों? क्या वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने वाले उक्त उर्वरक निरीक्षक के विरूद्ध शासन दण्डात्मक कार्यवाही करेगा व कब तक? (घ) क्या शासन उन कृषकों को उक्त बेन्टोनाईट का उपयोग करने के कारण हुयी क्षति का मुआवजा देने पर विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो मुआवजा कब तक प्रदाय कर दिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। बेन्टोनाइट सल्फर 90% के नमूने विकासखण्ड पोहरी एवं बदरवास से कोड क्रमांक-एस.आर. 20 एवं वी.डी. 21 लिये गये थे जो परीक्षण में अमानक पाये गये। दोनो रेफरी नमूनों के पुन: परीक्षण में तत्व शून्य दर्शाकर अमानक घोषित किये गये। उर्वरक निरीक्षक बदरवास द्वारा उक्त नमूनों की निर्माता कंपनी मेसर्स अविरल बायोटेक फर्टिलाइजर के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी क्रमांक 257/14 दिनाँक 24.07.2014 दर्ज कराई गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 में क्षति का मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

ई पंचायतों की स्थापना एवं क्रियान्वयन

143. (क्र. 3592) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर, रतलाम, नीमच जिले में जिन पंचायतों में ई कक्षों की स्थापना हो चुकी है? क्या उन गांवों के पंचायत कर्मियों को समयावधी में प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है? यदि हाँ तो कितने-कितने पंचायत कर्मियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, सूची जिलेवार उपलब्ध करावें? (ख) क्या यह सही है कि जिस कम्पनी को ई पंचायत भवन का कार्य (प्री फेब्रीकेशन) सौंपा गया था उसने अनुबंध सीमा के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं किया? क्या उक्त कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ तो कार्यवाही से अवगत करावे? (ग) उक्त जिलों में लक्ष्य अनुरूप समस्त कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जाएगा? ई पंचायत भवन निर्माण का कार्य (प्री फेब्रिकेशन) एवं अन्य की विगत एक वर्ष में कब-कब किस-किस व्यक्ति द्वारा कहाँ-कहाँ पर घटिया निर्माण को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई? शिकायतकर्ता के नाम सहित प्रकरण की अद्यतन स्थिति बताएं?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। मंदसौर, रतलाम एवं नीमच जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में ई-कक्ष स्थापित हो चुके है। ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटरीकरण किये जाने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम रोजगार सहायको को कम्प्युटर संचालन हेतु प्रशिक्षण महात्मा गांधी ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान, जबलपुर द्वारा दिया गया है, प्रशिक्षितों की जिलेवार संख्या, **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ। लघु उद्योग निगम को जिलों से प्राप्त राशि के विरूद्ध अप्रारंभ निर्माण कार्यो को निरस्त कर राशि जिलों को वापिस करने एवं नियम/अनुबंध की शर्तो के अनुसार दण्डारोपित करने हेतु निर्देश दिये गये है। (ग) म.प्र.लघु उद्योग निगम को प्रगतिरत कार्य समयसीमा में शीघ्रातिशीघ्र कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। साथ ही जिलों को अप्रारंभ कार्यो के निर्माण कार्य पारंपरिक रूप से परिवर्तित कर कार्य पूर्ण शीघ्रातिशीघ्र करने हेतु भी निर्देश दिये गये हैं। उक्त जिलों में घटिया निर्माण के संबंध में शिकायत नहीं है।

<u>परिशिष्ट – "**छत्तीस**"</u>

आर.टी.ओ. कार्यालय में लंबित दस्तावेज प्रकरण

144. (क्र. 3593) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर, रतलाम, नीमच जिले में 1 जनवरी 2014 के पश्चात् परिवहन विभाग आर.टी.ओ. कार्यालय में ऐसे कितने आवेदन परमिट, फिटनेस, नये एवं पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन, लायसेंस आदि जिनका निराकरण समय अवधि में किया जाना था जो नहीं हो पाया, कारण बताऐं? (ख) क्या यह सही है कि उक्त जिलों में गत 1 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनाँक द्वारा अधिकांश आवेदनों का निराकरण नहीं किया जा रहा है? यदि नहीं तो ऐसी

कितनी शिकायत विभाग के पास लंबित है जिनमें आवेदक ने समय सीमा में कार्य न होने की शिकायत विभाग के पास दर्ज कराई? कितनी शिकायत विभाग के पास लंबित है जिनमें आवेदक ने समय सीमा में कार्य न होने की शिकायत की है? (ग) क्या यह सही है कि उक्त जिलों में आरटीओ विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा अपने परिजन एवं मित्रों के माध्यम से (जो विभाग के शासकीय सेवक नहीं है) कार्य हेतु अवैध वसूली कराई जा रही है? यदि नहीं तो 1 जनवरी 2012 के पश्चात् कहाँ-कहाँ पर ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) मंदसौर, रतलाम, नीमच जिले में 1 जनवरी 2014 के पश्चात अब तक लोक सेवा गांरटी योजना के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में परमिट, फिटनेस, नये एवं पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन एवं लायसेंस के आवेदनों का निराकरण किया गया है। प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में होने से शेष प्रश्नांश का उत्तर अपेक्षित नहीं। (ख) जी नहीं, समय सीमा में प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाता है। आवेदक के कार्य समय सीमा में ना होने संबंधी विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। अतः शेष प्रश्नांश का उत्तर अपेक्षित नहीं। (ग) जी नहीं।

ए.पी.एल परिवारों को केरोसिन उपलब्ध कराये जाना

145. (क्र. 3620) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में कुल कितने ए.पी.एल परिवार है? उन ए.पी.एल परिवारों में से समान्य/पिछड़ा वर्ग के वंचित परिवार (शासन की रियायत को छोडकर) जिनको खाद्यान्न की सामग्री नहीं मिल रही है ऐसे कुल कितने परिवार है? (ख) क्या यह सही है कि जून जुलाई 2014 सत्र में खाद्य मंत्री जी द्वारा उन्हें केरोसिन उपलब्ध कराया जावेगा? ऐसा आश्वासन दिया गया था? यदि हाँ, तो ऐसे वंचित ए.पी.एल परिवारों को कब तक केरोसिन उपलब्ध कराया जावेगा?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 प्रदेश में दिनाँक 01 मार्च, 2014 से लागू होने के उपरांत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत एपीएल परिवार नामक कोई श्रेणी नहीं होने से जानकारी दी जाना सम्भव नहीं है। (ख) विधानसभा के शीतकालीन सत्र दिसम्बर, 2014 में अशासकीय संकल्प क्र. 10 पर सदन में चर्चा के दौरान माननीय खाद्य मंत्रीजी द्वारा गैर रियायती दर का केरोसीन गैर प्राथमिकता परिवारों को उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया गया था। भारत सरकार ने दिनाँक 19.1.2015 को गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केरोसीन का व्यापार नियंत्रण मुक्त किया गया है जिससे कोई भी व्यक्ति जनता को आवश्यकता अनुसार गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का केरोसीन का व्यापार कर सकता है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उचित मूल्य दुकान की स्थापना

146. (क्र. 3626) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उचित मूल्य दुकान खोलने का क्या प्रावधान है? विधान सभा क्षेत्र नागदा-खाचरौद की कितनी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उचित मूल्य की दुकाने संचालित है एवं कितनी पंचायत मुख्यालयों पर उचित मूल्य की दुकानें संचालित नहीं है? (ख) यदि नहीं है तो शासन स्तर पर इसकी क्या योजनाऐं बनाई गई है? यदि योजना बनाई गयी है तो विधानसभा क्षेत्र नागदा-खाचरोद में शेष पंचायतों में कब तक उचित मूल्य की दुकानें खोली जावेगी?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2009 के उपबंध 2 की कंडिका 2 (दो) में प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उचित मूल्य की दुकान होगी, परन्तु यदि किसी पंचायत में न्यूनतम 200 से कम राशनकार्ड हैं तो दो ग्राम पंचायतों को शामिल कर एक उचित मूल्य की दुकान खोली जावेगी। विधानसभा क्षेत्र नागदा-खाचरौद में कुल 82 ग्राम पंचायतों में से 57 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं शेष 25 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उचित मूल्य की दुकानें संचालित नहीं हैं। (ख) इस बाबत वर्तमान में कोई योजना स्वीकृत नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>अनाज भण्डारण की व्यवस्था</u>

147. (क्र. 3703) श्री जितू पटवारी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 2012-13 एंव 2013-14 में एंव वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रश्न दिनाँक तक म.प्र शासन द्वारा कितना अनाज किसानों से क्रय किया गया है? खाद्यान्नवार जानकारी देवें? (ख) क्या म.प्र में अनाज भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्थाऐं हैं? यदि हाँ तो क्या-क्या व्यवस्थाऐं हैं? शासकीय अनाज भण्डारण गृह कहाँ-कहा पर स्थित है एवं इनकी कितनी क्षमता है? जिलेवार जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उपरोक्तानुसार कितने शासकीय एवं कितने निजी भण्डारण गृह है? शासकीय भण्डार गृहो के रखरखाब एवं देखभाल की क्या व्यवस्था है? (घ) विगत 2012-13 एवं 2013-14 में कितना अनाज बारदानों में एवं कितना अनाज खुले में रखा गया था एवं इनमें से कितने क्विंटल अनाज उचित देखभाल एवं रखरखाव के अभाव में सड़ गया? जिलेवार जानकारी देवें? (ड) इस हेतु शासन द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर क्या दण्डिक कार्यवाही की गई?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अ' अनुसार** है। (ख) मध्यप्रदेश में अनाज भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्थाऐं हैं। विभिन्न भण्डारण व्यवस्थाओं की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'ब' अनुसार** है। (ग) जिलेवार शासकीय/ निजी क्षमता की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'ब'**

अनुसार है, गोदामों में भण्डारित स्कंध के वैज्ञानिक रख-रखाव हेतु पर्याप्त डनेज, कीटनाशक औषाधियां, फ्यूमीगेशन कवर, कैप कवर आदि की पर्याप्त व्यवस्था है। (घ) वर्ष 2012-13 में 82.34 लाख मे.टन एवं वर्ष 2013-14 में 61.74 लाख मे.टन अनाज वारदानों में (गोदाम/कैप) में सुरक्षित भण्डारित था। वर्ष 2012-13 में 0.21 लाख मे.टन एवं वर्ष 2013-14 में 1.29 लाख मे.टन अनाज बिना वारदानों के सायलो बैग में भण्डारित किया गया था। अत्यधिक आंधी-वर्षा, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य मानव नियंत्रण से परे कारकों के कारण प्रदेश में लगभग 3777.00 मे.टन की गोदाम एवं कैप में गुणवत्ता प्रभावित हुई जो कि कुल भण्डारित मात्रा का मात्र 0.06 प्रतिशत है। जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'स' अनुसार** है। (ड.) म.प्र. वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के तात्कालीक शाखा प्रबंधक बक्तरा श्री विद्याराम अर्गल, शाखा प्रबंधक पिपरिया (डोकरीखेड़ा) श्री जे.एस. पोरस, शाखा प्रबंधक पवारखेडा श्री एस.के. गुरूव एवं शाखा प्रबंधक हथनापुर श्री आई.एम.एस. मनचंदा जिला होशंगाबाद के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। शेष स्थानों पर क्षति मानव नियंत्रण के बाहर के कारणों से होने से कार्यवाही नहीं की गई है।

<u>बैतूल जिले में कपिल धारा योजना का क्रियान्वयन</u>

148. (क्र. 3757) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में कपिल धारा योजना किस दिनाँक से लागू की गई, इस योजना के तहत किस विकास खण्ड में किस वर्ष में कितने कूप स्वीकृत किए? इनमें से किस वर्ष में स्वीकृत कितने कूपों का प्रश्नांकित तिथि तक निर्माण पूरा करवाया जाकर सी.सी. जारी कर दी गई है? मार्च 2014 के पूर्व स्वीकृत कितने कूप पूरे नहीं किए जा सके हैं?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जिला बैतूल में मनरेगा की कपिलधारा उपयोजना 26 अगस्त 2006 से लागू की गई है। इस उपयोजना के तहत प्रश्नांकित तिथि तक स्वीकृत, पूर्ण ओर सी.सी. जारी किये जाने की वर्षवार, विकास खण्डवार जानकारी क्रमशः **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ, ब, एवं स, अनुसार** है। मार्च 2014 के पूर्व स्वीकृत कुओं में से 4003 कूप पूरे नहीं किये जा सके हैं।

<u>एस.आई.आर.डी द्वारा एन.जी.ओ. को किया गया भुगतान</u>

149. (क्र. 3781) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एस.आई.आर.डी (ग्रामीण रूरल ट्रेनिंग संस्थान) जबलपुर संचालक ने किन-किन एन.जी.ओ को ट्रेनिंग के लिए किस-किस जिले को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? ट्रेनिंग देने वाली एन.जी.ओ. के नाम और वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में कितना-कितना भुगतान किया? प्रशिक्षण कार्यक्रम का सी.ई.ओ जिला पंचायत से सत्यापन रिपोर्ट ली गई या नहीं? (ख) इनमें से ऐसे कितने एन.जी.ओ. है जिनका पंजीयन संजय

गांधी ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान पंचमढ़ी में पंजीकृत है? (ग) क्या एस.आई.आर.डी के अन्तर्गत एनजीओ को दिये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम में गड़बड़ी संबंधित जांच सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने की थी? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन में क्या निष्कर्ष निकले? क्या जांच प्रतिवेदन के आधार पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो किन-किन अधिकारियों पर की गई? क्या इस संबंध में विभाग के मंत्री द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई? यदि हाँ तो उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध करायें?

[

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर द्वारा एनजीओ के माध्यम से करवाये गये प्रशिक्षणों के भुगतान राशि का विवरण वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 की योजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र (1) अनुसार** है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत की रिपोर्ट के आधार पर ही समस्त एनजीओ को भुगतान किया गया है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र (2) अनुसार** है। (ग) सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, द्वारा गठित जाँच दल द्वारा करवायी गई है। अनियमितता होना पाया गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र (3) अनुसार** है। जी हाँ। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संचालक राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। जी नहीं। निलंबन नहीं किया गया।

<u>अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किया जाना</u>

150. (क्र. 3805) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले में ग्रामीण सेवा यांत्रिकी विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि से कहाँ-कहाँ कराये गये? मदवार, वर्षवार बतायें? (ख) उक्त कार्यों के पूर्ण/अपूर्ण की स्थिति बताये? अपूर्णता का क्या कारण है, जबकि विभाग द्वारा पूर्ण राशि का भुगतान संबंधित एजेंसी/ठेकेदार को कर दिया गया है? (ग) उक्त कार्यों का मापन मूल्यांकन एवं सत्यापन किस-किस अधि./कर्मचारी के द्वारा किया गया, नाम पदनाम सहित बतायें? (घ) उक्त कार्यों को पूर्ण कराने के लिये विभाग द्वारा क्या प्रयास किये गये? अपूर्ण कार्यों के लिये कौन-कौन अधिकारी/ कर्मचारी/ ठेकेदार जिम्मेदार है उन पर शासन कब तक क्या कार्यवाही करेगा बतायें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में** रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। ठेकेदार को पूर्ण कार्यों का ही पूर्ण भुगतान किया जाता है, प्रतिवेदित है अपूर्ण कार्य में ठेकेदार को पूर्ण भुगतान नहीं किया गया। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) समय सीमा में कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों को अनुबंधानुसार नोटिस जारी किये गये हैं, ठेकेदारों को अंतिम देयक के भुगतान के पूर्व अनुबंधानुसार अर्थदण्ड का निर्धारण अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

द्वारा किया जाता है। कार्य समय सीमा में पूर्ण न होने में किसी अधिकारी का दोष न होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई।

कृषि विकास की योजनाएं

151. (क्र. 3809) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले में सत्र 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक हलधर योजना, बलराम तालाब योजना से कितने किसानों को लाभांवित किया गया? विकासखण्डवार संख्या देवे? (ख) प्रश्न (क) की अवधि में जैविक कृषि हेतु शासन से कितना आवंटन प्राप्त हुआ और कितना व्यय किया गया, तथा कितने हितग्राहियों को लाभांवित किया गया? विकासखण्डवार हितग्राही की संख्या बताएं? (ग) अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के कृषकों को उन्नत कृषि के लिये कब व कहाँ प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये? कहाँ भ्रमण कराया गया? कितना आवंटन प्राप्त हुआ और कितना व्यय हुआ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है।

कटनी जिले में जिला स्तरीय सेवाएं

152. (क्र. 3825) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मिशन संचालक, मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के आदेश दिनाँक 11/11/2014 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के विपरीत नगर पालिक निगम कटनी में पोर्टल पर नवीन पंजीयन एवं अपडेशन की सुविधा बंद करते हुए लोक सेवा केंद्र कटनी के माध्यम से नवीन पंजीयन एवं अपडेशन का कार्य किया जा रहा है? उक्त कार्य किस नियम, किसके आदेश के तहत किस दिनाँक से किया जा रहा है तथा आवेदनों के निराकरण की समयावधि एवं शुल्क कितना निर्धारित किया गया है एवं इस सेवा का पदाभिहित अधिकारी कौन है? (ख) क्या यह सही है कि स्थानीय निकायों के माध्यम से किये जाने वाले नवीन पंजीयन एवं अपडेशन कार्य में हितग्राही से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था एवं शासन द्वारा इस बाबत बजट राशि भी उपलब्ध करायी जाती थी? (ग) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) के अंतर्गत लोकसेवा केंद्र के माध्यम से कार्य कराने से आम जनता को शुल्क के रूप में राशि प्रदान करनी पड़ रही है और लोक सेवा केंद्र के द्वारा उक्त राशि अपनी सुविधानुसार 60 रूपयों से लेकर 60 रूपयों तक ली जा रही है? (घ) क्या समग्र आई.डी. कार्य हेतु शासन द्वारा कटनी जिले के किस-किस विभाग/कार्यालय को कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई एवं प्राप्त राशि से कार्य नहीं करवाने तथा लोक सेवा केंद्र संचालक को लाभ पहुंचने निविदा शर्तों के विपरीत नागरिकों से शुल्क लेने समय-सीमा निर्धारण के बगैर कार्य करवाने हेतु कौन-कौन जिम्मेदार है? इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी? बतावें? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

केरोसिन के डीलरशिप की जांच

153. (क्र. 3835) श्रीमती शीला त्यागी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में कितने केरोसीन डीलर, फुटकर विक्रेता और हाकर पंजीकृत है? इनमें कितने ऐसे हैं जो मृत हो चुके हैं और उनका लाईसेंस निरस्त कर दिया गया है? ऐसे कितने है जिनका लाईसेंस निरस्त नहीं किया गया और क्यों किस नियम के तहत लाईसेंस निरस्त नहीं किया गया? ऐसे कितने डीलर हैं जो केरोसीन एवं पेट्रोल पंप भी संचालित कर रहे हैं? (ख) ऐसे कितने लाईसेंसी है जिन्हें एस.सी., एस.टी., ओबीसी के कोटे से लाईसेंस दिया गया है? क्या लाईसेंसी के अलावा भी कोई अन्य व्यक्ति संचालित कर सकता है? यदि हाँ तो नियम बतायें? उक्त सभी प्रकार के लाईसेंसों का नवीनीकरण कब होना चाहिए? (ग) क्या ये भी सही है कि पेट्रोल पंपों की नियमित जांच के निर्देश है किंतु रीवा जिले व रीवा शहर में नियमित जांच नहीं की जाती, सेम्पलिंग का कार्य भी बंद है? यदि नियमित जांच की जा रही है तो पिछले तीन सालों में रीवा शहर में पेट्रोल पंपों की कब-कब जांच की गई? (घ) लाईसेंस नवीनीकरण न किये जाने पर जनवरी 2015 में खाद्य विभाग ने कितने पंपों के खिलाफ कार्यवाही की? कितना स्टाक पकड़ा गया? सील किये गये पंप कब से कब तक बंद रहे? कब से कब तक अवैध रूप से तेल की बिक्री की? तेल कंपनियों को क्या सूचना दी गई? नहीं दी गई तो क्यों?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

म.प्र. में खाद संकट

154. (क्र. 3846) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 में रबी फसलो के लिये मुरैना जिले में सहकारी एवं निजी क्षेत्र में कुल कितना उर्वरक उपलब्ध कराया गया एवं कितना उर्वरक वितरण हुआ है? (ख) क्या शासन ने प्रश्न दिनाँक तक मुरैना जिले में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराया है रकबेवार उर्वरक की उपलब्धता बतायें? (ग) क्या यह सही है कि मुरैना जिले में कृषक घण्टो लाईन में खड़े रहकर भी पर्याप्त मात्रा में उर्वरक नहीं ले पाये तथा ब्लेक मे गली मोहल्लो में भरपूर उर्वरक मिल रहा है? दोषी का पता लगाकर शासन दोषी के विरूद्ध कब तक कार्यवाही करेगा?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) मुरैना जिले में रबी 2014-15 में सहकारी एवं निजी क्षेत्र में कुल 54360 मेट्रिक टन उर्वरक उपलब्घ कराया गया एवं 53567

मेट्रिक टन उर्वरक वितरण कराया गया। (ख) रबी 2014-15 में मुरैना जिले में 2, 68, 839 हेक्टेयर क्षेत्र में बौनी की गई है एवं 54360 मेट्रिक टन उर्वरक उपलब्घ कराया गया। (ग) उर्वरक की उपलब्धता अनुसार राजस्व एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास के अधिकारियों/कर्मचारियों की देख रेख में तथा पुलिस अभिरक्षा में तहसील मुख्यालयों से सतत रूप से उर्वरक का वितरण कृषकों को कराया गया है । शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

नि:शक्त जनों को वितरण

155. (क्र. 3858) श्री अंचल सोनकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले के अन्तर्गत सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक कितने नि:शक्त जनो को ट्राई साइकिल, बैसाखी, कृत्रिम अंग आदि, वितरण किया गया है? (ख) प्रश्नांक (क) में वितरित किये गये सामग्री किस फर्म से कब-कब क्रय की गई सामग्री सहित फर्मो की सूची देवें? क्या सामग्री क्रय करने के पूर्व नियमानुसार निविदा आमंत्रित की गई थी? यदि हाँ, तो कब-कब एवं किन-किन फर्मो ने निविदा डाली विवरण दें? यह भी बतायें कि निविदा उपरांत किस फर्म को किन-किन सामग्री हेतु पात्र पाया गया नाम बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) में सामग्री क्रय करने हेतु शासन से कितना आवंटन वर्षवार प्राप्त हुआ? यह भी बताया जावे कि वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक हितग्रहियों हेतु किन-किन सामग्री का वितरण हेतु क्रय किया कितनी सामग्री का वितरण हुआ कितनी शेष हैं?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जबलपुर जिले के अंतर्गत 1642 निःशक्तजनों को ट्राई साइकिल, बैसाखी, कृत्रिम अंग आदि का वितरण किया गया। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। निःशक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण/सहायक उपकरण की दरों का निर्धारण शासन द्वारा किया जाता है। जबलपुर जिले में सामग्री क्रय हेतु निविदा आमंत्रित नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट – "सैंतीस"

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का क्रियान्वयन

156. (क्र. 3860) श्री मेव राजकुमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजनांतर्गत महेश्वर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2012-13 से वर्तमान तक वर्षवार कितना लक्ष्य आवंटित किया गया था? आवंटित लक्ष्य के विरूद्ध कितने आवास स्वीकृत किये गये? कितने पूर्ण हुये, अपूर्ण है, एवं कितने अप्रारंभ है? अपूर्ण एवं अप्रारंभ

आवासों की संख्या बतायें? महेश्वर विधान सभा क्षेत्र के संदर्भ में जनपद पंचायत वार एवं बैंक शाखा वार संख्या बताई जावें? (ख) क्या मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अंतर्गत आवास की लागत हर जिले में भिन्न-भिन्न है अथवा एक समान है, आवास का मॉडल प्रत्येक जिले में भिन्न-भिन्न है अथवा एक समान आवास निर्माण किये जा रहे हैं? (ग) मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजनांतर्गत आवास लागत में कितनी राशि ऋण एवं कितनी राशि अनुदान के रूप में एवं कितनी राशि हितग्राही के अंश के रूप में दी जाती है? आवास निर्माण हेतु हितग्राहियों को कितनी किश्तों में राशि उपलब्ध कराई जा रही है? हितग्राही के खाते में अनुदान राशि जमा किये जाने की क्या प्रक्रिया है, अवगत कराई जावें? (घ) क्या यह सही है कि आवास निर्माण हेतु हितग्राही को अनुदान की राशि समय पर उपलब्ध कराई जा रही है? यदि नहीं तो क्या अनुदान राशि ऋण के अनुपात में जमा नहीं किये जाने के कारण संपूर्ण राशि पर हितग्राही से ब्याज राशि वसूल की जा रही है? यदि हाँ तो महेश्वर विधान सक्षा क्षेत्र में ऐसे कितने हितग्राही है जिनसे संपूर्ण राशि पर ब्याज वसूल किया गया है? महेश्वर विधान सभा क्षेत्र के संदर्भ में जनपद पंचायत वार एवं बैंक शाखा वार संख्या बताई जावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में, राज्य स्तर से, जिलेवार लक्ष्य आवंटित किये जाते हैं। विधानसभा क्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं। इस मिशन में, जिला स्तर से जनपद पंचायतवार लक्ष्य भी निर्धारित किये जाते हैं। विधानसभा क्षेत्र महेश्वर के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत महेश्वर में वर्ष 2012-13 में 1040 तथा वर्ष 2013-14 में 1040 एवं 2014-15 में 975 का लक्ष्य जिला स्तर से निर्धारित किया गया था। इस विधान सभा क्षेत्र में आने वाली जनपद पंचायत बडवाह की 28 ग्राम पंचायतों के लिए पृथक से लक्ष्य निर्धारित नहीं है। महेश्वर विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में वर्ष 2012-13 से वर्तमान तक, (वर्ष 2014-15 में अभी तक) जनपद पंचायतवार एवं बैंक शाखावार स्वीकृत, पूर्ण, अपूर्ण एवं अप्रारंभ आवासों की संख्या की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अंतर्गत आवासीय इकाई की लागत, प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक समान है। इस मिशन के अंतर्गत हितग्राहियों की सुविधा के लिए आवासों के 9 अभिन्यासों के विभिन्न विकल्पों को उपलब्ध कराया गया है। (ग) मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अंतर्गत आवास लागत रु. 1.20 लाख है। इसमें रु. 50, 000/मात्र ऋण एवं रु. 50, 000/मात्र राज्य शासन का अनुदान है। शेष रु. 20, 000/मात्र हितग्राही का सामग्री/मजदूरी के रूप में अंशदान है। आवास निर्माण हेतु हितग्राही को तीन किश्तों में राशि उपलब्ध करायी जा रही है। उपरोक्त तीन किश्तों में से, प्रत्येक किश्त में 50 प्रतिशत राशि शासकीय अनुदान के रूप में हितग्राही के आवासीय ऋण खाते में, संबंधित बैंक द्वारा स्थानांतरित की जाती है। (घ) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट – "अड़तीस"

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत मार्ग का निर्माण

157. (क्र. 3866) श्री मेव राजकुमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री सड़क योजनांतर्गत खरगोन जिले में जनपद पंचायतवार योजना प्रारंभ से वर्तमान तक कितने मार्ग, कितनी लागत, कितने किमी. के स्वीकृत किये गये, कितने ग्रामों को जोड़ा जाकर कितने ग्राम लाभान्वित हुये? मार्गवार बताया जावें? (ख) प्रश्न (क) के संदर्भ में खरगोन जिले में कितने मार्ग पूर्ण हुये, कितने अपूर्ण है, कितने अप्रारंभ है? पूर्ण एवं अपूर्ण मार्गों पर कितना व्यय किया गया मार्गवार बताया जावें? अप्रारंभ मार्गों की मार्गवार जानकारी बतावे एवं अप्रारंभ रहने का कारण बतावें? कितने मार्गों का संधारण कार्य/मरम्मत कार्य किया गया एवं उन पर कितना व्यय किया गया कार्यवार बतावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत खरगोन जिले में योजना प्रारंभ दिनाँक से वर्तमान तक 435 मार्ग, 1759.419 किमी. लंबाई के रू. 54485.674 लाख की लागत के स्वीकृत किये गये, जिसमें नवीन स्वीकृत मार्गो से 378 मार्ग ग्रामों को नवीन सडक सम्पर्क सुविधा प्रदान कर जोडा गया तथा 247 ग्रामों को मार्गों का उन्नयनीकरण कर लाभान्वित किया गया है। इस प्रकार कुल 625 ग्रामों को लाभांवित किया जा रहा है। **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (**ख) प्रश्न (क) के संदर्भ में खरगोन जिलें में 382 मार्ग पूर्ण हुये तथा 53 मार्ग प्रगतिरत है। कोई भी मार्ग अप्रारंभ नही है अतः अप्रारंभ रहने के कारण का प्रश्न उपस्थित नही होता। मार्गों पर किये गये व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है।** पांच वर्ष की गारंटी अवधि के 354 मार्ग एवं पांच वर्ष की गारंटी अवधि के पश्चात आगामी पांच वर्षो के संधारण हेतु 88 मार्गो पर क्रमश रू. 595.88 लाख तथा रू. 2603.10 लाख का व्यय किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।**

समर्थन मूल्य पर चना क्रय

158. (क्र. 3868) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत वर्ष 2014-15 में रबी सीजन में म.प्र. शासन द्वारा कुल कितनी मात्रा में समर्थन मूल्य पर कृषि उपज कुल कितना चना क्रय किया गया एवं क्रय चना उपज की कुल कीमत क्या है? (ख) समर्थन मूल्य पर क्रय कृषि उपज चना की कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है एवं कितनी राशि का भुगतान कितने कृषकों को किया जाना शेष है? (ग) हरदा जिले में कृषकों को अपनी कृषि उपज चना समर्थन मूल्य पर विक्रय किये लगभग एक वर्ष का समय व्यतीत होने को है, के बाद भी बहुत से कृषकों को भुगतान नहीं किया गया है? भुगतान नहीं किये जाने का क्या कारण है? (घ) प्रदेश में शेष रहे किसानों को कब तक चना क्रय का पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) विगत वर्ष 2014-15 में सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर 377610.65 क्विंटल चना क्रय किया गया एवं क्रय चने की कुल कीमत राशि रू. 117.06 करोड़ है. (ख) समर्थन मूल्य पर क्रय चना की राशि रू. 117.06 करोड़ का कृषकों को भुगतान किया जा चुका है. (ग) जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या. होशंगाबाद के जिला हरदा में 28 कृषकों को भुगतान नहीं हो पाया था. उपार्जन केंद्र प्रभारी की त्रुटि के कारण. (घ) प्रदेश में शेष, हरदा जिले के उत्तरांश 'ग' के अनुसार 28 किसानों को भी राशि रू. 36.31 लाख का भुगतान कर दिया गया है.

<u>समितियों को सीधे भुगतान किये जाने की शिकायत की जांच</u>

159. (क्र. 3889) श्री संजय पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उपसंचालक किसान कल्याण कृषि विकास कटनी द्वारा वर्ष 2013-14 रवि से प्रश्न दिनाँक तक बीज उत्पादन समितियां टीकमगढ़, सागर, दमोह जिले से कितना-कितना बीज, किस-किस योजना में तथा नगर वितरण हेतु मंगाया गया? वर्षवार, समितिवार जानकारी उपलब्ध करायें? (ख) क्या यह सही है कि प्रति क्विंटल बीज में 250 रूपये से 300 रूपये कमीशन प्राप्त किया जा रहा है और घटिया बीज मंगाकर वितरण किया जाता है? वितरित बीजों के कितने नमूने लिये, क्या परिणाम प्राप्त हुआ? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) बिना कार्यवाही के बीज का वितरण कर अनुदान का भुगतान संबंधित बीज उत्पादन समितियों को सीधे भुगतान किया गया? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी राशि, जानकारी दें तथा नगद बीज वितरण की राशि समितियों को शासन के किस आदेश के तहत किया गया है? (घ) यदि प्रश्नांश (ग) नियम विरूद्ध भुगतान हुआ है तो क्या संबंधित उपसंचालक बीज उत्पादन समितियों को सीधे अनुदान राशि भुगतान करने हेतु दोषी हैं? यदि हाँ, तो क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं। प्रश्नांकित अवधि में प्राप्त बीज के कुल 53 नमूने लिये गये जिसमे से 51 मानक, 2 अमानक स्तर के पाये गये। (ग) जी नहीं। निर्धारित प्रक्रिया/प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया गया। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में शेष कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं है।

<u>परिशिष्ट - ''उनतालीस</u>''

<u>सिवनी जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आयोजन</u>

160. (क्र. 3899) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आयोजित कितने सामूहिक विवाह सम्मेलनों में कितने परिवारों की कन्याओं, विधवा व परित्यक्ता महिलाओं के विवाह कराये गये? इसमें कितनी राशि की आर्थिक सहायता व सामग्री प्रदाय की गई तथा कितनी-कितनी राशि आयोजन पर व्यय हुई? जनपद पंचायतवार वर्ष 01 जनवरी, 2014 से प्रश्न

दिवस तक की जानकारी दें? (ख) सामूहिक विवाह सम्मेलनों में कौन-कौन अधिकारी-कर्मचारियों को आयोजन को सफल बनाने हेतु निर्देशित/आदेशित किया गया था, जनपद पंचायतवार जारी पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (क) अवधि के दौरान प्राप्त वर-वधु के आवेदन पत्रों को सत्यापित करने वाले अधिकारी का नाम बताएं?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) दिनाँक 1 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनाँक तक मुख्यमंत्री कन्यादान योजनांतर्गत 9 सम्मेलनों में 210 परिवार की कन्या/विधवा/परित्यक्त महिलाओं के विवाह संपन्न कराये गये। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। (ग) वर-वधु के आवेदन पत्रों का सत्यापन संबंधित जनपद पंचायत के पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक तथा पंचायत समन्वयक अधिकारियों द्वारा किया गया है।

<u>परिशिष्ट – "चालीस"</u>

<u>पंच परमेश्वर योजना का क्रियान्वयन</u>

161. (क्र. 3900) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के अंतर्गत पंच परमेश्वर योजना में कुल कितनी पंचायतों को वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं चालू वित्तीय वर्ष (प्रश्न दिनाँक) तक कुल कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई? साथ ही उक्त वर्षों में आवंटित बजट/राशि के कितने कार्य किये जाकर पूर्ण हुए अपूर्ण रहे? वर्षवार, जनपद पंचायतवार, ग्राम पंचायतवार जानकारी देवें? (ख) क्या यह सही है कि सिवनी जिले में पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत निर्माण कार्यों की बैंक से राशि आहरण के लिये संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच/सचिव से प्रस्ताव सहित सीईओ जनपद पंचायत की अनुशंसा ली जा रही है? यदि हाँ तो किस नियम के तहत नियम/निर्देश/ आदेश की छयाप्रति उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (क) के संबंध में निर्माण कार्य की राशि आहरण किये जाने हेतु सीईओ द्वारा अवैध रूप से राशि वसूल किये जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं? यदि हाँ तो वर्ष 2011 से प्रश्न दिनाँक तक किस-किस अधिकरी/ कर्मचारी के विरूद्ध क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही हुई? जनपद पंचायतवार, वर्षवार जानकारी दें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) पंच परमेश्वर योजनान्तर्गत जिले की कुल 645 ग्राम पंचायतों को वर्ष 2011-12 में 3560.33 (करोड़) वर्ष 2012-13 में 3618.89 (करोड़) एवं वर्ष 2013-14 में 3595.61 (करोड़) राशि प्रदाय की गई है। **जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। (ख) एवं (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नही होते हैं।

<u>मनरेगा योजना के तहत कार्यों में अनियमितता</u>

162. (क्र. 3945) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत पहाड़गढ़ में वित्तीय वर्ष 2014-15 में सबसे अधिक कम राशि का कार्य करने वाली ग्राम पंचायतें बंधपुरा एवं कुकरोली हैं? यदि हाँ, तो दोनों ग्राम पंचायतों में जनपद पंचायत पहाड़गढ़ के अधिकारियों, कर्मचारियों के द्वारा बेजा लाभ कमाने के उद्देश्य से निर्माण कार्य कराये गये हैं? (ख) क्या उक्त दोनों पंचायतों में लाखों रूपये का फर्जी कार्य कराकर व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया? यदि नहीं तो दोनों पंचायतों में किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन पुन: निष्पक्ष अधिकारी द्वारा करवाया जाएगा? (ग) ग्राम पंचायत बंधपुरा एवं कुकरोली में मनरेगा के तहत किये गये कार्यों का वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक स्वीकृत राशि एवं खर्च की गई? राशि का कार्यों सहित पृथक-पृथक विवरण उपलब्ध कराया जाये? (घ) क्या उक्त ग्राम पंचायत में वर्ष 2014-15 में किये गये कार्यों का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं तो कितना भुगतान शेष है? क्या जांच के समय तक भुगतान रोका गया है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। जी नहीं। (ख) जी नहीं। जिला स्तर पर भौतिक सत्यापन कराने के लिये टीम का गठन किया गया है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) जी नहीं। ग्राम पंचायत बंधपुरा में रू. 20.08 लाख का भुगतान एवं ग्राम पंचायत कुकरोली में रू. 32.37 लाख का भुगतान शेष है। जी हाँ।

सीहोर जिले के प्रस्तावित गेहूँ खरीदी केन्द्र

163. (क्र. 3952) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत वर्ष सीहोर जिले में कितने गेहूँ खरीदी केन्द्र कहाँ-कहाँ बनाए गए थे? इन केन्द्रों में कितना-कितना गेहूँ खरीदा गया था? इन खरीदी केन्द्रों पर कितने किसानों का पंजीयन किया गया था? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें? (ख) इस वर्ष जिले में कितने और कहाँ-कहाँ खरीदी केन्द्र प्रस्तावित हैं? आज दिनाँक तक कितने किसानों का पंजीयन किया गया है? (ग) क्या खरीदी केन्द्रों की संख्या घटाई या बढ़ाई गई? अगर हाँ तो क्यों? विधानसभा क्षेत्रवार, केन्द्रवार जानकारी देवें? (घ) क्या प्रति हेक्टेयर, प्रति किसान गेहूँ खरीदी की सीमा निर्धारित की गई है? अगर हाँ तो कितनी एवं किस आधार पर?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) वर्ष 2014-15 में सीहोर जिले में कुल 155 खरीदी केन्द्र बनाये गये थे। विधानसभा क्षेत्रवार गेंहूँ खरीदी मात्रा एवं किसान पंजीयन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) वर्ष 2015-16 में जिले में 155 खरीदी केन्द्र पूर्व वर्षानुसार बनाये गये हैं। इन केन्द्रों में दिनाँक 25.2.2015 तक 81190 कृषकों ने पंजीयन कराया है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रत्येक तहसील की अधिकतम औसत उत्पादन के मान से उस तहसील के पंजीकृत किसानों द्वारा बोये गये रकबे के आधार

पर खरीदी सीमा निर्धारित की जाती है। जिले में यह सीमा सिंचित और असिंचित के लिए क्रमश: 50 एवं 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।

किसानों की आत्महत्या के प्रकरणों में आर्थिक सहायता

164. (क्र. 3953) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या किसानों की आत्महत्या के प्रकरणों में सरकार सहायता उपलब्ध कराती है? अगर हाँ तो क्या? किसानों को पिछले 3 वर्षों में कैसी सहायता प्रदान की गई? (ख) बैंक/शासकीय संस्था/गैर शासकीय संस्था/निजी व्यक्तियों से लिए गए कर्ज अदायगी हेतु पीड़ित परिवार को राहत देने हेतु क्या कदम उठाए गए? (ग) क्या बकाया बिजली बिल की अदायगी के संदर्भ में पीड़ित परिवारों को राहत देने के प्रावधान हैं? अगर हाँ, तो क्या? (घ) क्या मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार पीड़ित परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी गई? अगर हाँ, तो कितने प्रकरणों में एवं किसे? नाम एवं पते सहित जानकारी देवें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) से (घ) विभाग से संबंधित नहीं।

परिवहन अधिकारी द्वारा किये गये दौरे

165. (क्र. 3977) श्री मधु भगत : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में परिवहन विभाग का प्रभारी वर्तमान में कौन है इनका नाम पद बतायें? (ख) उपरोक्त अधिकारी ने उसको सौंपे गये दायित्वों के तहत प्रति माह औसतन कितने प्रकरण निराकृत किए जैसे कि नवीन परमिट, नवीनीकरण, डायविंग लायसेंस, रजिस्टेशन, टेस्ट, फिटनेश, पुरानी वसूली और कार्यालयीन अन्य कार्य किये विषयवार संख्या बतायें? (ग) क्या उक्त प्राधिकारी ने दौरे भी किये थे यदि हाँ, तो बालाघाट जिले में कार्यकाल के दौरान कहाँ-कहाँ, कब-कब दौरे किये, तिथिवार ब्यौरा देवें?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) बालाघाट जिले में प्रभारी जिला परिवहन अधिकारी के पद पर श्री आर.डी.दक्ष पदस्थ है। (ख) उक्त प्रभारी अधिकारी द्वारा दायित्वों के तहत प्रति माह किये गये कार्यो की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ग) जी हाँ, किये गये दौरों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** हैं।

परिशिष्ट – "इकतालीस"

बालाघाट जिले में सड़कों का निर्माण

166. (क्र. 3979) श्री मधु भगत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में कौन-कौन सी सड़के मुख्यमंत्री ग्राम सड़क/ प्रधानमंत्री सड़क योजना

अंतर्गत चल रही हैं, पूर्ण हो चुकी है, प्रारंभ किया जाना है, उनका स्थान/लागत/दूरी तथा निर्माणकर्ता एजेंसी का नाम बताइयें? (ख) जो योजना अंतर्गत सड़के पूर्ण हो चुकी हैं क्या वे निर्धारित तय सीमा में पूर्ण की गई थी यदि हाँ, तो कौन-कौन सी पूर्ण ब्यौरा दें यदि नहीं तो कौन-कौन सी सड़के पूर्ण नहीं हो सकी? इस संबंध में ठेकेदार/एजेंसी ग्रुप पर क्या-क्या कार्यवाही की गई और निर्माण कार्य से जुड़े ग्रुप में कौन-कौन से लोक सेवक के विरूद्ध कब-कब क्या कार्यवाही की गई? (ग) उक्त योजनाओं के संबंध में मुख्य अभियंता तथा वरिष्ठ अन्य कौन-कौन से प्रशासनिक अधिकारी ने किस-किस तिथि को कहाँ-कहाँ निरीक्षण किये?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। समय-सीमा में कार्य पूर्ण न होने से संबंधित ठेकेदार पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है। ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने के लिए किसी लोक सेवक के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजनांतर्गत निर्माण कार्य

167. (क्र. 4002) श्री विश्वास सारंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2012 से प्रश्न दिनाँक तक भोपाल व रायसेन जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत निर्माणाधीन ऐसी कितनी सड़के है, जिनके निर्माण का ठेका ठेकेदार/फर्म ने लिया और निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ दिया? ऐसे ठेकेदारों/फर्मों की सूची, सड़क का नाम, कितना काम किया व कितना वर्तमान में अधूरा है तथा कितना-कितना भुगतान प्राप्त किया का विवरण ठेकेदार/फर्मवार, सड़कवार (पैकेज) वर्षवार दें? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत सड़क का निर्माण कार्य बीच में अधूरा छोड़ने वाले ठेकेदारों/फर्मों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही प्रश्न तिथि तक विभाग द्वारा की गयी है? (ग) प्रश्नांश (क) के तहत क्या उक्त सड़कों का ठेका पुन: कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या पुन: ठेका करने पर लागत बढ़ी है? यदि हाँ, तो यह बढ़ी हुई लागत उस ठेकेदार से वसूल की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों? कारण दें? नियम बतायें? (घ) प्रश्नांश (क) के तहत क्या ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान भी किया गया है? यदि हाँ, तो कितना-कितना? जिलावार, ठेकेदारवार व अग्रिम भुगतान राशिवार जानकारी दें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) 01 जनवरी 2012 से प्रश्न दिनाँक तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत रायसेन जिले में ठेकेदारों/फर्म द्वारा बीच में अधूरे छोड़े गये कार्यो की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। भोपाल जिले के ठेकेदारों ने बीच में कार्य अधूरा नहीं छोड़ा है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जी हाँ। ठेका पुनः करने के फलस्वरूप अनुबंधानुसार बढ़ी हुई लागत पूर्व ठेकेदार से वसूल की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट – "बयालीस"

राजगढ़ जिले में मनरेगा की राशि का भुगतान

168. (क्र. 4015) श्री गिरीश भंडारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक जो कार्य किये गये उनमें कितने पूर्ण हैं? व कितने अपूर्ण हैं? (ख) प्रश्नांश (क) की उपलब्ध जानकारी अनुसार पूर्ण कार्यों का कितना भुगतान हो चुका है? कितना भुगतान देना बाकी है? भुगतान कब तक किया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) राजगढ़ जिले में महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत २०१२-२०१३ से प्रश्न दिनाँक तक ६२७ ग्राम पंचायतों में कुल २६३९७ कार्य स्वीकृत किए गये है। जिनमें से ३६७७ कार्य पूर्ण एवं २२७२० अपूर्ण है। (ख) प्रश्नांश क की उपलब्ध जानकारी अनुसार २२७२० अपूर्ण कार्यो में से वर्तमान स्थिति में मौके पर पूर्ण हो चुके कार्यो में राशि रूपये ५४१०.१३ लाख का भुगतान हो चुका है राशि रू. ४०१९.०६ लाख का किया जाना बाकी है। केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त होने पर शेष भुगतान कराया जाना संभव हो सकेगा।

ए.3पी प्रोग्राम के तहत मऊगंज को दिया गया लक्ष्य

169. (क्र. 4021) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ए 3पी, एग्रीकल्चर प्लान प्रोडक्शन प्रोग्राम के क्या नियम हैं? दलहन एवं दलहन विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2007 से प्रश्न प्रस्तुति दिनाँक तक विधान सभा क्षेत्र मऊगंज (रीवा) को वर्षवार कितने लक्ष्य प्राप्त हुयें? इनमें वर्षवार कितने लक्ष्य की पूर्ति की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इस योजना के क्रियान्वयन के क्या निर्देश हैं? जारी निर्देश की प्रति देवें? जिन कृषकों के यहाँ इस योजना के अंतर्गत प्रदर्शन डाले गये है उन कृषकों की ब्लाकवार पते सहित सूची उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में इस योजनान्तर्गत प्राप्त सामग्री किन नियमों के अंतर्गत कहाँ से क्रय की गई है एवं किन कृषकों को वितरित की गई है? क्रय नियम एवं वितरण की सूची ब्लाकवार पते सहित उपलब्ध करावें? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में क्या सामग्री क्रय नियमों के अंतर्गत क्रय की गई है? यदि नहीं तो इसके लिये कौन दोषी हैं? दोषी के विरूद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्ता सदस्य को अवगत करायेंगे?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) ए 3 पी, एक्सीलिरेटेड पल्स प्रोडक्शन

प्रोग्राम के नियम की गाईड लार्इन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे** परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। दलहन एवं दलहन विकास योजना अन्तर्गत वर्ष 2007 से प्रश्नांकित अवधि तक विधान सभा क्षेत्र मउगंज रीवा जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। (ख) उत्तरांश (क) के संदर्भ में इस योजना के क्रियान्वयन के निर्देश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है। योजना के अन्तर्गत प्रदर्शन डाले गये सूची की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार** है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में योजनान्तर्गत प्राप्त सामग्री म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रीवा/म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम रीवा के यहाँ से अनुमोदित दर पर प्राप्त की जाकर योजना प्रावधानानुसार कृषकों को वितरित की गई है। वितरण की कृषक सूची विकास खण्डवार पते सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार** है। (घ) जी हाँ। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना</u>

170. (क्र. 4022) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत न्यूट्रीशियल पदक के अंतर्गत प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई है? यदि हाँ तो कहाँ-कहाँ पर की गई है? सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में अभी तक कितने कृषकों को प्रोसेसिंग यूनिट में दलिया का निर्माण अथवा कोदौ, कुटकी, ज्वार, बाजरा आदि की प्रोसेसिंग कराई गई है? विगत तीन वर्षों में प्रोसेसिंग कराये गये कार्य की सूची जानकारी विवरण सहित उपलब्ध करावें? (ग) क्या प्रोसेसिंग यूनिट प्राइवेट समितियों में स्थापित करने के आदेश हैं? यदि हाँ तो कहाँ-कहाँ प्रोसेसिंग यूनिट कराई गई? सूची उपलब्ध करावें एवं कहाँ से प्रोसेसिंग यूनिट क्रय की गई है? क्या शासन से क्रय करने के आदेश हैं? यदि हाँ, तो आदेश की जानकारी देवें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। **(ख)** अभी तक प्रोसेसिंग कार्य नहीं किया जा सका है, अत: विगत तीन वर्षो की सूची होने का प्रश्न ही नही है। (ग) जी हाँ। प्रोसेसिंग यूनिट इंटरप्रिन्यूर/प्रगतिशील कृषक/गैर सरकारी संगठन में स्थापित करने के आदेश है। जो यूनिटे स्थापित की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। भारत शासन द्वारा यूनिट क्रय करने आदेश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। जिले में क्रय की गई यूनिट भारत शासन द्वारा प्रदाय की गई सूची अनुसार न होकर केंद्रीय भंडार ग्रह, रचनानगर भोपाल से क्रय की गई है। इस कारण संबंधित को शासन द्वारा धारा 16 का नोटिस जारी किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है।

ग्राम पंचायत सिघांना द्वारा कराये गये कार्यों की जांच

171. (क्र. 4043) श्रीमती रंजना बघेल (किराड़े) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत सिघांना जनपद पंचायत मनावर में अब तक कितने जाब कार्ड जारी किये गये कार्ड धारियों की जानकारी देवें? (ख) ग्राम पंचायत सिघांना में 2009 से 2015 तक स्वीकृत कार्यों की जानकारी देवें? क्या सभी कार्य नियम अनुसार पूर्ण हो चुके है? कृपया जांच करावें? (ग) क्या ग्राम सिघांना में 2009 से वर्तमान तक जाब कार्ड धारियों को उनके किये गये कार्य दिवस अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है? उचित एजेंसी से जांच कराई जावें? (घ) क्या पंचायत द्वारा सभी स्वीकृत कार्य पूर्ण कर लिये है? यदि हाँ, तो सभी कार्यों के भौतिक सत्यापन किसी अन्य निर्माण एजेंसी से करावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) ग्राम पंचायत सिंघाना में मनरेगा अंतर्गत कुल 2739 जॉबकार्ड जारी किये गये है। कार्ड धारियों की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। (ख) ग्राम पंचायत सिंघाना में 2009 से 2015 तक स्वीकृत 465 में से 446 कार्य पूर्ण किये जा चुके है तथा शेष 19 कार्य प्रगतिरत है। कार्य रोजगार की मांग अनुसार तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर स्वीकृत किये जाकर प्रारम्भ किये गये। कार्यो का मूल्यांकन अनुसार भुगतान किया गया है। प्रगतिरत एवं पूर्ण कार्यो की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है। कार्यो के जांच के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अत: जांच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) ग्राम पंचायत सिंघाना में 2009 से अगस्त 2014 तक जॉबकार्डधारियों को उनके द्वारा किये गये कार्य दिवसों के अनुसार मजदूरी का भुगतान उनके बैंक खातों के माध्यम से किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में माह सितम्बर से राशि के अभाव में मजदूरी की राशि रू. 10.58 लाख का भुगतान शेष है। मजदूरी भुगतान के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अत: जांच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश 'ख' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क मार्गों की स्वीकृति

172. (क्र. 4044) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डिण्डौरी जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से विगत पांच वर्षो में किस-किस मार्ग के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा प्रत्येक मार्ग की लंबाई कितनी-कितनी थी मार्गवार बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत मार्ग की निर्माण की निविदा कब प्रकाशित की गई तथा कौन-कौन ठेकेदार निविदा फार्म भरे, जिसमें किस ठेकेदार को कार्य दिया गया, ठेकेदार ने कब कार्य पूरा किया ठेकेदार ने कितना लम्बा मार्ग बनाया तथा कितनी राशि व्यय की मार्गवार जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार ठेकेदारों द्वारा क्या सभी कार्य सही समय पर पूर्ण किया गया तथा गुणवत्ता पूर्ण किया अगर नहीं

तो बतावें कौन-कौन से कार्य सही समय में नहीं किया गया, तथा गुणवत्ता पूर्ण नहीं किया गया विभाग ने सही समय में कार्य हेतु क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की मार्गवार बतावे? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार पूर्ण मार्ग की मरम्मत हेतु किस दिनाँक को निविदा बुलाया गया तथा वर्तमान में मार्ग की क्या स्थिति है मार्गवार बतावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है।** (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।**

<u>स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूर्ण किया जाना</u>

173. (क्र. 4045) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग डिण्डौरी में वर्ष 2009 से आज तक किस-किस मद से कौन-कौन से कार्य किये गये कार्य का नाम, मद का नाम, स्वीकृत राशि, व्यय राशि कार्य स्थल कार्य विभागीय किया गया या ठेकेदारी से किया गया, वर्तमान में कार्य की भौतिक स्थिति कार्यवार बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत सभी कार्य सही समय में पूर्ण हुए और अगर नहीं हुए तो बतावें कौन-कौन से कार्य सही समय में पूर्ण नहीं हुए सही समय में कार्य पूर्ण नहीं होने के क्या कारण है कौन जिम्मेदार है कार्य को सही समय में पूर्ण करने हेतु विभाग ने कब-कब, क्या-क्या प्रयास किया कार्यवार बतावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) स्वीकृत सभी निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण नहीं हुये हैं। समय सीमा में कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों को अनुबंध की धाराओं के तहत नोटिस जारी किये गये एवं कार्य के अंतिम भुगतान के पूर्व अर्थदण्ड का निर्धारण भी सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाता है। कार्य समय सीमा में पूर्ण न होने में किसी अधिकारी का दोष न होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई। विभाग द्वारा कार्यों को समयावधि में पूर्ण करने हेतु संभाग स्तर एवं राज्य स्तर पर बैठके आयोजित कर कार्यवार समीक्षा की गई। कार्यवार शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>स्वयं सेवी संस्थाओं को कौशल उन्नयन के प्रशिक्षण हेतु दिये गये कार्यादेश</u>

174. (क्र. 4049) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत पांच वर्षों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं को कौशल उन्नयन के प्रशिक्षण हेतु कार्यादेश दिये गये हैं? (ख) यदि हाँ तो उपरोक्त संस्थाओं में से इन 8 संस्थाओं (1) डार्ट डेव्हलपमेंट रिसर्च टीम होशंगाबाद म.प्र. (2) स्वप्रिल एजुकेशन सोसायटी 18/8 संजय काम्पलेक्स टी.टी.नगर भोपाल (3) परिवर्तन सेवा एवं शिक्षा समिति भोपाल (4) लोकगुंजन स्वयं वेलफेयर सोसायटी 3 इंद्रपुरी गुर्जर हॉस्पिटल के सामने भंवरकुआं इंदौर (5) कल्याणी वेलफेयर सोसायटी एम.एम.22 ब्लॉक मानसरोवर

काम्पलेक्स भोपाल (6) सोसायटी फॉर इंटरप्रयोनरशिप इंट्रीग्रेटेड डेव्लपमेंट 9-3/54 गुलमोहर कॉलोनी शाहपुरा भोपाल (7) अंबिका शिक्षा समाज कल्याण समिति 45बी अनशुल प्रधान इन्क्लेव दानापानी रेस्टोरेंट के पास भोपाल एवं (8) फान्डेशन फॉर रिसोर्सेस इन्वायरोन्मेंट कानजी डेव्लपमेंट ऑर्गेनाईजेशन दिलकुसाबाग रायसेन का कार्य क्या संतोषजनक पाया गया? (ग) उपरोक्त में से किन-किन संस्थाओं को कार्य संतोषप्रद ढंग अथवा समयावधि में पूरा न करने का दोषी पाया गया है? तथा उनके विरूद्ध प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गयी है अथवा प्रस्तावित है? क्या दोषी पाये जाने के कारण उपरोक्त में से किसी संस्था को विभाग द्वारा ब्लेक लिस्ट किया जाकर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है? यदि हाँ तो संस्थावार प्रकरणों की जानकारी दें? यदि नहीं तो दोषी संस्थाओं के विरूद्ध प्रश्न दिनाँक तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी एवं इसके लिए कौन दोषी है? (घ) क्या उपरोक्त में से किसी भी संस्था को दोषी पाये जाने के बावजूद भी विभाग अथवा इसके किसी अनुषांगिक संगठन द्वारा इन संस्थाओं को एम्पेनल किया गया है? यदि हाँ तो क्यों और इसके लिए कौन दोषी है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नही कतिपय जिलो द्वारा प्रशिक्षण हेतु कार्यादेश दिए गए। (ख) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत कुल 13 जिलो में प्रश्नांश में उल्लेखित संस्थाओ में से कौशल उन्नयन के प्रशिक्षण हेतु कार्यादेश दिए गए। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र - अ अनुसार** है। इन 13 जिलो में से 9 जिलों में संस्थाओ का कार्य संतोषजनक पाया गया। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र - ब अनुसार** है। (ग) कार्य संतोषप्रद ढंग समयावधि में पूरा न करने वाली संस्थाओं की जिलेवार संस्थावार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र - स अनुसार** है। तथ्य प्रकाश में आने के उपरान्त जिन जिलों में संस्थाओं से किये गए अनुबंध की शर्तो के अनुरूप कार्यवाही नही की गई है उन जिलों के संबंधित अधिकारियो को मार्गदर्शी निर्देशो का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जा चुके है। (घ) प्रश्नांश ख में वर्णित संस्थाओ में से असंतोषप्रद संस्थाओ को ब्लेक लिस्ट करने तथा विभाग की किसी भी योजना में भाग लेने से वर्जित करने की कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट- " तैंतालीस"

बैरियर चैक पोस्ट मुरैना में पदस्थ कर्मी की जांच

175. (क्र. 4092) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मेरी ध्यानाकर्षण सूचना 8 जुलाई 2014 की विभागीय टीप एवं प्रश्न क्रमांक तारांकित 715, दिनाँक 08.12.2014 के उत्तर (ख) में बताया गया कि बैरियर चैक पोस्ट मुरैना में केवल विभागीय व्यक्ति ही कार्यरत हैं? कोई भी प्राइवेट व्यक्ति नहीं रखा गया है? (ख) यदि हाँ तो क्या परिवहन विभाग इस उपरोक्त उत्तर की पुष्टि हेतु प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में खुली जांच कराएगा, यदि हाँ तो कब तक? (ग) प्रश्नकर्ता के प्रश्नांश (क) में वर्णित

तारांकित प्रश्न के संदर्भ में जांच कराने हेतु पत्र भी प्रस्तुत किया था, परंतु प्रश्न प्रस्तुत दिनाँक तक जांच न होने के क्या कारण है?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) हाँ। (ख) जाँच सक्षम अधिकारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मुरैना द्वारा की जा चुकी है। कोई भी प्राईवेट व्यक्ति कार्यरत नहीं पाया गया था। अतः प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में खुली जांच कराये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रस्तुत पत्र की जाँच की जा चुकी है तथा वस्तुस्थिति का **प्रतिवेदन संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार** है।

परिशिष्ट – "चौवालीस"

रासायनिक खाद आपूर्ति

176. (क्र. 4093) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रबी 2014-15 हेतु मुरैना जिले में मुरैना एवं अम्बाह विकासखण्ड में रासायनिक उर्वरक की कितनी मांग की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में कितना-कितना डी.ए.पी. एवं यूरिया उर्वरक मांग अनुसार उपलब्ध कराया गया? विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित मांग की पूर्ति हेतु जिला स्तर (मुरैना) पर किन-किन अधिकारियों को मांग प्रस्तुत की? प्रस्तुत दिनाँक व अधिकारियों का नाम/विभाग आदि सहित जानकारी दें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) रबी 2014-15 में विकासखण्ड मुरैना में 11702 मेट्रिक टन एवं विकासखण्ड अम्बाह में 7573 मेट्रिक टन उर्वरक की माँग की गई। (ख) विकासखण्ड मुरैना में डी.ए.पी. 4424 मेट्रिक टन एवं यूरिया 15503 मेट्रिक टन तथा विकासखण्ड अम्बाह में डी.ए.पी. 1837 मेट्रिक टन एवं यूरिया 5122 मेट्रिक टन उपलब्ध कराया गया है। (ग) रविन्द्र सिंह परिहार, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड अम्बाह एवं रविन्द्र सिंह तोमर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड मुरैना द्वारा श्री आर.पी.गोयल, उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मुरैना को क्रमश: दिनाँक 20/8/14 तथा दिनाँक 22/8/14 को माँग प्रस्तुत की गई। उक्त माँग की आपूर्ति हेतु जिला विपणन अधिकारी मुरैना को दिनाँक 06/09/2014 को प्रेषित की गई है।

श्योपुर जिले में शौचालयों का निर्माण

177. (क्र. 4116) श्री दुर्गालाल विजय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निर्मल भारत अभियान के संबंध में केन्द्र/राज्य शासन के क्या निर्देश हैं? (ख) उक्त निर्देशानुसार अभियान के प्रारंभ दिनाँक से वर्तमान तक प्रतिवर्ष श्योपुर जिले के समस्त ग्रामों के कुल कितने परिवारों को कितनी राशि वर्षवार शौचालय निर्माण हेतु कार्य

ऐजेन्सी/ग्राम पंचायतों के जरिए अथवा सीधे उनके खातों में कब-कब भेजी गई? (ग) उक्त ग्रामों के कुल कितने परिवारों ने वर्तमान तक उक्त राशि में निजी अंश राशि मिलाकर शौचालयों का निर्माण कराया? वर्षवार लाभान्वित परिवारों की कुल संख्या बतावें? (घ) क्या वर्तमान तक प्रश्नांश (ख) में वर्णित अवधि में जिले की समस्त जनपद पंचायतों के अन्तर्गत स्थित सभी ग्रामों में संबंधित विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा योजना के लक्ष्य की पूर्ति हेतु रूचि न लिये जाने के कारण योजना का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से संभव नहीं हो पाया इस कारण मुश्किल से 25 प्रतिशत शौचालयों का ही निर्माण हो पाया हैं 75 प्रतिशत परिवारों के सदस्य तो अब भी खुले में ही शौचालय हेतु जाते हैं? (ड.) यदि नहीं तो क्या शासन जिले के सभी ग्रामों में निर्मित शौचालयों की संख्या का भौतिक सत्यापन करवाकर पाये गये दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेगा यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र स** अनुसार है। (घ) विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा रूचि लेकर आई.ई.सी. के माध्यम से ग्रामीणों को शौचालय बनवाने तथा उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा लक्ष्यपूर्ति के लिये सतत प्रयास किये जा रहे है। (ड.) प्रश्नांश (घ) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कृषक हित में की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन

178. (क्र. 4148) श्री आरिफ अकील : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत प्रदेश में किसान आयोग को सक्षम बनाने, फसलों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा, खेत के साथ खलिहान को भी बीमा दायरे में लाने, कृषि मण्डियों में बीज परीक्षण की लैब स्थापित करने, डेरी उद्योग के लिए तहसील स्तर पर कूलिंग प्लांट लगाने व सिंचाई रकवे में 25 लाख हेक्टेयर को सिंचित करने एवं 0 प्रतिशत ब्याज दर पर खाद-बीज इत्यादि उपलब्ध कराने का वादा किया था? (ख) यदि हाँ, तो क्या 100 दिन की अपेक्षा लगभग 400 दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी वादा पूरा करने में नाकाम रहे? (ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है और यदि नहीं तो उक्त घोषणाओं की अद्यतन स्थिति क्या है?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

वनोपज संघ के पदाधिकारियों द्वारा पद का दुरूपयोग

179. (क्र. 4149) श्री आरिफ अकील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि संयुक्त आयुक्त सहकारिता मध्यप्रदेश द्वारा दिनाँक 14 जुलाई 2014 को पत्र क्रमांक/विप./वनो./2014/1286 के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के संचालक मण्डल के कार्यकाल पूर्ण होने एवं नीतिगत निर्णय नहीं लेने संबंधी पत्र जारी किया था? (ख) यदि हाँ, तो अध्यक्ष के निवास कार्यालय एवं संघ कार्यालय पर कर्मचारी वेतन, स्टेशनरी, मीटिंग, हवाई यात्रा, होटल, वाहन खरीदी, पीओएल. एवं मरम्मत के नाम पर राशि व्यय की गई है? यदि हाँ, तो किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्य में नियम विरूद्ध व्यय की गई राशि का प्रकरण दर्ज कर वसूली प्रबंध संचालक एवं अन्य स्वीकृतकर्ता अधिकारियों से सहकारिता अधिनियम के अनुसार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ. (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

<u>**सीहोर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत किए गये कार्य**</u>

180. (क्र. 4161) श्री सुदेश राय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीहोर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा योजना में वित्तीय वर्ष 2014-2015 में कितना-कितना कार्य कितनी राशि से हुआ है? (ख) प्रश्नांश (क) के कार्यो में कितने कार्य पूर्ण हुए तथा कितने अभी भी अपूर्ण हैं? (ग) प्रश्नांश (क) के उल्लेखित योजना के अंतर्गत मार्च 2014 में सीहोर विधान सभा क्षेत्र में कितने कार्य लंबित थे?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) सीहोर विधान क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा योजना में वित्तीय वर्ष २०१४-१५ में कुल १३२७ कार्यो में से ७६५ कार्यो पर रू. ६२५.५२ लाख व्यय किये गये हैं। (ख) उत्तरांश (क) के कार्यो में से १० कार्य पूर्ण एवं ७५५ कार्य अपूर्ण हैं। (ग) मनरेगा योजना अंतर्गत मार्च २०१४ में सीहोर विधान सभा क्षेत्र में ११२६ कार्य लंबित थे।

<u>**वनाधिकार अंतर्गत पट्टाधारियों को आवास हेतु राशि प्रदान की जाना**</u>

181. (क्र. 4170) श्री रामलाल रौतेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में वनाधिकार के अन्तर्गत कितने आदिवासियों को पट्टा प्रदान किया गया, तथा पट्टाधारियों में से कितने को आवास हेतु प्रथम किश्त की राशि प्रदान की गयी? (ख) क्या प्रश्नाधीन पट्टाधारकों को आवास हेतु द्वितीय किश्त की राशि भी प्रदान की गयी है? यदि हाँ तो द्वितीय किश्त की राशि कब और किस-किस को प्रदान की गयी है? और

यदि नहीं तो द्वितीय किश्त की राशि क्यों नहीं प्रदान की गयी तथा यह बकाया राशि कब तक प्रदान की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) अनूपपुर जिला अंतर्गत वनाधिकार के अन्तर्गत 2737 आदिवासियों को पट्टा प्रदान किया गया है। जिसमें से कुल 901 पट्टाधारियों को इंदिरा आवास वनाधिकार योजना में राशि प्रदाय की गई। (ख) जी नहीं। द्वितीय किस्त की राशि भारत सरकार को भेजा गया है, भारत शासन से राशि अप्राप्त है। प्राप्त होते ही हितग्राहियों को द्वितीय किस्त की राशि जारी कर दी जावेगी।

पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पुल निर्माण

182. (क्र. 4190) श्री नीलेश अवस्थी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पाटन विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने, कौन-कौन से ग्राम, मजरे, टोले है जिनका संपर्क ब्लाक मुख्यालयों से बीच में पड़ने वाली नदी पर पुल न होने की वजह से सड़क मार्ग द्वारा नहीं है? (ख) क्या यह सही है कि पाटन तहसील के ग्राम इटवा ग्राम पंचायत बूडी कोनी के ग्रामवासी, छात्र-छात्रायें, वृद्ध एवं बीमार मरीज अपनी जान जोखिम में डाल कर, ब्लाक एवं तहसील मुख्यालय पाटन हिरन नदी पार कर जाते है इस वजह से कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है एवं जनहानि संभव है? (ग) प्रश्नांक (ख) के उत्तर में यदि हाँ तो क्या शासन ग्रामवासियों की परेशानियों को देखते हुये हिरन नदी पर पुल का निर्माण करेगा? जिससे यहाँ के लोगों का ब्लाक मुख्यालय से सीधा संबंध स्थापित हो सके? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों नहीं? (घ) मझौली तहसील अंतर्गत ग्राम मुरेठ में हिरन नदी पर पुल का निर्माण कब अनुबंध की किन शर्तो के अंतर्गत कितनी लागत, किस निर्माण एजेंसी द्वारा, किस अधिकारी के नियंत्रण में किया गया? निर्माण की क्या गांरटी थी एवं वर्तमान समय में यह पुल किस स्थिति में है? क्या शासन उक्त घटिया निर्माण की जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही करेगा तथा प्रश्नांक (क) में उल्लेखित संपर्क विहीन ग्रामों को ब्लॉक मुख्यालयों से जोड़ने हेतु कोई योजना बनावेगा? यदि हाँ तो कब तक?यदि नहीं तो क्यों नहीं? हिरन नदी पर मुरेठ पुल का निर्माण कब तक होगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) पाटन विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मझौली तहसील के अंतर्गत ग्राम मुरेठ के पास हिरन नदी पर रपटे के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण ग्राम खिन्नी, चनोट, देवरी, सहेजपुर के ग्रामवासियों को 25 से 30 कि.मी. घूमकर ब्लॉक मुख्यालय जाते है। (ख) जी हाँ। पुल न होने से आवागमन में कठिनाई है। (ग) जी हाँ। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर विचार किया जा सकेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) मझौली तहसील अंतर्गत ग्राम मुरेठ में हिरन नदी पर जल संसाधन विभाग द्वारा सांसद निधि से वर्ष 2002-03 में रू. 24.00 लाख की लागत से रपटा (पाईप काजवे) का निर्माण

किया गया था। वर्तमान समय में यह पुल क्षतिग्रस्त होकर अनुपयोगी है। उक्त कार्य के निर्माण की जांच जल संसाधन विभाग द्वारा कराई जा रही है। गुणदोष के आधार पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। हिरन नदी पर नवीन पुल निर्माण हेतु रू. 650.00 लाख प्रथम स्तरीय प्राक्कलन प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल की ओर मुख्य अभियंता सेतू निर्माण द्वारा सम्प्रेषित किया गया है। कार्य पूर्ण करने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

नरसिंहपुर जिले में गन्ना उत्पादन

183. (क्र. 4203) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में किन-किन जिलों में कितने-कितने हेक्टेयर गन्ना उत्पादन किया जा रहा है? जिलेवार जानकारी देवें एवं शक्कर मिलों द्वारा किस जिले में किस रेट से गन्ना खरीदा जा रहा है? जिलेवार जानकारी देवें? म.प्र. में गन्ने का समर्थन मूल्य क्या है? क्या नरसिंहपुर जिले में समर्थन मूल्य से कम रेट पर गन्ना खरीदा जा रहा है? यदि हाँ तो क्यों? इसके लिए दोषियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी? (ख) क्या नरसिंहपुर जिले में गन्ना कटाई की कैलेण्डर पद्धति लागू है? यदि नहीं है तो कब से लागू की जाएगी? गन्ना कटाई एवं परिवहन के लिए शासन द्वारा मूल्य निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ तो दोषी कौन है? (ग) नरसिंहपुर जिले में गन्ना उत्पादन में प्रति हेक्टेयर, कितनी लागत आती है? क्या नरसिंहपुर जिले में गन्ना लागत मूल्य से कम पर खरीदा जा रहा है? अगर हाँ तो इसके लिए दोषी कौन है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक? (घ) म.प्र. में गन्ना फैक्ट्रियों में शासन के किस आदेश अनुसार कृषकों के ठहरने, विश्राम की क्या-क्या सुविधायें होनी चाहिये? अगर कृषकों को विश्राम की सुविधा दी जाती है तो म.प्र. के किन-किन जिलों में किन-किन फेक्ट्रियों द्वारा यह सुविधा दी जा रही है और किन में नहीं? यदि नहीं दी जा रही तो उन फेक्ट्रियों (शुगर मिल) के नाम देवें व यह बताऐं उन पर क्या कार्यवाही की जाएगी? (ड.) क्या नरसिंहपुर जिले को शुगर केन जोन में शामिल किया जा रहा है? यदि हाँ तो प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई है?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2014-15 (प्रथम पूर्वानुमान) में प्रदेश के जिलों के गन्ना क्षेत्र की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। शक्कर मिल द्वारा गन्ना क्रय दर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया जाता, अपितु भारत सरकार द्वारा गन्ना मूल्य "फेयर एंड रेम्यूनेरेटिव प्राइज" (एफ.आर.पी.) निर्धारित की जाती है जो शुगर मिल द्वारा अनिवार्यत: देय होती है। वर्ष 2014-15 के लिये रूपये 220 प्रति क्विंटल एफ.आर.पी. भारत सरकार द्वारा निर्धारित की है, जो शुगर फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना क्रय करने पर कृषकों को दिया जा रहा है। शेष प्रश्न ही नहीं उठता। (ख) जी हाँ। शुगर फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना

रोपाई/प्रजाति के अनुसार गन्ना कटाई का कैलेन्डर बनाया जाता है। गन्ना कटाई एवं परिवहन के लिये शासन द्वारा मूल्य निर्धारण नहीं किया जाता है क्योंकि गन्ना कटाई एवं परिवहन व्यवस्था गन्ना उत्पादक कृषक की होती है। शेष प्रश्न ही नहीं उठता। (ग) नरसिंहपुर जिले में गन्ना उत्पादन पर औसतन रूपये 71, 000/ प्रति हैक्टेयर लागत आती है। फैक्ट्री द्वारा जिले में लागत मूल्य से कम दर पर गन्ना नहीं खरीदा जा रहा है, शेष कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता। **(घ)** प्रदेश की शुगर फैक्ट्रियों में कृषकों के ठहरने/विश्राम की सुविधा के लिये म.प्र. गन्ना (पूर्ति और खरीद विनियमन) नियम 1959 की धारा 36 (ग) में कारखाने के फाटक पर गाड़ीवालों तथा बैलों, दोनो के ठहरने तथा पीने के पानी की व्यवस्था का प्रावधान पूर्व से ही है। इस अनुक्रम में समस्त शुगर फैक्ट्रियों को आवश्यक निर्देश दिनाँक 19.02.2015 को जारी किये जा चुके है। प्रदेश में संचालित सभी फैक्ट्रियों द्वारा ठहरने एवं पानी की व्यवस्था की गई है, शेष प्रश्न ही नहीं उठता। (ड.) गन्ना अधिनियम/नियम में शुगर केन जोन का कोई प्रावधान नहीं है।

<u>शासकीय धन के गबन हेतु अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना</u>

184. (क्र. 4236) पं. रमेश दुबे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के ग्राम पंचायतों में पदस्थ सचिवों के द्वारा वित्तीय अनियमितता, शासकीय राशि का गबन अथवा दुरूपयोग, या अन्य कोई नियम विरूद्ध कार्य का दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध किन नियमों में क्या प्रावधान किया गया है? कार्यवाही हेतु कौन सक्षम है? नियम-निर्देश की प्रति सहित जानकारी दें? (ख) क्या ग्राम पंचायत साहनवाड़ी, जनपद पंचायत विछुवा जिला छिन्दवाड़ा के तत्कालीन सचिव श्री रामनाथ काकोड़िया के द्वारा ग्राम पंचायत साहनवाड़ी के सचिव के पद पर कार्यरत रहते हुए विभिन्न योजनाओं की राशि का दुरूपयोग, गबन, वित्तीय अनियमितता, अनौचित्य व्यय का दोषी पाये जाने पर उसकी केवल दो वेतनवृद्धियां रोक कर सक्षम अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लिया गया? (ग) यदि हाँ तो क्यों? संबंधित सचिव के विरूद्ध शासकीय धन के गबन, अनियमितता, अनौचित्य व्यय के मामले में आपराधिक मामला पुलिस थाने में दर्ज नहीं कराने के क्या कारण है? (घ) क्या उक्त के संबंध में प्रश्नकर्ता ने दिनाँक 16/11/2014 पत्र क्रमांक 2356 कलेक्टर छिन्दवाड़ा, 2357 मान. पंचायत मंत्री, म.प्र. शासन, पत्र क्रमांक 2358 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिन्दवाड़ा, पत्र क्रमांक 2362 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चौरई को प्रेषित किया था? यदि हाँ तो क्या संबंधित सचिव के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज कराया गया नहीं तो क्या शासन आपराधिक मामला दर्ज कराने का आदेश देगा? नहीं तो क्यों स्पष्ट करें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : क) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 89 में तथा मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील)

नियम, 1999 में वित्तीय अनियमितता के संबंध में ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान है। इस धारा में कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर विहित प्राधिकारी है। धारा 89 **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'अ' अनुसार**। नियमों की प्रति **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब'अनुसार** (ख) जी नहीं। श्री रामनाथ काकोड़िया, तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत सहानवाड़ी जनपद पंचायत बिछुआ द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में विधिवत आरोप पत्र जारी किया जाकर, जबाव चाहा गया तथा सचिव द्वारा प्रस्तुत जबाव पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बिछुआ से अभिमत चाहा गया। प्राप्त अभिमत पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लेते हुये सचिव द्वारा की गई लापरवाही एवं अनियमितताओं के कारण दो वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश दिया गया है। (ग) श्री रामनाथ काकोड़िया के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के तहत कार्यवाही की गई है। (घ) जी हाँ। प्रश्नकर्ता द्वारा दिनाँक 16.11.2014 को प्रेषित पत्र क्रमांक 2356 कलेक्टर छिंदवाड़ा पत्र क्रमांक 2358 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिंदवाड़ा, एवं पत्र क्रमांक 2362 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चैरई को प्राप्त हुये थे। पत्र दिनाँक 16.11.2014 के तारतम्य में पुनः जांच हेतु जांच दल गठित किया गया। जांच प्रतिवेदन के अनुसार बिंदु क्रमांक 1, 3, 4 एवं 5 प्रमाणित नहीं पाये गये तथा बिंदु क्रमांक 2 में जो राशि काटछाट की गई है व पूर्व सचिव श्री अशोक सरेयाम से संबंधित है। इस प्रकार श्री काकोड़िया के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने संबंधी कोई तथ्य नहीं पाये गये। जिन बिंदुओं पर अनियमिततायें पाई गई, उसके तारतम्य में श्री रामनाथ काकोड़िया के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के तहत 02 वेतन वृद्धि रोके जाने की कार्यवाही की जा चुकी है। अतः आपराधिक मामला दर्ज कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

<u>चौरई में अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी का कार्यालय खोला जाना</u>

185. (क्र. 4237) पं. रमेश दुबे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्र चौरई में विकास खण्ड चौरई एवं विछुवा दो विकास खण्ड आते है? तो क्या यह भी सही है कि इन दोनों विकास खण्डों में अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी का कार्यालय स्वीकृत नहीं हैं? (ख) प्रश्नांक क के प्रकाश में क्या उक्त दोनो विकास खण्डों के ग्रामीण यांत्रिकी का कार्य छिन्दवाड़ा में स्थित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय से संचालित हो रहा है? (ग) क्या प्रश्नकर्ता को क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों को प्राक्कलन तैयार नहीं होने, टी.एस. समय पर नहीं होने, समय पर मूल्यांकन नहीं होने के कारण निर्माण कार्यो में गुणवत्ता न आने तथा बिलंब व परेशानी होने की शिकायत प्राप्त होने पर प्रश्नकर्ता ने माननीय विभागीय मंत्री, कलेक्टर छिन्दवाड़ा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिन्दवाड़ा, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी छिन्दवाड़ा को पत्र प्रेषित किया था? (घ) यदि हाँ तो उक्त कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए क्या शासन दोनों विकास

खण्डों को मिलाकर विकास खण्ड चौरई के मुख्यालय पर अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं का कार्यालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान कर पर्याप्त संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों की पदस्थापना करने का आदेश प्रसारित करेगा? यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। विकास खण्ड चौरई बिछुआ के विकासखण्ड मुख्यालय में अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का कार्यालय स्वीकृत नहीं है। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। माननीय विधायक द्वारा कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा को पत्र क्र. 2221 दिनाँक 20.10.14, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिंदवाड़ा को पत्र क्र. 2223 एवं कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग छिंदवाड़ा को पत्र क्र. 2222 दिनाँक 20.10.14 को पत्र प्रेषित किए गए थे। (घ) ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यो के प्राकलन तैयार करने, तकनीकी स्वीकृति देने, मूल्यांकन करने एवं कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विकासखण्ड चौरई एवं बिछुआ के अंतर्गत उपयंत्री तथा मनरेगा के सहायक यंत्री पदस्थ होकर कार्यरत है, जिनका मुख्यालय चौरई एवं बिछुआ में स्थित है। चौरई तथा बिछुआ विकासखण्डों के कार्य हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग का मुख्यालय प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से छिन्दवाड़ा में रखा गया है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>**पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत संचालित कार्य**</u>

186. (क्र. 4263) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचपरमेश्वर योजनान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र मुलताई जिला बैतूल में योजना वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक कौन-कौन से निर्माण कार्य संपादित हुए है एवं कितनी राशि प्राप्त हुई है प्राप्त राशि के विरूद्ध कितना-कितना व्यय मजदूरी/सामग्री पर किया गया है? (ख) योजना प्रारंभ से आज तक स्वीकृत कार्य में से कितने कार्य अप्रारंभ है एवं कितने अपूर्ण है कारण सहित कार्यवार ग्राम पंचायतवार विकासखण्डवार जानकारी दी जावें? (ग) पूर्ण कार्यों की कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र जारी करने की संख्या, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम सहित दिया जावें? (घ) उक्त योजनान्तर्गत नियमों के अनुसार पूर्ण किये गये कार्यों में क्या गुणवत्ता हेतु सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में कराया गया है, यदि हाँ तो प्रयोगशाला का नाम गुणवत्ता परीक्षण पत्रक का क्रमांक एवं दिनाँक सहित दिया जावें? (ड.) यदि उक्त योजनांतर्गत सामग्री परीक्षण करवाये बिना ही तकनीकी एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कार्य पूर्ण करवा लिये गये है एवं सी.सी. जारी की गई है उक्त कृत्य के लिये क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं की गई तो कब तक की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार**। (ख) वर्ष 2012-13 से आज दिनाँक तक स्वीकृत कार्यो में से 12 कार्य अप्रारंभ है एवं 156 कार्य अपूर्ण है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'ब'के कॉलम 06 के**

अनुसार। (ग) पूर्ण कार्यो की कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की संख्या 254 है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'स' अनुसार।** (घ) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'द' के कॉलम नंबर 07 के अनुसार।** (ड़) सी.सी.जारी करने वाली तकनीकी अधिकारी को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गये है।

गेंहूँ उपार्जन नीति अंतर्गत परिवहन

187. (क्र. 4265) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 में शासन ने गेंहूँ उपार्जन परिवहन के लिए कब-कब टेंडर निकाले और कितने आवेदन प्राप्त हुए? उज्जैन जिले के संदर्भ में बतावें? (ख) यह भी बतावें कि स्वीकृत फर्म के संचालक कौन है? उनके द्वारा टेंडर में भरी राशि एवं वाहन संख्या भी स्पष्ट करें? (ग) क्या कारण है कि एक ब्लॉक के निकटवर्ती स्थान पर गेंहूँ उपार्जन के पश्चात दूसरे जिले में परिवहन कर वेयर हाउस पहुँचाया जाता है? जबकि वहीं पास स्थित वेयर हाउस खाली रहते हैं? महिदपुर वि.स.क्षेत्र में इस स्थिति के लिए कौन जवाबदेह है? प्रश्नांश (ग) अनुसार इस विसंगति को कब तक दूर किया जाएगा?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) उज्जैन जिले में उपार्जित गेहूँ के परिवहन के लिए वर्ष 2012-13 में टेंडर दिनाँक 19.10.2012 एवं दिनाँक 08.11.2012 को आमंत्रित किए गए जिसमें 10 आवेदन प्राप्त हुए, वर्ष 2013-14 में टेंडर दिनाँक 27.09.2013 को आमंत्रित किए गए जिसमें 25 आवेदन प्राप्त हुए एवं वर्ष 2014-15 में टेंडर दिनाँक 14.10.2014 एवं दिनाँक 29.01.2015 को आमंत्रित किए गए जिसमें क्रमश: 27 व 22 आवेदन प्राप्त हुए। (ख) वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। वर्ष 2014-15 में प्राप्त दरें स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं। (ग) सामान्यत: समर्थन मूल्य पर उपार्जित खाद्यान्न को खरीदी केन्द्र के निकटवर्ती गोदाम में भंडारण किया जाता है तथा निकटवर्ती गोदाम में भंडारण हेतु स्थान उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्य निकटवर्ती गोदाम में भंडारण किया जाता है। महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में गत वर्षो में ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई है कि पास स्थित गोदाम खाली रहे हों एवं अन्य जिलों में स्कंध का परिवहन कर भंडारण किया गया हो।

फर्जी अनुज्ञा पत्र पर कार्यवाही

188. (क्र. 4266) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स.क्षेत्र की दिलीप ट्रेडिंग कंपनी महिदपुर द्वारा दिनाँक 1.1.12 से 30.1.15 तक उपयोग किए गए अनुज्ञा पत्रों की जांच कर बताएं कि इनसे कितना

टैक्स चोरी हुआ? (ख) टैक्स चोरी के मामले में दिलीप ट्रेडिंग कं. महिदपुर पर कब तक कार्यवाही की जावेगी और इनसे कब तक व कितना जुर्माना वसूला जाएगा? (ग) उपरोक्त कृत्य में सहयोगी मंडी अधिकारी/कर्मचारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) कृषि उपज मंडी समिति महिदपुर की अनुज्ञप्तिधारी फर्म दिलीप ट्रेडिंग कं. के पक्ष में जारी अनुज्ञापत्र दिनाँक 01.01.2012 से दिनाँक 30.01.2015 तक का परीक्षण उपरांत मंडी फीस अपवंचन परिलक्षित नहीं हुआ। (ख) एवं (ग) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पंचायती राज व्यवस्था का गौण खनिज पर अधिकार

189. (क्र. 4287) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत को गौण खनिज की खदान का निर्धारण किए जाने व गौण खनिज की खदान की नीलामी किए जाने के संबंध में अधिकार सौंपे गए है? उन गौण खनिजों के नाम बताऐं एवं आदेश की प्रति देवें? (ख) उपरोक्त आदेशों/निर्देशों के तहत बैतूल जिले में गत तीन वर्षों में खनिज विभाग के द्वारा किस गौण खनिज की किस ग्राम सभा में खदान का निर्धारण किया इस खदान के निर्धारण का किस ग्रामसभा ने किस दिनाँक को प्रस्ताव लिया? (ग) बैतूल जिले में गत 3 वर्षों में किस ग्राम के किस खसरा नंबर के कितने रकबे पर, किस गौण खनिज की खदान की नीलामी, किस दिनाँक को की गई? नीलामी से संबंधित ग्राम सभा के प्रस्ताव कब-कब लिए गए? (घ) यदि उपरोक्त कार्यवाही नहीं हो रही है तो इसके क्या कारण हैं? क्या शासन इन निर्देशों/आदेशों का पालन कराने के संबंध में कार्यवाही कर रही है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जन शिकायतों के निराकरण की स्थिति

190. (क्र. 4299) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में विभाग को किन-किन माध्यमों/स्तर से शिकायतें प्राप्त होती है? प्राप्त समस्याओं के निराकरण/जांच हेतु किस स्तर पर क्या व्यवस्था है? समस्या प्रकरणों की जांच/निराकरण हेतु किस स्तर पर क्या प्रावधान/निर्देश/नीति है? (ख) 01 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनाँक तक सतना जिलान्तर्गत किस-किस स्तर पर कितनी जनशिकायतें किस-किस माध्यम से शासन को प्राप्त हुई? इनकी जांच किस स्तर के अधिकारी द्वारा की गई और शिकायतवार विषय और निराकरण की स्थिति बतावें? (ग) क्या शिकायतों के निराकरण हेतु

कोई समय सीमा निर्धारित है? नहीं तो क्यों? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) वर्णित शिकायतों का निराकरण क्या तय समय सीमा में किया गया? नहीं तो क्यों? आम जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो सके इस हेतु विभाग के क्या प्रयास है?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) जनशिकायत निवारण विभाग में राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री/राज्यपाल महोदय/मुख्यमंत्री कार्यालय एवं निवास से शिकायतें प्राप्त होती है। शिकायते निराकरण हेतु, समस्त विभाग, विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, आयुक्त नगर निगम, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भेजी जाती है। शिकायतों के निराकरण के लिये संबंधित विभागों में एक नोडल अधिकारी नियुक्त है उन्ही के द्वारा निराकरण करवाया जाता है तथा समय-समय पर मॉनिटरिंग भी की जाती है (ख) 1 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनाँक तक सतना जिलान्तर्गत 6525 आवेदन जन शिकायत निवारण विभाग की वेबसाईट में दर्ज हुए है इनमें से 6351 का निराकरण करवाया जा चुका है शेष 174 की जांच कराई जा रही है प्राप्त शिकायतों की जांच संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख द्वारा कराई जाती है विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाईट पर देखा जा सकता है (ग) शिकायतों के निराकरण की कोई समय-सीमा निर्धारित नही है शेष प्रश्न उपस्थित नही होता है।

<u>**समग्र स्वच्छता अभियान अंतर्गत सम्पन्न कार्य**</u>

191. (क्र. 4300) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009 से प्रश्न दिनाँक तक समग्र स्वच्छता अभियान अंतर्गत किस-किस प्रकार के शौचालयों के निर्माण के लिए सतना जिले की मैहर जनपद पंचायत व रायसेन जिले की बेगमगंज जनपद पंचायत को कितनी-कितनी राशि का आवंटन जारी किया गया? इसके विरूद्ध कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार, जनपद पंचायतवार बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित अवधि में समग्र स्वच्छता अभियान अंतर्गत जनपद पंचायत मैहर व बेगमगंज में किस-किस ग्राम पंचायत में किस-किस हितग्राही/संस्था के किस-किस प्रकार के कितने-कितने शौचालयों का कितनी-कितनी लागत से निर्माण किया गया? इनकी निर्माण एजेंसी कौन-कौन हैं? हितग्राही/संस्थावार बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) वर्णित अवधि में जनपद पंचायत मैहर व बेगमगंज में निर्मित शौचालयों का निरीक्षण/ मूल्यांकन/ भौतिक सत्यापन किया गया है? यदि हाँ तो किस-किस अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा कब-कब, ग्राम पंचायतवार बतावें? उक्त शौचालयों के निर्माण में अनियमितता की क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई है? शिकायतवार की गई कार्यवाही का विवरण दें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ**

अनुसार है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है। (ग) निर्मित शौचालय के निरीक्षण/ मूल्यांकन/भौतिक सत्यापन की ग्राम पंचायतवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है। उक्त शौचालयों के निर्माण में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का निराकरण

192. (क्र. 4320) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में शिकायतकर्ता को शिकायत क्रमांक प्रदान किया जाता है? (ख) गत 2 वर्षो से प्रश्न दिनाँक तक कुक्षी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत किस-किस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई और शासन द्वारा जनसमस्याओं का क्या निराकरण किया गया? (ग) क्या कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में प्रदान किये गये शिकायत क्रमांक सही नही है? शासन की जन शिकायत निवारण की वेबसाईट पर यह क्रमांक अंकित करने पर अन्य जिले कि किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी अन्य विषय में की गई शिकायत की जानकारी प्राप्त होती है? (घ) प्रश्नाश (ग) के परिप्रेक्ष्य में इस अनियमितता के लिए कौन दोषी है और शासन द्वारा दोषियों पर क्या कार्यवाही की जायेगी?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) जी हाँ (ख) गत दो वर्षो से प्रश्न दिनाँक तक कुक्षी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत से संबंधित शिकायतों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में प्रदान किये गये शिकायत क्रमांक सही अंकित किये जाते है शासन की जन शिकायत निवारण क्रमांक राज्य स्तर के होते है कलेक्टर जन सुनवाई के क्रमांक कलेक्टर स्तर के होने के कारण क्रमांक में भिन्नता होती है इसलिए अन्य विषय की गई शिकायत की जानकारी प्राप्त होती है। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर जन सुनवाई के क्रमांक कलेक्टर स्तर के होते है एवं शासन जन शिकायत निवारण के क्रमांक राज्य स्तर के होने से क्रमांक में भिन्नता होने के कारण कोई अनियमितता नही होती है शेष प्रश्न उपस्थित नही होता है।

विभागों की वेबसाइट का निर्माण

193. (क्र. 4321) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गत 5 वर्षों में शासन द्वारा कौन-कौन से विभागों की वेबसाइट के निर्माण एवं रखरखाव में कितनी राशि का व्यय किया गया? वर्षवार, विभागवार व्यय की जानकारी प्रदान करें? (ख) शासन द्वारा वेबसाइट पर विभागों की जानकारी अपडेट करने के लिए क्या

नियम बनाये गये है? (ग) क्या बहुत सी शासकीय वेबसाइट अक्रियाशील है या बहुत समय से अपडेट नहीं की गयी है? यदि हाँ, तो कारण स्पष्ट करें?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

गृह निर्माण संस्थाओं में अनियमितता

194. (क्र. 4332) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर जिले में वर्ष 2012-2013-2014 में गृह निर्माण संस्थाओं की अनियमितता के विरूद्ध पुलिस थानों में कितने आवेदन विभाग को जांच हेतु भेजे गये? (ख) इन आवेदनों में प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की गई, तथा जांच में दोषी पाये गये संचालक मण्डलों के विरूद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गई? (ग) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध न्यायालय में कितने प्रकरण दर्ज किये गये उसकी स्थिति वर्तमान में क्या है? (घ) आवेदकों को उनके अधिकार एवं न्याय के लिए भविष्य में विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) इन्दौर जिले में वर्ष 2012-2013-2014 में गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं की अनियमितता के विरूद्ध पुलिस थानों से कोई आवेदन जांच हेतु विभाग को प्राप्त नही हुये. अपितु प्रश्नांकित अवधि में विभाग द्वारा 03 गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु थानों में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये, जिसमे से 01 संस्था के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है. (ख) उत्तरांश (क) में उल्लेखित संस्थाओं में से 02 संस्थाओं के संचालक मण्डलों को अतिष्ठित किया जाकर प्रशासक की नियुक्ति की गई है तथा एक संस्था के अध्यक्ष को 06 वर्ष की कालावधि के लिये पद धारण करने से निरर्हित किया गया है. (ग) उत्तरांश (क) में उल्लेखित संस्थाओं में से 02 संस्थाओं के दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष अपराध प्रकरण प्रस्तुत किये गये है, जो न्यायालय में प्रचलित है. (घ) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में पर्याप्त प्रावधान किये गये है.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बिना अनुमति गेहूँ का भण्डारण

1. (क्र. 72) श्री मुकेश नायक : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिना व्यवसाय गारंटी योजना के अन्तर्गत गेहूँ के लिए अनुबंधित सागर एवं जबलपुर संभाग के सभी गोदामों की जानकारी एवं गोदामों में संग्रहित किये गये गेहूँ की मात्रानुसार गोदामों की सूची दी जाए? (ख) बिना व्यवसाय गारंटी योजना के अंतर्गत म.प्र. खरीद की भण्डारण हेतु अनुबंधित गोदामों की सूची उपलब्ध करायें? (ग) अनुबंधित गोदामों में धान संग्रहण हेतु खोले गए गोदामों की सूची एवं रखी गई धान म.प्र. की मात्रा की जानकारी दी जाए? (घ) उपार्जन समितियों द्वारा प्रदाय धान मात्रा अनुसार उपार्जन समितियों की सूची उपलब्ध करायें?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

असीमित अवधि से पेंशनों का भुगतान न होना

2. (क्र. 149) श्री मोती कश्यप : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कटनी की वि.स.क्षे. बड़वारा में वृद्धावस्था, निराश्रित, विकलांग, विधवा पेन्शन किन वर्षों से प्रदाय की जा रही है और अप्रैल 14 से जनवरी 15 तक कितने पेंशनधारियों के खाते में किन माह से पेंशन राशि ट्रांसफर नहीं की गई है? संख्या बतावें? (ख) विभाग द्वारा अप्रैल 2014 जनवरी 2015 तक कोई राशि प्रश्नांश (क) पेंशन वितरणकर्ता नोडल एजेंसियों को आवंटित की गई है यदि हाँ, तो कब और उनके द्वारा किन कारणों से पेंशनकर्ताओं के खाते में राशि ट्रांसफर नहीं की है? (ग) क्या प्रश्नकर्ता ने किसी पत्र के साथ अपने पत्र दिनांक 09-01-2015 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कटनी को किसी ग्राम के किन्हीं पेंशनधारियों की किसी अवधि से पेंशन वितरण रोके जाने की शिकायत की है? (घ) प्रश्नांश (क) के समस्त पेंशनधारियों को जनवरी 2015 तक की पेंशन कब तक ट्रांसफर कर दी जावेगी और न होने पर क्या दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बडवारा के अन्तर्गत जनपद पंचायत बडवारा, जनपद पंचायत कटनी, के एवं ढीमरखेडा के द्वारा हितग्राहियों को माह जनवरी 2015 तक की पेंशन राशि ट्रान्सफर की जाकर संबंधित हितग्राहियों के बैंक एवं पोस्ट ऑफिस के खातों में राशि भेजी जा चुकी है। (ग) जी हाँ। माननीय विधायक द्वारा पत्र दिनांक 9.1.15 द्वारा जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के 14 हितग्राहियों के माह अक्टूबर 14 से पेंशन बंद होने के संबंध में अवगत कराया गया है जिसकी जांच उपरांत 13 हितग्राही पात्र पाये गये जिन्हें अक्टूबर 14 से जनवरी 15 तक का भुगतान किया जा चुका है तथा एक हितग्राही की मृत्यु हो चुकी है।

परिशिष्ट - "पैंतालीस"

जनपद पंचायतों के लिपिकों-लेखापालों के स्थानांतरण की नीति

3. (क्र. 152) श्री मोती कश्यप : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 04.09.2014 द्वारा मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री को जनपद पंचायतों के लिपिकों व लेखापालों की पदस्थी के विषय में किन्ही बिन्दुओं पर कोई लेख किया है? विवरण देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में पंचायत राज संचालनालय ने अपने पत्र दिनांक 17-11-2014 को किसी अधिकारी को कोई लेख किया गया है? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में निर्देशित कोई जांच प्रतिवेदन किसी दिनांक को पंचायतराज संचालनालय को भेजा गया है? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) पर क्या किसी के द्वारा कोई नीति बनाई गई है और वि.स.क्षे. बड़वारा में जनपद पंचायतों में कितने वर्षो से पदस्थ किन कर्मियो का स्थानांतरण किया गया है? विवरण देवें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार**। (ख) जी हाँ। (ग) कार्यालयीन पत्र क्रमांक 915 दिनांक 11.02.2015 द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'ब' अनुसार**। (घ) म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-1-14/2011 22/पं.-1 दिनांक 18.11.2011 द्वारा जिला एवं जनपद पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति निर्धारित की गई है। कटनी जिला के किसी भी जनपद पंचायत से अन्य जनपद पंचायत में कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए संबंधित जनपद पंचायतों की सामान्य प्रशासन समिति द्वारा पारित प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण जनपद पंचायत के किसी भी कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'स' अनुसार**।

निराश्रित बच्चों एवं पराश्रित विधवाओं को संरक्षण

4. (क्र. 153) श्री मोती कश्यप : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा लोक कल्याण की कोई योजनायें संचालित की जा रही हैं और हितग्राहियों को किन योजनाओं के अंतर्गत प्रतिमाह कितनी राशि प्रदान की जाती है? (ख) प्रश्नांश (क) में से किन योजनाओं में पात्र हितग्राहियों की आयु निर्धारित की गई हैं? (ग) क्या विभाग ने मातृ-पितृ विहीन निराश्रित बच्चों एवं प्रश्नांश (ख) आयु से कम आयु की पराश्रित विधवाओं को कोई सहायता प्रदान करने की योजना संचालित की है? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) का सर्वे कराया गया है और विकासखण्डवार संख्या के आंकड़े तैयार किये हैं? (ड.) क्या प्रश्नांश (क) से (घ) की पेंशन वि.स.क्षे. बड़वारा के ग्रामों के हितग्राहियों को कब से प्राप्त नहीं हो पायी है और प्रदान कराये जाने की कार्यवाही कब तक पूर्ण करा दी जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

(ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं। (ड.) विधान सभा क्षेत्र बडवारा के अंतर्गत जनपद पंचायत बडवारा, कटनी एवं ढीमरखेडा के द्वारा हितग्राहियों को माह जनवरी 2015 तक की पेंशन हस्तांतरित कर दी गई है।

परिशिष्ट - "छियालीस"

मजरे-टोलों को आबादी ग्रामों से जोड़ा जाना

5. (क्र. 407) श्री सचिन यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितने नये मजरे-टोलों की बसाहट हुई हैं उनमें से ऐसे कितने मजरे-टोले ऐसे हैं जिनको आबादी ग्रामों से नहीं जोड़ा गया है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या उक्त मजरे-टोलों का सर्वे किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब और इन्हें कब तक आबादी ग्रामों से जोड़ा जायेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 02 नये मजरे-टोलों की बसाहट हुई हैं। 05 मजरे-टोलों को मुख्यमार्ग से जोड़ा जाना शेष है। (ख) शासन द्वारा मजरे-टोले जोड़ने के लिए सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना के अंतर्गत जिला पंचायतों को स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार प्रदान किये गये हैं। कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात इन्हें ग्रामों से जोड़ने की कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सड़क मार्ग के संबंध में

6. (क्र. 408) श्री सचिन यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितने ऐसे ग्राम है, जहाँ पर आज भी कोई सड़क नहीं है और एक ग्राम से दूसरे ग्राम व मुख्य मार्ग से अभी तक नहीं जोड़ा गया है? ग्राम व मजरों की नामवार जानकारी बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या कोई योजना बनाई गई है? हाँ, तो बतायें नहीं, तो कब तक बनाई जायेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 08 ग्रामों को मुख्यमार्ग से जोड़ा जाना शेष है। एक ग्राम को दूसरे ग्राम से जोड़ने की योजना विभाग अंतर्गत स्वीकृत नहीं है। ग्राम एवं मजरों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ। विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (डामरीकृत मार्ग) एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्रेवलमार्ग) कोरनेटवर्क अनुसार सिंगल कनेक्टीविटी द्वारा ग्रामों को जोड़ने की योजना स्वीकृत है। सुदूर ग्राम सम्पर्क एवं खेत सड़क योजनांतर्गत मनरेगा अभिसरण से ग्रेवल मार्ग से भी सड़के जिला स्तर पर कोरनेटवर्क के अतिरिक्त स्वीकृत की जा सकती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सैंतालीस"

प्रदेश की राशन दुकानों की सामग्री की इकोनामिक कास्ट

7. (क्र. 436) श्री कुंवर सौरभ सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राशन दुकानों से वितरण की जा रही सामग्री की वर्तमान इकोनामिक कास्ट क्या है? वस्तुवार, मदवार बताये? (ख) क्या यह सही है कि जिलो में इकोनामिक कास्ट की अद्यतन जानकारी नहीं होने से वसूली के गलत प्रकरण बन रहे हैं, या वसूली नहीं हो रही है? (ग) क्या यह भी सही है कि समय पर वसूली न होने से अपचारी लगातार अपयोजित राशि का दुरूपयोग अपने पक्ष में कर रहे है? कटनी जिले में कितने प्रकरणों में किस दर से, कितनी सामग्री की कितनी राशि की वसूली प्रस्तावित की गई है, प्रकरणवार बतायें? (घ) क्या शासन पुराने अपयोजन को भी नई इकोनामिक कास्ट या अधिकतम दर से वसूल करने के निर्देश देगा? ताकि अधिकतम वसूली हो सके, यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**बहोरीबंद वि.स. क्षेत्र में सरपंच व सचिवों के कार्यकाल की जाँच**</u>

8. (क्र. 437) कुंवर सौरभ सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बहोरीबंद वि.स. क्षेत्र में सन् 2010 से वर्तमान कार्यकाल तक पंचायतों के सरपंच एवं सचिव कौन-कौन थे, उनके कार्यकाल के दौरान नियम विरूद्ध कार्यवाहियॉ तथा वित्तीय अनियमितता की शिकायतें कब-कब तथा किसके द्वारा हुई उनकी जांचें कब-कब और किस अधिकारी से कराई गई? (ख) प्रश्नांक (क) की जांच में क्या पाया गया तथा संबंधितों के विरूद्ध किसी भी तरह की कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ'** अनुसार। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब'** के कॉलम नंबर 5, 6, 9 एवं 10 अनुसार। (ख) जांच के दौरान जिन पंचायत के सरपंच, सचिव को दोषी पाया गया उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब''** के कॉलम नंबर 11 एवं 12 के अनुसार।

<u>**राज्य माइक्रोईरीगेशन योजना में राशि की उपलब्धता**</u>

9. (क्र. 613) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले की मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में राज्य माईक्रोईरीगेशन मिशन के नाम से वर्ष 2012-13 से प्रारंभ की गई योजना के तहत् कितनी-कितनी राशि किस मद में उपलब्ध कराई गई? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित योजना 2012-13 से प्रश्नतिथि तक भिण्ड जिले में कितने ग्रामों के कितने कृषकों को क्या-क्या लाभ दिया गया है? सूची उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित योजना एवं (ख) में वर्णित समयानुसार भिण्ड जिले के जिन-जिन कृषकों को इस योजना का लाभ दिया गया उन्हें किस मापदण्ड के आधार पर लाभ दिया गया? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित योजना एवं समयानुसार लाभान्वित

कृषकों का भौतिक सत्यापन किन अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा किया गया पदवार जानकारी दें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ। भिण्ड जिलें की मेहगांव विधान सभा क्षेत्र में राज्य माइक्रोइरीगेशन मिशन वर्ष 2012-13 से प्रारंभ की गई है। भिण्ड जिलें को योजनांतर्गत वर्षवार प्राप्त आवंटन एवं मेहगांव विधान सभा क्षेत्र में व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2, 3 अनुसार** है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार** है।

डिफाल्टर हुये बैंकों की जानकारी

10. (क्र. 618) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है? उक्त बैंकों को वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014 से प्रश्नतिथि तक समर्थन मूल्य पर खरीदी हेतु कितनी-कितनी साख सीमा स्वीकृत कर जारी की गई? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित समयानुसार उल्लेखित बैंकों को प्रश्नतिथि तक स्वीकृत साख सीमा की राशि लेना शेष है? राशिवार/बैंकवार/जिलेवार/वर्षवार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कौन-कौन से जिला में सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित डिफाल्टर कब से घोषित है? दिनाँकवार/बैंकवार जानकारी दें? उक्त बैंकों को घाटे से उबारने के लिये वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिश अनुसार कब-कब कितनी-कितनी राशि दी गई? बैंकवार/राशिवार जानकारी दें? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कौन-कौन से बैंक कितनी-कितनी राशि के घाटे में चल रहे हैं? सहकारी अधिनियम की धारा 58 बी के तहत् प्रश्नांश (क) में उल्लेखित समयानुसार एवं बैंकों के किन-किन लोगों पर कार्यवाही की गई है? प्रकरणवार जानकारी दें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) प्रदेश में कुल 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक हैं. उक्त बैंकों को वित्तीय वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014 से जनवरी, 2015 तक समर्थन मूल्य पर खरीदी हेतु मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा स्वीकृत साख सीमा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है।** (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित समयानुसार उल्लेखित बैंकों को दिनांक 31.01.2015 पर समितियों को स्वीकृत साख सीमा में से वर्ष 2012-13 हेतु रूपये 262.94 लाख, वर्ष 2013-14 हेतु रूपये 156.84 लाख एवं वर्ष 2014-15 हेतु रूपये 12020.00 लाख लेना बकाया थी। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 से प्रपत्र 10 अनुसार है।** (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में से डिफाल्टर बैंकों की जानकारी राशिवार, बैंकवार, जिलेवार, वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 11 अनुसार है।** उक्त बैंकों को वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा अनुसार दी गई राशि की बैंकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 12 अनुसार है।** (घ) उत्तरांश (क) में उल्लेखित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में से जिला सहकारी केन्द्रीय

बैंक रीवा राशि रूपये 2236.50 लाख से संचित हानि में है। सहकारी अधिनियम की धारा 58बी के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है.

गुना एवं अशोकनगर जिले की सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन

11. (क्र. 638) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में ऐसी कितनी सहकारी संस्थाऐ या बैंक है जिनके निर्वाचन नहीं हुये? कब तक करा लिये जायेगे? (ख) गुना जिले की सहकारी संस्थाओं एवं बैंको में कितने स्वीकृत पद कर्मचारी अधिकारियों के है? कितने रिक्त है? उनकी भर्ती या पदस्थापना कब तक होगी? (ग) गुना जिले की ऐसी कितनी सहकारी संस्थाऐ है जो गेहूँ खरीदी उचित मूल्य की दुकाने एवं रासायनिक खाद्‌य, बीज या अन्य व्यवसाय करती है एवं ऐसी कितनी संस्थाऐ एवं बैंक है जो यह व्यापार नहीं करते, क्या वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाने हेतु क्या उन सहकारी संस्थाओं को गेहूँ खरीदी उचित मूल्य की दुकान एवं खाद्‌य बीज वितरण करने का कार्य सौंपा जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक विवरण दें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) 66 संस्थाओं के निर्वाचन होना शेष है तथा 11 संस्थाओं में निर्वाचन प्रक्रियाधीन है. विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्वाचन करा लिए जायेंगे. समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ख) स्वीकृत पद 1414, रिक्त पद 571. संबंधित सहकारी सस्थाओं द्‌वारा अपनी आर्थिक सक्षमता एवं आवश्यकताओं को देखते हुये सुविधानुसार यथासमय रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी. समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है. (ग) 39 सहकारी संस्थाऐ गेंहू खरीदी, 138 सहकारी संस्थाऐ उचित मूल्य की दुकानें तथा 94 सहकारी संस्थाऐरासायनिक खाद एवं बीज वितरण का कार्य करती है. शेष संस्थायें उक्त कार्य नहीं करती. जिले में वितरण व्यवस्थायें सुचारू रूप से संपन्न हो रही है इस कारण से अन्य संस्थाओं को वितरण कार्य दिये जाने की आवश्यकता नहीं है. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मनरेगा के कार्यो में सामग्री सप्लाई हेतु नियुक्त वेंडरों द्‌वारा की गई सप्लाई में अनियमितता

12. (क्र. 762) श्री रामनिवास रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मनरेगा के कार्यों में निर्माण सामग्री सप्लाई किए जाने हेतु जनपद पंचायतों द्‌वारा वेण्डरों की नियुक्ति की गई है? यदि हाँ, तो श्योपुर एवं मुरैना जिले की जनपद पंचायतों में नियुक्त किए गए वेण्डरों की जानकारी- फर्म का नाम, मालिक का नाम, पता, पंजीयन क्रमांक/दिनांक, टिन नम्बर एवं पेन नम्बर सहित जनपद पंचायतवार दें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार नियुक्त वेण्डरों द्‌वारा कितनी-कितनी निर्माण एवं अन्य सामग्री किन-किन पंचायतों को सप्लाई की? क्या सप्लाई की गई सामग्री पर नियमानुसार वेट एवं अन्य कर, खनिज रॉयल्टी विभाग में जमा की गई है? यदि हाँ, तो कितना-कितना वेट टैक्स, सेल टैक्स, एवं खनिज रॉयल्टी विभाग को प्राप्त हुई है? यदि नहीं तो टैक्स व रॉयल्टी जमा न

करने पर शासन को हुए राजस्व के नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है? (ग) क्या यह सही है कि वैण्डरों द्वारा विभागीय अधिकारियों से मिलकर करोड़ों का भुगतान प्राप्त किया है? यदि हाँ, तो क्या शासन इस फर्जीवाड़े की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश प्रदान करेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं, जिले में जनपद पंचायतों द्वारा वेण्डरों की नियुक्ति नहीं की गई। (ख) प्रश्नांश 'क' के तारतम्य में जानकारी निरंक है। जिन निर्माण कार्यों में ग्राम पंचायत ऐजेंसी है उन निर्माण कार्यों की सामग्री पर वेट टैक्स एवं खनिज रॉयल्टी की छूट है, **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जी नहीं।

परिशिष्ट - "अड़तालीस"

श्योपुर जिले में समर्थन मूल्य पर क्रय किए गए गेहूँ में अनियमितता

13. (क्र. 771) श्री रामनिवास रावत : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 में श्योपुर में समर्थन मूल्य पर कुल कितने में टन गेहूँ के उपार्जन के अनुमान थे, अनुमान के विरूद्ध कितना गेहूँ क्रय किया गया एवं कितने गेहूँ का भण्डारण किया गया? क्रय किए गए गेहूँ एवं भण्डारण किए गए गेहूँ की मात्रा में कितना अंतर रहा? संस्थावार, वर्षवार जानकारी दें? क्या यह सही है कि भण्डार के समय गेहूँ शार्ट रहा? यदि हाँ, तो इस गेहूँ की कीमत कितनी थी? (ख) प्रश्नांश (ख) अनुसार गेहूँ कम होने के प्रकरण की जांच किस-किस अधिकारी द्वारा की गई? जाँच में क्या तथ्य प्रकाश में आए तथा अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में अभी तक किन-किन के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई? कितनी राशि वसूली की कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक राशि वसूली की कार्यवाही की जावेगी?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) श्योपुर जिले में वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ के उपार्जन के अनुमान, खरीदी मात्रा, भंडारित मात्रा, क्रय एवं भंडारण में अंतर तथा कम जमा मात्रा की राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ख) उपार्जन मात्रा की तुलना में गोदाम में कम मात्रा में गेहूँ जमा होने की जांच करने वाले अधिकारी, जांच में पाई गई स्थिति एवं की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में की गई एफआईआर एवं वसूल की गई राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। सहायक पंजीयक, सहकारिता, श्योपुर के न्यायालय में शेष राशि की वसूली हेतु धारा 58 बी के अंतर्गत प्रकरण प्रचलित होने के कारण वसूली की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

वाटर शेड के संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मानदेय विसंगती

14. (क्र. 896) श्रीमती ममता मीना : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित योजना वाटर शेड में कार्यरत संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वर्तमान में प्रदाय मानदेय में मंहगाई भत्ता कितने प्रतिशत दिया जा रहा है? (ख) क्या वाटर शेड में प्रदाय मंहगाई भत्ता पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की संचालित अन्य योजनाओं के समान ही दिया जा रहा है? यदि नहीं तो कारण बतायें क्यों? (ग) क्या भविष्य में वाटर शेड के संविदा कर्मचारियों को भी अन्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के अनुसार ही मंहगाई भत्ता प्रदाय किया जावेंगा? यदि हाँ, तो क्या मानदेय मंहगाई भत्ता कर्मचारियों को 01 अप्रैल 2014 से ही दिया जावेगा? शासन की नीति स्पष्ट करें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) प्रदत्त मानदेय महंगाई भत्ते के आधार पर नहीं दिया जा रहा है, अपितु मानदेय हेतु निर्धारित मद में राशि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर दिया जा रहा है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश "क" के उत्तर अनुसार। (ग) जी नहीं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

गुना में 100 दिनी कार्य योजना के कार्य

15. (क्र. 903) श्रीमती ममता मीना : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में वर्ष 2014-15 में 100 दिनी कार्य योजना में मनरेगा योजना अन्तर्गत कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये?इनमें से कितने कार्य पूर्ण हो गये तथा कितने शेष है? इन कार्य में खर्च की गई राशि की जानकारी दें? (ख) गुना जिले में मनरेगा योजना में प्रश्नांश (क) के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो की विकासखण्डवार संख्या दें? (ग) गुना जिले के पांचों विकासखण्ड में प्रश्नांश (क) के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो की संख्या ग्रामपंचायतवार स्वीकृत राशि सहित दें? कुल कितने कार्य पूर्ण हैं तथा कुल कितने कार्य अप्रारंभ है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) गुना जिले में वर्ष 2014-15 में 100 दिनी कार्य योजना में मनरेगा योजना अंतर्गत कुल 2290 कार्य स्वीकृत किये गये। इनमें से 624 कार्य पूर्ण तथा 1666 कार्य शेष हैं, जिनमें 250 कार्य अप्राम्भ हैं, इन कार्यों में खर्च की गई राशि रू. 2726.70 लाख है। (ख) गुना जिले में मनरेगा योजना में प्रश्नांश (क) के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की विकासखण्डवार संख्या क्रमशः आरोन में 464, बमोरी में 78, चाचौड़ा में 628, गुना में 692 एवं राघौगढ़ में 428 हैं। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत सड़क निर्माण की स्वीकृति

16. (क्र. 1001) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खंडवा जिले से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत विगत तीन वर्षों में सड़क निर्माण के कितने प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी को प्रेषित किये गये है? तहसीलवार संख्या एवं मार्ग बतायें? (ख) मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना के तहत उक्त

अवधि में जिले में कौन-कौन सी सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है? इनके निर्माण की समय सीमा क्या है? (ग) आगामी वर्ष में मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत खंडवा विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन सी सड़कों के निर्माण / स्वीकृति का लक्ष्य रखा गया है? संभावित बजट एवं सड़कों के नाम बताएं? (घ) क्या इस योजना में नई सड़कों जहाँ पूर्व में कभी डामर या सी.सी. रोड़ नहीं है को भी शामिल किया?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिये तैयार किये गये कोर नेटवर्क में सामान्य क्षेत्र में 500 से कम आबादी के ग्राम एवं आदिवासी विकाखण्ड में 250 से कम आबादी के ग्रामों को शामिल किया गया था। कोर नेटवर्क से छूटे हुये ग्रामों को योजनांतर्गत जोड़े जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। कार्यो की स्वीकृति आवंटन की उपब्धता पर अधारित होने से निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत नई सड़कें जहाँ पूर्व में डामरीकरण या सी.सी. रोड़ नहीं है को शामिल किये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः उन्हें शामिल किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "उन्चास"

रोजगार गारंटी के कार्यों में बेरोजगारी भत्ते का प्रदाय

17. (क्र. 1219) श्री दुर्गालाल विजय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि रोजगार गारंटी योजना के तहत् क्या केवल ग्राम पंचायतों में आवेदन देने के उपरांत रोजगार दिलाये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो श्योपुर जिले के कितने ग्रामों से योजना के प्रारंभ दिनांक से वर्तमान तक संबंधित ग्राम पंचायतों को कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए? (ख) श्योपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत उक्त योजना के तहत कितने-कितने परिवारों को 100 दिन से अधिक रोजगार वर्ष, 2013-14 से वर्तमान तक की अवधि में उपलब्ध कराया गया? (ग) उक्त में से जिन परिवारों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सका, उनमें से कितने परिवारों द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने हेतु काम न दिये जाने के 15 दिन के पश्चात संबंधित गाम पंचायतों में आवेदन दिया गया? (घ) उक्त में से कौन-कौन से ग्रामों में कितने परिवारों को बेरोजगारी भत्ता प्रश्नांश (ख) में वर्णित अवधि में उपलब्ध कराया गया, अवगत करावें? लाभान्वित परिवारों की संख्या बतावें? (ड.) उक्त अवधि में जिन परिवारों को कार्य नहीं मिला पाया, उनमें से जो परिवार बेरोजगारी भत्ते हेतु अब आवेदन करेंगे, तो उन्हें क्या बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों, अवगत करावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत ग्राम पंचायत अथवा कार्यक्रम अधिकारी को आवेदन देने के उपरान्त रोजगार दिलाये जाने का प्रावधान है। जिला श्योपुर में 497 ग्रामों में योजना प्रारंभ से वर्तमान तक 225 ग्राम पंचायतों में 1, 80, 546 आवेदन प्राप्त हुये है। (ख) श्योपुर

विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मनरेगा में 11 परिवारों को 100 दिवस से अधिक का रोजगार वित्तीय वर्ष 2013-14 से वर्तमान तक की अवधि में उपलब्ध कराया गया। (ग) बेरोजगारी भत्ता प्रदाय करने की स्थिति निर्मित नहीं हुई। (घ) मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिगत उत्तरांश "ग" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) उत्तरांश "ग" एवं "घ" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लोक सेवा गारंटी केन्द्र पर प्राप्त आवेदन

18. (क्र. 1220) श्री दुर्गालाल विजय : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिला मुख्यालय पर स्थित लोक सेवा गारंटी केन्द्र पर माह अप्रैल, 2014 से वर्तमान तक प्रतिमाह विभिन्न मांग/समस्याओं के कितने आवेदन प्राप्त हुए? (ख) उक्त प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है? ऐसे कितने आवेदन हैं, जो निर्धारित समयावधि के पश्चात भी निराकरण हेतु लंबित पड़े हैं? इसके क्या कारण हैं? (ग) क्या ये सच है कि संबंधित विभागीय अमला इन लंबित आवेदनों के निराकरण में कोई रूचि नहीं लेने के कारण संबंधित आवेदकों की मांग/समस्याओं का निराकरण समय सीमा में नहीं हो पाता? (घ) क्या यह भी सच है कि आवेदनों के निराकरण में देरी होने से शासन की इस महत्वपूर्ण योजना के सफल क्रियान्वयन में रूकावट पैदा हो रही है? (ड.) यदि हाँ, तो क्या शासन समयसीमा में लंबित आवेदनों का निराकरण न करने के लिये उत्तरदायियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आवेदनों के शीघ्र निराकरण हेतु प्रभावी कार्यवाही के निर्देश जिले के सभी विभागों को पुन: जारी करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) श्योपुर जिला मुख्यालय पर स्थित लोक सेवा केन्द्र पर माह अप्रैल 2014 से वर्तमान तक प्रतिमाह विभिन्न मांग/समस्याओं के प्राप्त हुए आवेदनों का विवरण **परिशिष्ट** अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कुल प्राप्त 103036 (**संलग्न परिशिष्ट अनुसार**) आवेदनों में से 55847 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है। निर्धारित समयावधि के पश्चात लंबित आवेदनों की संख्या निल है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। अमला द्वारा सही जांच कर निराकरण समय-सीमा में ही किया जा रहा है। (घ) जी नहीं। (ड.) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "पचास"

कृषि महाविद्यालय ग्वालियर में रिक्त पदों पर भर्ती

19. (क्र. 1300) श्री प्रहलाद भारती : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर द्वारा वर्ष, 2010 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन पदों की भर्ती हेतु कब-कब आवेदन आमंत्रित किये गये? उपरोक्तानुसार किस-किस पद हेतु कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए, तिथिवार, वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त पदों में से कौन-कौन से पद भरे जा चुके हैं

व कौन-कौन से पदों हेतु भर्ती प्रक्रिया प्रश्न दिनांक तक लंबित हैं व किस कारण से? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार शेष रिक्त पदों की भर्ती हेतु क्या कार्यवाही प्रचलित है, विवरण दें? (घ) क्या शेष रिक्त पदों हेतु पुन: आवेदन आमंत्रित किये जावेंगे? यदि नहीं, तो उक्त रिक्त पद कब तक भरे जावेंगे?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय ग्वालियर के नाम से कोई भी महाविद्यालय स्थापित नहीं है। अपितु राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक विज्ञापित पदों एवं प्राप्त आवेदन पत्र की तिथिवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र क अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ख अनुसार** है। (ग) **परिशिष्ट 'ख'** में टीप अनुसार कार्यवाही प्रचलित है। (घ) विज्ञापित पदों की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार कराये जाने के उपरांत शेष रिक्त पदों तथा जिन पदों में आवेदन प्राप्त नहीं हुये हैं, उन पदों के विज्ञापन पुन: जारी किये जायेंगे। समय सीमा बताना संभव नहीं है।

<u>गैस कनेक्शन एवं सावधि जमा प्रमाण पत्र का प्रदाय</u>

20. (क्र. 1452) श्री निशंक कुमार जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत विदिशा जिले में विवाहित दंपत्तियों को अप्रैल, 2012 से प्रश्नांकित तिथि तक भी गैस का सिलेण्डर एवं 6000 रूपयों की सावधि जमा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं किया जा सका है? (ख) यदि हाँ, तो योजना के तहत अप्रैल, 2012 से प्रश्न दिनांक तक विदिशा जिले में कितने विवाहित जोड़ों को प्रश्नांकित अवधि तक भी गैस सिलेण्डर एवं सावधि जमा प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं किया जा सका है? इसके लिये शासन किसे जिम्मेदार मानता है, पद व नाम सहित बतावें? (ग) विवाहित दंपत्तियों को गैस सिलेण्डर एवं सावधि जमा प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाए जाने हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? कब तक गैस सिलेण्डर एवं प्रमाण पत्र उपलब्ध करवा दिया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। (ख) जिलांतर्गत वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के कोई प्रकरण लंबित नहीं है। वर्ष 2014-15 में माह मई एवं जून 2014 में 82 जोडो का सामूहिक विवाह का आयोजन कराया गया। जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय अनुसार गैस एजेन्सी द्वारा मांगे गये फोटो राशनकार्ड एवं पहचान पत्र उपलब्ध न कराने के कारण 82 दम्पत्तियों को गैस कनेक्शन नहीं दिया गया। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने पर एजेन्सी द्वारा गैस सिलेण्डर प्रदाय कर दिये जावेंगे। इसी तरह 733 जोडो का सामूहिक विवाह का आयोजन कराया गया। जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों द्वारा संबंधित दम्पत्तियों से बैंक द्वारा मांगे गये फोटो एवं पहचान पत्र उपलब्ध न कराने के कारण 733 दम्पत्तियों को सावधि नहीं हो पायी। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा सावधि प्रदाय कर दी जावेगी। (ग) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगरपालिकाओं द्वारा विवाहित दम्पत्तियों से गैस एजेन्सी एवं बैंक द्वारा मांगे जा रहे राशनकार्ड, पहचान पत्र, एवं फोटो मंगाये जा रहे है। संबंधित हितग्राहियों को बैंक में उपस्थित होने के लिये निर्देशित किया गया है। हितग्राहियों के उपस्थित होने पर गैस सिलेण्डर एवं सावधि उपलब्ध करादी जावेगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन/नि:शक्तजनों को पेंशन भुगतान

21. (क्र. 1453) श्री निशंक कुमार जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कितने हितग्राही पंजीबद्ध हैं? संख्या बतायें? इन्हें प्रतिमाह किस दर से कितनी पेंशन दिए जाने का प्रावधान है? इस पेंशन में राज्यांश कितना है, केन्द्रांश कितना है? (ख) विदिश जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि हितग्राही के खाते में कितने माह के अंतराल में जमा करवाये जाने के प्रावधान है? प्रतिमाह पेंशन राशि खाते में जमा न करवाये जाने के क्या-क्या कारण रहे है? (ग) अप्रैल 14 से प्रश्न दिनांक तक केवल विदिशा जिले मे कितने पेंशनधारियो के खाते में पेंशन की राशि तीन-तीन माह से आठ-आठ माह के अंतराल में जमा करवाई गई? कितने हितग्राहियो के खातों में दिसम्बर 2014 तक की पेंशन राशि जमा नहीं करवाई जा सकी है? (घ) दिसम्बर 2014 तक की पेंशन राशि हितग्राहियों के खातों में कब तक जमा करवा दी जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) 21026 हितग्राही पंजीबद्ध है। रु. 150/- प्रतिमाह प्रतिहितग्राही की दर से राज्यांश मद से पेंशन दिये जाने का प्रावधान है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) पेंशन प्रतिमाह हितग्राहियों के बैंक/पोस्ट आफिस के माध्यम से खातों में जमा कराने का प्रावधान है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। प्रतिमाह हितग्राहियों के खातों में पेंशन राशि जमा कराई जाती है। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) उत्तरांश- ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "इक्यावन"

राजगढ़ जिले की केरोसीन की थोक एवं फुटकर डीलरशिप लेने के नियम

22. (क्र. 1483) श्री गिरीश भंडारी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केरोसिन की थोक एवं फुटकर डीलरशिप लेने के संबंध में शासन के क्या नियम हैं, तथा किन-किन विभागों की अनापत्ति तथा डीलरशिप लेने वाले व्यक्ति/संस्था/सोसायटी को क्या-क्या अर्हता पूर्ण करना चाहिए? शासकीय नियम सहित जानकारी देवें? (ख) डीलरशिप लेने वालों के पास केरोसिन परिवहन हेतु क्या-क्या वाहन होना चाहिए? क्या उन वाहनों की जानकारी तथा किस वाहन ने किस दिनांक को कितना केरोसिन परिवहन किया गया उसकी जानकारी संबंधित जिले के किस अधिकारी को होना चाहिए? (ग) राजगढ़ जिले में केरोसिन की कुल कितनी थोक व फुटकर डीलरशिप है? उनके नाम, पता सहित सूची तथा प्रश्नांश (क)

के अनुसार शासकीय नियमों के आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति तथा अन्य प्रपत्रों की जानकारी दें? (घ) दिनांक 01/01/2014 से प्रश्न दिनांक तक राजगढ़ जिले में कितना केरोसिन परिवहन किस-किस वाहन द्वारा किस-किस दिनांक को हुआ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) नीले किरोसिन का थोक डीलर चयन ऑयल कंपनी द्वारा किया जाता है, तदुपरांत थोक डीलर को किरोसिन भंडारण स्थल का विस्फोटक एवं राजस्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए जाने के उपरांत व्यवसाय करने हेतु कलेक्टर से मध्यप्रदेश किरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करना होती है। नीले किरोसिन के फुटकर लायसेंस पर राज्य शासन ने प्रतिबंध लगा रखा है। गैर रियायती किरोसिन के विक्रय हेतु किसी प्रकार की अनुज्ञप्ति आवश्यक नहीं है। मध्यप्रदेश किरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979 की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) थोक किरोसिन डीलर के पास किरोसिन परिवहन हेतु टेंकर होना चाहिये। मध्यप्रदेश किरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979 के तहत जारी अनुज्ञप्ति की शर्त क्र. 9 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार साप्ताहिक जानकारी कलेक्टर को भेजे जाने का प्रावधान है। साथ ही, कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार वांछित जानकारी थोक किरोसिन डीलर को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। राजगढ़ जिले में किरोसिन थोक डीलर द्वारा किरोसिन प्रदाय की जानकारी संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) /जिला आपूर्ति अधिकारी एवं सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को दी जाती है। (ग) राजगढ़ जिले में 6 थोक किरोसिन डीलर कार्यरत हैं। जिले में कोई भी फुटकर विक्रेता कार्यरत नहीं है। थोक किरोसिन डीलर के नाम, पते एवं उनको जारी अनुज्ञप्ति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। (घ) राजगढ़ जिले में दिनांक 01.01.2014 से प्रश्न दिनांक तक किरोसिन थोक डीलर द्वारा किए गए किरोसिन परिवहन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है।

निर्यात कर की वसूली

23. (क्र. 1486) श्री गिरीश भंडारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि उपज मण्डी समिति में निर्यात कर वसूल करने संबंधी कोई नियम है? अथवा था? यदि हाँ, तो कृषि उपज मण्डी समिति नरसिंहगढ़ में उक्त नियम किस दिनांक से लागू हुआ? जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ, है, तो कृषि उपज मण्डी समिति नरसिंहगढ़ द्वारा 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2012 तक किस-किस माह में किस-किस फर्म से किस-किस निर्यात हेतु कितना-कितना निर्यात कर वसूला? फर्म का नाम निर्यात की गई वस्तु का नाम, वसूले गये निर्यात कर की राशि सहित माहवार जानकारी दें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्न (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्‌भूत नहीं होता है।

पंचायत भवनों की स्वीकृति

24. (क्र. 1620) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रत्येक पंचायत में कनवरजेंस से अथवा कनवरजेंस राशि उपलब्ध न हो तो मनरेगा से ही पंचायत भवन स्वीकृति के आदेश जारी हुये थे? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) साथ ही यह बताने का कष्ट करें कि दमोह जिले में आज भी किस-किस पंचायत में पंचायत भवन नहीं है क्या वहाँ पंचायत भवन स्वीकृत हुये? यदि हाँ, तो विवरण दें? यदि नहीं तो क्यों कब तक स्वीकृत हो जावेंगे?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) कन्वर्जेस से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (पंचायत भवन) के आदेश क्रं.4383/MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/2013 भोपाल दिनांक 15.05.2013 को जारी किये गये है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार**। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार**। आगामी वर्ष में उपलब्ध राशि के आधार पर स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है।

मानदेय में वृद्धि

25. (क्र. 1721) श्री प्रताप सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा अपनी आनुषंगिक संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि किये जाने के आदेश जारी किये थे? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जारी आदेश का पालन किन-किन आनुषंगिक संस्थाओं ने कर लिया है तथा किन-किन संस्थाओं ने नहीं किया है? (ग) जारी आदेश का पालन न करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? क्या बढ़ा हुआ मानदेय जारी आदेश दिनांक से स्वीकृत किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कनिष्ठ वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतों पर कार्यवाही

26. (क्र. 1732) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में दिनांक से 1.1.2013 से 31 जनवरी 2015 तक कितने कनिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध तथा कितने वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा अपने कनिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कब-कब और क्या-क्या शिकायतें की हैं? शिकायतकर्ता एवं जिसके विरूद्ध शिकायत की गयी है, उनके नाम, पद एवं पदस्थापना की भी जानकारी दी जावे? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार कनिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गयी शिकायतों में से कितनी शिकायतों की जांच किस-किस अधिकारी से करायी गयी और जांच में कौन दोषी पाया गया और उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? जांच हेतु कितनी शिकायतें किसके पास लंबित है और क्यों? (ग) क्या सागर जिले में खाद्य आपूर्ति अधिकारी के विरूद्ध उनके ही अधीनस्थ खाद्य आपूर्ति इंस्पेक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा एवं जैसीनगर अंतर्गत संचालित बालिका छात्रावास की

अधीक्षिका द्वारा अपने ही अधिकारी के विरूद्ध गंभीर आरोप लगाते हुये कलेक्टर सागर को शिकायतें की गयी थी? (घ) यदि हाँ, तो इन शिकायतों की जांच कब और किसके द्वारा करायी गयी? जांच में किसे दोषी पाया गया? दोषी के विरूद्ध कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि कार्यवाही नहीं की जावेगी तो क्यों?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जाँच अभिमत के अनुसार कार्यवाही

27. (क्र. 1786) कुँवर विक्रम सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिलान्तर्गत वर्ष 13-14 से 31.12.14 तक जनशिकायत निवारण अंतर्गत जनशिकायत निवारण शिविर, जनसुनवाई आदि के माध्यम से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए उनकी कितनी संख्या है? (ख) माननीय मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, माननीय विधायकों, सांसदों द्वारा की गई शिकायतों में से अब तक कितनों का निराकरण जाँच अभिमत के अनुसार किया गया? (ग) जाँच अभिमत के अनुसार अब तक कितने प्रकरण शेष हैं उनकी सूची दें जिनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं हुई?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) छतरपुर जिलान्तर्गत जन शिकायत, जन सुनवाई आदि के माध्यम से वर्ष 2013-14 से 31.12.2014 तक प्राप्त शिकायतों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। (ख) माननीय मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, माननीय विधायकों, सांसदो द्वारा प्राप्त शिकायतों के निराकरण की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। जांच अभिमत अप्राप्त है। (ग) जांच अभिमत प्राप्त न होने से शेष प्रकरणों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**।

परिशिष्ट - "बावन"

छतरपुर खाद्य शाखा/कार्यालय में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

28. (क्र. 1789) कुँवर विक्रम सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिलान्तर्गत खाद्य शाखा/कार्यालय कलेक्टर छतरपुर में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? (ख) प्राप्त शिकायतों के संबंध में कितने जांच अधिकारी नियुक्त किये गये? उनके नाम, पद सहित बतावें? जांच अभिमत में कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया? स्पष्ट करें? (ग) जांच में दोषी पाये जाने पर भी कार्यवाही नहीं की गई? ऐसे कितने प्रकरण हैं, उनकी सत्यापित जांच अभिमत की जानकारी उपलब्ध करावें?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

गौण खनिज के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया

29. (क्र. 1837) श्रीमती रेखा यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 3 में दी गई छूट के तहत अप्रैल 2013 में निर्धारित प्रक्रिया के बाद भी छतरपुर

एवं बैतूल जिले के अंतर्गत ग्रामीण विकास कार्यों के लिए गौण खनिज से संबंधित एक भी अनुमति प्राप्त नहीं की जा सकी है? (ख) यदि हाँ, तो शासन ने अप्रैल 2013 में जारी परिपत्र में ग्रामीण निर्माण कार्यों में लगने वाले गौण खनिज के संबंध में क्या-क्या प्रक्रिया निर्धारित की है? इस प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही के लिए जिला पंचायत एवं किस जनपद पंचायत ने किस-किस दिनांक को पत्र जारी किए? (ग) शासन द्वारा नि:शुल्क गौण खनिज के संबंध में अप्रैल 2013 में जारी प्रक्रिया के अनुसार अनुमति प्राप्त न किए जाने के क्या-क्या कारण रहे हैं? बिना अनुमति प्राप्त किए गौण खनिज का खनन या परिवहन किए जाने या गौण खनिज क्रय किए जाने के क्या कारण रहे हैं? (घ) शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर अनुमति लिए जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जिला वनोपज यूनियन का ऑडिट

30. (क्र. 1838) श्रीमती रेखा यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला वनोपज यूनियन छतरपुर एवं टीकमगढ़ का पंजीयन किस दिनांक को किया गया? पंजीयन दिनांक से वर्ष 2014 तक किस वर्ष का ऑडिट किस-किस सहकारिता निरीक्षक या सहकारिता सहायक पंजीयक के द्वारा किया गया? (ख) मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के द्वारा वर्ष 2006 में लघु वनोपज के शुद्ध लाभ की कितनी राशि संग्राहकों में वितरित किए जाने, कितनी राशि ग्रामीण विकास एवं कितनी राशि वन विकास पर खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया? (ग) वर्ष 2006 से 2014 तक जिला वनोपज सहकारी यूनियन छतरपुर एवं टीकमगढ़ को मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ भोपाल से किस वर्ष में ग्रामीण विकास की कितनी राशि एवं वन विकास की कितनी राशि प्राप्त हुई? इस राशि में से कितनी राशि जिला वनोपज यूनियन छतरपुर एवं टीकमगढ़ द्वारा खर्च कर दी गई हैं कितनी राशि प्रश्नांकित तिथि तक भी खर्च नहीं की गई? (घ) सहकारिता विभाग द्वारा पंजीकृत/उपविधि की किस कंडिका में जिला वनोपज यूनियन को ग्रामीण विकास एवं वन विकास की राशि खर्च करने का अधिकार दिया है, इस बावत् राज्य शासन का क्या आदेश है, प्रति सहित बतावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जिला वनोपज यूनियन छतरपुर एवं टीकमगढ का पंजीयन दिनांक क्रमश: 04.11.1988 एवं 08.11.1988 है. वर्षवार आडिट का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है.** (ख) शुद्ध लाभ की राशि का वितरण किये जाने का प्रावधान **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है.** (ग) वर्ष 2006 से 2014 के मध्य मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल से ग्रामीण विकास हेतु जिला यूनियन छतरपुर को वर्ष 2011 में रू.3.50 लाख तथा जिला यूनियन टीकमगढ को रू. 10823/- की राशि प्राप्त हुई थी. जिला यूनियन छतरपुर द्वारा प्राप्त राशि मे से रू. 174901/- की राशि व्यय की गई है तथा जिला यूनियन टीकमगढ द्वारा प्राप्त राशि रू. 10823/- पूर्ण रूप से व्यय की गई है. जिला यूनियन छतरपुर द्वारा प्रश्नांकित तिथि तक

रू.175099/- की राशि व्यय नहीं की गई है. वर्ष 2006 से 2014 के मध्य, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल से जिला वनोपज सहकारी यूनियन छतरपुर एवं टीकमगढ को वन विकास हेतु कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है. (घ) जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन की पंजीकृत उपविधि में ग्रामीण विकास एवं वन विकास की राशि खर्च करने का प्रावधान नहीं है, किंतु शुद्ध लाभ की स्थिति में शुद्ध लाभ वितरण बाबत उपविधि प्रावधान **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है.** वन विभाग के आदेश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 5 अनुसार है.**

ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा जबलपुर में कार्यपालन यंत्री पद के प्रभार के संबंध में

31. (क्र. 1965) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा जबलपुर में कार्यपालन यंत्री के पद का प्रभार किस अधिकारी के पास कब से है? अधिकारी का नाम एवं अवधि बतायें? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) अधिकारी का स्थानांतरण दिनांक 11.12.2014 को जबलपुर से रतलाम करते हुये तत्काल भारमुक्त करने के निर्देश विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा दिनांक 12.12.2014 को दिये गये थे? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (क) अधिकारी को प्रश्नांश (ख) आदेशानुसार कब भारमुक्त किया गया? आदेश की प्रति उपलब्ध करायें? यदि नहीं तो क्यों? कारण बतावें? भारमुक्त करने के लिये कौन अधिकारी सक्षम है? इनके द्वारा प्रश्नांश (क) अधिकारी को भारमुक्त क्यों नहीं किया गया? कब तक भारमुक्त कर दिया जावेगा, समय सीमा बतायें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जबलपुर में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के दो संभागीय कार्यालय कार्यरत है, जिनमें निम्नानुसार कार्यपालन यंत्री पदस्थ हैः-1. श्री जी.पी. कोरी, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग जबलपुर दिनांक 28.10.2014 से पदस्थ है। 2. श्री व्ही.एस. वर्मा, प्रभारी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक-2 जबलपुर दिनांक 28.06.2013 से पदस्थ है। (ख) जी हाँ। शासन के आदेश दिनांक 11.12.2014 की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ग) दिनांक 20.02.2015 को स्थानांतरित अधिकारी को भारमुक्त किया गया। अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल जबलपुर के आदेश क्र. 229/स्था./ग्रायांसे/15 जबलपुर दिनांक 20.02.2015 की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है।

परिशिष्ट – "तिरेपन"

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण

32. (क्र. 1979) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर अंतर्गत विकास खण्ड सिहोरा एवं कुण्डम में वर्ष 2012-13 से प्रश्नांश दिनांक तक कहाँ-कहाँ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण/पुल निर्माण की स्वीकृति

प्रदान की गई? सूची उपलब्ध करायें? मार्गों/पुल के नाम, लंबाई, लागत, स्वीकृत का दिनांक एवं कार्य की वर्तमान स्थिति सहित संपूर्ण विवरण उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कौन-कौन से मार्ग/पुल प्रस्तावित हैं? इनकी स्वीकृति के आदेश कब तक जारी किये जावेगें? प्रस्तावित मार्गों की सूची उपलब्ध करायें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 एवं 4 अनुसार** है।

<u>पी.सी.ओ. की पदक्रम सूची ए.डी.ई.ओ. की भांति बनायी जाना</u>

33. (क्र. 1994) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा स्नातक/गैर स्नातक ए.डी.ई.ओ. को आयुक्त विकास के अधीन एवं स्नातक/गैर स्नातक पी.सी.ओ. को आयुक्त पंचायत राज के अधीन रखे जाने के मंत्री परिषद के आदेश 30.8.11 को जारी किये गये हैं? आदेश की प्रति उपलब्ध करायें? (ख) स्नातक/गैर स्नातक ए.डी.ई.ओ. की पदक्रम सूची का प्रकाशन आयुक्त विकास के द्वारा राज्य स्तर से किया जा रहा है? किंतु स्नातक/गैर स्नातक पी.सी.ओ. की पदक्रम सूची का प्रकाशन प्रश्नांश (क) अनुरूप राज्य स्तर से क्यों नहीं किया जा रहा है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार**। (ख) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार**। गैर स्नातक पी.सी.ओ राज्य संवर्ग न होने के कारण राज्य स्तर से पदक्रम सूची प्रकाशित नहीं की गयी है।

<u>खाद्यान्न पर्ची का वितरण</u>

34. (क्र. 2021) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन की समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत गरीबों को शासकीय उचित मूल्य दुकान से खाद्यान पर्ची के आधार पर ही अनाज दिये जाने का प्रावधान कब से है? (ख) क्या पंधाना विधानसभा अंतर्गत योजना से लाभान्वित परिवारों को शत प्रतिशत खाद्यान्न पर्ची का वितरण किया जा चुका है? (ग) यदि हाँ, तो लाभान्वित परिवारों को उचित मूल्य दुकान से प्रतिमाह अनाज क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा है? (घ) इस हेतु कौन अधिकारी जिम्मेदार है? इन पर क्या कार्यवाही की गई, नहीं तो कब तक की जावेगी? इन परिवारों को कब तक खाद्यान पर्ची पदाय की जावेगी?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची के आधार पर माह मार्च, 2014 से खाद्यान्न का वितरण प्रारम्भ किया गया है। (ख) जी हाँ। सत्यापित 68, 479 परिवारों को पात्रता पर्चियों का वितरण किया जा चुका है। (ग) पात्रता पर्चीधारी परिवारों को उचित मूल्य

दुकान से नियमित रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आयोजित बैठकों की जानकारी

35. (क्र. 2038) श्री पन्नालाल शाक्य : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सह.के.बैंक, गुना अंतर्गत म.प्र. शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय के आदेश अनुसार जिला स्तर पर गठित समिति (धोखाधड़ी, गबन संबंधी) की गत तीन वर्षों के दौरान (आज दिनांक तक) कितनी बैठकें आयोजित हुईं, दिनांक व स्थान सहित इन बैठकों में लिये गये निर्णयों की जानकारी देवें? (ख) गत तीन वर्षों से आज दिनांक तक की समयावधि में बैंक कर्मचारियों तथा अन्य द्वारा धोखाधड़ी व गबन करने के कौन-कौन से मामले बैंक अधिकारियों के संज्ञान में आये, नाम व राशि सहित जानकारी दें? इनमें से कौन से मामले उपरोक्त जिला समिति की बैठक में रखे गये कितने मामले नहीं रखे जा सके और क्यों नहीं रखे जा सके, कारण सहित जानकारी देवें? दोषियों के प्रकरण समिति में नहीं रखे जाने के लिए कौन-कौन दोषी हैं? (ग) क्या प्रश्नांश समिति की तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करना अनिवार्य करने के निर्देश हैं? क्या यह निर्देश होने के बावजूद नियमित बैठक आहुत की गयी है? यदि नहीं की गई, तो इसके लिए कौन दोषी हैं? यदि बैठक हुई है, तो समिति के निर्णय में दोषी पाये गये अधिकारी/ कर्मचारी कौन-कौन हैं, नामवार जानकारी दें, तथा इनमें से कौन-कौन आज भी पदस्थ हैं?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) गुना जिले की गबन धोखाधड़ी समिति की गत 03 वर्षों में दिनांक 25.07.2013 एवं दिनांक 23.02.2015 को 02 बैठकें कार्यालय कलेक्टर, जिला गुना में आयोजित हुई. इन बैठकों में दोषियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने एवं राशि वसूली हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया. (ख) गत 03 वर्षों से आज दिनांक तक की समयावधि में बैंक अधिकारियों के संज्ञान में आये एवं गबन धोखाधड़ी समिति की बैठकों में रखे गये प्रकरणों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है.** शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है. (ग) जी हाँ. जी नहीं. प्रशासनिक एवं निर्वाचन संबंधी व्यस्तताओं के कारण समय पर बैठकें आयोजित नहीं हो सकी हैं, इसके लिए कोई व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं है. गबन धोखाधड़ी समिति के निर्णय में दोषी पाये गये कर्मचारियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है.**

लोक सेवा केन्द्रों में प्राप्त आवेदन

36. (क्र. 2046) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन एवं देवास जिले में 1 जनवरी 2014 से 31 जनवरी 2015 की स्थिति में लोक सेवा केन्द्रों में किन-किन मदों/सेवाओं हेतु कितनी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए? (ख) कितने आवेदन पत्रों में सेवायें समय सीमा में दी गई? किस-किस सेवा के लिये कितना शुल्क

निर्धारित है? (ग) कितने आवेदन पत्रों में सेवायें समय सीमा में नहीं दी गई, तथा क्यों? कारण बतायें। इसके लिए कौन-कौन जवाबदार है, तथा शासन ने क्या-क्या कार्यवाही की? (घ) कितने आवेदन पत्र निरस्त किये गये, तथा कितने आवेदन पत्र लंबित है, कब तक निराकरण होगा?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) 01 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2015 की स्थिति में जिला रायसेन के लोक सेवा केन्द्रों में 53 सेवाओं हेतु 1, 84, 319 तथा जिला देवास में 51 सेवाओं हेतु 3, 93, 740 आवेदन प्राप्त हुए। (ख) जिला रायसेन में 1, 67, 275 तथा देवास में 3, 57, 028 आवेदन पत्रों को सेवाएं समय सीमा में दी गई है। शुल्क सूची **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जिला रायसेन में 17, 044 तथा देवास में 9701 आवेदन पत्रों में सेवाएं समय-सीमा में नहीं दी गई। पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालय में इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली, वेबसाईट में समस्या एवं पदाभिहित अधिकारियों के निर्वाचन कार्य की व्यवस्तता के कारण आवेदन पत्र समय-सीमा बाहय लंबित हुए है। जिम्मेदार पदाभिहित अधिकारियों पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की गई है। (घ) जिला रायसेन में 26, 363 तथा देवास में 31, 962 आवेदन पत्र निरस्त किये गये। दोनों जिलों में कोई भी आवेदन पत्र लंबित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत पोर्टल व्यवस्था

37. (क्र. 2048) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन द्वारा समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए पोर्टल तैयार किया है? इस पोर्टल व्यवस्था के क्या-क्या उद्देश्य है? हितग्राही को इससे क्या-क्या फायदा है? इस पर सही जानकारी दर्ज करने की जबावदारी किसकी है? (ख) देवास जिले में 1.4.13 से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या गतिविधियां कार्यक्रम आयोजित किये गये? क्या यह सत्य है कि उक्त जिलों में पोर्टल पर दर्ज परिवार, गरीबी रेखा और खाद्यान्न पर्ची में असमानता है? (ग) उक्त व्यवस्था प्रारंभ होने से 1.4.13 से 1 फरवरी 2015 तक किन-किन कों राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत लाभ दिया गया, तथा पात्रता होने के बाद जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत प्रकरण तैयार नहीं करवाया गया? संख्या बताएं? (घ) यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है, तथा पात्र व्यक्तियों के जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत प्रकरण कब तक तैयार होगें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

महिला परिचालकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण

38. (क्र. 2232) सुश्री उषा ठाकुर : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक परिवहन अंतर्गत विद्यालयों/ अन्य यात्री वाहनों में महिलाओं/ छात्राओं की सुरक्षा हेतु महिला परिचालक नियुक्त किये जाने की योजना विभाग ने बनाई है? (ख) क्या

प्रदेश में महिला परिचालकों (कंडक्टर) के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्र हैं? (ग) महिला परिचालकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण कब, कहाँ-कहाँ प्रारंभ की जावेगी?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) लोक परिवहन के अंतर्गत यात्री वाहनों में महिला परिचालक नियुक्त किए जाने की कोई योजना नहीं हैं। परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की बसों के लिए जारी की गई गाइड लाइन में कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों की बसों में बच्चों का ध्यान रखने के लिए एक अटेन्डेन्ट तथा सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए कोई एक शिक्षक/शिक्षिका अथवा पालक/अभिभावक रहेगे। तदनुसार सभी संबंधितों को निर्देश जारी किए गए हैं। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।

<u>जन शिकायत निवारण में महिला सदस्यों की सहभागिता</u>

39. (क्र. 2234) सुश्री उषा ठाकुर : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में जिला/तहसील स्तर पर जन शिकायत निवारण के लिए विभाग स्तर पर प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं? (ख) क्या प्रदेश के जिला/तहसील स्तरीय विभिन्न विभागीय जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठों ने शासकीय/ अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति की गई है? (ग) प्रदेश के जिला/तहसील स्तरीय जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठों में अशासकीय महिला सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जावेगी?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्य</u>

40. (क्र. 2266) श्रीमती इमरती देवी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर के वि.ख. डबरा में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत वर्तमान में (अपूर्ण) कहाँ से कहाँ तक के कार्य कब कितनी-कितनी राशि स्वीकृत होकर निर्माणाधीन है? प्रत्येक कार्यपूर्ण करने की अवधि क्या है, किस-किस उपयंत्री कि देखरेख, में कार्य कराए जा रहे है? समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने के लिये कौन दोषी है, इसके लिये अभी तक क्या कार्यवाही की गई तथा यह कार्य कब तक पूर्ण कराये जावेंगे? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्य पूर्ण उपरांत 05 वर्ष तक गारंटी अवधि में संबंधित ठेकेदार द्वारा मार्ग संधारण कराये जाने का प्रावधान है, यदि हाँ, तो वि.ख.डबरा अंतर्गत 05 वर्षो में कौन-कौन से रोड पर कितनी राशि का व्यय का संधारण हेतु भुगतान किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार वर्ष 2009-10 से 2013-14 में कार्यपूर्ण उपरांत किस मार्ग पर कितनी राशि का भुगतान संधारण हेतु किया गया, किन पहुंच मार्गो के क्षतिग्रस्त होने के बाद भी, मरम्मत पर राशि व्यय नहीं की गई, इन सड़कों के संधारण के लिए कुल

कितनी राशि विभाग के पास थी? तथा उक्त वर्षो में पूर्ण हुए तथा वर्तमान में मरम्मत योग्य नहीं मार्गों कि सूची उपलब्ध करावें

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है।** निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण न करने हेतु ठेकेदार पूर्णतः उत्तरदायी है। उक्त ठेकेदारों के विरूद्ध अनुबंधानुसार अर्थदण्ड हेतु कार्यवाही की जा रही है। कार्य पूर्ण होने की निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।** (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 एवं 3 अनुसार है।**

<u>परिशिष्ट - "चउवन"</u>

<u>मिली वॉटर शेड लोहगढ़ (डबरा) में किये कार्य</u>

41. (क्र. 2267) श्रीमती इमरती देवी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर के वि.ख. डबरा में लोहगढ मिली वॉटर शेड, किस मद से कितनी राशि का किस वर्ष से किस वर्ष तक के लिये स्वीकृत है 1 जनवरी 2015 तक वर्षवार कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? (ख) क्या यह सही है कि वि.ख.डबरा के लोहगढ़ मिली वॉटर शेड, क्षेत्र में एन.जी.ओ. कम्पनी द्वारा कार्य कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसका पंजीयन एवं उद्देश्यों (बॉयलॉज) कि प्रमाणित प्रति सहित इस वाटर शेड में कार्य करने हेतु सक्षम अधिकारी के आदेश कि प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावें, साथ ही लोहगढ़ मिली वॉटर शेड में कार्यकर रहे सभी कर्मचारियों का नाम, पदनाम, शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी तथा मूल कार्यालय का नाम सहित? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार लोहगढ मिलीवॉटर शेड एवं इसके माईक्रो ग्रामों में योजना प्रारम्भ से माह जनवरी 2015 तक स्वीकृत किये गये कार्य का नाम, आदेश दिनांक, स्वीकृत राशि तथा व्यय राशि एवं कार्य पूर्ण करने कि अवधि, कार्यपूर्ण/अपूर्ण तथा मूल्यांकनकर्ता अधिकारी का नाम, पदानाम तथा जिला पंचायत/जनपद पंचायत के अधिकारी का नाम जिसने किस कार्य का निरीक्षण किस दिनांक को किया?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जिला ग्वालियर के विकासखण्ड डबरा में लोहगढ़ मिली वाटरशेड एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम नामक योजना के अंतर्गत राशि रु.606.84 लाख की लागत का, वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक स्वीकृत है। वर्षवार व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। (ख) प्रश्नाधीन दस्तावेज व **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 तथा प्रपत्र 3 अनुसार** है। (ग) प्रश्नाधीन **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 तथा प्रपत्र 5 अनुसार** है।

<u>नियम विरूद्ध परिसीमन करके अवैध निर्वाचन कराने वाले दोषियों को दण्डित किया जाना</u>

42. (क्र. 2300) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन द्वारा वर्ष 2014 में ग्राम पंचायतों का परिसीमन किया है? यदि नहीं तो गुना जिले की जनपद गुना की ग्राम पंचायतों में जिला प्रशासन ने कोई

परमीशन करके एक पंचायत से गांव हटाकर दूसरी पंचायत में जोड़कर परिसीमन किया है? (ख) क्या गुना ब्लॉक के ग्राम सिंघाडी चक में वर्ष 2009-10 के पंचायत निर्वाचन में ग्राम पंचायत हरिपुर में शामिल होकर वार्ड क्र.20 में उसके मतदाता शामिल थे? वर्ष 2014 में ग्राम पंचायत हरिपुर के वार्ड नं.20 में उनको प्रथम प्रकाशित सूची में शामिल किया था? क्या ग्राम चक सिंघाडी के मतदाताओं को गुना ब्लॉक की ग्राम पंचायत सिंघाडी में नवीन वार्ड नं.19 बनाकर अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में सरल क्र.1395 से 1435 तक जोड़कर निर्वाचन कराया है? यदि हाँ, तो बताये क्या जिला प्रशासन को परिसीमन करने का आदेश था या नहीं जानकारी दें? (ग) क्या वर्ष 2009 के निर्वाचन में ग्राम पंचायत हरिपुर के ग्राम चक सिंघाडी वार्ड नं.20 से सईद खॉ निर्वाचित पंच था? यदि हाँ, तो उक्त पंचायत हरिपुर की मतदाता सूची के सरल क्र.1633 से 1706 तक के मतदाताओं को ग्राम पंचायत सिंघाडी के नवीन वार्ड 19 में किस आदेश से जोड़कर सईद खां का नाम निर्देशन पत्र वार्ड 19 सिंघाडी में रसीद क्र.695 (19/140) से राशि 100 जमाकर दिनांक 29.12.14 को फार्म जमा कराया तो पंच को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया बतायें? (घ) क्या जिला प्रशासन द्वारा परिसीमन आदेश के बिना ग्राम पंचायत हरिपुर का एक वार्ड कम करके ग्राम पंचायत सिंघाडी में नवीन वार्ड बढ़ाकर मतदाताओं को जोड़कर पंच एवं सरपंच पद का निर्वाचन दोनों पंचायतों में अवैधानिक रूप से कराया है बतायें? कौन-कौन अधिकारी दोषी है? क्या दोनों पंचायतों का निर्वाचन निरस्त करायेंगे? क्या दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे? कब तक विवरण दें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**दतिया जिले की जनपद सेंवढ़ा अंतर्गत मध्यान्ह भोजन योजना**</u>

43. (क्र. 2327) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले की जनपद सेंवढ़ा के अंतर्गत कुल कितने विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना संचालित है? स्कूलवार/ग्रामवार/संचालन ऐजेन्सी का नाम सहित जानकारी उपलब्ध कराई जावें? (ख) क्या प्रत्येक विद्यालय में भोजन पकाने हेतु आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध करा दी गई है कि नहीं, यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करायें? यदि नहीं, तो ऐसे कितने विद्यालय हैं, जानकारी उपलब्ध कराई जावे? (ग) ऐसे कितने विद्यालय हैं, जिनमें भोजन विद्यालय में न पकाया जाकर बाहर से लाया जा रहा है? स्कूल का नाम/ग्राम/संबंधित संचालन ऐजेन्सी के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करायें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जनपद पंचायत सेवढ़ा के अंतर्गत 393 विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना संचालित है शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार** है। (ख) जी नहीं। ऐसे 86 विद्यालय है, जिनमें अधोसंरचना उपलब्ध नहीं है। जिनका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार** है। (ग) ऐसे 17 विद्यालय हैं, जिनमें भोजन विद्यालय में न पकाया जाकर बाहर से लाया जा रहा है। जिसकी विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार** है।

कृषि उपज मंडियों में पदस्थ कर्मचारियों की जानकारी

44. (क्र. 2329) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर संभाग में कृषि उपज मंडियों में 31 मार्च, 2013 के बाद कुल कितने मंडी सचिव/निरीक्षक प्रतिनियुक्ति पर अथवा प्रभारी बनाये गये है? उनके नाम/पद/वेतनमान/विभाग का नाम/प्रतिनियुक्ति दिनांक/पदस्थी स्थल की जानकारी उपलब्ध कराई जावें? (ख) कंडिका (क) में वर्णित दिनांक के बाद प्रतिनियुक्ति बावत कौन-कौन विभाग से किन-किन कर्मचारियों द्वारा आवेदन किये गये उन आवेदनों को स्वीकार कर मंडी बोर्ड भोपाल द्वारा किन-किन कर्मचारियों के विभाग से सहमति मंगाई गई तथा संबंधित कर्मचारियों के मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र मंगाये गये किस-किस कर्मचारी के अनुकूल प्रतिवेदन प्राप्त हुये उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जावें? (ग) जिन कर्मचारियों के अनुकूल प्रतिवेदन प्राप्त हुये उनमें से कौन-कौन से कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति दी गई और कौन-कौन को नहीं जिन्हें नहीं दी गई तो क्यों नहीं दी गई? क्या भविष्य में इन्हें पूर्व के आवेदनों के आधार पर प्रतिनियुक्ति दी जायेगी या नहीं यदि हाँ, तो अवधि से अवगत कराया जावें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) ग्वालियर संभाग की कृषि उपज मंडी समितियों में 31 मार्च 2013 के बाद जनवरी 2015 तक 08 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है इन कर्मचारियों को मंडी सचिव, मंडी निरीक्षक, प्रभारी सचिव पद पर पदस्थ किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। (ख) कंडिका (क) में वर्णित दिनांक 31 मार्च 2013 के बाद जनवरी 2015 तक प्रतिनियुक्ति बाबत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है। विभागों से उनके नाम के सम्मुख दर्शित कर्मचारियों के संबंध में उनके पैतृक विभागों से मंडी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर लेने हेतु विभागीय अनापत्ति के साथ विभागीय जानकारी चाही गई जिसमें कर्मचारी के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र भी शामिल है। इन विभागों के नाम के सम्मुख दर्शित कर्मचारियों के पैतृक विभागों द्वारा विभागीय अनापत्ति के साथ विभागीय जानकारी उपलब्ध करायी गई है। (ग) 31 मार्च 2013 के बाद जनवरी 2015 तक मंडी बोर्ड में जिन कर्मचारियों के उनके पैतृक विभाग से अनापत्ति के साथ पूर्ण जानकारी प्राप्त हो चुकी है। उनको मंडी बोर्ड में कार्य की आवश्यकता, पद की उपलब्धता एवं प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर ऐसे 11 कर्मचारियों की सेवा मंडी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर ली गई है एवं 08 कर्मचारियों के प्रकरण प्रतिनियुक्ति पर लेने हेतु गठित समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र स अनुसार** है। प्रतिनियुक्ति पर लेने अथवा नहीं लेने के संबंध में कार्य की आवश्यकता, पद की उपलब्धता, एवं कर्मचारी की योग्यता के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के अंतर्गत अन्य

विभागों के कर्मचारियों को मंडी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर लेने की कार्यवाही की जाती है। समय सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

पेंशनों के संबंध में

45. (क्र. 2377) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र व्यक्तियों को कितने प्रकार की पेंशन का लाभ मिल सकता है? पेंशन योजनाओं के नाम व राशि बतावें? (ख) पेंशन प्राप्त करने वाले पात्र व्यक्तियों के लिए शर्तें एवं नियम क्या हैं? (ग) शासन द्वारा पेंशन कब प्रारंभ की गई एवं पात्र व्यक्तियों को प्रारंभ में कितनी-कितनी पेंशन मिलती थी एवं आज दिनांक तक कितनी मिलती हैं? (घ) मंहगाई के इस दौर में सभी कर्मचारियों को लाभ वेतन वृद्धि, पेंशन वृद्धि प्राप्त हो रहा है किन्तु विकलांग, वृद्धा, विधवा, सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य पेंशन प्राप्त करने वालों की पेंशन वृद्धि नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। (ख) उत्तरांश-''क'' अनुसार। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। (घ) पेंशन वृद्धि एक नीतिगत मुद्दा है। राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है तथा राज्य शासन की पेंशन योजनाओं में वृद्धि किए जाने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों का संचालन

46. (क्र. 2378) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कितनी उचित मूल्य की दुकानें हैं, गांवों के नाम बतावें? दुकानों पर कौन-कौन संचालक हैं? (ख) किस राशन कार्ड पर किस-किस योजना से कितना-कितना खाद्य प्रति व्यक्ति प्राप्त होता है? (ग) प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उचित मूल्य की दुकानें हैं या नहीं? (घ) यदि नहीं है, तो प्रत्येक पंचायत स्तर पर कब तक प्रारंभ की जावेगी?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 117 उचित मूल्य की दुकाने संचालित हैं। उचित मूल्य दुकानों के नाम एवं संचालन करने वाले विक्रेताओं के नाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किग्रा प्रति परिवार एवं प्राथमिकता परिवारों को 5 किग्रा प्रति सदस्य प्रति माह खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। (ग) जी नहीं। (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2009 में प्रत्येक पंचायत में दुकान के प्रावधान नहीं हैं।

योजनाओं प्राप्त राशि से कराये गये कार्य

47. (क्र. 2430) डॉ. मोहन यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत, जिला उज्जैन को वर्ष, 2011-2012 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस योजना में, कितनी राशि, कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुई, वर्षवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित राशि से क्या-क्या कार्य कहाँ-कहाँ, कब-कब स्वीकृत किये गये? उनमें से कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ की स्थिति में हैं और क्यों, कारण बतावें? इन्हें कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शित कार्यों में से किन-किन कार्यों का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री/ सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कब-कब किया गया और उस भ्रमण के दौरान क्या-क्या रिपोर्ट बनाई गई, उनकी जानकारी दें? (घ) प्रश्नांश (ख) में दर्शित स्वीकृत कार्यों की दर्शित स्थिति के लिए कौन-कौन सी क्रियान्वयन एजेंसी दोषी है, के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी? हाँ, तो बतावें? नहीं, तो कारण दें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण

48. (क्र. 2431) डॉ. मोहन यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत उज्जैन जिले को 2012 से प्रश्न दिनांक तक प्रोजेक्टवार कितने लक्ष्य एवं आवंटन प्राप्त हुआ? (ख) उक्त योजनांतर्गत प्रोजेक्टवार कितने कृषकों के आवेदन प्राप्त हुये?परीक्षण उपरांत कितने कृषकों केआवेदन सही पाये गये? पंजीकृत कृषकों की सूची भी उपलब्ध करावें? (ग) उक्त पंजीकृत कृषकों में से कितने कृषकों को अनुदान का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? इसमें विलंब के क्या कारण हैं? इसके लिए कौन उत्तरदायी है? (घ) क्या यह सच है कि विगत व वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष तक विभाग के संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा एक भी पंजीकृत कृषक को अनुदान का भुगतान नहीं किया गया है? यदि किया गया है, तो अभिलेखीय प्रमाण उपलब्ध करावें? (ड.) यदि नहीं, तो अनुदान का भुगतान करने में विलंब के कारणों की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए शीघ्र पंजीकृत कृषकों को अनुदान का भुगतान करने के निर्देश क्या शासन विभाग को जारी करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत वंचित ग्रामों का जोड़ा जाना

49. (क्र. 2448) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले कि विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत मुख्यमंत्री सड़क योजनांतर्गत कितनी सड़क Missing Link सड़क के अंतर्गत है, उनके नाम एवं लागत से अवगत करावें? (ख)

प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त सड़कों के अतिरिक्त वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार 300 से 500 के बीच की जनसंख्या वाले कितने ग्राम मुख्यमंत्री सड़क योजना से वंचित रह गये हैं, उन ग्रामों के नाम एवं लागत से अवगत करावें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार मुख्यमंत्री सड़क योजनांतर्गत Missing Link की सड़क एवं वंचित ग्रामों की सड़कों का कार्य कब तक प्रारंभ किया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) राजगढ़ के विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डों अनुसार सड़कें छूटी हुई नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) के प्ररिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (क) के प्ररिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>जिला सहकारी बैंक छतरपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही</u>

50. (क्र. 2449) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक छतरपुर के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एन.यू. सिद्दीकी के कार्यकाल में एस.जी.एस.वॉय. योजनांतर्गत वितरित ऋणों की जांच सहकारिता विभाग द्वारा की गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो क्या जांच में बैंक के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्दीकी दोषी पाये गये थे? यदि हाँ, तो इनके विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कार्यवाही कब तक की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ, जांच तत्कालीन संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, सागर संभाग, सागर द्वारा की गई थी. (ख) जी हाँ. म.प्र. राज्य सहकारी बैंक के सेवायुक्तों के सेवानियमों के अंतर्गत श्री एन.यू. सिद्दीकी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है. शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है.

<u>विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत बी.पी.एल. सूची में नाम जोड़े जाना</u>

51. (क्र. 2450) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 01.01.2014 से प्रश्न दिनांक तक कितनी बी.पी.एल. परिवारों की कितनी सूची जारी की गयी है? दिनांकवार जारी सूची की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त जारी सूची के विरूद्ध कितने बी.पी.एल. परिवारों को राशन कार्ड जारी कर दिये गये है? सूची उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार बी.पी.एल. परिवारों की जारी सूची में से शेष रह गये परिवारों को कब तक राशनकार्ड जारी कर दिये जावेगें, तथा अभी तक राशनकार्ड जारी न करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) सारंगपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 01.01.2014 से प्रश्न दिनांक तक 5271 बी.पी.एल. परिवारों की 195 सूचियाँ जारी की गयी हैं।

दिनांकवार जारी सूचियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त जारी सूचियों में सम्मिलित सभी 5271 बी.पी.एल. परिवारों को राशन कार्ड जारी कर दिए गये हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में निरंक।

मध्यान्ह भोजन वितरण में अनियमितता

52. (क्र. 2463) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सारंगपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान शिक्षा सत्र में किन-किन स्कूलों में मध्यान्ह भोजन दिया जा रहा है? स्कूल का नाम व छात्र संख्या बतावे? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्तमान सत्र में मध्यान्ह भोजन किन-किन समूहों द्वारा वितरित किया जा रहा है और उन्हें किस मान से कितना-कितना भुगतान किया गया? माहवार छात्रों की कुल संख्या एवं उसके विरूद्ध उपस्थित संख्या बतावें? (ग) क्या मध्यान्ह भोजन का भुगतान छात्रों की उपस्थिति का मिलान करने के पश्चात ही किया जाता है? यदि नहीं तो उससे अधिक भुगतान की राशि की वसूली की क्या कार्यवाही की गयी है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान शिक्षा सत्र में प्रा.वि.-231, मा.वि.-121, मदरसे-6, आश्रम शालाऐ-6, संस्कृत शालाऐ-2, सेतु विद्यालय-4, इस प्रकार कुल 370 शालाओं में मध्यान्ह भोजन प्रदाय किया जा रहा है। स्कूल का नाम एवं छात्र संख्या की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार** है। (ख) सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान शिक्षा सत्र में 370 शालाओं में से 354 शालाओं में मध्यान्ह भोजन का क्रियान्वयन स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। शेष 16 शालाओं में मध्यान्ह भोजन का क्रियान्वयन अन्य माध्यम से किया जा रहा है। संलग्न स्व सहायता समूहों को माहवार किये गये भुगतान, छात्रों की कुल संख्या एवं उसके विरूद्ध उपस्थिति संख्या की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार** है। (ग) जी नहीं। मध्यान्ह भोजन की जानकारी प्रतिमाह विभाग के पोर्टल पर दर्ज की जाती है तथा सत्र के अंतिम त्रैमास में बी.आर.सी. से खाद्यान्न एवं राशि की शालावार उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला कार्यालय द्वारा राशि एवं खाद्यान्न का अंतिम आवंटन, समायोजन कर जारी किया जाता है।

जनपद पंचायत बड़नगर स्वीकृत कार्य एवं व्यय

53. (क्र. 2471) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले की बड़नगर विधान सभा क्षेत्र की जनपद पंचायत ने वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में सभी मदों से कितने कार्य स्वीकृत हुए एवं कितनी राशि व्यय हुई? (ख) बड़नगर जनपद पंचायत के पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की जानकारी पंचायतवार उपलब्ध करावें? (ग) जनपद पंचायत में निर्माण कार्य के संबंध में किन-किन पंचायतों की शिकायत प्राप्त हुई है एवं उन पर क्या कार्यवाही हुई है? (घ) जनपद बड़नगर में किन-किन स्वीकृत कार्यों के

विरूद्ध अग्रिम राशि का आहरण कर लिया गया है उनकी सूची व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) उज्जैन जिले की बड़नगर विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत बड़नगर में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में विभिन्न मदों में 5178 कार्य स्वीकृत किये गये थे। स्वीकृत कार्यो पर रु. 2795.83 लाख की राशि व्यय की गई। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार**। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार**। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार**। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार**।

<u>किसानों के कल्याण से संबंधित शासन की योजना</u>

54. (क्र. 2498) श्री सतीश मालवीय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसानों के कल्याण एवं सहायतार्थ शासन की कौन-कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है? योजनाओं के नाम बतावें? (ख) द्यट्टिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन कृषकों को वर्ष 2013 से कौन-कौन सी योजनाओं के अंतर्गत सहायता करके लाभ पहुँचाया गया है? व्यक्तिवार योजनावार सूची उपलब्ध करावें? (ग) क्या किसान अथवा खेतीहर मजदूर किसानी कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो उसे अधिकतम कितनी सहायता प्रदाय की जाती है, तथा कौन अधिकारी स्वीकृत करता है?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना अंतर्गत निम्नानुसार सहायता दी जाती है। (1) मृत्यु होने पर रूपये 1, 00, 000/- (2) दुर्घटना में स्थाई अपंगता रूपये 25, 000/- (3) दुर्घटना में अंग भंग होने से आंशिक अपंगता रूपये 7500/- (4-) अत्येंष्टी अनुदान रूपये 2, 000/-जिले में कलेक्टर द्वारा स्वीकृति दी जाती है।

<u>परिशिष्ट – "पचपन"</u>

<u>लोक सेवा प्रबंधन अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र</u>

55. (क्र. 2549) कुमारी निर्मला भूरिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ जिले में एक जनवरी, 2011 से प्रश्न दिनांक तक लोक सेवा प्रबंधन से संबंधित किन-किन विभागों में कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, नामवार, विभागवार बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदनों पर निर्धारित समय सीमा में चाही गई सेवाएं प्रदाय की गईं एवं कितने आवेदनों पर समयसीमा में सेवाएं नहीं दी गईं? (ग) लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत निर्धारित समयसीमा में सेवाएं प्रदाय नहीं करने वाले दोषी पदाभिहित अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? नहीं, तो कारण बतावें?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) झाबुआ जिलें में एक जनवरी, 2011 से प्रश्न दिनांक

तक लोक सेवा प्रबंधन विभाग से संबंधित विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों का नामवार, विभागवार "**जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। "** (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में कुल प्राप्त आवेदनों 374839 में से 353120 पर निर्धारित समय-सीमा में चाही गई सेवाएं प्रदान की गई है, एवं 21719 आवेदन पर समय सीमा में सेवाएं नहीं दी गई है। (ग) लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में सेवाएं प्रदाय नहीं करने वाले दोषी पदाभिहीत अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। "**जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। "**

परिशिष्ट - "छप्पन"

स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूर्ण किया जाना

56. (क्र. 2558) कुमारी निर्मला भूरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण यांत्रिकी विभाग (आर.ई.एस.) के माध्यम से जिला झाबुआ अंतर्गत वर्ष, 2013 एवं 2014 में पांच लाख से अधिक के कितने निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य स्वीकृत किये गये थे? उनकी स्वीकृति दिनांक, स्थान और उसकी कार्य पूर्ण होने की समयसीमा क्या है? (ख) क्या उक्त निर्माण कार्य समयसीमा में प्रारंभ किये जाकर समयसीमा में पूर्ण किये जा चुके हैं? यदि नहीं, तो ऐसे कितने कार्य हैं, जो वर्तमान में लंबित हैं और उनके लंबित रहने का कारण क्या है? (ग) क्या समयसीमा में कार्य पूर्ण न करने वाले संबंधित ठेकेदार/ अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की गई, उसकी जानकारी दी जावे और लंबित कार्य कब तक पूर्ण कर दिऐ जावेंगे?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) स्वीकृत निर्माण कार्यों में से कुछ कार्य समय सीमा में पूर्ण नहीं हुये हैं। वर्तमान में लंबित कार्यों एवं लंबित रहने के कारणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) समय सीमा में कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों को अनुबंध की धाराओं के तहत नोटिस जारी किये गये एवं कार्य के अंतिम भुगतान के पूर्व अर्थदण्ड का निर्धारण भी सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाता है। कार्य समय सीमा में पूर्ण न होने में किसी अधिकारी का दोष न होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई। लंबित कार्य पूर्ण किये जाने की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

बीज खरीदी एवं वितरण

57. (क्र. 2660) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उपसंचालक, कृषि, जिला- खरगौन कार्यालय में पंजीकृत संस्थाओं की सूची देवें? बीज खरीदी हेतु संस्थाओं के पंजीयन एवं खरीदी की नीति क्या है? (ख) सन् 2013-14 एवं 2014-15 में खरीदे गये बीजों का विवरण देवें? (ग) विधान सभा क्षेत्र 186 , भगवानपुरा में सन् 2013-14 एवं 2014-15 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितने हितग्राहियों को लाभांवित किया संख्या देवें? (घ) वर्ष, 2014 में कुल कितने जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुए?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) वर्ष 2014-15 में पंजीकृत संस्थाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। विभाग की विभिन्न योजनाओं में बीज प्रदाय उन्हीं समितियों द्वारा किया जाता है, जो उप पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध होकर प्रमाणित/आधार बीजों के उत्पादन का कार्य करती है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है। (ग) प्रश्नांकित अवधि में भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 52036 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। (घ) वर्ष 2014 में कुल 17 बीज अंकुरण से संबंधित जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

<u>ग्रामीण विकास एवं सड़कों का निर्माण</u>

58. (क्र. 2669) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिरमौर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विकासखण्ड- सिरमौर/ जवा/ गंगेव अंतर्गत पंचायतों में ग्रामीण सड़क कार्यो के अंतर्गत मुख्यमंत्री सड़क एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना का कार्य किया गया है? यदि हाँ, तो किन-किन मार्गो का कार्य किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में- उक्त विकासखण्डों में क्या उक्त योजना के सभी पात्र ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ दिया गया है? यदि हाँ, तो किन-किन ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ दिया गया? यदि नहीं, तो सुविधा से वंचित ग्रामों को क्या मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा? (ग) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में- उक्त विकासखण्डों के उक्त योजना के पात्र सभी ग्रामों में आवागमन की क्या समुचित सुविधा मुहैया कराई जा चुकी है? यदि नहीं, तो समुचित आवागमन की सुविधा कब तक प्रदाय की जायेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्माण किये गये मार्गो की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** हैं। (ख) जी नहीं। उक्त योजनांतर्गत मुख्यमार्ग से जोड़े गये ग्रामों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** हैं। उक्त योजनांतर्गत योजना के मापदण्डों अंतर्गत ग्रामों को मुख्यमार्ग से जोड़ा जायेगा। (ग) जी नहीं। कार्यो की स्वीकृति आवंटन उपलब्धता पर आधारित होने से निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>अवैध परिवहन रोकने हेतु बेरियर की स्थापना</u>

59. (क्र. 2670) श्री दिव्यराज सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिरमौर विधानसभा अंतर्गत- रामबाग से बगरिहा मार्ग एवं जवा से पटहट मार्ग से क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिऐ अवैध परिवहन का उपयोग किया जाता है? यदि हाँ, तो क्या अवैध परिवहन रोकने के लिऐ कार्यवाही की जावेगी? (ख) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में- उपरोक्त मार्गों से अवैध परिवहन किये जाने के कारण क्या सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त नहीं हो रही है? यदि हाँ, तो रामबाग बगरिहा मार्ग में एवं जवा से पटहट मार्ग पर अवैध परिवहन रोकने हेतु क्या परिवहन विभाग का नाका/बैरियर लगाया जाऐगा? यदि हाँ, तो कब तक, कृपया समयसीमा बताये?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) अवैध परिवहन रोकने हेतु विभाग द्वारा जांच की जाती है तथा नियम विरूद्ध अवैध परिवहन पाये जाने पर नियमानुसार चालानी कार्यवाही कर शासकीय राजस्व के रूप में शमन शुल्क वसूल किया जाता हैं। अतः यह कहना उचित नहीं कि प्रश्न में उल्लेखित मार्ग पर अवैध परिवहन होता है। परिवहन कार्यालय रीवा एवं अन्य ईकाईयों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में प्रकरण बनाये जाकर रूपये 2, 03, 49, 500/- का शमन शुल्क वसूल किया गया। यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। (ख) प्रश्नांश-क में उल्लेखित मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के लिये केवल अवैध परिवहन ही कारक घटक नहीं है, बल्कि बारिश, सडको का रखरखाव एव मरम्मत ना होना भी कारण हैं। प्रश्नांश-क के उत्तर अनुसार कार्यवाही की गई है। पृथक से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना

60. (क्र. 2689) श्री नीलेश अवस्थी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा ब्लाक, तहसील एवं उप तहसील स्तर पर लोक सेवा केन्द्र एवं उप लोक सेवा केन्द्र स्थापित करने के क्या नियम हैं एवं क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? (ख) जबलपुर जिले के किन-किन ब्लाक, तहसील एवं उप तहसीलों में लोक सेवा केन्द्र/ उप लोक सेवा केन्द्र संचालित हैं? एवं कहाँ-कहाँ पर नवीन उप लोक सेवा केन्द्र खोलने की मांग की जा रही है? (ग) क्या पाटन विधानसभा अंतर्गत कटंगी नगर पंचायत क्षेत्र, जिसे उप तहसील का दर्जा प्राप्त है, के निवासियों को लोक सेवा केन्द्र की सेवाओं हेतु बीस किलोमीटर दूर पाटन जाना पड़ता है? (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर में यदि हाँ, तो क्या शासन क्षेत्रवासियों की सुविधा हेतु कटंगी नगर में उप लोक सेवा केन्द्र खोलने की पहल कर, खोलेगा? उत्तर में यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) शासन के निर्देशानुसार लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना टेंडर प्रक्रिया द्वारा 3 वर्ष के अनुबंध पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर की जाती है। अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से उप लोक सेवा केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। (ख) जबलपुर जिले में कुल 11 लोक सेवा केन्द्र (4 शहरी क्षेत्र में एवं 1-1 प्रत्येक ब्लाक में) संचालित है। बरगी लोक सेवा केन्द्र का एक उप लोक सेवा केन्द्र तहसील कार्यालय जबलपुर में संचालित है। पाटन का एक उप लोक सेवा केन्द्र कटंगी में खोलने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। (ग) जी हाँ। (घ) इस संबंध में शासन स्तर पर नीतिगत निर्णय लिये जाने के उपरांत कार्यवाही की जायेगी। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

शुल्क एवं अनुदान की राशि का व्यय

61. (क्र. 2690) श्री नीलेश अवस्थी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक सेवा प्रबंधन विभाग के शुल्क एवं अनुदान की राशि का व्यय किन मदों में, किस

कार्यालय के माध्यम से प्रत्येक जिलों में किया जा रहा है एवं आय-व्यय, लेखा संधारण का ब्यौरा प्रस्तुत करने हेतु कौन-कौन जिम्मेदार है? (ख) क्या जिलों में, विभाग के प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था के संचालन की जिम्मेदारी नियमानुसार प्रदाय की गई है? यदि नहीं, तो कब तक प्रदाय की जावेगी? वर्तमान में उक्त व्यवस्था कई जिलों में क्या अन्य अधिकारियों के पास है, जिलेवार, नाम सहित सूची देवें? (ग) क्या जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी में जिस विभाग की राशि है, उस विभाग में पदस्थ अमले के संज्ञान के बिना व्यय की गई है? (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर में यदि हाँ, तो क्या यह वित्तीय नियमों का उल्लंघन है? यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) लोक सेवा प्रबंधन विभाग के शुल्क एवं अनुदान की राशि का व्यय जिलों में स्टेशनरी, परिवहन, कार्यालयीन दूरभाष तथा पदाभिहित अधिकारियों के कर्यालय की अधोसंरचना एवं सुदृढ़िकरण में किया जाता है, उक्त व्यय जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी द्वारा किया जाता है एवं आय-व्यय, लेखा संधारण का ब्यौरा प्रस्तुत करने हेतु जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी जिम्मेदार है। (ख) जी, हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी, नहीं। (घ) प्रश्नांश (ग) का उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वाटर शेड योजना में कराए गऐ कार्य

62. (क्र. 2774) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक वाटर शेड योजनान्तर्गत किस-किस ग्राम में कितनी-कितनी लागत के क्या-क्या कार्य कब-कब कराये गये तथा कितनी-कितनी राशि का भुगतान सामग्री, मजदूरी व अन्य प्रयोजन हेतु किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त कार्यों को पूर्ण कराये जाने की क्या समयावधि निर्धारित की गई थी, तथा उपरोक्त में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण व कौन-कौन से कार्य निर्धारित समयावधि उपरांत भी किन कारणों से कब से अपूर्ण है? (ग) उपरोक्तानुसार उक्त अवधि में कराये गये कार्यों का संबंधितों अधिकारियों द्वारा देखरेख व निरीक्षण नहीं किये जाने से कार्यों की गुणवत्ता अमानक स्तर की है? यदि नहीं तो किन-किन अधिकारियों द्वारा उक्त कार्यों का स्थल निरीक्षण व भौतिक सत्यापन कब-कब किया गया?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के तहत वाटरशेड का कोई कार्य नहीं किया गया हैं। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश क के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश ख के उत्तर अनुसार।

गैस एजेंसी के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

63. (क्र. 2775) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के नगर ब्यावरा में संचालित एच.पी. गैस एजेंसी में वर्ष 2013-14

से प्रश्न दिनांक तक कितने पंजीकृत उपभोक्ता दर्ज है? तथा प्रश्न दिनांक तक कितने उपभोक्ताओं के नवीन कनेक्शन हेतु आवेदन किन कारणों से लंबित है? क्या शासन उपभोक्ताओं के हित में शीघ्र निराकरण हेतु कोई कार्यवाही करेगा? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में उक्त अवधि में गैस एजेंसी के विरूद्ध कालाबाजारी, समय पर सेवाऐ प्रदान न करने, होम डिलेवरी, संबंधी कितनी शिकायतें किस-किस स्तर पर प्राप्त हुई तथा प्राप्त शिकायतों में कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही किन-किन के द्वारा की गई? (ग) उपरोक्तानुसार उक्त गैस एजेंसी के कार्यालय में नियमानुसार उपभोक्ताओं को प्रदत्त की जाने वाली सभी सुविधाऐ जैसे सिटीजन चार्टर, शुद्ध पेयजल, वेटिंग रूम इत्यादि उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) वर्ष 2013-14 में प्रश्न दिनांक तक 5, 790 सिंगल बाटल गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता एवं 4, 172 डबल बाटल गैस कनेक्शनधारी हैं, इस प्रकार कुल 9, 962 गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता पंजीकृत हैं। गैस एजेन्सी पर नवीन कनेक्शन हेतु कुल 27 आवेदन वांछित दस्तावेज उपलब्ध न कराने के कारण लंबित हैं, दस्तावेज प्राप्त होने के उपरांत उपभोक्ताओं को पात्रता अनुसार गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा। (ख) प्रश्नांश अवधि के दौरान गैस एजेंन्सी के विरूद्ध कालाबाजारी करने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अन्य शिकायतों का विवरण एवं निराकरण की स्थिति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) नियमानुसार प्रदत्त की जाने वाली सुविधाएं हैं।

जानकारी बाबत्

64. (क्र. 2797) श्री कमलेश शाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अमरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में भू-संरक्षण विभाग के कितने कार्य स्वीकृत हुए? वर्षवार बतावें? (ख) इनमें से कितने कार्य पूर्ण हैं व कितने अपूर्ण हैं? (ग) अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होंगे?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** अपूर्ण संरचनाओं को कृषकों से सहमति प्राप्त कर पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट – "सत्तावन"

मनरेगा कर्मियों के नियमितिकरण संबंध में

65. (क्र. 2805) श्री कमलेश शाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले में मनरेगा कार्यों के लिए कितने कर्मचारी अनियमित रूप से कार्यरत हैं? विधान सभावार जानकारी देवें? (ख) इन्हें नियमित कब तक कर दिया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) छिंदवाड़ा जिले में मनरेगा अंतर्गत कार्यो के लिये

कर्मचारियों की नियुक्ति विभाग द्वारा इस संबंध में समय - समय पर जारी नियम निर्देशों के अंतर्गत की गई है। संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की विधानसभावार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** अनुसार है। (ख) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जारी संविदा नीति दिनांक 26.6.2010 के अनुसार कर्मचारियों को संविदा पर नियुक्त किया गया है। संविदा नियुक्ति को नियमित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "अट्ठावन"

माईको वाटरशेड कमेटी के तहत अनियमितता की जांच

66. (क्र. 2844) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में रौन विकास खण्ड के अन्तर्गत माईको वाटर शेड कमेटी द्वारा वर्ष 2014 तक, कहाँ-कहाँ कौन-कौन से कार्य कराये गये, तथा कितना-कितना भुगतान किया गया? प्रत्येक कार्य का भुगतान सहित अलग-अलग विवरण दें? (ख) विधानसभा के तारांकित प्रश्न क्रमांक 1470 दिनांक 28.07.2014 (घ) के उत्तर में पृथक से जांच दल गठन कर जांच कराई जावेगी का उत्तर दिया था? यदि हाँ, तो जांच कब और किस अधिकारी द्वारा कराई गई? (ग) क्या मूल्यांकन करने वाले अधिकारी तथा वाटरशेड कमेटी अध्यक्ष ने मौके पर कार्य न कराकर भ्रष्टाचार कर पद का दुरूपयोग कर राशि की हेरा फेरी की है? (घ) यदि नहीं तो वर्ष कृषि 2012 से अनेक शिकायतें व जांच कमेटी बनने के बाद भी मौके पर जाकर भौतिक मूल्यांकन न कराने का कारण क्या है? जांच कब तक पूर्ण की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ। जाँच दिनांक 07.08.2014 को श्री पी.के. श्रीवास्तव अपर कलेक्टर जिला भिण्ड, श्री पी.के.गच्छ कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग गोहद, श्री एस.सी.गुप्ता सहायक यंत्री जल संसाधन विभाग भिण्ड एवं श्री एस.के.सभरवाल सहायक यंत्री जल संसाधन विभाग भिण्ड द्वारा कराई गई है। (ग) जी नहीं। (घ) पूर्व गठित जाँच दल के सदस्यों में से एक का स्थानांतरण हो जाने एवं एक सदस्य के सेवा निवृत्त हो जाने के कारण प्रकरण में पूर्व में जाँच नहीं की जा सकी थी, परन्तु अब दिनांक 07/08/2014 को जाँच की जा चुकी है।

भिण्ड जिले के अंतर्गत विकासखण्ड रौन अंतर्गत ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध शिकायतों की जांच

67. (क्र. 2847) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परि अता. प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1474 दिनांक 21 जुलाई 2014 के प्रश्नांश (घ) के उत्तर में शिकायतों की जांच प्रचलित होना बताया था? यदि हाँ, तो क्या जांच पूर्ण कर ली गई है, अभी तक किस-किस से कितनी-कितनी राशि वसूल की गई? (ख) क्या उक्त प्रश्न के प्रश्नांश (ड.) के उत्तर में वरिष्ठ अधिकारियों से कराए जाने का उल्लेख भी किया है? यदि

हाँ, तो जांच प्रतिवेदन से अवगत कराऐ? (ग) उक्त प्रश्नांश (च) में विधायक निधि से स्वीकृत कार्य निर्धारित स्थान पर कराया गया बताकर असत्य उत्तर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या उक्त कार्यों की मौके पर जांच किस अधिकारी द्वारा की जाकर रिपोर्ट दी गई? (घ) क्या उपरोक्त प्रश्नांशों के संबंध में पुन: किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं। जून-जुलाई सत्र 2014 में प्रश्न क्र. 1474 पर उद्भूत आश्वासन क्र. 894 के अनुसार निर्माण कार्यो की जांच श्री के.के. उपाध्याय, सहायक यंत्री, जनपद पंचायत लहार/रौन द्वारा की गई है। जनपद पंचायत लहार के अंतर्गत ग्राम पंचायत काथा से पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लहार द्वारा रू.38991/- की वूसली कराई जाकर राशि जनपद पंचायत लहार के खाते में जमा कराई गई है। (ख) जी हाँ सहायक यंत्री द्वारा जांच की गयी है, सहायत यंत्री राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में है। प्रश्न पर उद्भूत आश्वासन अनुसार निर्माण कार्यो की जांच कराई गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। (ग) जी नहीं। ग्राम पंचायत मोरखी में विधायक निधि से स्वीकृत कार्य स्वीकृत स्थान पर ही कराया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। पूर्व में जांच कराली गई है। पुनः जांच कराये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

किसान को लाभ देने हेतु चयन प्रक्रिया

68. (क्र. 2899) श्री महेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन हितग्राही को योजना का लाभ देने हेतु कृषि विभाग चयन प्रक्रिया निर्धारण करने हेतु अपने ग्राम सेवक को सौंपता है? (ख) क्या ग्राम सेवक चयन प्रक्रिया पूरी ईमानदारी से करता है या फिर अपनी मनमानी या अपनी इच्छा अनुसार करके लाभ देता है? (ग) क्या हितग्राही की चयन प्रक्रिया ग्राम पंचायत की ग्रामसभा के माध्यम से कराई जाती है? यदि नहीं कराई जाती है] तो ग्रामसभा के माध्यम से कराने का प्रावधान रखा जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी नहीं। हितग्राही का चयन त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अंतर्गत जनपद पंचायत की कृषि स्थाई समिति द्वारा किया जाता है। (ख) ग्राम सेवक (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी) निर्धारित प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार हितग्राही चयन प्रक्रिया में सहयोग करता है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अनुरूप हितग्राही चयन प्रक्रिया प्रचलन में है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

विभाग अंतर्गत स्वीकृत कार्य

69. (क्र. 2925) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत धरमपुरी एवं नालछा में

विगत 3 वर्षों में पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, किचन शेड, जी.एस.बी. मार्ग, पुलिया निर्माण के कितने कार्य स्वीकृत किये गये? प्रति वर्षानुसार कार्य स्वीकृति दिनांक, कार्य पूर्णता दिनांक सहित देवें? (ख) उपरोक्त में से कितने कार्य राशि आहरित होने के बाद भी अपूर्ण हैं? प्रति वर्षानुसार आहरित राशि, कार्य का नाम सहित जानकारी देवें? उक्त अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण करा लिये जावेंगे?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मनरेगा योजना में लंबित भुगतान

70. (क्र. 2926) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत धरमपुरी एवं नालछा में मनरेगा मद अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायतों/विभागों के कितने कार्यों की कितनी-कितनी राशि मजदूरी एवं सामग्री के रूप में भुगतान हेतु लंबित है? (ख कार्यवार लंबित मजदूरी एवं सामग्री की राशि की जानकारी उपलब्ध करावें? लंबित मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है? कारण बतावें? (ग) शासन द्वारा इस कानून के संरक्षण एवं लंबित भुगतान हेतु क्या कार्यवाही कब तक होगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत धरमपुरी एवं नालछा मे मनरेगा मद अंतर्गत 76 ग्राम पंचायतों/विभागों के 531 कार्यो की राशि 66.94 लाख मजदूरी एवं राशि रु 78.82 लाख सामग्री का भुगतान लंबित है, पंचायतवार/विभागवार सूची **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) 531 कार्यो की कार्यवार लंबित मजदूरी एवं सामग्री की राशि की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार** है लंबित मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान हेतु मात्र सरकार से आवंटन प्रतीछित है। (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मनरेगा अंतर्गत राशि जारी करने की प्रक्रिया प्रचलन मे है निश्चित समयावधि कराया जाना संभव नहीं।

सह. गृह निर्माण समि. के भू-खण्ड आवंटन बावत्

71. (क्र. 2953) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर नगर की जगदम्बा सह. गृह निर्माण समिति की पुरानी जगदम्बा कालोनी, न्यू जगदम्बा कालोनी एवं रवि किरण गृह निर्माण समि. की सार्वजनिक उपयोग की भूमि छोड़कर कितनी आवासीय भूमि के कितने भू-खण्ड थे? (ख) उक्त कुल आवासीय भूमि में कितनी भूमि के भू-खण्ड किन-किन सदस्यों को आवंटित/विक्रय किये गये? (ग) कुल भूमि (आवासीय) एवं शेष भूमि की जानकारी समितिवार भू-खण्ड के माप एवं आवंटी सदस्य के नाम सहित स्वीकृत ले-आऊट सहित दें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जबलपुर नगर की जगदम्बा गृह निर्माण सहकारी समिति की पुरानी जगदम्बा कालोनी की 3.908 हेक्टेयर भूमि, न्यू जगदम्बा कालोनी की 4.292 हेक्टयर भूमि कुल 8.200 हेक्टेयर भूमि में से सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़कर 7, 56, 186 वर्गफीट आवासीय भूमि में 440 भूखण्ड थे एवं रवि किरण गृह निर्माण सहकारी समिति की कुल भूमि 3.65 एकड़ में से सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़कर 1, 53, 166 वर्गफीट भूमि में से 99 आवासीय भूखण्ड थे. (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 2 अनुसार है.** (ग) कुल आवासीय भूमि की जानकारी उत्तरांश (ख) अनुसार, कोई भूमि शेष नहीं है. सोसायटी द्वारा प्रस्तुत ले-आउट की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 एवं प्रपत्र 4 अनुसार है.**

सह. गृह निर्माण समि. की भूमि का सीमांकन कराकर अतिक्रमण मुक्त करायी जाना

72. (क्र. 2954) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शास. शिक्षक कर्म. सह. गृह निर्माण समिति पंजी कं 153 जबलपुर जो लगभग दो वर्षों से उप पंजीयक सह. समिति जबलपुर के प्रशासकीय नियंत्रण में है की रिक्त कमजोर आय वर्ग की लगभग 19200 वर्ग फीट एवं गार्डन की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण रोकने हेतु समि. के पूर्व सदस्यों द्वारा उप-पंजीयक को कब-कब आवेदन दिये गये? उक्त आवेदनों पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी? (ख) क्या उप-पंजीयक के प्रशासकीय कार्यकाल में उक्त गृह निर्माण सह. समिति की कमजोर आय वर्ग (EWS) की भूमि एवं गार्डन की भूमि के अतिक्रमण रोकने/हटाने हेतु समिति की भूमि का सीमांकन कराकर कार्यवाही पंजीयक द्वारा की जावेगी तो कब तक?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ. दिनांक 20.08.2014 एवं 15.10.2014 को संस्था की पूर्व कार्यकारिणी सदस्य श्री एम.एस. नामदेव द्वारा उप पंजीयक को आवेदन दिये गये. संस्था के प्रशासक द्वारा अतिक्रमण हटाने एवं भूमि का सीमांकन कराने हेतु अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, कोतवाली, जबलपुर को लिखा गया है. (ख) अतिक्रमण हटाने एवं भूमि का सीमांकन कराने हेतु संस्था प्रशासक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, कोतवाली, जबलपुर के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़क

73. (क्र. 2978) श्री प्रहलाद भारती : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पोहरी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित कौन-कौन सी सड़कें वर्तमान में गारंटी अवधि में है एवं ऐसी कौन-कौन सी सड़कें हैं, जिनकी गारंटी अवधि समाप्त हो चुकी है, पृथक-पृथक सड़कवार, ठेकेदार का नाम सहित गारंटी अवधि का विवरण दें? (ख) क्या वर्तमान में गारंटी अवधि की सड़कें गड्डेदार होकर डामर उखड़ कर जर्जर एवं

खराब हो चुकी हैं? उक्त खराब सड़कों पर पेंचवर्क व मरम्मत हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है एवं कब तक सड़कों का सुधार कर दिया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में खराब एवं जर्जर सड़कों हेतु पेंचवर्क एवं पुन: डामरीकरण हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? इस हेतु कब-कब निविदा जारी की गई? किस-किस ठेकेदार को कार्य आवंटित किया गया व उनके द्वारा क्या-क्या कार्य संपादित किया गया, कार्यवार/वर्षवार विवरण दें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है। (**ख) जी नहीं, सड़को के पेंचवर्क व मरम्मत कार्य नियमित रूप से कराया जाता है। सड़को का संधारण कार्य एक सतत् प्रक्रिया है जिसे अनुबंधानुसार निर्धारित अवधि तक कराया जाता है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।**

विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था एवं निराश्रित पेंशन का प्रदाय

74. (क्र. 2979) श्री प्रहलाद भारती : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन ने विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था एवं निराश्रित पेंशन के लिये बी.पी.एल. कार्डधारी की अनिवार्यता निर्धारित की है? यदि हाँ, तो कब से व किस कारण से? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त अनिवार्यता लागू किये जाने से शिवपुरी जिले में कितने हितग्राही प्रभावित हुए? (ग) क्या शासन मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर उक्त अनिवार्यता समाप्त करने हेतु कोई विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो कब तक निर्णय ले लिया जावेगा समय-सीमा बतावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। (ख) विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था एवं निराश्रित पेंशन के 2404 हितग्राही प्रभावित हुए है। (ग) भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा नीतिगत निर्णय लिये गये है। वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट – "उनसठ"

डी.आर.डी. में मातृत्व अवकाश व वेतन विसंगति के संबंध में

75. (क्र. 3024) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिलाओं के मातृत्व अवकाश देने के नियम की छायाप्रति देवें? (ख) यह भी बतावें कि किस कारण डी.आर.डी. कार्यरत महिला कर्मचारियों को 90 दिन का अवैतनिक अवकाश दिया जाता है जबकि N.R.E.G.S. में 180 दिन का वैतनिक अवकाश दिया जाता है? मातृत्व अवकाश के संदर्भ में बतावें? (ग) एक ही विभाग में दो नियमों की इस विसंगति को कब तक दूर किया जाकर डी.आर.डी. महिला कर्मचारियों को N.R.E.G.S. महिला कर्मियों के समान मातृत्व अवकाश व वेतन की सुविधा प्रदान की जावेगी? समय सीमा बतावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) शासकीय सेवकों को मातृत्व अवकाश नियम की प्रति **संलग्न परिशिष्ट** पर है। (ख) डीआरडीए प्रशासन योजनांतर्गत कार्यरत महिला कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति संबंधी सेवा शर्तो के अनुसार मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाता है। (ग) उत्तर ''ख'' अनुसार। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट – "साठ"

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत निर्माण कार्य

76. (क्र. 3030) श्री रामकिशन पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में उदयपुरा विधान सभा क्षेत्र में कितने मार्ग मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत लिये गये? उनके नाम ग्राम सहित बतायें? (ख) उपरोक्त वर्षों में कितनी-कितनी धनराशि व्यय कर कितने मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ एवं कितने मार्गों का निर्माण अपूर्ण है? मार्ग, ग्राम, धनराशि सहित बतायें? (ग) यदि उपरोक्त योजनान्तर्गत कोई मार्ग अपूर्ण है तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गये। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**।

सॉवेर विधानसभा अंतर्गत पंचायतों को विभिन्न मदों में आवंटन व खर्च

77. (क्र. 3063) श्री राजेश सोनकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्त वर्ष, 2012-13 से 2014-15 तक सॉवेर विधानसभा क्षेत्र की किस-किस पंचायत को विभिन्न योजनाओं में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई, वित्त वर्षवार और पंचायतवार बतावें? (ख) आवंटित राशि वित्त वर्षवार कितनी-कितनी व्यय की गई? प्रस्तावित और स्वीकृत कौन-कौन से कार्य समयावधि में पूर्ण हो गये और कौन-कौन से प्रगति पर हैं और कौन-कौन से प्रारंभ ही नहीं हुये? क्या कोई कार्य की लागत स्वीकृत से बढ़ी है? हाँ तो बतावें कौन सी व कितनी राशि? (ग) क्या यह सही है कि कई कार्य बिना निविदा के कराये गये? (घ) क्या कतिपय कार्यों में प्रश्नांश (क) वाले वित्त वर्षों में अनियमितता की शिकायतें मिलीं, उनकी जांच परिणाम और उस पर 31.1.15 तक की गई, कार्यवाही बतावें? कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। किसी भी स्वीकृति की लागत नहीं बढ़ायी गई है। (ग) ग्राम पंचायत में कार्य के लिये निविदा का प्रावधान नहीं है। (घ) वर्ष 2012-13 में स्वीकृत परफॉरमेंस ग्रान्ट जनपद स्तर अंतर्गत ग्राम पंचायत टाकून के ग्राम पंचायत बिसाखेड़ी सीमेंटीकरण कार्य हेतु स्वीकृत राशि 1.00 लाख के विरुद्ध ग्राम पंचायत

को प्रदत्त राशि 0.50 हजार की वसूली कार्य न होने से अनुविभागीय अधिकारी सावेर न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कृषि संबंधी विभिन्न योजनाओं में अनियमितता

78. (क्र. 3075) श्रीमती झूमा सोलंकी, (श्री विजय सिंह सोलंकी) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विगत 3 वर्षों से उप संचालक कृषि जिला खरगोन के द्वारा उनके कार्यालय में विभिन्न योजनाओं के समस्त प्रकार के अनुदानों का आवंटन प्राप्त होते ही तत्काल स्वीकृति आदेश के आधार पर ही जिला कोषालय खरगोन से देयकों का आहरण किया गया? (ख) क्या यह भी सही है कि अनुदान राशि वाले देयकों में बिल तथा लाभांवित कृषकों की सूची के बिना आवंटन प्राप्त होते ही स्वीकृति आदेश जारी कर जिला कोषालय की मिलीभगत से बिल राशि का आहरण किया गया? (ग) क्या उपरोक्त की गई संदेहास्पद कार्यवाही की शासन द्वारा उच्च स्तरीया जांच करायी जायेगी?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) उपसंचालक कृषि द्वारा जिले में विभिन्न योजनान्तर्गत प्राप्त लक्ष्यानुसार विभिन्न घटकों अंतर्गत प्रदाय संस्था एम.पी. एग्रो/विपणन संघ द्वारा सामग्री प्रदाय करने के बाद देयक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से उनके स्टाक बुक में इन्द्राज किये जाने के पश्चात उनकी अनुदान अनुशंसा के उपरांत ही स्वीकृति आदेश जारी किया जाकर अनुदान राशि का आहरण शासन के निर्देशानुसार ही किया गया है। (ख) जी नहीं। अनुदान राशि के देयकों के साथ प्रदाय सामग्री के देयक एवं लाभान्वित कृषकों की सूची के आधार पर ही स्वीकृति आदेश जारी कर अनुदान राशि का आहरण किया गया है। (ग) किसी भी प्रकार की संदेहास्पद स्थिति अथवा अनियमितता नहीं होने से जांच का प्रश्न ही नहीं उठता है।

कृषि विकास योजनाओं में अनियमितता

79. (क्र. 3076) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी भीकनगांव एवं अधीनस्थ स्टॉफ की सांठ-गांठ से पाईपलाईन तथा ड्रीप के फर्जी प्रकरणों की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को प्राप्त हुई हैं? (ख) क्या यह सही है कि ग्रा.कृ.वि. अधिकारियों द्वारा विगत 5 वर्षों पाईपलाईन, ड्रीप, स्प्रिंकलर के अ.जा./अ.ज.जा. हितग्राहियों के अनुदान प्रकरणों में फर्जी कार्य किया गया है तथा इनके द्वारा प्रकरणों पर फर्जी सरपंच के हस्ताक्षर भी किये गये हैं? क्या फर्जी अनुदान के प्रकरणों की उच्च स्तरीय जांच की जा सकती है? (ग) क्या शासन जांच कार्यवाही होने तक संबंधित ग्रा.कृ.वि.अधि./व.कृ.वि.अ. को अन्यत्र अनुलग्न कर जांच करवायेगें? क्या संबंधित की दौरा डायरी एवं मूल प्रकरणों को जांच में सम्मिलित किया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। केन्द्र/राज्य

शासन के मार्गदर्शी दिशा निर्देश अनुसार हितग्राहियों को अनुदान का भुगतान किया गया है। जाँच का प्रश्न ही नहीं उठता है। (ग) उत्तरांश 'ख' के संदर्भ में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

ग्राम पंचायतां को सामग्री उपलब्ध कराई जाना

80. (क्र. 3088) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकास खण्ड सेंवढा मै कुल कितनी ग्राम पंचायतें है? ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर के अलावा कौन-कौन सी सामग्री उपलब्ध कराई गई है? ऐसी कौन-कौन सी ग्राम पंचायते है जहाँ कम्प्यूटर एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करा दी गई है तथा ऐसी कौन-कौन सी पंचायते है जहाँ अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है जानकारी ग्राम पंचायत वार उपलब्ध कराई जावें? (ख) जिन पंचायतों में कम्प्यूटर एवं सामग्री प्रदाय की गई है क्या उन पंचायतों में स्वयं का पंचायत भवन है अथवा किराये के भवन में है? क्या उन भवनों पर कम्प्यूटर आदि के सामान का उपयोग हो रहा है कि नहीं? या वह अन्यत्र रखा गया एवं क्या सभी जगह बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है कि नहीं पंचायत वारी जानकारी उपलब्ध कराई जावें? (ग) कंडिका (क) एवं (ख) में वर्णित सामग्री किन-किन पंचायतों में पहुंचाई गई सामग्री कहाँ से क्रय की गई, टेन्डर प्रक्रिया हुई अथवा नहीं हुई तो टेन्डर कौन से पेपर मैं कब निकाले गये, किस-किस के कितने टेन्डर आये तथा किसे प्रदाय आदेश दिया गया? संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराया जावें? (घ) जिन ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर एवं सामग्री प्रदाय नहीं की गई उन ग्राम पंचायतों को सामग्री उपलब्ध कराई जावेगी अथवा नहीं, यदि कराई जायेगी तो कब तक? जानकारी पंचायतवार उपलब्ध कराई जावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) 91 ग्राम पंचायत। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार।** शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश 'ख' की बिंदुवार जानकारी जिले से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार।** (ग) प्रश्नांश'क एंव 'ख' में वर्णित सामग्री की एवं पंचायतों की जानकारी जिले से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार।** शेष प्रश्न का उत्तर **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार।** (घ) विकासखण्ड सेंवढा में ऐसी कोई ग्राम पंचायत शेष नहीं है, सभी में कम्प्यूटर एंव अन्य सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। शेष प्रश्न का उत्तर उपस्थित ही नहीं होता।

मनरेगा के तहत निर्माण कार्यों में लाभांवित हितग्राही

81. (क्र. 3101) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र केवलारी के अंतर्गत मनरेगा के तहत वर्ष 2011-2012 से प्रश्न दिनांक तक कितने मेंट बंधान नंदन फलोधान सी.सी. रोड ग्रेवल रोड़ो का निर्माण हुआ? (ख) उक्त अवधि में कितने हितग्राही लाभान्वित हुए है? (ग) क्या ऐसे भी हितग्राही है जिनको

अभी तक पूरी किश्ते नहीं दी गई? यदि हाँ, तो उनको कब तक शेष किश्ते जारी कर दी जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) विधानसभा क्षेत्र केवलारी के अंतर्गत मनरेगा के तहत वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनांक तक 3949, मेंढ बंधान, 17 नंदनफलोधान, 224 सीसी रोड, 987 ग्रेवल रोडों का निर्माण हुआ। (ख) उक्त अवधि में 4930 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। (ग) मनरेगा योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक कार्यों के सम्पादन की क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायतें होने से हितग्राहियों को किश्त जारी किए जाने का प्रावधान नहीं है, अतएव शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाएं

82. (क्र. 3102) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के अंतर्गत केवलारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत केन्द्र और राज्य शासन की कौन-कौन सी योजनाऐ सिवनी जिले में संचालित है एवं उन योजनाओं को गत वर्ष एवं इस वर्ष आवंटित बजट क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) में आवंटित बजट का लक्ष्य गत तीन वर्षों में पूर्ण हुआ की नहीं तथा जो बजट खर्च हुआ है उसका भौतिक सत्यापन की जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (क) में सिवनी जिले की योजनाओं में कितने हितग्राहियों को रोजगार मिला और कितने हितग्राही लाभान्वित हुये? (घ) सिवनी जिले को आवंटित बजट एवं खर्च राशि का ब्यौरा योजनावार विधानसभा क्षेत्रवार देवें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। (ख) जी हाँ, प्रश्नांश (क) अनुसार आवंटित बजट का लक्ष्य पूर्ण किया गया है। उक्त बजट के खर्च के आय-व्यय का ऑडिट महालेखाकार एवं सनदी लेखाकार (चार्टेड एकाउन्टेंट) के द्वारा वर्षवार कराया जाता है। कार्यो का भौतिक सत्यापन भी कराया जाता है। बजट के लक्ष्य की पूर्ति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार** है।

कृषि मेलों का आयोजन

83. (क्र. 3127) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा कृषि को लाभ का धंधा बनाये जाने हेतु कृषि मेलों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर कृषकों को अनेक योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2012-13 से लेकर प्रश्न दिनांक तक रतलाम, मन्दसौर, नीमच जिला अंतर्गत कुल कितने मेले किन-किन स्थानों पर आयोजित किये गये? (ग) उक्त स्थानों पर आयोजन हेतु कितना बजट स्वीकृत हुआ? व कुल कितना व्यय किया गया है? (घ) उक्त

आयोजनों के माध्यम से कितने कृषकों को कृषि यंत्र, ट्रेक्टर दिये? किसानों की संख्या एवं कृषि यंत्रों की संख्या बतावे?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक रतलाम, मंदसौर एवं नीमच जिले में कुल 8 मेलों को आयोजन किया गया जिनमें रतलाम में 1, बाजना में 1, मंदसौर में 3 तथा नीमच में 3 थे। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) मेलों के माध्यम से कृषि यंत्र, ट्रेक्टर का वितरण नहीं किया गया। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट इकसठ

जन शिकायत निवारण केन्द्रों पर प्राप्त शिकायतों का निराकरण

84. (क्र. 3128) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा जन शिकायत निवारण हेतु विभिन्न विभागीय केन्द्रों के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर उन पर समयावधि में कार्यवाहियां की जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2012-13 से लेकर प्रश्न दिनांक तक जावरा नगर, तहसील पिपलौदा एवं तहसील जावरा अंतर्गत विभिन्न विभागीय कुल कितने आवेदन प्राप्त होकर कितने निराकृत हुए? (ग) शिकायतों के निराकरण हेतु उक्त क्षेत्रान्तर्गत कुल कितने केन्द्र स्थापित होकर किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को इस हेतु अधिकृत किया गया है? (घ) विभिन्न विभागीय/ आनलाईन से प्राप्त झूठी/सच्ची शिकायतों का परीक्षण, जांच एवं तथ्य परक जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही किये जाने हेतु समुचित प्रबंधनों की वस्तु स्थिति से अवगत कराए?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) जी हाँ (ख) अनुभाग स्तर जावरा नगर तहसील पिपलौंदा एवं तहसील जावरा अंतर्गत वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ग) शिकायतों के निराकरण हेतु प्रत्येक अनुविभागीय /कार्यालय है, जो केन्द्र की तरह कार्य करते है। (घ) प्रत्येक शिकायत की जांच करवाकर प्रतिवेदन बनाकर वरिष्ठ कार्यालय को समय-सीमा मे भेजे जाते है।

परिशिष्ट – "बासठ"

ग्राम पंचायत बेली के सचिव के विरूद्ध शिकायत

85. (क्र. 3146) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बेली, जनपद पंचायत बेली, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश के ग्रामवासी एवं पंच श्री सतीश चतुर्वेदी द्वारा दिनांक 11.06.2010 को ग्राम पंचायत बेली के सचिव श्री पुरूषोत्तम चतुर्वेदी के विरूद्ध शिकायत भेजी गई है? यदि हाँ, तो इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या यह सही है कि पंचायत सचिव बेली श्री चतुर्वेदी द्वारा अपने परिवार के सदस्य श्रीमती प्रेमबाई, मां गीताबाई, मामी तथा पुत्र महेन्द्र

चतुर्वेदी का नाम गरीबी रेखा में नाम जुड़वा कर अनुचित लाभ दिलाया है? यदि इनके द्वारा लाभ लिया गया है तो क्या इसकी विधिवत जांच दोषी होने पर कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्या यह सही है कि श्री ओमकार चतुर्वेदी जिनका नाम गरीबी रेखा में नहीं था तब भी इन्होने नन्दन काली उद्यान के नाम 1, 77, 000=00 रूपये ले लिया है? यदि हाँ, तो क्या इसकी जांच कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी तथा जांच में दोषी पाये जाने पर ली गई राशि की वसूली की जावेगी? (घ) श्री पुरूषोत्तम चतुर्वेदी ग्राम पंचायत बेली जिला उमरिया ने पहली पत्नी के रहते दूसरे शादी करने के संबंध में तत्कालीन जिलाध्यक्ष उमरिया द्वारा कोई आदेश जांच संबंधी दिये गये थे? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई? (ड.) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बेली के ग्राम पंचायत सचिव को विभिन्न शिकायत पर जिला प्रशासन ने निलंबित किया था? यदि हाँ, तो एम.डी.एम. पाली द्वारा उन्हें बहालकर पुन: ग्राम पंचायत में पदस्थ किया गया है इन्हें बहाल करने एवं पदस्थ करने का क्या कारण था?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। कलेक्टर जिला उमरिया द्वारा शिकायत की जांच होने तक कार्यालयीन आदेश क्र. 5201 दिनांक 17.09.2014 द्वारा श्री पुरषोत्तम चतुर्वेदी, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत बेली से वित्तीय अधिकार वापस लेकर सचिव पद से अघोषित किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार**। (ख) जी नहीं। पंचायत सचिव को गरीबी रेखा में नाम जोड़ने व जुड़वाने का अधिकार नहीं है बल्कि गरीबी रेखा की सूची में पात्र हितग्राहियों का नाम जोड़ने का अधिकार राजस्व अधिकारी तहसीलदार को है। श्री ओमकार चतुर्वेदी, पिता श्री सुखदेव चतुर्वेदी एवं श्रीमती प्रेमबाई पति श्री सुखदेव चतुर्वेदी निवासी बेली, तहसील पाली, जिला उमरिया को अपात्र पाये जाने के कारण तहसीलदार पाली द्वारा इनका नाम गरीबी रेखा सूची से हटाया जा चुका है। इनके द्वारा लिए गये लाभ के विरूद्ध राशि की वसूली की कार्यवाही न्यायालय नायब तहसीलदार पाली में प्रचलित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार**। (ग) जी नहीं। श्री ओमकार चतुर्वेदी का नाम गरीबी रेखा की सूची में था अपात्र होने के कारण तहसीलदार पाली द्वारा सूची से नाम हटा दिया गया है तथा संबंधित के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार पाली में रू. 1 लाख 77 हजार की वसूली का प्रकरण प्रचलन में है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार**। (घ) जी हाँ। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 436/अ-74/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2013 में यह उल्लेखित किया है कि पहली पत्नी श्रीमती सुभद्रा बाई के द्वारा इस न्यायालय में कभी भी शिकायत या परिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार**। (ड.) जी हाँ। पंचायत सचिव को जिला प्रशासन द्वारा जांच पूरी होने तक निलंबित किया गया था न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली द्वारा राजस्व प्रकरण क्र.436/अ-74/ 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2013 में शिकायत के बिन्दुओं को निरस्त किये जाने के कारण उन्हें पुनः बहाल कर दिया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार**।

ग्राम गुढ़ाचंबल (मुरैना) के पंचायत भवन की जर्जर स्थिति

86. (क्र. 3188) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सुमावली विधानसभा मुरैना के ग्राम गुढ़ा चंबल के मजरा प्रतापपुरा के पंचायत भवन की स्थिति जर्जर है? उसकी मरम्मत कब से नहीं हुई? (ख) क्या उक्त भवन में पंचायत समिति की बैठक 2008 से 2014 तक कब-कब हुई? पूर्ण जानकारी दी जावें? (ग) क्या उक्त भवन को डिसमेंटल कर शासन नया पंचायत भवन बनवायेगा कब तक?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) सुमावली विधानसभा के ग्राम गुढाचम्बल के मजरा प्रतापपुरा के पंचायत भवन की स्थिति जर्जर अवस्था में है उसकी मरम्मत आज दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा नहीं कराई गई है। (ख) उक्त भवन में पंचायत समिति की 2008 से 2014 तक कोई मीटिंग नहीं की गई है क्योकि भवन की पटिया टूटी है एवं कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। (ग) ग्राम पंचायत गुढाचम्बल में नवीन राजीव गांधी सेवा केन्द्र 20.08.2014 को प्रशासकीय स्वीकृती दी गई है। प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार स्वीकृत कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये थे। किंतु ले-आउट के दौरान स्थल विवाद हो जाने से वर्तमान में कार्य अप्रारंभ है।

विज्ञापित पद पर नियुक्ति

87. (क्र. 3219) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, मुख्यालय भोपाल द्वारा अप्रैल 2013 में विज्ञापित सहायक लेखाधिकारी पद की भर्ती (नियुक्ति) की जा चुकी है? (ख) यदि हाँ, तो साक्षात्कार एवं भर्ती (नियुक्ति) हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध करावेंगे? नहीं तो क्यों नहीं? (ग) साक्षात्कार एवं भर्ती (नियुक्ति) नहीं होने की स्थिति में, अब कब तक की जावेगी? नहीं तो क्यों नहीं? (घ) साक्षात्कार एवं भर्ती (नियुक्ति) चयन का आधार बतावेंगे? नहीं तो क्यों नहीं?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं. (ख) उत्तरांश 'क' के तारतम्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता, कार्यवाही पूर्ण न होने से. (ग) साक्षात्कार एवं भर्ती की अंतिम तिथि निर्धारित नहीं होने से बताया जाना संभव नहीं. (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.**

परिशिष्ट - "तिरेसठ"

हाट बाजारों की स्वीकृति बाबत्

88. (क्र. 3235) श्री गोपाल परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले को कितने हाट बाजार वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में स्वीकृत हुए हैं? (ख) शाजापुर जिले से पृथक हुए आगर जिले को स्वीकृत हाटबाजार के मान से कितने हाट बाजार की स्वीकृति दी गई है, जानकारी देवें? (ग) आगर जिले को शासन द्वारा हाट बाजार अनुपात से नहीं मिले तो क्या हाटबाजार दिलाये जावेंगे, कब तक?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) शाजापुर जिले हेतु वर्ष 2013-14 में कुल 21 हाट बाजार स्वीकृत किये गये है। (ख) शाजापुर जिले से पृथक हुए आगर-मालवा जिले के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से हाट बाजार स्वीकृत नहीं किये गये। (ग) आगर जिले के हाट बाजार के विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताना संभव नहीं।

शिवपुरी जिले में रोक के बावजूद मनरेगा के तहत वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में मुरम-बोल्डर, मिट्टी-मुरम के स्वीकृत कार्य

89. (क्र. 3277) श्री रामसिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवपुरी जिले में वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में मनरेगा के तहत मुरम-बोल्डर एवं मिट्टी-मुरम के कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है? यदि हाँ, तो कार्य का नाम, पंचायत का नाम, लागत राशि, तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक व दिनांक सहित जानकारी दें? (ख) क्या उक्त वर्णित कार्यों का मूल्यांकन किया गया है? यदि हाँ, तो किनके द्वारा एवं क्या उक्त कार्यों का दिसम्बर 2014 तक पूर्णत: प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है? यदि हाँ, तो किनके द्वारा उक्त प्रमाण पत्र जारी किया गया? (ग) क्या म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र दिनांक 19.04.2011 के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अतिरिक्त अन्य सड़क निर्माण कार्य मनरेगा के तहत स्वीकृत न करने हेतु निर्देशित किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त निर्देश की प्रति संलग्न कर बताए कि उक्त आदेश की अवहेलना किनके द्वारा की गई? इस संबंध में जिला प्रशासन एवं शासन स्तर से किए गए पत्राचार की छायाप्रति संलग्न कर जानकारी दें कि वर्तमान में क्या कार्यवाही किनके प्रति प्रचलित है? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए किन-किन अधिकारियों को वर्णित अवधि में अधिकृत किया गया था? उनके द्वारा शासन द्वारा लगाई गई रोक के बावजूद लगभग 100 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति होने पर आपत्ति क्यों नहीं की एवं इनके द्वारा कार्यों का भौतिक सत्यापन क्यों नहीं किया गया?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ** पर है। (ख) जी हाँ। कार्यों का मूल्यांकन संबंधित उपयंत्री द्वारा किया गया। प्रश्नाधीन अवधि में उत्तरांश-क अनुसार जनपद पंचायत में पदस्थ सहायक यंत्री मनरेगा द्वारा 374 स्वीकृत कार्यों में 78 कार्यों में पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। (ग) जी हाँ। उक्त निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब** पर दी गई है, विभाग के निर्देशों के विपरीत कार्य करने के लिये जिम्मेदार अधिकारी, पदाधिकारी तथा कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारण करने के लिये राज्य स्तर से परिषद् द्वारा जिला कलेक्टर शिवपुरी को पत्र भेजा गया है। जिला प्रशासन एवं राज्य स्तर से किये गये पत्राचार की छायाप्रति क्रमशः **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स एवं द** पर दी गई है। वर्तमान में जिला स्तर पर

जाँच प्रचलन में है। (घ) उत्तरांश-ग अनुसार जांच उपरांत वांछित जानकारी दिया जाना संभव हो सकेगा।

ग्राम पंचायतों को लैपटॉप, एल.सी.डी. कम्प्यूटर व अन्य सामग्री का प्रदाय

90. (क्र. 3278) श्री रामसिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोलारस विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद पंचायत कोलारस एवं बदरवास में पदस्थ रोजगार सहायकों को पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण हेतु लैपटॉप, एल.सी.डी., कम्प्यूटर व अन्य सामग्री प्रदाय की गई है? (ख) यदि हाँ, तो किन-किन रोजगार सहायकों को कौन-कौन सी पंचायत के लिए लैपटॉप, एल.सी.डी., कम्प्यूटर व अन्य सामग्री की तिथि व हस्ताक्षर सहित पावती की सत्यप्रति संलग्न कर जानकारी दें? (ग) उक्त सामग्री शासन के किस आदेश से व किस दिनांक को जनपद पंचायत में प्राप्त हुई? उसका विवरण व प्राप्त सामग्री के बिलों व उससे संबंधित अन्य दस्तावेजों की प्रति दें? (घ) क्या उक्त प्रदाय की गई सामग्री वर्तमान में संबंधित रोजगार सहायक के पास उपलब्ध नहीं है? यदि हाँ, तो किन-किन के पास उपलब्ध नहीं है? और यदि उपलब्ध है, तो इसका भौतिक सत्यापन किसके द्वारा किया गया?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं। कम्प्यूटरीकरण हेतु ग्राम पंचायतों को लैपटॉप, एल.सी.डी., कम्प्यूटर व अन्य सामग्री प्रदाय की गई है। पंचायतों के अन्तर्गत कार्यरत सचिव/ग्राम रोजगार सहायक उक्त सामग्री का सामान्यतः उपयोग किया जाता है। (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) शासन द्वारा उक्त सामग्री जनपद पंचायतों को प्रदाय करने हेतु कोई आदेश नहीं दिये गये है। शेष प्रश्न का उत्तर ही उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। लैपटॉप, एल.सी.डी. कम्प्यूटर व अन्य सामग्री का भौतिक सत्यापन जिलों द्वारा कराया गया है।

मुरैना जिले मुख्यमंत्री आवास योजना की प्रगति

91. (क्र. 3285) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरेना जिले में 2013, - 2014 में मुख्यमंत्री आवास योजना का क्या लक्ष्य रखा गया था विकास खण्ड वार संख्या सहित जानकारी दी जावें? (ख) विकासखण्ड वार जो लक्ष्य रखा गया था कितने प्रकरण प्रस्तुत हुए कितनों को स्वीकृत किया गया जानकारी दी जावें? (ग) उक्त अवधि में आवास हेतु स्वीकृत प्रकरणों में क्या प्रगति है? विकासखण्ड वार जानकारी दी जावें? (घ) उक्त स्वीकृत प्रकरणों की मानीटरिंग किन अधिकारियों द्वारा की जा रही है जिससे योजना का लाभ आवासहीन परिवारों को मिल सके विकासखण्ड वार जानकारी दी जावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में, राज्य स्तर से, जिलेवार लक्ष्य आवंटित किये जाते है एवं जनपद पंचायतवार लक्ष्य राज्य स्तर से निर्धारित नहीं किये जाते है। मुरैना जिले में इस मिशन में, वर्ष 2013-14एवं 2014-15 (अभी तक) में,

जिला स्तर से निर्धारित किये गये, विकासखण्डवार लक्ष्यों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) उपरोक्त विकासखण्डवार लक्ष्यों के विरुद्ध, इस मिशन में बैंकों में प्रस्तुत किये गये आवासीय ऋण प्रकरणों एवं स्वीकृत प्रकरणों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) उपरोक्त अवधि में, उक्त स्वीकृत प्रकरणों में ऋण वितरण की प्रगति की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) उक्त स्वीकृत प्रकरणों की विकासखण्ड स्तर पर मॉनिटरिंग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, द्वारा की जा रही है।

परिशिष्ट - ''चौंसठ''

दाल मिल के बिना लायसेंस संचालन

92. (क्र. 3339) श्री मुकेश नायक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मण्डी समिति, पवई, जिला पन्ना क्षेत्रांतर्गत औद्योगिक क्षेत्र पुरैना में फर्म शारदा दाल मिल बिना लायसेंस के प्रसंस्करण कारखाना कब से प्रारंभ है? मण्डी समिति, पवई के सचिवों ने उक्त मिल मालिक के विरूद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या वर्तमान में भी बिना लायसेंस के मिल चल रही है? यदि हाँ, तो अपराध चालू रहते की दशा में मिल मालिक के विरूद्ध पुलिस थाना में प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं कराई गई? (ख) प्रश्नांश (क) की मिल नियम विरूद्ध चल रही है, तो विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने मिल के स्टाफ की जप्ती कर कोई ठोस कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या उक्त कृत्य के लिए क्षेत्रीय उपसंचालक मंडी बोर्ड, सागर एवं मंडी समिति पवई के सचिव एवं कर्मचारी दोषी हैं? यदि हाँ, तो दाषियों को कब तक निलंबित किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या शासन द्वारा जिस दिन से पवई मण्डी में उक्त दाल मिल स्थापित हुई है, उस दिन से मण्डी शुल्क का आंकलन कर आर.आर.सी. जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों, कारण बतावें? (घ) प्रश्न दिनांक तक कितनी मण्डी शुल्क, निराश्रित शुल्क एवं ब्याज का आंकलन किया जाकर वसूली की कार्यवाही की गई है?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) फर्म शारदा दाल मिल पुरैना जिला पन्ना क्षेत्रान्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में राज्य शासन की अधिसूचना क्र./डी-15-3/2006/14-3, दिनांक 19.04.2006 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति, पवई स्थापित हुई है। उक्त प्रसंस्करण कारखाना औद्योगिक क्षेत्र पुरैना मंडी पवई की स्थापना के पूर्व किसी भी मंडी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं था। सचिव मंडी समिति पवई द्वारा दिनांक 02.11.06 को उक्त दाल मिल का निरीक्षण करने पर म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 06, 19, 31, 36, 37 का उल्लंघन पाये जाने से पत्र दिनांक 13.11.06 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13.01.07, 01.10.14, 21.06.14, 10.07.14, 12.08.14 से प्रसंस्करण एवं व्यापार की मंडी पवई से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु जारी किया गया। फर्म द्वारा मंडी से अनुज्ञप्ति नहीं लेने पर मंडी समिति पवई दिनांक 13.08.2014 से माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी पवई में परिवाद प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। (ख)

प्रकरण माननीय न्यायालय पवई में विचाराधीन है। मंडी समिति पवई दिनांक 19.04.06 से अस्तित्व में आने पर फर्म शारदा दाल मिल मालिक के विरूद्व कार्यवाही नहीं करने के लिये श्री आदित्य नारायण खरे, तत्कालीन मंडी सचिव को निलंबित किया गया है, तथा श्री आदित्य नारायण खरे, श्री लखनलाल पांडे, श्री हरिप्रताप सिंह, श्री भगवत पटेल तत्कालीन मंडी सचिवों के विरूद्व विभागीय जांच संस्थित करने का निर्णय लिया गया है। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्न, माननीय न्यायालय पवई में विचाराधीन होने से प्रश्न उद्दभूत नहीं होता है। (घ) कृषि उपज मंडी समिति कटनी द्वारा फर्म के विरूद्व मंडी अधिनियम की धारा 19 (4) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये मंडी फीस रूपये 31, 37, 499/- तथा निराश्रित शुल्क रूपये 67, 752/- तथा ब्याज रूपयें 11, 40, 057/- रूपये जमा कराने हेतु सूचना पत्र दिनांक 28.06.2014 जारी किया गया। मंडी कटनी द्वारा युक्तियुक्त अवसर दिये जाने पर भी फर्म द्वारा राशि जमा ना करने से आदेश दिनांक 13.09.2014 द्वारा फर्म का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर फर्म द्वारा माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका में पारित आदेश दिनांक 04.12.14 से मंडी समिति कटनी के आदेश पर रोक लगाई गई है। वर्तमान में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

खाद्य एवं कीटनाशक प्रयोग शाला की स्थापना

93. (क्र. 3398) श्री हर्ष यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोकहित (किसान हित में) राज्य में उर्वरक एवं बीज गुणवत्ता परीक्षण की 16 नई प्रयोग शालाएं स्थापित की गई है? क्या यह भी सही है कि प्रदेश में कीटनाशक/रसायनिक की दो नई प्रयोग शाला खोलने हेतु भारत शासन को प्रस्ताव सहित राशि की मांग हेतु लिखा गया है? यदि हाँ, तो प्रस्तावित स्थान का नाम मांगी गई राशि सहित बतायें? (ख) क्या यह सही है कि उर्वरक एवं बीज गुणवत्ता परीक्षण हेतु खोली गई 16 प्रयोग शालाओं के भवन बन गये हैं? उपकरण/यंत्र क्रय हो चुके हैं? अमला पदस्थ हो गया है? लेकिन इतना व्यय करने के उपरांत भी लोकहित की प्रयोग शालाओं में काम शुरू नहीं किया है? यदि नहीं तो कौन सी प्रयोगशाला में काम शुरू हो गया है? (ग) नई प्रयोगशालाओं हेतु खरीदे गये यंत्र/उपकरणों की कुल कीमत एवं भवनों की कुल लागत की जानकारी देवें? (घ) जब खोली गई प्रयोग शाला से लोकहित/किसानहित नहीं हो रहा है तब यंत्र/उपकरण खरीदी, भवन निर्माण, अमला, पद, स्थापना में किसका हित पूरा हुआ है? शासकीय धन बरबादी हेतु क्या जिम्मेदारी तय की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों बतायें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) उर्वरक गुण नियंत्रण हेतु 6 एवं बीज परीक्षण हेतु 9 प्रयोगशालायें स्थापित की जा रही है। यह भी सही है कि प्रदेश में रासायनिक कीटनाशक की दो नवीन प्रयोगशालायें ग्वालियर एवं उज्जैन में खोलने हेतु प्रस्ताव भारत शासन को भेजा गया है जिसमें एस.एम.पी.ए. योजनांर्गत ग्रान्ट इन ऐड के तहत निर्धारित राशि प्रदाय करने हेतु माँग की गई है। (ख) दो उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला एवं चार बीज

परीक्षण प्रयोगशाला हेतु भवनों का निर्माण हो चुका है। उपकरण/यंत्र क्रय हो चुके है। प्रयोगशाला में अभी पूरा अमला पदस्थ नहीं हुआ है। प्रयोशालाओं के प्रारंभ होने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। (ग) नई प्रयोगशालाओं हेतु खरीदे गये यंत्र/उपकरणों की कुल कीमत 331.03 लाख रूपये एवं भवनों की लागत 247.75 लाख रूपये है। (घ) प्रयोगशालाओं को प्रारंभ करने की कार्यवाही अभी प्रक्रियाधीन है। अत: शासकीय धन की बर्बादी नहीं हुई है। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने के पश्चात प्रयोगशालाऐ शुरू की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत निर्माण कार्य

94. (क्र. 3484) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उमरिया जिले में मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2012-13 एवं 13-14 में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये? (ख) उमरिया मुख्य मानपुर मुख्य मार्ग से ददरौली की ओर मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कितनी राशि का कार्य स्वीकृत किया गया था? (ग) क्या यह कार्य पूर्व में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया था? यदि हाँ, तो कार्यपालन यंत्री आर.ई.एस. द्वारा मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कार्य स्वीकृत कराते हुये उस पर किये गये व्यय का दुरूपयोग किया गया? (घ) क्या शासन जांच करायेगी? कब तक तथा ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कब तक की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। (ख) उमरिया मानपुर मुखय मार्ग से ददरौड़ी पर स्थित छायन को मानपुर मुख्यमार्ग से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत राशि रू. 28.77 लाख (अटठाईस लाख सतहत्तर हजार) से स्वीकृत किया गया था। (ग) उमरिया मानपुर से ददरौड़ी मार्ग के मध्य छायन ग्राम स्थित है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत छायन ग्राम को नजदीकी ग्राम कोडार से कनेक्टीविटी प्रदान की जाना स्वीकृत था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत उमरिया मानपुर मार्ग से ददरोड़ी मार्ग स्वीकृत हो जाने से इस मार्ग पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कराया गया कार्य एमपीआरआरडीए को यथावत मापों के साथ हस्तांतरित किया गया। अतः इस मार्ग पर किये गये व्यय का दुरूपयोग किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - ''पैंसठ''</u>

सेवा सहकारी समिति की जानकारी के संबंध में

95. (क्र. 3487) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेवा सहकारी समिति मर्यादित देवरी (चोरहटा) जिला सतना द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक वर्षवार कितना-कितना किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज वितरित किया

गया? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिन किसानों को कर्ज वितरित किया गया है क्या उनसे हिस्से की राशि नियमानुसार वसूल की गई है यदि नहीं, तो क्यों, यदि हाँ, तो वर्षवार एवं कृषकवार वितरित किये गये कर्ज, उनसे वसूल किये गए हिस्सा एवं धारित रकवे का विवरण निम्न प्रारूप में उपलब्ध करावें? क्रमांक/वर्ष/कृषक का नाम/धारित रकवा/वितरित कर्ज की राशि/जमा कराये गए हिस्से की राशि? (ग) उक्त अवधि में किसानों को वितरित किये गए कर्ज से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख भूमिपंजी/हिस्सापंजी शाख सीमा पत्रक एवं खातापंजी तैयार की गई है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

<u>प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण</u>

96. (क्र. 3500) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में संचालित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क परियोजना अंतर्गत निर्माण कार्य का मापदण्ड क्या है? 2009 से प्रश्नांश दिनांक तक निर्मित एवं निर्माणाधीन सड़कों में ट्रांसपोर्टेड अर्थ वर्क किस-किस से कराया गया है? ट्रांसपोर्टेड अर्थवर्क की दूरी के अनुसार दरों के क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए है? (ख) भिण्ड विधानसभा के अंतर्गत मार्ग के किनारे खनिज निकालकर निर्मित एवं निर्माणधीन मार्ग में उपयोग किया गया? कौन-कौन से क्षतिग्रस्त मार्ग पर प्रश्नांश दिनांक तक कार्यवाही की गई? (ग) भिण्ड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्नांश दिनांक तक कौन-कौन से मार्ग अपूर्ण है? अपूर्ण रहने के क्या कारण है अभी तक कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ? (घ) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत निर्माणाधीन मार्ग की गुणवत्ता अत्यन्त खराब है? क्वालिटी कंट्रोल व मिट्टी का प्रयोगशाला में परीक्षण नहीं हो रहा है? किस-किस के द्वारा, कब-कब, किस-किस मार्ग का निरीक्षण किया गया है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) भिण्ड जिले में संचालित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत रोड निर्माण कार्य हेतु क्रस्ट का डिजाइन चलायमान ट्रेफिक एवं मिटटी की सी.बी.आर. के अनुसार क्रमशः आई.आर.सी.एस.पी.-72 एवं आई.आर.सी. एस. पी-77 के निर्धारित मापदण्डों अनुसार किया जाता है। वर्ष 2009से प्रश्नांश दिनांक तक निर्मित एवं निर्माणाधीन सड़कों में मिटटी का कार्य कराने वाले ठेकेदारों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। मिट्टी कार्य में ट्रांसपोर्ट हेतु अलग से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाता है। जबकि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा क्रियान्वित की जा रही मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना में ट्रांसपोर्ट अर्थवर्क की दूरी के अनुसार जिला स्तर पर गठित मशीन सेल द्वारा दरें स्वीकृत की जाती है, साथ ही राज्य/जिला स्तरीय दर अनुसूची में दरें निर्धारित है। (ख) जी नहीं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। (ग) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है।

निराश्रित पेंशन वितरण बावत्

97. (क्र. 3532) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक सीधी जिले में निराश्रित पेंशन कितने व्यक्तियों को स्वीकृत की गई है यदि स्वीकृत की गई है तो उसका वितरण कब तक किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) जिलों में पूर्व में स्वीकृत पेंशन का भुगतान कब से नहीं किया गया है? यदि नहीं तो पूरा भुगतान हितग्राहियों को एक मुश्त कब तक किया जायेगा? (ग) सीधी जिले में सिहावल विधान सभा क्षेत्र में नये हितग्राहियों को नवीन पेंशन मदवार अलग-अलग कितने व्यक्तियों को वर्ष 2012-13 एवं 2014-15 में स्वीकृत की गई है और कब तक भुगतान किया गया है? (घ) क्या यह सही है कि हितग्राहियों को 8 से 10 माह तक पेंशन भुगतान नहीं हो पाता? यदि हाँ, तो प्रत्येक माह भुगतान कब तक सुनिश्चित किया जायेगा? नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) 21267 हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृत की गई है। माह जनवरी 15 तक हितग्राहियों के बैंक/पोस्ट आफिस के खातों के माध्यम से वितरित की गई है। (ख) पूर्व में स्वीकृत पेंशन धारियों को नियमित पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। अतः एक मुश्त भुगतान का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) सीधी जिले की सिंहावल विधान सभा क्षेत्र के नवीन स्वीकृत हितग्राहियों की योजनावार स्थिति निम्नवत् हैः-

क्र.	वर्ष	सा.सु.पें.	इं.गं.रा.वृ.पें.	इं.गं.रा.वि.पें.	इं.गं.रा.नि.पें.	योग
1	2012-13	799	1362	56	25	2242
2	2013-14	210	562	98	50	920
3	2014-15	275	2589	357	47	3268
		1284	4513	511	122	6430

(घ) जी नहीं। जिलांतर्गत माह जनवरी 2015 तक सभी हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान किया गया है।

मंदसौर, नीमच, रतलाम जिले में राशन दुकानों में अनियमितता

98. (क्र. 3600) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या खाद्‌य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर, नीमच, रतलाम जिले में कितनी-कितनी राशन की दुकानें संचालित हैं? संचालनकर्ता का नाम, प्रति दुकान हितग्राहियों की संख्या सहित जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत उक्त जिलों में ऐसे कितनी राशन की दुकानें हैं, जिनको अनियमितता के तहत कार्यवाही की गई तथा पुन: वे ही संचालक दुकान का संचालन कर रहे हैं? (ग) प्रश्नांश (क) अंतर्गत उक्त जिलों में 1 जनवरी 2012 के पश्चात प्रश्न दिनांक तक कब-कब, किस-किस

दुकानदार के खिलाफ किस-किस व्यक्ति ने कहाँ-कहाँ शिकायत की, शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई, जानकारी देवें?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन के लिये रोजगार एवं भरण-पोषण

99. (क्र. 3601) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा निराश्रितजनों को रोजगार एवं भरण-पोषण से जोड़ने हेतु कौन-कौन सी योजनाऐ है, जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित योजनाओं में विगत एक वर्ष में उज्जैन संभाग में कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए जिलेवार, योजनावार संख्या बताएं? (ग) मंदसौर, रतलाम, नीमच जिले में कितने समाजसेवी संस्था (एनजीओ) ने गत 1 वर्ष में क्या कार्य का सम्पादन किया तथा कितने हितग्राही लाभान्वित हुए? (घ) उक्त संभाग में एनजीओ की अनियमितता की कितनी शिकायतें कहाँ-कहाँ पर प्राप्त है? शिकायतकर्ता की नाम सहित जानकारी देवें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। (घ) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट – "छियासठ"

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण कार्य

100. (क्र. 3609) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण किये जाने वाले गेहूँ चावल तेल आदि प्राप्त करने वालों की श्रेणी क्या है? (ख) किस मापदण्ड के तहत वर्गीकरण किया जाता है, कृपया निर्देशों की प्रति के साथ जानकारी दें? (ग) गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र में प्रश्न दिनांक तक कितने पात्र परिवार इसके अन्तर्गत चिन्हित किये गये हैं? कितने अभी बाकी हैं? इन्हें कब तक चिन्हित कर इस योजना का लाभ दिया जाएगा?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पात्र परिवार के रूप में सम्मिलित 23 श्रेणी के परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूँ, चावल एवं तेल का वितरण किया जा रहा है। (ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पात्र परिवार के रूप में अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों एवं ऐसे अन्य परिवार जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं पात्र परिवार के रूप में सम्मिलित किए जाने का प्रावधान है, इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 23 श्रेणी के गरीब परिवारों को पात्र परिवार के रूप में सम्मिलित किया गया है। अधिनियम, 2013 की प्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में 63, 531 परिवारों का

सत्यापन किया गया है तथा 197 परिवारों का सत्यापन किया जाना शेष है, जिनका सत्यापन अप्रेल, 2015 तक कर लिया जाएगा।

<u>**परिशिष्ट - "सड़सठ"**</u>

बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

101. (क्र. 3677) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक कितनी सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई? स्वीकृत सड़कों के ग्राम के नाम, स्वीकृत राशि, पूर्ण होने का दिनांक, कार्य करने वाली एजेंसी व कितने कार्य पूर्ण हुए और कितने अपूर्ण हैं, अपूर्ण रहने का कारण तथा कब तक यह कार्य पूर्ण हो जायेगें? (ख) वर्तमान सत्र में योजनांतर्गत कौन-कौन से मार्ग के निर्माण कार्य कराने की योजना है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जलोदिया लिखोदा रोड से उपड़ी एवं ओरडी से नारेलाखुर्द मार्ग के निर्माण कार्य कराया जाना शासन के विचाराधीन हैं

<u>**परिशिष्ट अड़सठ**</u>

कृषक अनुदान बावत्

102. (क्र. 3708) श्री जितू पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर जिले में विगत 3 वर्षों में कितने कृषकों को कौन सी योजना के अंतर्गत कितना अनुदान प्रदान किया गया है? वर्षवार एवं योजनावार जानकारी देवें? (ख) कितने कृषकों को अनुदान की राशि का भुगतान किया जाना है? वर्षवार एवं योजनावार जानकारी देवें? (ग) शेष रहे कृषकों को कब तक राशि का भुगतान किया जावेगा? अवधि बतावें? (घ) समय पर राशि का भुगतान नहीं करने वाले अधिकारियों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं की गई है तो क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) इंदौर जिले में विगत 3 वर्षो में कृषकों को दिये गये अनुदान राशि की वर्षवार व योजनावार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) शेष रहे कृषकों को अनुदान का भुगतान योजना में राशि की उपलब्धता के आधार पर शीघ्र किया जा सकेगा। (घ) उत्तरांश ग अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>**परिशिष्ट - "उनहत्तर"**</u>

कृषि योग्य भूमि

103. (क्र. 3709) श्री जितू पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सन् 2004 में प्रदेश में कुल कितने हेक्टयर कृषि योग्य एवं कितने हेक्टयर

परती (बिना कृषि योग्य) भूमि थी, तथा प्रश्न दिनांक को प्रदेश में कितने हेक्टेयर कृषि योग्य एवं कितने हेक्टेयर बिना कृषि योग्य भूमि शेष है? जिलेवार आंकड़े देवें? (ख) विगत एक दशक में प्रदेश की कितनी कृषि योग्य भूमि शहरी विकास में उद्योगों के विकास में एवं कितनी भूमि का उपयोग अन्य कार्य में किया गया है? जिलेवार आंकड़े देवें? (ग) क्या यह सत्य है कि कृषि योग्य भूमि का उपयोग शहरों, उद्योगों एवं अन्य विकास कार्य में होने से खाद्यान्न का उत्पादन लगातार कम होता जा रहा है? (घ) यदि हाँ, तो शासन द्वारा कृषि योग्य भूमि का उपयोग अन्य विकास कार्य में नहीं करने के लिये कोई कदम उठाये गये है? यदि हाँ, तो क्या? तथा खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किये गये है?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोवस्त से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार** है। (ख) राजस्व विभाग से जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जी नहीं। खाद्यान्न का उत्पादन में वृद्धि हुई। - **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार** है। (घ) खाद्यान्न उत्पादन बढाने के लिये योजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र तीन अनुसार** है।

विभिन्न योजनांतर्गत किये कार्यों की जारी सी.सी. में कटौती

104. (क्र. 3773) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बैतूल जिले के शाहपुर एवं घोड़ाडोंगरी विकास खण्डों में ग्राम पंचायतों के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किए गए कार्यों की प्रस्तुत की गई सी.सी. में बिना किसी वैधानिक कारण के कटौती की जाकर सरपंच एवं सचिवों के विरूद्ध निकाली गई शेष राशि की प्रश्नांकित तिथि तक वसूली नहीं की जा सकती है? (ख) सब इंजीनियर द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन के आधार पर तैयार की गई सी.सी. में बताए गए मूल्यांकन में से किन-किन आधारों पर कितने-कितने प्रतिशत की कटौती किए जाने का किस-किस अधिकारी को क्या-क्या अधिकार दिया गया है? इस तरह की गई कटौती की राशि में से कितनी-कितनी राशि सरपंच/सचिव एवं सब इंजीनियर से वसूली के प्रावधान रहे हैं इस बाबत् जारी शासनादेश की प्रति सहित बतावें? (ग) शाहपुर एवं घोड़ाडोंगरी विकास खण्ड में गत पांच वर्षों में किस ग्राम पंचायत के द्वारा कितनी लागत के किए गए किस कार्य की सी.सी. में किस अधिकारी ने किस-किस आधार पर कितने प्रतिशत की कटौती की जाकर सी.सी. जारी की है? इस कटौती के आधार पर कितने प्रतिशत राशि सरपंच/सचिव/सब इंजीनियर से वसूली किए जाने की कार्यवाही प्रश्नांकित तिथि तक की गई? (घ) सब इंजीनियर द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर तैयार की गई सी.सी. में कार्य का निरीक्षण किए बिना ही कटौती किए जाने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? उस पर कार्यवाही कर कटौती के आदेश को निरस्त किए जाने हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? कब तक करेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। (ख) सब इंजीनियर द्वारा किये गये मूल्यांकन का सत्यापन करने के अधिकार सहायक यंत्री को दिये गये है। यदि सहायक यंत्री

मूल्यांकन तथा किये गये वास्तविक कार्य में भिन्नता पाते है तो किये गये मूल्यांकन में कटौती कर सकते है। वसूली योग्य राशि सरपंच/सचिव से वसूल किये जाने का प्रावधान है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार**। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' के कॉलम नंबर 08, 09 एवं 11 अनुसार**। (घ) सब इंजीनियर द्‌वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर कार्य का निरीक्षण के बाद ही कटौती की गई है अतएव कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>**निराश्रित फंड की राशि का उपयोग**</u>

105. (क्र. 3774) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नर्मदापुरम् संभाग के किस जिले में वर्तमान में निराश्रित फंड की कितनी राशि किस खाते में जमा हैं? विकलांगों या निराश्रितों के लिए गत 3 वर्ष में कितनी राशि शासन से प्राप्त हुई? (ख) किस जिले में गत दो वर्षों में विकलांगों के लिए किस फर्म या किस कम्पनी या किस व्यक्ति से कितनी लागत की कितनी-कितनी सामग्री क्रय की गई? यह सामग्री कितने विकलांगों को वितरित कर दी गई है? (ग) निराश्रित फंड की राशि का उपयोग किन-किन कार्यों के लिए किया जा सकता है, राशि का उपयोग न हो पाने का क्या-क्या कारण रहा हैं?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**अन्नपूर्णा योजनांतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु वितरित पात्रता पर्ची में अनियमितता**</u>

106. (क्र. 3782) श्री उमंग सिंघार : क्या खाद्‌य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राष्ट्रीय खाद्‌य सुरक्षा अधिनियम 2013 अनुसार धार जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में बी.पी.एल./ए.पी.एल./अन्त्योदय परिवारों को पात्रता पर्ची बांटी जाना है? क्या विभाग द्‌वारा जारी पात्रता पर्ची मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनांतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु समस्त ग्राम पंचायतों में बी.पी.एल./ए.पी.एल.अन्त्योदय के हितग्राहियों को बांटी जाना थी? (ख) कितने हितग्राहियों को पात्रता पर्चियां बांट दी गई हैं? साथ ही बतायें कि कितने हितग्राहियों को पात्रता पर्ची नहीं बांटी गई है? जिन हितग्राहियों को अभी तक पात्रता पर्ची नहीं बांटी गई है उन हितग्राहियों को कब तक पात्रता पर्ची बांट दी जायेगी? पात्रता पर्ची बांटन में इतना विलम्ब क्यों हुआ? इसके लिए कौन दोषी है? क्या दोषियों के विरूद्‌ध कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक जायेगी?

खाद्‌य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) पात्रता पर्ची अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को सभी ग्राम पंचायतों में बांटी जाना थी। (ख) धार जिले के 3, 74, 153 पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची का वितरण किया गया है। सत्यापित समस्त परिवारों को पात्रता पर्ची का वितरण किया जा चुका है। केवल अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण जानकारी देने वाले पात्र परिवार पात्रता पर्ची से वंचित

रहे है। पात्र परिवारों का सत्यापन एवं उन्हें पात्रता पर्ची जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मनरेगा अन्तर्गत छिंदवाड़ा जिले में गेती-फावड़ा की खरीदी

107. (क्र. 3783) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने छिंदवाड़ा जिले में मनरेगा के तहत गेती-फावड़ा खरीदी में सी.बी.आई. को जांच के लिए लिखा है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार राज्य शासन ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को कब भेजी है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) भारत सरकार से संबंधित है। (ख) उक्त शिकायत की जाँच रिपोर्ट परिषद द्वारा दिनांक 01.06.2011 को ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को भेजी गई तथा पूर्व में भेजे गए जाँच प्रतिवेदनों की प्रति दिनांक 12.02.2015 से सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु भेजी गई।

मंडला अंतर्गत दलहन विकास कार्यक्रम

108. (क्र. 3815) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले में दलहन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितना आवंटन प्राप्त हुआ इससे कौन-कौन से कार्य, कितनी-कितनी राशि से कहाँ-कहाँ कराये गये? विकासखण्डवार वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक बताये? (ख) क्या हितग्राहियों को उन्नत बीज भी उपलब्ध कराये गये है? यदि हाँ, तो प्रति किसान को उपलब्ध कराये गये उन्नत बीज की मात्रा एवं राशि का विवरण है? हितग्राही की संख्या विकासखण्डवार बतायें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) मण्डला जिलें में वर्ष 2013 से प्रश्नाकित अवधि तक एन.एफ.एस. एम. (दलहन) योजनानतर्गत आवंटन राशि 840.78 लाख रूपये प्राप्त हुआ है। इसके अन्तर्गत प्रदर्शन, बीज वितरण, पौध संरक्षण, माईकोन्यूट्रीयेन्टस, कल्चर सीडड्रिल रोटावेटर, स्प्रिंकलर, पाईपलाईन, किसान खेत पाठशाला, बीजोपचार, जैविक कार्यक्रम, पंप सेट, नीदानाशक औषधि, स्प्रेयर पंप, रेंनगन, आदि घटकों में कार्य कराये गये हैं। विकासखण्डवार राशि एवं कराये गये कार्यो (घटक) की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। (ख) जी हाँ। उपलब्ध कराये गये उन्नत बीज की मात्रा, राशि एवं संख्या का विकासखण्डवार विवरण एवं विस्तृत **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है।

परिशिष्ट - ''सत्तर''

कनिष्ठ को प्रभारी बनाने के संबंध में

109. (क्र. 3822) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग में कार्यपालन यंत्री के कुल कितने पद स्वीकृत है, जिसमें कितने पूर्णकालिक एवं कितने प्रभारी कार्यपालन यंत्री कार्यरत है? (ख)

कितने अनुविभागीय अधिकारियों को कार्यपालन यंत्री एवं कितने उपयंत्री को अनुविभागीय अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, नाम, पदनाम एवं कार्यरत स्थान का नाम सहित बतायें? (ग) क्या विभाग में कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी, उपयंत्री को प्रभारी बनाने के संबंध में दिशा निर्देश है? यदि हाँ, तो वरिष्ठता एवं आरक्षण रोस्टर का पालन क्यों नहीं किया गया? (घ) क्या यह सही है कि पात्र सहायक यंत्री एवं उपयंत्री को प्रभारी न बनाकर कनिष्ठ को प्रभारी बनाया गया है? यदि हाँ, तो वरिष्ठता सूची के आधार पर प्रभारी एवं पदोन्नति की कार्यवाही कब तक की जायेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मध्यप्रदेश ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में कार्यपालन यंत्री के कुल 129 पद स्वीकृत है। जिसमें 76 नियमित कार्यपालन यंत्री एवं 14 प्रभारी कार्यपालन यंत्री कार्यरत है। (ख) 14 अनुविभागीय अधिकारियों को कार्यपालन यंत्री का प्रभार एवं 05 उपयंत्रियों को अनुविभागीय अधिकारियों का प्रभार दिया गया है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) विभाग में अनुविभागीय अधिकारियों को कार्यपालन यंत्री एवं उपयंत्रियों को अनुविभागीय अधिकारी का प्रभार आरक्षण रोस्टर या केवल वरिष्ठता के आधार पर सौंपे जाने के निर्देश नहीं है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता। पदोन्नति की कार्यवाही विभागीय नियमों अनुसार की जाती है। प्रभारी अधिकारियो के विषय पर उत्तरांश (ग) अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - ''इकहत्तर''</u>

<u>वेतन का लाभ दिये जाने बाबत्</u>

110. (क्र. 3840) श्रीमती शीला त्यागी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत जो प्राध्यापक/वैज्ञानिक एक जनवरी 2010 या इसके पश्चात् सेवा निवृत्त हुये हैं उनको पुनरीक्षित छठवीं यू.जी.सी. पेंशन के भुगतान हेतु कुलपति द्वारा दिनांक 21 जून 2012 को आदेश प्रसारित किया गया है? (ख) क्या लगभग तीन वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी इनको पुनरीक्षित पेंशन एवं उससे जुड़े अन्य लाभ अभी तक नहीं दिये जा रहे हैं? (ग) यदि (क) एवं (ख) उत्तर हाँ में है तो इनको पुनरीक्षित पेंशन का लाभ कब से दिया जायेगा? (घ) क्या 2010 के बाद सेवा निवृत्त हुये प्राध्यापकों/वैज्ञानिक को पुनरीक्षित पेंश्न ग्रेजुटी एवं अर्जित अवकाश नगदीकरण का निर्धारण हो गया है? (ड.) यदि (घ) का उत्तर नहीं में हैं, तो पेंशन एवं इससे जुड़े हुये अन्य लाभ का निर्धारण कब तक किया जाकर भुगतान किया जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात नव नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को विभाग के आदेश क्रमांक बी-4/35/87/14-2 दिनांक 09.11.1994 के अनुसार ''स्ववित्तीय पेशन योजना'' की स्वीकृति प्रदान की गई है जो दिनांक 01.04.1987 से प्रभावी है। विभाग द्वारा इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गई है

कि राज्य शासन इसके लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय भार वहन नहीं करेगा तथा नियोक्ता अंशदान की राशि से इसका संचालन किया जावेगा। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 9-3/2010/ नियम/चार भोपाल दिनांक 21 सितम्बर 2010 एवं बी-4/37/2010/14-2 भोपाल दिनांक 13.07.2011 के परिपालन में विश्वविद्यालय प्रमंडल की 195वी बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार दिनांक 01 जनवरी 2006 या इसके पश्चात सेवानिवृत्त अधिकारियों/शिक्षकों को छठवें वेतनमान के अनुसार पेंशन/परिवार पेंशन प्रदाय किये जाने बाबत विश्वविद्यालय स्तर पर दिनांक 21 जून 2012 को आदेश प्रसारित किये गये हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। (ख) विश्वविद्यालय में प्रभावी स्ववित्तीय पेंशन योजना के त्रुटिपूर्ण संचालन से विश्वविद्यालय के समक्ष वित्तीय कठिनाईयां उत्पन्न होने के कारण इस योजना के पेंशनधारियों को पेंशन का भुगतान डेडीकेटेड फंड (नियोक्त अंशदान से निर्मित निधि) एवं विश्वविद्यालय के स्वयं की स्त्रोतों की आय से किया जा रहा है। अत: विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रमंडल की 203वी बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 21 जून 2012 के क्रियान्वयन में यथा स्थिति बनाये रखे जाने का अनुमोदन किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है। (ग) स्ववित्तीय पेंशन योजना के पेंशन भोगियों को नियोक्ता अंशदान एवं इस पर अर्जित ब्याज की राशि से ही पेंशन का भुगतान किया जाना प्रावधानित है। मध्यप्रदेश शासन कृषि विभाग द्वारा भी इसी शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गई है, किन्तु इस पेंशन योजना के स्वरूप को बदलकर इसके त्रुटिपूर्ण संचालन से विश्वविद्यालय के समक्ष आर्थिक कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं जिसके समाधान हेतु विश्वविद्यालय द्वारा शासन को एक प्रस्ताव प्रेषित किया गया है जो विचाराधीन है। अत: यह शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार ही पुनरीक्षित पेंशन के भुगतान बाबत कार्यवाही सुनिश्चित की जाना संभव होगा। (घ) विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 21 जून 2012 के अनुसार जनवरी 2006 के पश्चात सेवानिवृत्त कुछ अधिकारियों/वैज्ञानिकों के पेंशन/उपदान के आदेश प्रसारित किये गये हैं किन्तु इन आदेशों के अनुसार छठवें वेतनमान से पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। (ड.) स्ववित्तीय पेंशन योजना के संचालन में आ रही वित्तीय कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव विचाराधीन है।

<u>पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराया जाना</u>

111. (क्र. 3863) श्री मेव राजकुमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खरगोन जिले में विकासखण्डवार, वर्ष 2010-11 से वर्तमान तक किस-किस निधि से कितने-कितने टेंकर, कौन-कौन सी संस्थाओं को उपलब्ध कराये गये? संस्थावार कितने टेंकर पेयजल

उपलब्ध कराने हेतु ठीक स्थिति में है एवं कितने खराब अथवा मरम्मत के अभाव में अनुपयोगी है? वर्तमान तक उक्त पेयजल टेंकरों पर वर्षवार कितना व्यय किया गया है? संस्थावार बताया जावे?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृति

112. (क्र. 3883) श्रीमती सरस्वती सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 में सिंगरौली में प्रधानमंत्री सड़क योजना की कितनी सड़क कहाँ-कहाँ पर स्वीकृत की गई हैं एवं उसके लिये कितनी राशि का प्रावधान था? उसमें से कितनी राशि आवंटित कर दी गई हैं? (ख) चितंरगी जिला सिंगरौली में कितनी जगह पर प्रधानमंत्री सड़क योजना का कार्य वर्ष 2014-15 में पूर्ण किया गया एवं कितना पूर्ण किया जाना हैं? (ग) क्या शासन द्वारा वर्ष 2014-15 में जिले के लिये आवंटित बजट के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेगा? यदि नहीं तो कार्य पूर्ण न होने के कारण कौन जवाबदेह होगा? (घ) वर्ष 2014-15 में चितरंगी जिला सिंगरौली के लिये प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिये कितनी राशि का प्रावधान था, उसमें क्या संपूर्ण राशि आवंटित कर दी गई? यदि नहीं तो क्या कारण था?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) वर्ष 2014-15 में सिंगरौली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कोई भी मार्ग स्वीकृत नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) चितरंगी जिला सिंगरौली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में एक मार्ग अजगुढ़ (चतरी) से बैरिहवा का कार्य पूर्ण किया गया है एवं 4 मार्गों का कार्य पूर्ण किया जाना है। (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है, बजट आवंटित नहीं किया जाता। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत विकासखण्ड/जिलेवार राशि आवंटित नहीं की जाती है अपितु चल रहे निर्माण कार्यों के भुगतान के लिये आवश्यक राशि को बैंक से आहरण करने हेतु अधिकृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में माह जनवरी 2015 तक सिंगरौली जिले की म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वन इकाई-बैढ़न को निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु रू. 20.00 करोड़ का आहरण करने हेतु अथोराईजेशन सीमा निर्धारित की गई है।

पात्र एवं अपात्र हितग्राहियों के संबंध में

113. (क्र. 3897) श्री संजय पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले हितग्राहियों के लिये पात्रता हेतु नियम बनाये गए है? यदि हाँ, तो नियम का प्रचार प्रसार कराया गया है? यदि हाँ, तो विगत पांच वर्षों में किन माध्यमों से कब-कब प्रचार कराया गया? बनाये गये नियमों के तहत कटनी जिले में कितने पात्र हितग्राही पाये गये जिनका गरीबी रेखा का कार्ड बनाया गया और कितने

हितग्राही है जिनके कार्ड बनाये जाने हेतु लंबित हैं एवं कब से? (ख) क्या यह सही है कि कटनी जिले में अपात्र हितग्राहियों की संख्या पात्र हितग्राहियों से अधिक पाई गई है? यदि यह सही है तो शासन अपात्र होने के कारण सहित कब तक अपात्रों को अवगत करायेगी? समयावधि बतावें नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। ग्राम सभाओं, जनपद, जिला स्तरीय, नगरीय निकायों में आयोजित विभिन्न शिविरों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया गया है। विगत 05 वर्षों में ग्राम सभाओं में नियत तिथि 26 जनवरी, 14 अप्रैल, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर एवं जनपद, जिला स्तरीय, नगरीय निकायों में आयोजित विभिन्न शिविरों के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार कराया गया है। बनाये गये नियमों के तहत कुल 160023 हितग्राही बी.पी.एल. के लिए पात्र पाये गये जिनके नाम बी.पी.एल. सूची में जोड़े गए हैं, इनमें से 157758 हितग्राहियों को गरीबी रेखा के राशन कार्ड जारी किये जा चुका है एवं 2265 हितग्राहियों को गरीबी रेखा के राशन कार्ड जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है। (ख) जी नहीं। कुल 44313 परिवार अपात्र पाये गये हैं। गरीबी रेखा के लिए प्राप्त आवेदनों का निराकरण लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। अपात्र हितग्राहियों को लोकसेवा केन्द्र एवं आयोजित ग्राम सभाओं के माध्यम से अवगत कराने की व्यवस्था है।

जनहित के कार्यों को कार्ययोजना में ना लिये जाने की शिकायत

114. (क्र. 3898) श्री संजय पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा कार्यालयीन पत्र क्र. 93 दिनांक 20.9.14 को विधानसभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ की ग्राम पंचायतों एवं ग्राम में कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की मांग स्वीकृत करने बावत् मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रेषित किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो क्या 25 निर्माण कार्यों के संबंध में जिला पंचायत कटनी द्वारा इन कार्यों को सामान्य सभा या निर्माण एंव संचार संकर्म समिति में विचार हेतु रखा गया है? यदि हाँ, तो कब ब्यौरा दें? (ग) यदि नहीं, तो क्या कार्य योजना में उक्त कार्यों को लिया जाना जनहित में उचित नहीं था? इस हेतु कौन दोषी हैं? नाम एवं पदनाम का उल्लेख करें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। मांगपत्र सामान्य सभा या संचार संकर्म समिति में रखे जाने का प्रावधान नहीं है। (ग) मांगपत्र में उल्लेखित कार्यो का विभिन्न संबंधित, विभागों एवं योजनाओं के आलोक में परीक्षण कराया जा रहा है। शेष प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

सिवनी जिले में आवास आवंटन

115. (क्र. 3906) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि इंदिरा आवास योजना अंतर्गत 3 प्रतिशत आरक्षित मद के प्रस्ताव जनपद पंचायत की ग्राम पंचायतों व जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लिये जाते हैं? यदि हाँ, तो सिवनी जिले में वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनांक प्राप्त प्रस्तावों एवं स्वीकृत प्रकरणों

की प्रति वर्षवार, जनपद पंचायतवार देवें? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) योजना अंतर्गत जनपद पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों को नजर अंदाज कर मात्र जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को महत्व दिया जाता है, तथा लक्ष्य आवंटन में भी जनपद पंचायतवार भेदभाव अपनाया जाता है? यदि हाँ, तो क्या विभाग योजना में उक्त असमानताओं को दूर करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) योजना अंतर्गत एक ग्राम पंचायत से 1 ही हितग्राही व चयन किये जाने के निर्देश सीईओ जिला पंचायत सिवनी द्वारा जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो किस नियम/निर्देश के तहत पत्र जारी किये हैं? आदेश/निर्देश की छायाप्रति उपलब्ध करावें? (घ) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित आदेश/निर्देश का पालन पूर्व वर्षों के स्वीकृत आवास प्रकरणों में नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो कारण बतायें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ, इंदिरा आवास योजना अंतर्गत 3 प्रतिशत आरक्षित मद के प्रस्ताव जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत एवं जन प्रतिनिधियों के माध्यम से लिये जाते हैं। प्राप्त एवं स्वीकृत प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जन प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों को जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। बजट के अनुरूप लक्ष्य जिला स्तरीय समिति से स्वीकृत पात्र प्रस्तावों को योजना का लाभ दिया जाता है। (ग) जिला पंचायत सिवनी के कार्यालयीन पत्र क्रं. 5200 दिनांक 17.11.14 के द्वारा समस्त जनपद पंचायत को जारी किया गया है। जिसमें विकलांग, विधवा, परित्यक्ता को प्राथमिकता के आधार पर दिये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। बजट के विरूद्ध अधिक प्रस्ताव 236 प्राप्त होने से ग्राम पंचायत से एक या दो चयन किया जावे, के निर्देश दिए गए थे, जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्राम पंचायतों को योजना का लाभ दिया जा सके। किन्तु जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित सूची कार्यालयीन पत्र क्रं.5859 दिनांक 15.12.14 को एक ग्राम पंचायत से एक से अधिक हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया गया है। पत्र **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** है। शासन की गाईड लाईन के 4.7 में योजना के महत्वपूर्ण बिन्दु 1 से 7 एवं म.प्र. शासन का पत्र क्रं. 11083/22/वि-7/ग्रा.आ./2010 भोपाल, दिनांक 16.08.2010 के अनुसार जिले को आंबटित कुल लक्ष्य में से 3 प्रतिशत आरक्षित मद का चयन किया जाता है। जिसमें पात्रता अनुसार हितग्राहियों को लाभांवित किया जाता है। गाईड लाईन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** है। (घ) 3 प्रतिशत आरक्षित मद में समिति द्वारा अनुमोदित सूची में से ही हितग्राही का चयन किया जाता है। पूर्व वर्षो में प्राप्त आबंटन के आधार पर ही 3 प्रतिशत मद का चयन शासन की गाईड लाईन के अनुरूप किया गया है।

पेंशन वितरण में अनियमितताएं

116. (क्र. 3907) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाओं के अंतर्गत पेंशन देने का प्रावधान है

और उनके नियम और मापदण्ड क्या है? आवंटन प्राप्त होने के बाद कितने दिन के अंदर पेंशन कितने दिन बाद प्राप्त होना चाहिए? इस संबंध में दिशा-निर्देश क्या है? (ख) 1 अप्रैल 2014 से प्रश्न दिनांक तक सिवनी जिले के लिये उपरोक्त पेंशन वितरण के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई? जिले में कब प्राप्त हुई? हितग्राहियों को कब दी गई? (ग) सिवनी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जो पेंशन पाने वालों की सूची बनाई गई है उसकी संख्या बताये कि उन्हें 1 अप्रैल 2014 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि दी गई? क्या इस अवधि में कुछ पात्र व्यक्ति पेंशन से वंचित होकर अपात्र व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है? यदि नहीं तो उक्त अवधि में इस संबंध में कितने व्यक्तियों द्वारा अनियमितताओं की शिकायतें की गई तथा शिकायत में क्या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पंचायत राज संचालनालय में कार्यपालन यंत्री की सेवाओं का गलत अंतरण

117. (क्र. 3932) श्री प्रताप सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि पंचायत राज संचालनालय के स्वीकृत प्रशासकीय सेटअप में कार्यपालन यंत्री का कोई पद नहीं है फिर भी विभाग द्वारा सामाजिक विभाग के कार्यपालन यंत्री की सेवाये उपसंचालक के पद पर अंतरित की गई है? (ख) क्या विभाग को बगैर सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति के किसी शासकीय सेवक के पदनाम को परिवर्तन करने का अधिकार है यदि नहीं तो कार्यपालन यंत्री का पद तकनीकी स्वरूप का होता है एवं उप संचालक का पद प्रशासनिक फिर सेवायें अंतरित क्यों की गई? (ग) क्या यह भी सही है कि विभाग के उक्त प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सहमति नहीं दी गई एवं आपत्ति की टीप अंकित की जाकर विभाग को मार्ग दर्शन दिया था? (घ) उक्त विरोधाभास के बाद भी कार्यपालन यंत्री सामाजिक न्याय की सेवायें उप संचालक के पद लेने के नियम विरूद्ध कार्यवाही के आदेश को निरस्त कर उनकी सेवायें पूर्ववत उनके मूल विभाग को वापिस की जावेगी कब तक? दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

इछावार विधानसभा क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था

118. (क्र. 3960) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इछावार विधानसभा क्षेत्र में यात्री वाहन के संचालन हेतु परिवहन विभाग द्वारा परमिट जारी किए गए हैं? अगर हाँ, तो किन-किन मार्गों पर, कौन-कौन से यात्री वाहन हेतु कौन-कौन से ट्रेवल्स को परमिट जारी किए गए हैं? (ख) अगर इन मार्गों पर यात्री वाहन संचालित नहीं हो रहे हैं तो किन-किन ट्रेवल्स मालिकों पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इछावर विधानसभा क्षेत्र

अन्तर्गत किन-किन मार्गों को चिन्हित किया गया है? यदि नहीं, तो कब तक मार्गों को चिन्हित किया जाएगा एवं कौन से वाहन चलाए जाऐगे?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) जी हाँ, प्रश्नांकित विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न मार्गो पर 18 अस्थाई परमिट जारी किये गये है जिनकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) इन मार्गों पर उक्त परमिट की सभी वाहने संचालित हो रही है, वाहन संचालित ना होने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं है, अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं। (ग) ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इच्छावर विधानसभा के अंतर्गत 9 मार्ग चिन्हित किए गए है, जिसकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। दो मार्गो पर वाहनों का संचालन किया जा रहा है। अन्य मार्गो के लिए परमिट आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार परमिट जारी करने की कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट - "बहत्तर"

पंचायत सचिवों का अंशदान पेंशन का लाभ

119. (क्र. 3961) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत में कार्यरत पंचायत सचिवों को अंशदायी पेंशन लाभ देने का आदेश किस दिनांक को जारी किया गया? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) उक्त आदेश के जारी होने के बाद से कितने पंचायत सचिवों को इस योजना का लाभ दिया गया है तथा अंशदान के रूप में मध्यप्रदेश में जिलेवार कितनी राशि काटी गई? यदि नहीं काटी गई है तो उसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है तथा इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) ग्राम पंचायत में कार्यरत पंचायत सचिवों को अंशदायी पेंशन लाभ देने का आदेश दिनांक 20.07.2013 को जारी किये गये है। आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) मध्यप्रदेश के समस्त जिलों के पंचायत सचिवों को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ दिया गया है। जिलेवार काटी गई राशि का विवरण संकलित किया जा रहा है। अंशदायी पेंशन योजना लागू करने की प्रकिया अंतर्गत पंचायत राज संचालनालय तथा डी.टी.ओ. एवं डी.डी.ओ. के क्रियान्वयन एजेंसी एन.एस.डी.एल.से पंजीयन के लिये पंचायतराज संचालनालय स्तर से पंजीयन हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी एन.एस.डी.एल. को प्रेषित की जा चुकी है तथा जिला पंचायत तथा उसके अधीनस्थ जनपद पंचायत के कर्मचारियों हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। किंतु संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा पंचायतराज संचालनालय एवं जिला/जनपद पंचायतों के पंजीयन क्रमांक आवंटित नहीं करने के कारण प्रान नंबर आवंटित नहीं हुये है। पंजीयन क्रमांक आवंटित होने पर प्रान नंबर आवंटन की प्रकिया प्रारंभ हो जावेगी तथा संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को राशि अंतरण की कार्यवाही की जावेगी।

शिकायतों पर कार्यवाही एवं जांच

120. (क्र. 3991) श्री मधु भगत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 7.5.2012 से प्रश्न दिनांक तक कामधेनु ग्रह निर्माण सहकारिता संस्था भोपाल डी.आर.बी. 296 के वर्तमान संचालक मंडल द्वारा कुल कितने भूखण्ड किन-किन सदस्यों को विक्रय किये गये, तथा उनके द्वारा संस्था में जमा की गई राशि का संपूर्ण विवरण देवें? (ख) कामधेनु गृह निर्माण समिति में दिनांक 7.5.12 के बाद से प्रश्न दिनांक तक कितने नये सदस्य बनाये गये है, तथा सदस्यों द्वारा संस्था में जमा की गई राशि सहित विवरण देवें? उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कितने पुराने सदस्यों को निष्कासित किया गया? (ग) क्या यह सही है कि उक्त गृह निर्माण समिति के वर्तमान अध्यक्ष द्वारा सदस्यों की संख्या के मान से भूखण्डों की संख्या कम होने के बावजूद पुराने सदस्यों को भूखण्ड ना देकर नवीन सदस्यों को दिये गये तथा कुछ ऐसे सदस्यों को भूखण्ड का पंजीयन कराया गया है जिनके प्रकरण न्यायालय उपपंजीयक सहकारिता में विचाराधीन थे? (घ) क्या उक्त गृह निर्माण समिति के वर्तमान अध्यक्ष द्वारा आवंटित भूखण्डो के आवंटन एवं पंजीयन की जांच कराकर वास्तविक सदस्यों को भूखण्ड दिलवायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) कामधेनु गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल डी.आर.बी.-296 के वर्तमान संचालक मंडल द्वारा दिनांक 07-05-2012 से दिनांक 28-02-2015 तक 27 सदस्यों को भूखण्डों का विक्रय किये गये, उनके द्वारा संस्था में जमा कराई गई राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है. (ख) कामधेनु गृह निर्माण समिति द्वारा दिनांक 07-05-2012 से दिनांक 28-02-2015 तक 90 सदस्य बनाये गये है. सदस्यों द्वारा संस्था में जमा की गई राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है. उक्त समयावधि में त्यागपत्र देने या विधि अनुसार कार्यवाही कर संस्था द्वारा 115 सदस्यों की सदस्यता समाप्त की गई है. (ग) प्रश्नांश की जांच कराई जा रही है, शेष जांच निष्कार्षाधीन. (घ) प्रश्नांश की जांच कराई जा रही है, शेष जांच निष्कार्षाधीन. समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

संचालक मंडल के विरूद्ध कार्यवाही

121. (क्र. 3992) श्री मधु भगत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि कामधेनु गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल डीआरबी 296 के वर्तमान अध्यक्ष द्वारा अपात्र व्यक्तियों को की गई 15 रजिस्ट्रियों को श्री एच. एन. वर्मा सहकारी निरीक्षक एवं श्री बी. एस. शुक्ला संयुक्त पंजीयक मुख्यालय द्वारा की गई जांच में अवैध पाया गया था? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा वर्तमान दोषी संस्था के संचालक मंडल के विरूद्ध क्या कार्यवाही प्रश्न दिनांक तक की गई है? (ख) क्या कामधेनु गृह निर्माण संस्था के द्वारा की गई अवैध रजिस्ट्रियों को संचालक मंडल के विरूद्ध कार्यवाही कर भंग किये जाने हेतु सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा विभाग के पंजीयक एवं आयुक्त को पूर्व में भी

शिकायतें की गई थी? यदि हाँ, तो उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या विभाग द्वारा संस्था के वर्तमान अध्यक्ष के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उसके द्वारा सतत् रूप से संस्था की संपत्ति को खुर्दबुर्द किया जा रहा है? क्या विभाग द्वारा उक्त संस्था के कार्यकलापों की जांच कराई जायेगी यदि हाँ, तो कब तक? (घ) क्या कामधेनु गृह निर्माण सहकारी समिति के द्वारा कारित उक्त अवैधानिक कृत्य के संबंध में कार्यवाही कर अवैध रजिस्ट्रियों को शून्य करने की कार्यवाही के निर्देश जारी करेगें? यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) कामधेनु गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल, डी.आर.बी. 296 के वर्तमान अध्यक्ष द्वारा 15 व्यक्तियों को की गई रजिस्ट्रियों की जांच में श्री एच.एन. वर्मा, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के उपरांत भी 03 भूखण्डों की रजिस्ट्री संस्था द्वारा कराई गई है, इस संबंध में उप आयुक्त सहकारिता, जिला भोपाल द्वारा संस्था के वर्तमान संचालक मण्डल को सहकारी अधिनियम की धारा 53 (2) के अन्तर्गत दिनांक 03.09.2012 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया. संचालक मण्डल द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के विरूद्ध सहकारी अधिनियम की धारा 80 (क) के अन्तर्गत न्यायालय अपर पंजीयक सहकारी संस्थाऐ, मध्यप्रदेश (न्यायिक) में निगरानी प्रस्तुत की गई, प्रकरणों से संबंधित नस्ती माननीय न्यायालय में है एवं प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है. श्री बी.एस. शुक्ला, संयुक्त पंजीयक मुख्यालय द्वारा जांच में 15 भूखण्डों की रजिस्ट्रियों को अवैध पाये जाने के संबंध में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐ, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक/289 दिनांक 15.03.2013 में दिये गये निर्देशानुसार संस्था के वर्तमान अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल को दिनांक 30.03.2013 को कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया है. संस्था के वर्तमान अध्यक्ष द्वारा दिनांक 15.04.2013 से अवगत कराया गया कि उनके द्वारा बी.एस. शुक्ला, संयुक्त आयुक्त सहकारिता, मुख्यालय के जांच प्रतिवेदन के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल में याचिका प्रकरण क्रमांक 66/13 प्रस्तुत की गई है जो विचाराधीन है. (ख) जी हाँ. उत्तरांश (क) अनुसार. (ग) उत्तरांश (क) अनुसार, जांच एवंकार्यवाही की गई है. (घ) कामधेनु गृह निर्माण सहकारी संस्था के संचालक मण्डल के विरूद्ध कार्यवाही से संबंधित प्रकरण उत्तरांश (क) अनुसार विभिन्न न्यायालयों में लंबित है. न्यायालयीन निर्णय के पश्चात, यथोचित कार्यवाही की जा सकेगी. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

<u>निर्मित आवासों की जानकारी</u>

122. (क्र. 4005) श्री विश्वास सारंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल एवं रायसेन जिले में इंदिरा एवं मुख्यमंत्री आवास योजनांतर्गत वर्ष 2012-13, 2013-14 व 2014-15 कितने-कितने आवास के लिए कितनी-कितनी राशि आवंटित की गयी? वर्षवार, आवास संख्यावार, राशिवार, ब्लॉकवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत किस-किस ब्लॉक में शतप्रतिशत राशि का उपयोग हुआ है? किस-किस ब्लॉक में राशि का

शतप्रतिशत उपयोग नहीं हुआ है? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत राशि के शतप्रतिशत उपयोग न होने के लिए किस पदनाम-नाम के अधिकारी जिम्मेदार हैं? (घ) प्रश्नांश (क) के तहत किस-किस ग्राम पंचायत की आवास योजना में अनियमितता को लेकर जनपद/जिला/शासन को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या निराकरण किया गया है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) भोपाल एवं रायसेन जिले मे इंदिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 प्रश्नानुसार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। (ख) प्रश्नांश (क) तहत रायसेन जिले मे 7 ब्लाकों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है एवं भोपाल जिले के 02 ब्लाक फंदा एवं बैरसिया में इंदिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना में हितग्राहियों द्वारा प्रथम किश्त की राशि का उपयोग कर (लिंटर लेवल तक आवास) निर्माण पूर्ण करने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर द्वितीय किश्त जारी की जाती है इस कारण जनपद पंचायतों में राशि का शत-प्रतिशत उपयोग नहीं हुआ है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के तहत जनपदों के एडीईओ/पीसीओ अनुशंसा आधार पर प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र उपरांत द्वितीय/अन्तिम किश्त जारी की जाती है तथा निरन्तर जनपद स्तरीय कर्मचारी/अधिकारी द्वारा हितग्राहियो को मार्गदर्शन व प्रेरित कर कार्य/आवास पूर्ण कराये जाने के प्रयास निरंतर प्रक्रियाधीन हैं। अतः कोई भी अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। (घ) भोपाल एवं रायसेन जिले में इंदिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 तक कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

इंदिरा आवास में स्वीकृत प्रकरण

123. (क्र. 4035) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के मऊगंज ब्लाक के ग्राम पंचायत नरैनी में वर्ष 2011-12 में इन्दिरा आवास होम स्टेट के तहत कितने प्रकरण स्वीकृत हुये थे? सूची देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इन स्वीकृत प्रकरणों के प्रदाय प्रथम किश्त एवं द्वितीय किश्त की सूची उपलब्ध करायें? क्या हितग्राहियों को द्वितीय किश्त प्राप्त हो चुकी है? यदि हाँ, तो हितग्राहियों से प्राप्त राशि का सर्टीफिकेट देवें एवं यदि नहीं दी गई तो कब तक दी जावेगी? द्वितीय किश्त प्रदाय न करने के लिये कौन दोषी है? दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) रीवा जिले के मऊगंज ब्लाक के ग्राम पंचायत नरैनी में वर्ष 2011-12 में इन्दिरा आवास होम-स्टेड के तहत 4 प्रकरण स्वीकृत हुये थे। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। (ख) प्रथम किश्त की सूची प्रश्नांश (क) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। द्वितीय किश्त की सूची की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है। जी हाँ, हितग्राहियों को

द्वितीय किशत प्राप्त हो चुकी है। हितग्राहियों से प्राप्त राशि का सर्टिफिकेट की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र स अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कृषकों को सब्सिडीयुक्त कृषि यंत्रों का प्रदाय

124. (क्र. 4036) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले में कृषि विभाग द्वारा किसानों को सब्सिडीयुक्त कृषियंत्र प्रदाय किये गये है? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में जनपद पंचायत हनुमना एवं मऊगंज में विगत 5 वर्षों में कितने किसानों को क्या-क्या सब्सिडीयुक्त कृषियंत्र एवं अन्य प्रदान किये गये हैं? नाम एवं पते के विवरण सहित जानकारी देवें? (ग) क्या कृषकों को ट्यूबवेल कराने हेतु भी सब्सिडी प्रदाय की जाती हैं? यदि हाँ, तो विगत 3 वर्षों में जनपद पंचायत हनुमना एवं मऊगंज में कितने कृषकों को ट्यूबवेल कराने हेतु सब्सिडीयुक्त ट्यूबवेल स्वीकृत किया गया है?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ। (ख) विगत पांच वर्षो में जनपद पंचायत हनुमना में 157 एवं जनपद पंचायत मउगंज में 182 कुल 339 किसानों को सब्सिडीयुक्त कृषि यंत्र प्रदान किये गये है। विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जी हाँ। विभाग द्वारा कृषकों को ट्यूबवेल कराने हेतु विगत तीन वर्षो में जनपद पंचायत हनुमना में 27 एवं मउगंज में 56 कृषकों को सब्सिडीयुक्त ट्यूबवेल स्वीकृत किये गये है।

अधिकारी/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति

125. (क्र. 4072) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश की जिला पंचायतों में परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी के पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु पशु चिकित्सा विभाग तथा शिक्षा विभाग के ही कर्मचारियों को पदस्थ किये जाने का प्रावधान/मापदण्ड तय किया गया हैं? (ख) यदि हाँ, तो प्रतिनियुक्ति के क्या मापदण्ड बनाये गये हैं? प्रतिनियुक्ति की समय सीमा क्या रहेगी? (ग) क्या यह सही है कि प्रदेश के शिक्षकों से गैर शिक्षकीय कार्य कराने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है? यदि हाँ, तो क्या पालन हो रहा है? यदि नहीं तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तर ''क'' अनुसार (ग) जी हाँ। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। निर्देशों का पालन नहीं किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क योजना की जानकारी

126. (क्र. 4104) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय वित मंत्री महोदय के जुलाई 2014 के बजट भाषण के दौरान बिन्दु

क्रमांक 08 में मनरेगा के घटक के रूप में सुदूर ग्राम संपर्क व खेत सड़क उपयोजना प्रारंभ की गई है? जिससे किसानों को खेतों तक पहुंचने के लिये सुगम व बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2014-15 (जनवरी 2015) में कितनी राशि मुरैना जिला को दी जाकर उसमें से कितनी-कितनी राशि किन-किन विधानसभा क्षेत्रों अथवा विकासखण्डों में दी गई, विकासखण्ड अथवा विधानसभा वाइज जानकारी दी जावें? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित राशि से विधानसभा क्षेत्र दिमनी अथवा विकासखण्ड मुरैना व अम्बाह जिला मुरैना को राशि दी जाकर किन-किन ग्रामों में सुदूर ग्राम संपर्क व खेत सड़क योजना के कार्य कराये गये की जानकारी क्रियान्वयन एजेंसी का नाम/राशि विवरण/कार्य की अद्यतन स्थिति से भी अवगत करावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। (ख) मनरेगा योजनान्तर्गत 1 अप्रैल 2013 से ईएफएमएस प्रणाली प्रारम्भ की गई है। योजना का जिला स्तर पर एक ही खाता संचालित है। जिसके तहत कार्यों का क्रियान्वयन ई-मस्टर पद्वति से किया जाता है तथा मजदूरी का भुगतान जॉबकार्डधारी श्रमिकों को तथा सामग्री का भुगतान सामग्री प्रदायकर्तासेवादाता वेन्डर्स को उनके बैंक पोस्ट आफिस के खातों में फण्ड ट्रान्सफर आर्डर से अंतारित किया जाता है। पृथक से विकासखण्ड अथवा विधानसभा क्षेत्र हेतु राशि जारी नहीं की जाती है। (ग) उत्तरांश - ख के परिपेक्ष्य में सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना के तहत कराये गये कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>कृषि शोध संस्थानों के माध्यम से उन्नति कृषि की जानकारी</u>

127. (क्र. 4105) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय वित्ती मंत्री महोदय के जुलाई 2014 के बजट भाषण के दौरान बिन्दु क्रमांक 11 में कृषि महाविद्यालयों, कृषि शोध संस्थानों के द्वारा खेतों को चिन्हित कर उन्नत कृषि तकनीकों के प्रदर्शन तथा कृषकों को प्रशिक्षित करने हेतु मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना प्रारम्भ की गई है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2014-15 (जनवरी 2015) तक मुरैना जिले को कितनी राशि उपलब्ध कराई जाकर प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना का क्रियान्वयन किया गया व किन-किन महाविद्यालयों के अधिकारी व कृषि शोध संस्थानों ने भाग लेकर कृषकों को प्रदर्शन एवं प्रशिक्षित करने का कार्य किया की जानकारी विकासखण्ड मुरैना एवं अम्बाह के ग्रामों के नाम/दिनांक आदि सहित दी जावे?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ। मई 2014 से मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना प्रदेश के दोनों कृषि विश्वविद्यालय में प्रारंभ की गई है। (ख) मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना के अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र, मुरैना को वर्ष 2014-15 में 5 लाख रूपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। जिसमें मधुमक्खी पालन, वर्मी कम्पोस्ट, नाडेप, मशरूम, उद्यानिकी तथा फसल प्रदर्शन इकाईयों के माध्यम से उन्नत तकनीकी का किसानों को अवलोकन कराया गया। इसमें कृषि विज्ञान केन्द्र, मुरैना के वैज्ञानिकों डॉ. वाई.पी.सिंह, डॉ.

अशोक सिंह यादव, डा. वी.पी.एस. रघुवंशी, डॉ. पुनीत कुमार, डॉ. रीता मिश्रा एवं डॉ. धरवेन्द्र सिंह द्वारा कृषकों को तकनीकी जानकारियां प्रदान की गई। मुरैना एवं अम्बाह विकासखण्डों के लाभांवित कृषकों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट – "तिहत्तर"

सूचना/निर्देश प्राप्त होने के बावजूद पद का दुरूपयोग

128. (क्र. 4154) श्री आरिफ अकील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि संयुक्त आयुक्त सहकारिता मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक/विप./वनो./14/1037 दिनांक 20/06/2014 को श्री वी.के.तिवारी प्रबंधक विधि सेवानिवृत्त के आवेदन पत्र दिनांक 28 मार्च 2014 के तारतम्य में संयुक्त आयुक्त द्वारा प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित को पत्र लिखकर अगले वेतनमान में क्रमोन्नति की पात्रता नहीं आती से अवगत कराया था? (ख) यदि हाँ, तो सूचना प्राप्त होने के पश्चात् भी श्री विजय तिवारी को उनके स्वत्वों का भुगतान कर दिया गया? यदि हाँ, तो किस नियम व किन कारणों से किया बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्य में नियम विरूद्ध एवं मनमाने ढंग से भुगतान की गई राशि की वसूली की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों कारण सहित यह भी अवगत करावें कि विभागीय सूचना का पालन नहीं करने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है उनके विरूद्ध शासन कब तक तथा क्या कार्यवाही करेगा यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ. (ख) जी नहीं. सेवा निवृत्ति पर उन्हें मात्र ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण का भुगतान किया गया है. शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

गैर अनुभवियों को भूखण्ड आवंटन

129. (क्र. 4155) श्री आरिफ अकील : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल स्थित पंडित लक्ष्मीनारायण शर्मा कृषि उपज मण्डी में नियमानुसार बहार सब्जी मण्डी के व्यापरियों, आढ़तिया अथवा गोदाम मालिकों को ही भूखण्ड आवंटित किए गए है? यदि हाँ, तो मण्डी अधिनियम 1972 मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 के अनुसार उक्त भूखण्ड आवंटन के प्रावधानों का पालन किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो बहार सब्जी मण्डी मे कार्यरत कितने व्यापारी, आढ़तिये, गोदाम मालिक थे उनमें से कितनो को भूखण्ड आवंटित किए गए तथा कितनों को किन कारणों से आवंटन नहीं दिया गया, तथा क्या कुछ गैर अनुभवी लोगो को भी अधिनियम के विपरित जाकर भूखण्डों का आवंटन किया गया है? (ग) यदि नहीं तो कुछ व्यापारियों ने न्यायालय की शरण ली थी यदि हाँ, तो किन-किन कारणों से बतावें? (घ) प्रश्नांश (क) (ग)

के परिप्रेक्ष्य में शासन निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी नहीं। म.प्र. कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी फर्मो को ही नियमानुसार भूखंड आवंटन करने की कार्यवाही की गई है। (ख) अनुज्ञप्तिधारी फर्मो को ही म.प्र. कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार भूखण्ड आवंटित किये गये है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। कुछ व्यापारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर एवं उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में याचिकाए दायर की गयी थी। (1) मंडी समिति भोपाल द्वारा की जा रही भूखंड नीलामी को रोकने के लिये। (2) भूमि एवं संरचना का आवंटन नियम 2009 के प्रावधानों को चैलेंज किया गया। (घ) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

<u>बलराम तालाब योजनान्तर्गत कार्य</u>

130. (क्र. 4162) श्री सुदेश राय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीहोर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बलराम तालाब योजना अन्तर्गत तालाबों के निर्माण हेतु वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन ग्रामों को चिन्हित् किया है? स्थानवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांकित योजना में कुल कितनी कृषि योग्य भूमि सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया था? तथा कुल कितने तालाबों का निर्माण हुआ है? (ग) प्रश्नांकित योजना में 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक की सिंचाई के लक्ष्य पूर्ति के लिए कितने स्थान चिन्हित् कर स्वीकृति दी गई? (घ) वर्तमान में योजना की क्या प्रगति है कितने प्रकरण स्वीकृति, तथा कितने लंबित है?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) बलराम ताल योजनांतर्गत वर्ष 2014 से 11 ग्रामों को चिन्हित किया गया है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** पर है। (ख) निर्मित बलराम ताल से सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता बल्कि इनसे फसलों को जीवन रक्षक सिंचाई उपलब्ध कराना है। कुल 10 तालाबों का निर्माण हुआ है। (ग) योजना से संबंधित नहीं। (घ) वर्तमान में योजना के 20 प्रकरण स्वीकृत है तथा लंबित प्रकरणों की संख्या निरंक है।

<u>परिशिष्ट - "चौहत्तर"</u>

<u>आई.ए.पी. योजनान्तर्गत भवन/बाउण्ड्रीवाल एवं प्रवेश द्वारों का निर्माण</u>

131. (क्र. 4177) श्री रामलाल रौतेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर एवं शहडोल जिले में आई.ए.पी. योजना से वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 में कौन-कौन से भवन एवं बाउण्ड्रीवाल तथा प्रवेश द्वारों के निर्माण कार्य

कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है? (ख) प्रश्नाधीन स्वीकृत निर्माण कार्यों के लिये प्रदत्त आवंटन व्यय एवं बचत राशि क्या है और कौन-कौन से निर्माण कार्य पूरे हो गये है, तथा कौन-कौन से निर्माण कार्य अभी अधूरे है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अधूरे निर्माण कार्य कब तक में पूर्ण करा लिये जावेगें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) अनूपपुर एवं शहडोल जिले में आईएपी योजना से वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 में भवन एवं बाउण्ड्रीवाल के निर्माण कार्य की स्वीकृति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है तथा दोनो जिलों में आईएपी योजना से प्रवेश द्वार स्वीकृत नहीं किये गये है। (ख) प्रश्नाधीन स्वीकृत निर्माण कार्यो के लिये प्रदत्त आवंटन, व्यय एवं बचत की राशि और निर्माण कार्य तथा अधूरे निर्माण कार्य की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है। (ग) वित्तीय वर्ष 2014-15 में दूसरी किश्त का आवंटन भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरांत अपूर्ण कार्यो को पूर्ण किया जा सकेगा।

किसान सड़क निधि एवं मण्डी समिति की स्थाई निधि से सड़कों का निर्माण

132. (क्र. 4187) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र नीमच अन्तर्गत किसान सड़क निधि एवं मण्डी समिति की स्थाई निधि से कहाँ-कहाँ सड़कों के निर्माण हेतु प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए हैं? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में प्राप्त प्रस्तावें पर शासन स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य प्रारंभ करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) विधान सभा क्षेत्र नीमच के अंतर्गत किसान सड़क निधि से सड़को के निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्ताव की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है एवं मंडी समिति की स्थाई निधि से सडकों के निर्माण हेतु वर्तमान में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। (ख) उत्तरांश -"क" के प्रस्तावों को किसान सडक निधि के अंतर्गत गठित साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले एजेण्डे में स्वीकृति के निर्णय हेतु सम्मिलित किया गया है। साधिकार समिति की बैठक अभी नियत नहीं है। अत: समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''पचहत्तर''

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्वीकृति

133. (क्र. 4188) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र नीमच में विगत पांच वर्षों में कौन-कौन सी सड़कों की स्वीकृति जारी की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत सड़कों में कौन-कौन सी सड़कें वर्तमान में अपूर्ण हैं? (ग) अपूर्ण सड़कें कब तक पूर्ण होगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) उत्तरांश (क) अनुसार स्वीकृत सड़कों में से दो मार्ग क्रमशः नीमच मनासा रोड से झालरी एवं

थडोली से चड़ोली का निर्माण कार्य अपूर्ण है। (ग) अपूर्ण सड़कों को पूर्ण कराने की निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''छिहत्तर''

बंधक भूमि की नीलामी प्रक्रिया

134. (क्र. 4207) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1999 की धारा-28 (1) तथा 28 (2) के प्रावधान अनुसार बैंक द्वारा बंधक भूमि नीलामी के पश्चात नीलामी पर आपत्ति करने तथा बकाया ऋण राशि जमा कराने हेतु ऋणी सदस्य को 30 दिवस का अवसर दिया जाता है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित धारा अनुसार 30 दिवस में ऋणी कृषक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने, तथा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराने पर आगामी कार्यवाही का क्या प्रावधान है? (ग) उपरोक्त अधिनियम की धारा - 28 (3) के पुष्टिकर्ता अधिकारी के लिए ऋणी कृषक से आपत्ति आमंत्रित करना या उसे सुना जाना वैधानिक रूप से आवश्यक है या पुष्टिकर्ता अधिकारी के विवेकाधीन है? (घ) यदि ऋणी कृषक पुष्टिकर्ता अधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति नहीं करता है तो पुष्टिकर्ता अधिकारी के समक्ष बैंक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर पुष्टि आदेश जारी करने के अतिरिक्त क्या विकल्प है? प्रावधान सहित बतावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ, परंतु नीलामी पर आपत्ति प्रस्तुत करने का प्रावधान वर्णित नहीं है. प्रश्नांश में उल्लेखित अधिनियम के प्रावधान की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है. (ख) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1999 की धारा 28 (3) में वर्णित प्रावधान की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है. (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार. (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार.

परिशिष्ट - ''सतहत्तर''

बैंक में बंधक भूमियों की नीलामी

135. (क्र. 4208) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम 1966 एवं जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1999 में बैंक की बंधक भूमियों की बैंक द्वारा नीलामी पश्चात सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा पुष्टि किए जाने के संबंध में क्या प्रावधान है? (ख) पुष्टि की कार्यवाही के संपादन हेतु अक्टूबर-नवम्बर 2007 के पूर्व जारी नियम दिशा निर्देश क्या थे? नियम, दिशा निर्देशों की प्रति देवें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है.** (ख) प्रश्नावधि में दिशा निर्देशों से संबंधित विभागीय ज्ञाप दिनांक 30.12.1987 की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है.**

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना

136. (क्र. 4214) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत कन्याओं को सामूहिक विवाह कराने के लिए कौन-कौन सी संस्थाएं अधिकृत हैं? (ख) क्या जनप्रतिनिधियों को भी ऐसे कार्यक्रमों में आमंत्रित करने का प्रावधान है? क्योंकि सीधी जिले में ऐसे कार्यक्रमों की जानकारी जनप्रतिनिधियों को नहीं दी जाती है? (ग) क्या कन्याओं को प्रदान की जाने वाली सामग्री का मापदंड रखा गया है? क्या सीधी में इसका पालन सुनिश्चित किया जाता है? यदि नहीं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ। सीधी जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संबंधित कार्यक्रम की जानकारी जनप्रतिनिधियों को दी जाती है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''अठहत्तर''

बसों का किराया निर्धारण

137. (क्र. 4269) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में बसों के किराया निर्धारण के लिए क्या नीति है? प्रति देवें? (ख) क्या इसके लिए कोई समिति है? यदि हाँ, तो इसके सदस्यों के नाम, पदनाम सहित बतावें? इसकी बैठक विगत 3 वर्ष में कब-कब आयोजित की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार 01.07.2014 से 31.01.15 तक इस समिति की बैठकें कब-कब हुई? डीजल के मूल्य में लगभग 20% कमी आने के बाद भी अब तक बसों का किराया कम क्यों नहीं हुआ? (घ) बसों, उपनगरीय बसों एवं टैक्सी का किराया कब तक कम किया जाकर आम जनता को राहत दी जावेगी?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) नवीन परिवहन नीति-2010 में उल्लेखानुसार बसों के किराया निर्धारण हेतु स्थाई समिति गठित किये जाने की नीति है। परिवहन नीति की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। (ख) जी हाँ। शासन आदेश क्रमांक एफ 22-142/ 2004/आठ भोपाल दिनांक 09.09.2010 द्वारा गठित समिति की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है। इस समिति की बैठक शासन स्तर पर दिनांक 25.06.2012, 03.10.2012, 06.07.2013, 22.07.2014 एवं 10.02.2015 को आयोजित की जा चुकी है। (ग) उक्त समिति की बैठक शासन स्तर पर दिनांक 22.07.2014 एवं 10.02.2015 को आयोजित की जा चुकी है। प्रस्ताव विचाराधीन है। (घ) प्रस्ताव विचाराधीन है। समय सीमा दी जाना संभव नहीं है।

जाति प्रमाण पत्र विशेष अभियान

138. (क्र. 4270) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र विशेष अभियान में उज्जैन जिले में जनपद शिक्षा केंद्रवार विद्यार्थियों के कितने आवेदन भरे जाने थे? (ख) अभियान के तहत 10.02.2015 तक कितने आवेदन भर गए? जनपद शिक्षा केंद्रवार जानकारी देवें? (ग) लक्ष्य पूर्ति न होने पर किन-किन बी.आर.सी. जनशिक्षक पर क्या कार्यवाही की गई? नाम कार्यवाही सहित बताएं? (घ) शत प्रतिशत लक्ष्य कब तक प्राप्त किया जाएगा?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) लोक सेवा केन्द्रों पर जनपद शिक्षा केन्द्रवार भरे जाने वाले आवेदनों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर** है। (ख) अभियान के तहत 10.02.2015 तक 187138 आवेदन भरे गए। जनपद शिक्षा केन्द्रवार **सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2**। (ग) लक्ष्य पूर्ति हेतु समस्त बी.आर.सी. को पत्र क्रमांक/302 उज्जैन दिनांक 16.02.2015 को आदेशित किया गया है कि तत्काल लोक सेवा केन्द्रों पर जमा कर देवें, जिला स्तर पर बी.आर.सी. व जनशिक्षक पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जाति प्रमाण पत्र बनाए जाना सतत् प्रक्रिया है विद्यार्थियों द्वारा समग्र आई.डी. एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने पर जाति प्रमाण पत्र लोक सेवा केन्द्र द्वारा प्रदाय किये जा रहे है।

परिशिष्ट - "उन्यासी"

बड़वाह जनपद पंचायत में अनियमितता

139. (क्र. 4282) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वाह जनपद पंचायत में लिपिक पद पर कार्यरत श्री सुरेंद्र वर्मा ने वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक कितनी संपत्तियाँ कहाँ-कहाँ क्रय की? वर्षवार विवरण देवें? इन पर दर्ज प्रकरणों के बारे में बतावें? (ख) इनके कार्यकाल के दौरान कितने जनपद पंचायत बड़वाह के सी.ई.ओ. (C.E.O.) कार्यरत रहे एवं उनमें से कितने C.E.O. की किन-किन प्रकरणों में जॉच हुई? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार इस जॉच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? (घ) शासन (क) व (ख) अनुसार प्रकरणों की जॉच E.O.W. से कब तक करवायेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

गौण खनिजों से रायल्टी की वसूली

140. (क्र. 4293) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिला अंतर्गत जनपद पंचायतो में वर्ष 2012-13 से 31.10.15 तक वर्षवार गौण खनिज की कितनी-कितनी रायल्टी प्राप्त हुई? पंचायत नाम, जनपद पंचायत नाम, राशि सहित वर्षवार बतावें? (ख) प्राप्त रायल्टी की राशि किन-किन कार्यों में व्यय हुई? वर्षवार, कार्यवार व्यय राशि का विवरण देवें? (ग) रायल्टी व्यय करने के क्या नियम हैं? क्या सामान्य सभा से अनुमोदन कराकर कार्य कराए गए हैं? यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) बैतूल जिला अंतर्गत जनपद पंचायतों को वर्ष 2012-13 से 31.10.2015 तक गौण खनिज की कोई रायल्टी प्राप्त नहीं हुई है। (ख) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में निरंक। (ग) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में निरंक।

बैतूल जिले में मनरेगा कार्यों का भुगतान

141. (क्र. 4296) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजनांतर्गत बैतूल जिले में वर्ष 2012-13 से 31.01.15 तक कितनें तालाब एवं स्टापडेम निर्माण कार्य स्वीकृत हुए? विधानसभावार जानकारी देवें? (ख) इनमें से किस-किस वर्ष में किस-किस स्थल पर तालाब एवं स्टापडेम निर्माण कार्य स्वीकृत हुए हैं? स्वीकृति दिनांक, लागत एवं कार्यपूर्णता दिनांक भी बतावें? (ग) क्या सभी निर्माण कार्य पूर्ण होकर भुगतान हो चुका है? (घ) यदि नहीं तो कार्य कब तक पूर्ण होंगे व भुगतान कब तक किया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत बैतूल जिले में वर्ष 2012-13 से 31-01-2015 तक तालाब एवं स्टापडेम के कुल 191 कार्य स्वीकृत किये गये। विधानसभावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) प्रश्नांश (क) की अवधि में कराये गये कार्यों की वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जी नहीं। पूर्ण कार्यों के भुगतान की स्थिति का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) मनरेगा योजनान्तर्गत अपूर्ण कार्यों का पूर्ण होना जॉबकार्डधारियों द्वारा रोजगार की मांग व भारत सरकार से पर्याप्त राशि उपलब्ध होने पर निर्भर होने से कार्य पूर्ण होने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन

142. (क्र. 4303) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा कौन-कौन सी पेंशन योजनाऐ केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही है? इन योजनाओं में योजनावार हितग्राहियों के चयन के मापदण्ड व आधार क्या-क्या है? (ख) विभाग द्वारा प्रचलित पेंशन योजनाओं के लिए विधान सभा क्षेत्र मैहर के हितग्राहियों द्वारा पेंशन योजनाओं में शामिल होने हेतु दिनांक 01 अप्रैल 2013 से प्रश्न दिनांक तक कितने आवेदन किये? उनमें से कितने आवेदन निरस्त किये गये?संख्या बतायें? (ग) वर्तमान में इन योजनाओं में शामिल होने हेतु कितने आवेदन मैहर जनपद कार्यालय में लंबित है? निराकरण न होने के क्या कारण है? (घ) विधान सभा मैहर में विभाग की पेंशन योजनाओं में ऐसे कितने हितग्राही है जिन्हें पात्रता के बावजूद पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है? क्या विभाग पुन: सर्वे कराकर सभी पात्र हितग्राहियों को इन योजनाओं में शामिल करेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से संचालित योजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। संचालित योजनाओं के चयन एवं मापदण्ड की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। (ख) विधान सभा क्षेत्र मैहर में 1 अप्रैल 2013 से प्रश्न दिनांक तक 2160 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 913 आवेदन पत्र पात्रता न होने के कारण निरस्त किये गये। (ग) कोई भी आवेदन लंबित नहीं होने से निराकरण किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) सभी पात्र हितग्राहियों को पेंशन का नियमित रुप से भुगतान किया जा रहा है। समय-समय पर प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को समग्र पोर्टल पर सत्यापन करने के पश्चात भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

खाद्यान्न कूपन/पर्चियों का वितरण न होना

143. (क्र. 4304) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवीन खाद्यान वितरण की नीति क्या है? वर्तमान में प्रचलित नीति के अनुसार किस-किस वर्ग या श्रेणी (जैसे विकलांग, बी.पी.एल., निराश्रित, एससी, एसटी आदि) के हितग्राहियों को खाद्यान प्राप्त करने की पात्रता है? क्या-क्या सामग्री प्रति व्यक्ति या प्रति परिवार कितनी-कितनी मात्रा में प्रदाय की जा रही है? (ख) खाद्यान कूपन/पर्चियों के माध्यम से खाद्यान वितरण कब आरंभ किया गया? सतना व रायसेन जिले में प्रश्न दिनांक तक कितने प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को खाद्यान कूपन का वितरण किया जा चुका हैं? कितनों को नहीं? तहसीलवार संख्या भी बतावें क्यों? (ग) मैहर विधानसभा क्षेत्र व रायसेन जिले की तहसील बेगमगंज में किस ग्राम में प्रश्नांश (क) वर्णित श्रेणी/वर्गों के कितने परिवार/व्यक्ति निवास करते हैं? ग्रामवार संख्या बतावें? क्या इन सभी को खाद्यान कूपन का वितरण किया गया है? किन-किन परिवारों/ व्यक्तियों/ हितग्राहियों को प्रश्न दिनांक तक उक्त कूपन नहीं दिए गए? ग्रामवार नाम बतावें? कब तक सभी को कूपन दिये जावेंगे? अब तक कूपन न दिये जाने हेतु कौन-कौन जिम्मेदार हैं?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से पात्रता पर्ची के आधार पर पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। अधिनियम के अंतर्गत अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता परिवारों को खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता है। प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र के प्रपत्र-अ अनुसार** है। अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलो प्रति परिवार तथा प्राथमिकता परिवारों को 5 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह के मान से खाद्यान्न (गेहूँ/चावल/मक्का) के वितरण के साथ-साथ एक किलो नमक, एक किलो शक्कर का प्रदाय किया जा रहा है। इसी प्रकार, अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों एवं 22 आदिवासी जिले के प्राथमिकता परिवार को 5 लीटर एवं शेष प्राथमिकता परिवारों को 4 लीटर केरोसीन प्रदाय

किया जा रहा है। (ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत दिनांक 01 मार्च, 2014 से पात्रता पर्ची के आधार पर खाद्यान्न का वितरण प्रारम्भ किया गया है। सतना एवं रायसेन जिले में सत्यापित समस्त पात्र परिवारों को पात्रता पर्चियों का वितरण किया जा चुका है। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित श्रेणी में से मैहर विधानसभा क्षेत्र में 67, 862 परिवार तथा रायसेन जिले की तहसील बेगमगंज में 25, 517 समग्र पोर्टल पर सत्यापित पात्र परिवार निवासरत हैं। ग्रामवार, श्रेणीवार सत्यापित परिवारों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। सभी सत्यापित पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची का वितरण किया जा चुका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>सहकारी गृह निर्माण समितियों की जांच</u>

144. (क्र. 4310) श्री हर्ष यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले की किन-किन सहकारी गृह निर्माण समितियों के संबंध में अनियमितता, स्वेच्छाचारिता, सहकारी अधिनियमों के विपरीत कार्य आवास / भूखण्ड आवंटन में गड़बड़ी, नियम विरूद्ध संचालक मण्डल का निर्वाचन, भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें/जानकारी विभिन्न माध्यमों से विभाग/शासन को प्राप्त हुई हैं? दिनांक 01 जनवरी, 2010 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी जांच, निष्कर्ष और अब तक की गई कार्यवाही के विवरण सहित दें? (ख) प्रश्नांक (क) वर्णित प्राप्त शिकायतों में किन-किन में पूर्ण कार्यवाही की गई है, किन-किन में आरोपी/दोषी लोगों/अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई? कौन-कौन सी शिकायतें/जांचें कब से किस स्तर पर लंबित हैं? (ग) क्या यह सही है कि विभाग सहकारी अधिनियमों के पालन कराने हेतु गंभीर है? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) वर्णित शिकायतों के मामले में दोषी / उत्तरदायी विभागीय अधिकारियों और समिति पदाधिकारियों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.** (ख) उत्तरांश "क" अनुसार. असाधारण अवधि तक जांच लंबित नहीं है. (ग) जी हाँ. उत्तरांश "क" अनुसार, दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है.

<u>परिशिष्ट - ''अस्सी''</u>

<u>सड़क निर्माण विद्युत एवं हेण्ड पंप कार्य</u>

145. (क्र. 4318) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत कनौजा तहसील हुजूर जिला रीवा में वार्ड क्रमांक 11 में सड़क निर्माण, बिजली एवं हेण्डपम्प न लगाने का क्या कारण है? (ख) सरपंच ग्राम पंचायत कनौजा में विगत पांच वर्षो में कौन-कौन से कार्य वार्ड क्रमांक-11 में कराये गये है? यदि नहीं कराये गये है तो क्यों? (ग) क्या सरपंच ग्राम पंचायत कनौजा द्वारा ग्राम कनौजा के वार्ड नं. 11 में सड़क निर्माण, बिजली एवं पानी हेतु हेण्डपम्प का कार्य कराया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) ग्राम पंचायत कनौजा वार्ड क्र. 11 में सडक निर्माण हैण्ड पंप एवं बिजली लगी है। (ख) ग्राम पंचायत कनौजा वार्ड क्र. 11 में पीसीसी रोड निर्माण श्री रामनाथ काल के घर से राम विश्वास के घर तक बस्ती कनौजा में कराया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) ग्राम पंचायत कनौजा वार्ड क्र.11 में पीसीसी सडक खडण्जा हैण्ड पंप एवं बिजली का कार्य कराया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

हितग्राहियों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची

146. (क्र. 4322) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुक्षी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितने हितग्राहियों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची प्रदान करना थी? पंचायतवार श्रेणीवार व हितग्राहियों की संख्या की जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कितने पात्र हितग्राहियों को प्रश्न दिनांक तक खाद्यान्न पात्रता पर्ची प्रदान नहीं की गयी और क्यों? हितग्राहियों के नाम सहित पात्रता पर्ची प्रदान न किये जाने का कारण स्पष्ट करें?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) कुक्षी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत समग्र पोर्टल पर सत्यापित 55, 153 परिवारों को लक्षित सार्वजनिक प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण हेतु पात्रता पर्ची का वितरण किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) सत्यापित सभी परिवारों को पात्रता पर्ची का वितरण किया जा चुका है। आवेदन प्राप्त होने पर पात्र परिवारों का सत्यापन एवं उन्हें पात्रता पर्ची जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन

147. (क्र. 4323) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा लोककल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वे कार्य करवाया गया था? (ख) यदि हाँ, तो सर्वे के आधार पर कुक्षी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं नि:शक्त पेंशन के कितने नवीन प्रकरण स्वीकृत किये गये? (ग) क्या बहुत से पात्र हितग्राही पेंशन योजना के लाभ से वंचित रह गये है? यदि हाँ, तो शिविरों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने की क्या योजना है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। (ख) कुक्षी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत निम्नानुसार नवीन प्रकरण स्वीकृत किए गये-

क्र.	योजना का नाम	नवीन स्वीकृत प्रकरण
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	510
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	227

3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन	34
	योग	771

(ग) जी नहीं। योजनांतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर समग्र पोर्टल के माध्यम से पात्रता होने की स्थिति में हितग्राही को शासन नियमानुसार समय सीमा में योजना का लाभ दिया जाता है।

गृह निर्माण सहकारी संस्था के विरूद्ध कार्यवाही

148. (क्र. 4438) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एस.बी.पुलिस गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल (डीआरबी 542) के निवर्तमान संचालक मण्डल में कौन-कौन सदस्य थे? उनके नाम, पता एवं संस्था द्वारा क्या उन्हें कौन-कौन से भूखंड आवंटित किए गए थे? क्या आवंटित भूखंडों का आम सभा द्वारा निर्धारित मूल्य पर आवंटित किया गया था? (ख) उक्त संस्था के निवर्तमान संचालकों द्वारा संस्था का कार्यकाल खत्म होने एवं उप पंजीयक सहकारिता भोपाल द्वारा दि. 17.11.11 को संस्था को अधिगृहीत करने के बावजूद भी 6 भूखण्डों का पंजीयन अवैध रूप से अपने रिश्तेदारों को करा दिया गया था? क्या उपरोक्त 6 भूखंडों का पंजीयन निरस्त करा दिया गया है? यदि हाँ, तो जानकारी दें? (ग) उक्त संस्था द्वारा वर्ष 2006-07 से अब तक का अंकेक्षण क्यों नहीं कराया गया है? क्या विभाग द्वारा इनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी? संस्था के दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कब तक की जावेगी? (घ) उक्त संस्था को दि. 17.11.11 को अधिगृहित किया गया था? इसके बावजूद सहकारिता विभाग द्वारा उनका रिकार्ड अब तक क्यों प्राप्त नहीं किया गया? क्या विभाग द्वारा यह रिकार्ड संस्था के चुनाव से पहले प्राप्त कर लिया जावेगा? तथा इस संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) एस.बी. पुलिस गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल के निवर्तमान संचालक मण्डल के सदस्यों के नाम एवं पते की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है. संस्था के प्रभारी अधिकारी को रिकार्ड प्राप्त न होने से शेष जानकारी दिया जाना संभव नहीं है. (ख) जी हाँ. भूखण्डों के पंजीयन निरस्त कराने हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये है. **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है. (ग) रिकार्ड उपलब्ध न होने से. जी हाँ. शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (घ) जी हाँ. रिकार्ड जप्ती हेतु कार्यवाही की गई, संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री मुकेश राय के विरूद्ध थाना बाग सेवनिया, भोपाल में अपराध प्रकरण क्रमांक 384/13 पंजीबद्ध किया गया है, जिसमे विवेचना जारी है.

परिशिष्ट - ''इक्यासी''